राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] बारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का बारहवां दिवस [संख्या : 9

शुक्रवार

29 फरवरी, 2008

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनारायण विशनोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर।

जिला परिवहन अधिकारियों को वाहनों में एलपीजी गैस किट स्वीकृति के अधिकार

65. **श्री केसर देव बाबर** (लक्ष्मणगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य के किन-किन जिला परिवहन अधिकारियों को वाहनों में अधिकृत गैस किट के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है? संबंधित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के कुछ जिला मुख्यालय को छोड़कर किसी भी शहर में वाहनों में भरे जाने हेतु एलपीजी गैस पम्प स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो राज्य में किन-किन शहरों में एलपीजी गैस वाहनों में भरने हेतु पम्पिंग स्टेशन उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन ज़िलों में एलपीजी पम्प नहीं है, वहां के परिवहन अधिकारियों को भी गैस किट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

यातायात मंत्री (श्री युनूस खान): (1) राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों (जिला परिवहन अधिकारियों) को वाहनों में अधिकृत गैस किट लगाने की अनुमति देने हेतु अधिकृत किया हुआ है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(श्री युनूस खान)

(2) जी हां। राज्य के कुछ जिला मुख्यालय के अतिरिक्त शेष किसी भी शहर में वाहनों में भरे जाने हेतु एलपीजी गैस पम्प स्टेशन उपलब्ध नहीं हैं। राज्य के अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा शहर में ही एलपीजी गैस पम्प स्टेशन उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। राज्य के समस्त पंजीयन अधिकारियों (जिला परिवहन अधिकारियों) को गैस किट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत वाहन स्वामी को अधिकृत गैस किट वाहन में लगाने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। मोटर वाहन अधिनियम के इस प्रावधानानुसार जिन जिलों में एलपीजी पम्प स्टेशन नहीं हैं उससे भिन्न जिले के अधिकारियों द्वारा गैस किट प्रमाण पत्र जारी करने पर पाबंदी नहीं है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब तक सीकर ज़िले में गैस किट के कितने प्रमाण पत्र दिये गये और कब से दिये गये? दूसरा, क्या यह सही है कि गैस किट प्रमाण पत्र जारी वाहनों में घरेलू ईंधन गैस सिलेण्डर लगाने पर पाबंदी है? यदि हां, तो सीकर जिले में गत पांच वर्षों में कितने वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गैस किट के संबंध में माननीय सदस्य ने सीकर ज़िले में कितने व्हीकल्स में गैस किट लगे हुए हैं उसके संबंध में पूछा है। दूसरा कितने वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। दोनों के विषय में मैं आपसे निवेदन करुंगा कि सीकर के अंदर 13 चालान हमने 2006-07 में किये और 23 चालान 2007-08 में किये। कुल 36 चालान अब तक सीकर ज़िले में हमने किये हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): संख्या पूछ रहे हैं वह, कितने को आपने इजाजत दी, यह नहीं पूछा है।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने एक प्रश्न यह पूछा था कि कितने वाहनों को इस तरह का सर्टिफ़िकेट जारी किया गया।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): सीकर में माह जनवरी, 2008 तक हमने कुल 3056 वाहनों के गैस किट फिटमेंट लगाने की इजाजत दी है। सीकर के अंदर सीधे फिटमेंट के कोई भी वाहन रजिस्टर नहीं हुआ है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने गैस किट के प्रमाण पत्र नहीं ले रखे हैं, उस अवैध कारोबार को रोकने की दृष्टि से क्या संयुक्त रूप से विभाग ने कोई अभियान चलाया है-पुलिस, रसद विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग ने, ताकि इस अवैध कार्यवाही पर प्रभावी कार्यवाही की जा सके?

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है, यह जो सर्टिफ़िकेट जारी किया गया है क्रम संख्या 32/2002 दिनांक 28.8.2002 को, इसमें प्रदेश में वाहनों में गैस किट लगाने का प्रमाण पत्र जारी करने की बात कही गई है। प्रदेश में ऐसे बहुत-से ज़िले हैं जिनमें गैस भरने का संयंत्र नहीं है, गैस का पम्प नहीं है फिर भी वहां गैस के वाहन चल रहे हैं। निश्चित तौर पर वो वाहन कहीं जाकर गैस नहीं भरवाते, वहीं घरेलू सिलेण्डर का उपयोग लेते हैं। इससे जो गरीब व्यक्ति हैं उनके ऊपर भार पड़ता है और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या यह आदेश निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय से मेरा भी इसी से संबंधित प्रश्न है कि जिन जिलों में गैस के पम्प नहीं हैं और उन ज़िलों में खुलेआम आपके गैस किट की बिक्री हो रही है, उनको रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं आप?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो मूल प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने यह विषय उठाया है कि सीकर ज़िले में विशेष रूप से एलपीजी का कोई गैस स्टेशन नहीं है और यही प्रश्न खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की सैक्शन-52 में भारत सरकार ने यह अथारिटी दे रखी है। चूंकि यह केन्द्रीय कानून है, उसमें राज्य सरकार किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें इतनी लिबर्टी है कि हमारा जिला परिवहन अधिकारी किसी को भी इस तरीके के परमिट देने से या लाइसेंस देने से नहीं रोक सकता। आपने कहा कि 28.8.2002 का कार्यालय आदेश हमने निकाला है 32 नम्बर का, उसके विषय में तो मैं सिर्फ यही निवेदन करुंगा कि

(श्री युनूस खान)

एक्ट का जो सैक्शन-52 है उसमें सिर्फ दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का इन्स्ट्रूमेंट लगा सकता है। उसके सारे दिशा-निर्देश क्रमश: दिये गये हैं तो इसमें विथड्रा करने का सवाल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कानून में इस तरह का प्रोविजन है। यह एक समस्या पूरे राजस्थान में आई कि हमारे पास एलपीजी स्टेशन पूरे ज़िलों में नहीं हैं, मात्र 5 या 6 ज़िलों में 16 स्टेशन लगे हुए हैं, उन स्टेशन में कोई दूसरे ज़िले से भरवाने आएगा तो आप यह क्यों दे रहे हो? हमने इस हेतु विधि विभाग से भी राय ली है, विधि विभाग ने स्पष्ट कहा है कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सैक्शन-52 में इस तरीके का प्रोविजन है इसलिए राज्य सरकार इसको परमिट देने से नहीं रोक सकती।

जहां तक सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही कि क्या इस तरीके की कार्यवाही हुई है, निश्चित रूप से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी अलग-अलग जिलों में कार्यवाही की है और इस तरीके के करीब 92 केसेज पकड़े हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे विभाग ने भी संयुक्त रूप से कार्यवाही की है और इस संयुक्त रूप की कार्यवाही में लगभग 1145 लोगों के खिलाफ हमने चालान किये हैं और उनके सख्ती से सिलेण्डर्स भी उतारे हैं। बार-बार यह बात सामने आई कि जो हमारा घरेलू गैस किट है उसको लोग उपयोग में ले रहे हैं, सिलेण्डर हैं उनको उपयोग में ले रहे हैं। किट देने के लिए कानून के अनुसार हम उनको रोक नहीं सकते। चूंकि वह ले रहा है तो जिन जिलों में इस तरीके का पम्प स्टेशन नहीं है उनमें इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी दो बार केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है, हमारे यहां कमिश्नर ने भी पत्र लिखा है, हमने भी इस तरीके का केन्द्र सरकार से निवेदन किया है कि इस तरीके का दुरुपयोग हो रहा है और इस कानून में संशोधन जरूरी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग थी उसमें भी यह इश्यू हमने उठाया। आज जिस तरीके से इसका दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1145 केस चालान हुए हैं और हमारे सदस्य जो सवाई माधोपुर से आये हैं उनसे भी मैं निवेदन करुंगा कि 92 केसेज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी इस तरीके के किये हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): मंत्रीजी यह बताइए कि क्या स्वतंत्र रूप से पुलिस या रसद विभाग इनका चालान करने या केस बनाने के लिए अधिकृत है मोटर व्हीकल एक्ट में?

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जहां तक रसद विभाग का सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर घरेलू गैस का कोई उपयोग करता है तो उसके खिलाफ वह कार्यवाही कर सकता है। जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस को राज्य सरकार ने यह अधिकार दे रखा है, वे इसकी संयुक्त रूप से परिवहन विभाग के साथ जांच कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1145 केस हमने संयुक्त जांच के तहत ही बनाये हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की है। मैं माननीय सभी सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, हालांकि राज्य सरकार को इस एक्ट के अंदर परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, जिस तरीके से दो पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय मंत्रीजी माननीय मुरली देवड़ाजी और माननीय अय्यर साहब को लिखे हैं, उसी कंटीन्युएशन में हम एक पत्र और मुख्य मंत्रीजी से लिखवाएंगे और केन्द्र सरकार से यह आग्रह करेंगे कि जिस तरीके से घरेलू गैस अनधिकृत रूप से उपयोग में ली जा रही है, कानून में हम उन लोगों को नहीं रोक सकते जो लोग इस तरीके के फिटमेंट के इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसलिए कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार इस कानून में संशोधन करे। जो सैक्शन-52 है वह इतनी लिबरल है कि राज्य सरकार भी उसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, इसलिए हम केन्द्र सरकार से यह आग्रह करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसका कोई दुरुपयोग करेंगे तो हमारा विभाग इसमें सख्ती से पेश आकर उन दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ और सख्ती से कार्यवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान) नहीं, माननीय सदस्य, अब इस प्रश्न पर नहीं।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय, यह बताएं कि जो डीलर हैं, जो ब्लैक कर रहे हैं उन पर कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? जो खरीद कर रहे हैं, जो ब्लैक कर रहे हैं, जो घरेलू गैस एजेंसी के मालिक हैं वो जो ब्लैक कर रहे हैं उन पर कार्यवाही सरकार करे, जिससे अपने आप ही जब ब्लैक में नहीं मिलेगा तो कहां से गाड़ी में डालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: हो रही है, हो रही है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): चुनावी साल है ज्यादा पंगा नहीं लो तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप तो पैट्रोलियम मंत्री को लिख रहे हैं कि कानून में परिवर्तन किया जाए, तो फिर आप कार्यवाही कौन से कानून के तहत कर रहे हो?

श्री अमराराम (धोद): ये तो आपके ही हाथ में है।

श्री उपाध्यक्ष: मिली जुली कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): आप मुख्य मंत्रीजी से पत्र लिखवा रहे हैं ...

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): सर, अलग-अलग सैक्शन में हमारे को इस तरह के अधिकार दिये हुए हैं उनके तहत हम कार्यवाही करते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया सैक्शन 52 का, कोई अगर अधिकृत आदमी से ले रहा है तो उसके खिलाफ तो हम कार्यवाही नहीं कर सकते और कोई इस तरह का सेन्टर लगाने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन लगा रहा है उसको हम रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, गैस एजेंसी का कोई एक मालिक का बता दो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): जहां तक धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया कि हमारे पैट्रोलियम ..

श्री अमराराम (धोद): ..ब्लैक करके बेच रहा हो उन पर एक पर भी कार्यवाही हुई हो। वाहन मालिकों पर तो की है, लेकिन गैस वितरक पर एक पर भी कार्यवाही की होती।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग इस तरीके की कार्यवाही करता है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से और अधिकार लेने की बात कर रहे हैं, जो अधिकार आपको मिले हैं उनका आप पूरा उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, और अधिकार लेकर क्या आप फांसी पर लटकाएंगे उनको?

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं, कर रहे हैं।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): सर, मैं आपसे निवेदन कर दूं, अगर आप कहें तो सैक्शन 52 मैं पढ़कर दिखा दूं, एक्ट बना हुआ है। हम सारे अधिकारों का सख्ती से उपयोग कर रहे हैं। मैं फिर हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि कोई भी दुरुपयोग करेगा, हम उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आ गया जवाब, जवाब आ गया।

संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से लूणकरणसर (बीकानेर) क्षेत्र के प्रभावित ग्राम

66. **श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें:

(1) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव-सुरक्षा ,गृह (ग्रुप-9) विभाग , राजस्थान ,जयपुर के पत्रांक प.30(2)गृह-9/2001 दिनांक 6.8.2007 द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्तावित गांवों में विकास कार्यों पर रोक लगाई गई है? यदि हां ,तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रोक लगाये गये गांवों की अवाप्ति हेतु रक्षा विभाग द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिये जाने तथा सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही किए बिना ही प्रस्तावित गांवों में विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त गांवों के विकास कार्यों पर लगी रोक हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। चूंकि भूमि राष्ट्रीय हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए रक्षा विभाग के लिए अवाप्त किये जाने की सैद्धांतिक सहमति हो गई थी, अतः राजकीय योजनाओं के अधीन नवीन विनिवेश निरर्थक नहीं हो, इस दृष्टि से रोक लगाई गई थी।

(2) खण्ड 1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

(3) रोक 6 माह की अवधि के लिए लगाई गई थी जो अब समाप्त हो चुकी है। अभी तक रक्षा विभाग से भूमि अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, प्रश्न के जवाब में जो आपने यह फर्माया है कि रोक 6 माह की अवधि के लिए लगायी गई थी, उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् जिला प्रशासन द्वारा जो विकास कार्यों पर रोक लगायी गई थी उस रोक को हटाये जाने के लिए कोई आदेश जारी कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कब? नम्बर-2, उपाध्यक्ष महोदय, यह रोक लगाये जाने का कारण इसमें बताया गया है कि सैद्धांतिक सहमति हो गयी थी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

लाना चाहूंगा कि जब इसी क्षेत्र के 33 गांवों को वर्ष 1983 से 85 के बीच अवाप्त किया गया था तब 84 गांवों को अवाप्त किये जाने की सैद्धांतिक सहमति बनी थी, तो तब से अब तक इस क्षेत्र में ये विकास कार्य क्यों हुए और आज अचानक से विकास कार्यों पर रोक लगाये जाने का क्या कारण है? नम्बर-3, लास्ट मेरा एक प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, इस रोक हटाये जाने के दिवस से और रोक लगाये जाने के दिवस के बीच में जमीनों की जो खरीद-बेच हुई है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं कोई जांच कराने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब से इस एक्वीजीशन का, दोनों ही 170 ब्रिगेड का भी और 180 बिग्रेड का भी, प्रशिक्षण के लिए भी और फायरिंग रेंज के लिए भी, प्रारम्भिक प्रस्ताव 2000 में प्राप्त हुआ था उस समय 92 गांव एक्वायर करने की बात थी, बाद में उसमें रेलवे लाइन भी आ रही थी, कुछ रोड्स नेशनल हाइवे की भी आ रही थीं, कुछ और चीजें भी थीं। लगभग 7.75 लाख एकड़ जमीन का जो पहला प्रस्ताव था, उसके बाद कलक्टर और उनके बीच में मीटिंग होने के बाद जमीन कुछ घटायी, और 2 लाख 31 हजार हैक्टेयर जमीन को एक्वायर किया जाए, ऐसा कलक्टर की मीटिंग में तय हुआ। उसमें पुनर्वास के लिए भी और बाकी सारा मिलाकर लगभग 1708 करोड़ कम्पनसेशन देने की बात उस समय तय हुई। कलक्टर की उस रिपोर्ट के आधार पर इसमें कैबिनेट मेमो बनकर गया और कैबिनेट में 6 अक्टूबर, 2006 को इसकी स्वीकृति मिली। कैबिनेट का आदेश 19.1.2007 को आदेश जारी हुआ और 27 तारीख को हमने कैबिनेट के इस डिसीजन के आधार पर ब्रिगेडों के और आर्मी के लोगों को अपने यहां से प्रस्ताव बनाकर भेजा कि सारे क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो भी मुआवजा और कम्पनसेशन बनेगा वो एकमुश्त ही आपको अदा करना पड़ेगा। वह मुआवजा लगभग 1708 करोड़ रुपये का था। यह प्रस्ताव जाने के बाद उनकी तरफ से कोई हमको जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसी बीच में कलक्टर ने 17.7.2007 को एक पत्र लिखा, उस पत्र में यह कहा गया कि बीकानेर में यह जो क्षेत्र है इसमें विकास कार्य की स्वीकृति दी जाए या नहीं दी जाए। कलक्टर का पत्र हमें 17.7 को प्राप्त हुआ, हमने 6 अगस्त को, मतलब कुछ ही दिन बाद यह सोचकर कि चूंकि प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास गया हुआ है और इसकी स्वीकृति मिलने वाली है, अगर हम इसमें विकास कार्य करेंगे तो एक तो कम्पनसेशन भी बढ़ेगा और दूसरा जो पैसा हम इन्वैस्ट करेंगे वो भी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
निरर्थक जाएगा, इसके कारण से कलक्टर की उस मंशा को ध्यान में रखते हुए हमने 6 महीने की अवधि के लिए रोक लगाई थी। जो दोनों पत्र हमने निकाले हैं, एक पत्र राज्य सरकार की तरफ से केन्द्र सरकार को भेजा था वो है 27.1 का मंत्रिमंडल का और उसके बाद विकास कार्यों पर जो रोक लगायी। वो 6.8 को लगायी। उसके पश्चात् हमने केन्द्र को भेजा। उसके बाद जब 2 फरवरी को यह हमने रोक लगायी थी इसको वापस हटाने के लिए, जैसे आपका प्रश्न भी आया हमारे भी ध्यान में आया कि इसकी 6 फरवरी को ही अवधि समाप्त हो रही है 6 महीने की। उसके बाद आपने जब इस विषय को भेजा तो हमें तुरंत ध्यान में आया और हमने उसके वापस आदेश निकाल दिये, क्योंकि हमको उनकी यह स्वीकृति नहीं मिली कि सैक्शन 4 का नोटिस निकाला जाए। उसके बाद कम्पनसेशन जो बढ़ गया था उस बढ़े हुए कम्पनसेशन को भी ध्यान में रख कर फिर हमने केन्द्र सरकार को भेजा कि यह कम्पनसेशन आप अगर एकमुश्त हमें देंगे तो हम सैक्शन 4 का नोटिस, आपकी अगर पूरी सूचना मिलेगी तो निकालेंगे। जब यह प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ तो हमने आदेश वापस अभी निकाल दिया इसी 28 तारीख को। यह बात सच है कि आपके प्रश्न के आने के बाद विषय जानकारी में आया, 6 महीने की रोक लगी हुई थी। सैक्शन 4 का नोटिस जारी नहीं हुआ बार-बार केन्द्र सरकार को लिखने के बाद भी तो हमने यही उचित समझा कि जब तक उनकी सैक्शन 4 की पूरी प्राप्त नहीं होती, इस रोक को लगाने का कोई अर्थ नहीं है। हमने केन्द्र सरकार को भी इसकी जानकारी दे दी और इसकी रोक हटा ली।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस पर अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आदेश निकाला, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न जिसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया मैं उस पर पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस रुके हुए 6 माह के भीतर जमीनों की खरीद-बेच जो हुई है, क्या विभागीय स्तर पर उस पर भी कोई जांच करने का विचार रखते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): यह विषय एकदम मेरी जानकारी में नहीं आया कि कितनी जमीनों का लेनदेन हुआ, क्योंकि यह दूसरे विभाग से है। लेकिन आपकी भावना को ध्यान में रखकर अगर वास्तव में इसमें कुछ हुआ है तो मैं इसकी जानकारी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। केन्द्र सरकार की आवश्यकता और आर्मी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को अपन ने आगे बढ़ाया है, जिसमें आप और हम सब लोग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सहमत होंगे, पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अपने आप ही वो प्रस्ताव आज की तारीख में आगे सैक्शन 4 का नोटिस जारी नहीं होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकता इसलिए रोक हटा दी।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट प्रश्न, श्री बाबूलाल खराड़ी। (व्यवधान) लूणकरणसर का ही है यह।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी): ...(व्यवधान) इसी तरीके से सेना के अधिग्रहण का मामला मेरे नाहरगढ़ तहसील में धांधूसर का है, उसी के संबंध में पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वो अलग से उठाना। स्थान ग्रहण करें। श्री बाबूलाल खराड़ी।

अम्बेडकर छात्रावास भवन, कोटड़ा (उदयपुर) का विस्तार

67. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया के उपखण्ड कोटडा के अम्बेडकर छात्रावास का भवन अपर्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार भवन विस्तार एवं भवन पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री मदन दिलावर): जी हां। आर्थिक संसाधन उपलब्ध होने पर अम्बेडकर छात्रावास कोटड़ा (उदयपुर) का भवन विस्तार एवं कार्य पूर्ण करना सम्भव होगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदयजी से, यह तो सम्भव है कि वास्तव में कमी है, तो कब इस कार्य-कार्य को शुरू करेंगे और कब तक पूर्ण करेंगे, यह बताने का कष्ट करें।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमने इसका तकमीना प्राप्त कर लिया है और आने वाले वित्तीय वर्ष में अप्रैल के मध्य हम इसकी स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों में पिछले 10-15 सालों से जो रसोइये काम कर रहे हैं जिन्होंने 400 रुपये मानदेय पर ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): उपाध्यक्ष महोदय, जो 10-12 साल से रसोइये का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): क्या सरकार उन अम्बेडकर छात्रावासों के रसोइयों को परमानेंट करने का कार्य करेगी या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए।

पाली जिले में स्वीकृत जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण कार्य

68. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली में वर्ष 2004-05 से 2007-08 में कितने वाटरशेड स्वीकृत किये गये? इनमें से कितने कार्य पूर्ण और कितने अपूर्ण हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने कार्य डीपीआर के नियमों के तहत हुए तथा कितने कार्यों में डीपीआर बदली गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): (1) पाली जिले में मरू विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक 150 वाटरशेड स्वीकृत किये गये हैं। वाटरशेड के सभी कार्यों की परियोजना अवधि 5 वर्ष है, अतः उक्त सभी परियोजनाएं अपूर्ण हैं। उक्त 150 परियोजनाओं में कुछ 10268 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 1189 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 9079 कार्य अपूर्ण हैं। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

डीपीआर के कोई नियम नहीं हैं। 4 परियोजनाओं में डीपीआर में परिवर्तन किया गया है। सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है, आपने एक तरफ तो यह कहा है कि डीपीआर के कोई नियम नहीं हैं और 4 परियोजनाओं में डीपीआर को परिवर्तन किया है, जबकि हरियाली गाइडलाइन बुक में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ग्राम सभा अगर प्रस्ताव बनाकर भेजती है तो डीपीआर में परिवर्तन किया जाता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि मांडीगढ़ ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा है उसने जब प्रस्ताव बनाकर जिला परिषद में भेज दिया तो उसका पेमेंट कैसे रुकवा दिया गया?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिन चार में डीपीआर चेंज की गई है उसमें मांडीगढ़ का तो नाम नहीं था। उपाध्यक्ष महोदय, दो डीपीआर हमने चेंज की थी उसमें एक थी पंचायत समिति सुमेरपुर की और एक थी पंचायत समिति ....

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): पर मेरा प्रश्न यह है कि हरियाली गाइड लाइन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है ...

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हरियाली गाइडलाइन में यह प्रावधान है, गाइडलाइन का पूछ रही हैं तो मैं पहले वह बता देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाली गाइडलाइन भारत सरकार द्वारा जारी की गई है, उस हरियाली गाइडलाइन में यह स्पष्ट प्रावधान है कि भारत सरकार वाटरशेड स्वीकृत कर जिला परिषद को भेजती है। जिला परिषद द्वारा आबंटन होकर पंचायत समिति में जाता है। पंचायत समिति पंचायतों से काम करवाती है और वहां पर वाटरशेड की एक कमेटी भी बनाई जाती है जो उसका काम करती है। उपाध्यक्ष महोदय, डीपीआर कोई नियम नहीं है, डीपीआर का मतलब होता है डिटेल प्रोजैक्ट रिपोर्ट। डीपीआर बनने के बाद जब काम प्रारम्भ होता है, मौके पर यदि कोई संशोधन उसमें करना है, अगर ऐसा लगता है कि यह वाटरशेड फिट नहीं है या इसमें कमी है या किसी प्रकार का इसमें परिवर्तन चाहते हैं तो उस पंचायत की ग्राम सभा उस पर प्रस्ताव पास करेगी। ग्राम पंचायत उसके आधार पर पंचायत समिति को लिखेगी और पंचायत समिति उस डीपीआर को चेंज करने के लिये जिला परिषद को भेजेगी, जिला परिषद की साधारण सभा में उसका चेंज हो जाएगा। अब आप जो मांडीगढ़ की बात कह रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मांडीगढ़ में क्या हुआ कि डीपीआर बन कर गई, उस पर 4 एनिकट बनने थे। सरपंच ने, वहां के सचिव और जे.ईएन ने बिना डीपीआर चेंज कराये, बिना कोई ग्राम सभा का प्रस्ताव लाये, बिना पंचायत समिति का प्रस्ताव लाये सीधे ही 4 एनिकट के बजाय एक एनिकट नदी पर बना दिया और वह एनिकट बिना चेंज कराये किया। अब आप कह रही हैं कि, साहब, इनका चेंज क्यों नहीं किया ग्राम सभा का। आपका न तो ग्राम सभा का प्रस्ताव लाया गया, न पंचायत समिति का प्रस्ताव लाया गया।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ग्राम सभा का प्रस्ताव भेजा गया था।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बात सुन लीजिए। न तो ग्राम सभा का प्रस्ताव गया, न पंचायत का प्रस्ताव गया और न पंचायत समिति का प्रस्ताव गया।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): आप गलत बयानी कर रहे हैं, साहब।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पूरी बात सुन लीजिए। प्लीज बैठिए। आप एक मिनट शांति से सुनें, मैं भी आपको सुन रहा था।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ग्राम सभा का प्रस्ताव भेजा गया था और जिला परिषद ने उस प्रस्ताव को नहीं माना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सत्ता पक्ष की माननीय सदस्या का जो आरोप है कि आप गलतबयानी कर रहे हैं, इसको आप गम्भीरता से लें।

श्री उपाध्यक्ष: आप सप्लीमेंट्री पूछ लेना, बीच में नहीं।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उसकी प्रति मंगाई जाए, आपको मिल जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्या हुआ कि बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के, बिना पंचायत समिति के प्रस्ताव के, बिना डीपीआर चेंज कराये ही उन्होंने काम करवा दिये। काम करवाने के बाद जब शिकायत हुई, शिकायत होने के बाद काम रुकवा दिया गया। उस पर जो पैसा एडवांस दिया था वह तो इन्होंने खर्च कर दिया, बाकी पैसा नहीं दिया। इसकी जांच होने के बाद जिला परिषद में यह जांच रिपोर्ट गई। जिला परिषद ने उसमें जो-जो दोषी थे, उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव रखा। उसके बाद पंचायत ने डीपीआर को चेंज करने के लिये लिखा लेकिन बाद में जिला परिषद ने उसको मना कर दिया, रिजैक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आपने गलत काम कराया है इसलिए हम इसको रैगुलराइज नहीं करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये नियम भारत सरकार से बनते हैं और भारत सरकार ने इसमें राजस्थान सरकार का कोई इंटरफियर नहीं रखा। यह पूर्णतया जिला परिषद को स्वायत्त कर दिया गया, जिला परिषदें ही इसमें अधिकृत हैं, वही इसको चेंज कर सकती हैं। जब अनियमितता की जांच होकर दोषी माना, उसके बाद आपने जिला परिषद को भेजा है तो जिला परिषद ने रिजैक्ट कर दिया और जो इसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): क्या शिकायत आपके पास है? उसकी प्रति मंगाइये कि क्या शिकायत आई।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को खुद के जवाब का पता ही नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उन्होंने क्या शिकायत की, यह भी मंगाई जाए। उसमें क्या अनियमितता थी, यह भी बताया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अनियमितता यह थी कि 4 एनिकट बनाने थे, एक एनिकट ही बनाया गया और वह भी दूसरी जगह बनाया जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट के एरिया में नहीं था वहां बनाया, यह अनियमितता थी। (व्यवधान) कम्प्लेंट की कापी तो मैं दे दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा में इस सरपंच का तो कोई दोष नहीं था न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप किस की परमिशन से बोल रहे हैं? आपका कोई अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, बीच में फालतू बात नहीं। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपको कोई सप्लीमेंट्री पूछना है तो पूछिये, मैं आपको समय दूंगा। परमिशन से बोलिये। बैठ जाइये, आपका कोई अंकित नहीं होगा। आपको मौका देंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को सूचना मिली उसके अनुसार इनके जो जिला प्रमुख हैं उनके पास में गांव के आदमी गये, उन्होंने शिकायत की। शिकायत करने पर जिला प्रमुख ने तीन इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई, उन्होंने जाकर जांच की और वह जांच रिपोर्ट आई। यह चाहें तो मेरे से और मिल लें ...

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): जांच रिपोर्ट मंगाई जाए, जांच रिपोर्ट में क्या आया, क्या अनियमितता पाई गई। यह बताओ, साहब।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन बार कह चुका हूं ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसमें प्रोजैक्ट रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं हो रहा था। 4 एनिकट के बजाय एक एनिकट बनाया गया और वह भी प्रोजैक्ट रिपोर्ट के बाहर बनाया जा रहा था। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मंत्रीजी खुद तैयारी करके आये हैं, आप मंत्री नहीं हैं, आप मंत्रीजी को जवाब देने दें। मंत्री महोदय आप नहीं हैं, उनको जवाब देने दीजिए, आप बीच में मत बोलो।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये यह पाली से जुडा हुआ है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: जैसलमेर नहीं आएगा इसमें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं कि डीपीआर चेंज करने का काम जिला परिषद ही कर सकती है। (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक भी डीपीआर चेंज नहीं की, मैं चैलेंज करता हूं। अब यह बिना आधार के गलत आरोप लगाए तो इनकी मर्जी है।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माननीय मंत्री महोदय, जांच क्या आई, जांच में क्या अनियमितता आई, वह मैं समझ गई, और क्या है, वह भी पटल के सामने आ गई। मगर, उस सरपंच का तो कोई दोष नहीं है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव बनाकर भेजा, ग्राम सभा ने निर्णय लिया कि चार की जगह एक बनाया जाए या एक की जगह चार बनाये जाएं। उस नदी पर, मगरी नदी पर आगे जाकर सिन्दौली का ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनी हुई पुलिया है। चार महीने तक वह नदी चली वह पुलिया नहीं टूटी, आपकी जलग्रहण की वह पुलिया टूट गयी। पुलिया तो बिलकुल बिखर गयी और जलग्रहण का बना हुआ एनिकट है जिसकी यह बात हो रही है वह नहीं टूटा। आज की स्थिति में है वह। तब कैसे फिर खराब काम हुआ, उसमें सीमेंट अच्छी यूज की गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर जलग्रहण का पुलिया टूट गया होगा और गलत बन गया होगा तो उसकी तो मैं जांच करा लूंगा। जहां तक आप कहते हैं कि आपने सही बनाया, गलत बनाया, प्रश्न यह नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): मैंने नहीं बनाया, ग्राम सभा ने बनाया। (व्यवधान)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कैसे बोल रहे हैं बीच में? अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा बीच में।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): बाहर बना था इसलिए उन्होंने सही नहीं माना और गैरकानूनी माना गया, जांच में यह पाया गया। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री कोई पूछेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, बीच में बहस नहीं होगी। माननीय सदस्य, बैठिये आप, स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है, दो-दो, तीन-तीन लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: पहले उनको परमीशन दे रहा हूं, आप सप्लीमेंट्री पूछिये।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें, जिस वाटरशेड का, आधा काम हुआ, आधा पेमेंट हुआ और बाकी का पेमेंट रोका गया, क्या उस आधे काम की वाटरशेड के जेईएन ने जाकर साइट की लेवल नहीं दी! बिना जेईएन के, सचिव के हस्ताक्षर के भुगतान कैसे हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: किस जिले की बात कर रहे हैं आप?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): वाटरशेड की, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: किस जगह की बात है? (व्यवधान) कौन से वाटरशेड की?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसी प्रश्न की कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कौन से वाटरशेड की?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): इसी प्रश्न की कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नाम बताइये, कौनसा वाटरशेड।

श्री उपाध्यक्ष: कौनसा वाटरशेड की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पाली में कौनसा वाटरशेड? (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): माण्डीगढ़।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): जो काम हुआ है बिना जेईएन की? (व्यवधान) नहीं हुआ है। इसलिए उसको भुगतान करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री अमराराम (धोद): (व्यवधान) सदन को बताने की कृपा करें, चार एनीकट थे उनमें से एक बना है और उसका यह पेमेंट रोक रहे हैं, तो जांच कराई उसमें क्या ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सही बात नहीं कहेंगे हम हमारी, यह सदन फिर किसलिए है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, हमने जांच कराई ...(व्यवधान) देवल साहब, अब तो सुन लीजिए।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पाली का मामला है। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सुनना ही नहीं चाहते।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): मेरी बात सुनिये आप ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: स्पेसिफिक सवाल पूछिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबको संतुष्ट कर रहा हूं, यह सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): पाली जिला परिषद के अंदर यह फैसला हो चुका है, क्या मंत्रीजी यह देखेंगे कि इसका भुगतान नहीं किया जाए क्योंकि इन्होंने गलत काम किया? चार एनीकट की जगह इन्होंने एक एनीकट बना दिया, जो इनको बनाने का अधिकार नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये। (व्यवधान) आप कोई प्रश्न पूछिये डायरेक्ट।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जांच होने के बाद यह पाया गया कि यह गलत जगह एनीकट बना रहे थे, डीपीआर के अनुसार नहीं बना रहे थे। हमने जो दोषी हैं जिसमें संरपंच भी है, ग्राम सेवक भी है, जेईएन भी है, तीनों के खिलाफ कार्यवाही कर दी है। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी तनख्वाह से पैसा काटकर जो पैसा लगा, वसूल करने का भी हमने किया है। मजदूरों को मजदूरी नहीं दी, देसूरी से आनी वाली माननीय सदस्या ने मुझे कहा तो मैंने मजदूरों को पेमेंट तो करवा दिया और मैंने आदेश दे दिया कि उनकी तनख्वाह से पैसा काटकर राजकीय खजाने में लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सामग्री का भी पेमेंट क्यों रोका, सामग्री का भी पेमेंट करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री रिछपाल सिंहजी।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सामग्री के बिना मजदूरी हुई क्या उनकी?

श्री अमराराम (धोद): वाटरशेड में सीकर जिस तरह से ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): सामग्री का पैसा रोका, मजदूरी का पैसा कर दिया, क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: कुछ नहीं ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय यह बता दें, वाटरशेड के नियमों को ताक में रखकर वहां के सीईओ ने ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): टैक्निकल आदमी तो जे.ई.एन. है।

श्री अमराराम (धोद): उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करवाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष: आप शिकायत करना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): जेईएन होता है टैक्निकल आदमी तो, सरपंच थोड़े ही होता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या। (व्यवधान) श्री रिछपाल सिंहजी।

नागौर जिले में लिग्नाइट कोयले के खनन हेतु सर्वे

69. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील नागौर और तहसील डेगाना में लिग्नाइट कोयला निकलने की सम्भावना व्यक्त की गई है? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में सर्वे कार्य कब किया गया व कितने भू-भाग में कोयला निकलने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस कार्य हेतु कितने हैक्टेयर कृषि भूमि अवाप्त की जाने की योजना है? स्थानवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवाप्त की जाने वाली भूमि का मुआवजा किस दर पर दिया जाएगा?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) जी हां। नागौर जिले की नागौर एवं डेगाना तहसीलों में लिग्नाइट के भण्डार विभाग द्वारा

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

छिद्रण कर प्रमाणित किये गये हैं। नागौर तहसील के कुचेरा ब्लाक में वर्ष 1986-87 में विभाग द्वारा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में बातचीत नहीं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): विभाग द्वारा 2.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व डेगाना एवं नागौर तहसील के ग्राम नीमड़ी चान्दावतान इत्यादि ब्लाक में वर्ष 1993-94 व 1994-95 में 3.5 वर्ग किलोमीटर में लिग्नाइट के भण्डार प्रमाणित किये गये हैं।

(2) सर्वे कार्य हेतु कृषि भूमि अवाप्त करने की कोई योजना नहीं है।

(3) सर्वे कार्य हेतु कृषि भूमि अवाप्ति की आवश्यकता नहीं है, अतः मुआवजे का प्रश्न ही नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, जैसा कि मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया है कि जमीन अवाप्ति की आवश्यकता नहीं है, तो क्या, नम्बर एक, किसान अपनी जमीन में खुद कोयला निकाल सकेंगे, सरकार उनको लीज देने का इरादा रखती है क्या? देने का रखती है तो कब तक लीज देंगे? नम्बर दो, सर्वे कार्य में कोयले की मात्रा व गुणवत्ता क्या है तथा इसको निकालने के लिए कब तक योजना या इस कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा सरकार की तरफ से? नम्बर तीन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा, डेगाना, मेड़ता और कुचेरा ब्लाक के किस-किस खसरा नम्बर में जिसमें यह सर्वे हुआ है, किस खसरा नम्बर में कितने किसानों की जमीन में यह कोयला पाया गया है?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि विभाग के द्वारा पूर्वेक्षण किया जाता है और इस पूर्वेक्षण में एक्वीजिशन की कार्यवाही नहीं की जाती। नम्बर दो, आपने जो बताया है मेड़ता सिटी तहसील में चार ब्लाक का, इसमें पूर्वेक्षण का कार्य किया, इसमें मोकला में 14 वर्ग किलोमीटर, 32 मिलियन टन लिग्नाइट प्रमाणित हुआ है। दूसरा इन्दावर 3.25 वर्ग किलोमीटर, 12 मैट्रिक टन खनिज चिह्नित हुआ है। कापड़िया की ढाणी 5.5 वर्ग किलोमीटर, 17 मिलियन टन, मेड़ता रोड ब्लाक 8.965 वर्ग किलोमीटर 83.25 मिलियन टन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह जायल तहसील में तीन ब्लाक में पूर्वेक्षण की कार्यवाही की गई, इसमें लूणसिडा 1.5 वर्ग किलोमीटर प्रमाणित

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

खनिज 7.31 मिलियन टन, कसनऊ 19 वर्ग किलोमीटर, 6.41 मिलियन टन और मातासू 2.5 वर्ग किलोमीटर 10.5 मिलियन टन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वेक्षण के बाद में ब्लाक के अलाटमेंट की कार्यवाही भारत सरकार के द्वारा की जाती है और भारत सरकार द्वारा जिनके पक्ष में अलाटमेंट किया जाता है वे लीज के लिए आवेदन करते हैं। आपने डेगाना में बताया, यह तो मात्र पूर्वेक्षण की कार्यवाही हुई है। पूर्वेक्षण की कार्यवाही होने के बाद में ब्लाक के अलाटमेंट के बाद में पार्टी या जिनके पक्ष में ब्लाक का अलाटमेंट होता है वे जब एप्लाई करते हैं तब सैक्शन चार के तहत एक्वीजिशन की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अभी इस प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहा कि जिस तरह का आपने सर्वे करवाया, उसमें कौन से खसरा नम्बर में कितने किसानों की जमीन में कितने ब्लाक में कोयला पाया गया, मंत्रीजी ने बताया है कि भारत सरकार उनको अलाट करती है, तो जिस जमीन में कोयला है, जो काश्तकार अपनी जमीन में से कोयला निकालना चाहते हैं उनकी एप्लीकेशन राज्य सरकार लेकर भारत सरकार को रिकमण्ड करेगी? उसके नियम क्या हैं, काश्तकार को खुद अपनी जमीन में से कोयला निकालना है? मातासू की जिस लीज का आपने जिक्र किया है, वह माइन्स इनकी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और वह बंद पड़ी है। उसमें ऊपर से इतनी मात्रा में पानी आ रहा है कि जितना राज्य सरकार का पैसा लगा है वह पैसा डूब गया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि किन खसरों में और कितनी जमीन में यह कोयला है, और है तो क्या भारत सरकार उनको अलाट करती है? तो वह एप्लीकेशन राज्य सरकार लेकर भारत सरकार को रिकमण्ड करेगी, मंत्रीजी यह बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी दूंगा कि नीमड़ा-चंदावतान ब्लाक जो नागौर व डेगाना तहसील में आता है, इसमें 3.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पूर्वेक्षण का कार्य किया गया और मैसर्स बिनानी सीमेण्ट को भारत सरकार के कोल मंत्रालय के द्वारा ब्लाक का अलाटमेंट किया गया। इनको अभी अलाटमेंट हुआ है, यह भारत सरकार अलाट करती है। आपने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर मोकला तहसील में आर.एस.एम.एम. को 32.5 स्क्वायर किलोमीटर में यह मेट्रिन, टाइल्स पावर के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

लिये अलाट किया हुआ है। इसी तरह से मेड़ता रोड के अन्दर तहसील मेड़ता सिटी में 12.7565, यह एन.एल.सी. को अलाट किया गया है, पावर प्रोजैक्ट के लिये। इसी तरह कापरियम की ढाणी में तहसील मेड़ता में डी.सी.एम. को अलाट किया गया, यह भी पावर प्रोजैक्ट के लिये। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के द्वारा ये आबंटन किये जाते हैं और भारत सरकार ने किसी इंडिविजुअल कम्पनी या इंडिविजुअल किसान को अलाटमेंट करने के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, इसलिये किसानों की जहां बात करते हैं, जिनके खेत के अन्दर लिग्नाइट है, उनको व्यक्तिगत नाम से आबंटन नहीं किया जा सकता है। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस और रुल्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री बत्तीलालजी मीणा।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): जवाब तो आने दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो आने दें पहले सवाल का।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): भारत सरकार को, उनका कहना यह है, मंत्री महोदय, आप रिकमण्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। उनका कहना यह है कि राज्य सरकार रिकमण्ड करने को तैयार है क्या भारत सरकार को कि इनको दिया जाए?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): भारत सरकार इंडिविजुअल कम्पनी को, इंडिविजुअल किसान को अलाट करती नहीं है। उस पर प्रतिबंध है। मात्र मरुधरा प्रोजैक्ट है उस कम्पनी को अलाट हुआ था, वह भी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया। इसलिये इंडिविजुअल का तो प्रश्न ही नहीं है, बैन लगा हुआ है तो रिकमण्ड करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बत्तीलाल (टोडाभीम)।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय मंत्रीजी, मैंने जो सवाल किया है, खसरा नम्बर से सम्बन्धित, वह आज जानकारी नहीं हो तो आप विभाग से लेकर बाद में दे देना। यह तो फर्मा दें कि जो खसरा नम्बर इसमें है, उसकी जानकारी दे देंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): किलोमीटर के आधार पर और खसरा नम्बर कोई चाहेंगे तो आपको बता देंगे। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं यही पूछ रहा हूं कि इनके कौन से खसरा नम्बर हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हां, इनको बता देंगे। कौन-कौन से खसरा नम्बर में पूर्वेक्षण की कार्यवाही की गयी। मात्र पूर्वेक्षण की कार्यवाही होती है इसलिये एक्विजिशन का भी नहीं है। मात्र टैस्टिंग के लिये है, उपाध्यक्ष महोदय, कोई अलाटमेंट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, खसरा नम्बर बता दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): हां, बता देंगे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मोखला गांव का, मोखला तो गांव ही नहीं है, श्रीमानजी, कोई।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): जिन-जिन खसरा नम्बर में पूर्वेक्षण की कार्यवाही हुई है, वह खसरा नम्बर बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बत्तीलालजी मीणा।

टोडाभीम में कृषि विकास हेतु संचालित योजनाएं

70. श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम और नादौती में गत चार वर्षों से कृषि विकास के लिए कौन-कौनसी योजनाएं चल रही हैं तथा इस पर कितनी राशि व्यय हुई? योजनावार व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं में से कितनी पूर्ण व अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभुलाल सैनी): (1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम और नादौती में गत चार वर्षों में कृषि विकास के लिए तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम, राज्य योजना, कार्य योजना, आत्मा इत्यादि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इन पर गत चार वर्षों (2003-04 से 2006-07 तक) में कुल रुपये 101 लाख का अनुदान देकर किसान को लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा पूर्ण कार्यों पर ही किसानों को अनुदान दिया जाता है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि योजनाओं के कारण उत्पादन में क्या-

(श्री बत्तीलाल)

क्या लाभ हुए और क्या उत्पादन बढ़ा? दूसरा, क्या राष्ट्रीय बागवानी मिशन करौली के अन्दर चलाया जा रहा है और टोडाभीम के अन्दर चलाया जा रहा है? यदि चलाया जा रहा है तो किस तरह के लाभ उसमें दिये जा रहे हैं?

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार पूरक प्रश्न चाहा है कि नादौती और टोडाभीम में राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं से क्या वहां उत्पादन और उत्पादकता में असर हुआ है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, करौली जिले में कई फसलों में उत्पादकता और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। गेहूं का उत्पादन वर्ष 2003 में एक लाख 31 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2006 में एक लाख 65 हजार मीट्रिक टन हो गया। जहां तक उत्पादकता का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, 2480 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2006-07 में 3061 किलोग्राम की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जौ में 2002-03 में 2319 किलो और 2006-07 में 2546 किलो, इसी प्रकार सरसों के क्षेत्र में भी उत्पादन और उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जहां 2003 में सरसों का उत्पादन था 25 हजार मीट्रिक टन, उससे बढ़कर 2006-07 में एक लाख 13 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन वहां पर हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा, राजस्थान में उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता के सुधार के लिये सरकार ने कई ठोस कदम उठाये हैं। राजस्थान सरकार का यह प्रयास है राजस्थान के किसानों को उन्नत बीज, खाद और वहां की मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करके हम लोग उत्पादकता, उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। तीसरा, मैं जानकारी देना चाहूंगा, करौली क्षेत्र में जहां पानी की कमी है, पानी की एक-एक बूंद का किस प्रकार समुचित प्रयोग किया जाए, वहां पर माइक्रो इर्रिगेशन के अन्तर्गत हम लोगों ने किसानों को लाभान्वित किया है जिससे उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ी है।

दूसरे पूरक प्रश्न में उन्होंने यह चाहा है कि क्या करौली जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू है, मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा सदन को कि राजस्थान में 23 जिले ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू है। 2005-06 में सबसे पहले 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया था, उसके बाद 2006-07 में 4 जिले और सम्मिलित किये गये और इस वर्ष 2007-08 में 6 जिलों को और सम्मिलित किया गया है जिनमें सिरोही है,

(श्री प्रभुलाल सैनी)

झुंझुनूं है, बूंदी है, भरतपुर है और इस तरह 6 जिलों को हम लोगों ने किया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार और राज्य सरकार, सब का एक समन्वित प्रयास रहता है कि फसलों का विविधीकरण करके किसानों को उद्यान की फसलों की ओर किस प्रकार डाइवर्ट किया जाए, उनको किस प्रकार लाभ दिलाया जाए। करौली जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत उद्यान की फसलों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सवाईमाधोपुर): बत्तीलालजी, दो मिनट, आप फिर पूछ लेना। तलपुडा दड़ेगा में यह बागवानी योजना लागू है कि नहीं है? आपने आत्मा योजना बताई, यह क्या है, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण करें, बत्तीलालजी की आत्मा कहां भटक रही है?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना, इस आत्मा का हिन्दी में? (व्यवधान) इसका पूरा विश्लेषण किया जाए। (व्यवधान)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम): उपाध्यक्ष महोदय, करौली जिले में मेरे क्षेत्र तलपुडा दड़ेगा में सरकार ने जो काम किये हैं और जो हमारा रिकार्ड उत्पादन किया है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा और मंत्री महोदय के जवाब से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उपाध्यक्ष महोदय, यह आत्मा योजना क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ATMA इसका विश्लेषण किया है, आम काश्तकार इतना पढ़ा हुआ नहीं है जिसको इस आत्मा में फंसा दिया जाता है। आत्मा का उसमें क्या है ATMA, इसका शुद्धिकरण क्या है? आत्मा को हिन्दी में ही लागू किया जाए, आत्मा का संशोधन किया जाए। इसमें आत्मा में ही किया जाए। (व्यवधान) पूरा हिन्दी में लिखा जाए, आत्मा।

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती वन्दना मीणा। आ गया जवाब, आ गया आपका। आ गया जवाब, आ गया, अब छोड़ो। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि आत्मा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वह संतुष्ट हैं। अब जब प्रश्नकर्ता ही संतुष्ट है तो ...(व्यवधान)

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): प्रभुलालजी, उनकी आत्मा संतुष्ट है, कोई प्राब्लम नहीं है उनकी आत्मा को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या-71

श्रीमती वन्दना मीणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री अमराराम (धोद)

श्रम सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन

72. **श्री अमराराम** (धोद): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद भी अभी तक राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल का पुनर्गठन नहीं किया गया है? यदि हां, तो राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल को पुनर्गठित नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा): जी हां। राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल के गठन के संबंध में किसी अधिनियम के तहत कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सलाहकार मण्डल के गठन का प्रावधान किया हुआ है, उनका गठन राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है, जो इस प्रकार से है:-

न्यनूतम मजदूरी सलाहकार मण्डल (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-7 के तहत)

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के तहत सलाहकार समिति (धारा-6)

ठेका श्रम सलाहकार मण्डल (ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-4 के तहत)

श्रम सलाहकार मण्डल की दो बैठकों के बीच श्रम संबंधी महत्वपूर्ण मसलों पर स्थाई श्रम समिति में भी विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार

(श्री रामकिशोर मीणा)

द्वारा स्थाई श्रम समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा दिनांक 2.7.2007 को इसकी बैठक भी आयोजित की जा चुकी है।

चूंकि श्रमिकों से संबंधित अहम मसलों पर तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत जो सलाहकार मण्डल आवश्यक हैं, उनका गठन हो चुका है और उनकी सिफारिशों का क्रियान्वयन भी हम कर चुके हैं, अतः एक और सलाहकार मण्डल जिसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, का गठन अब तक नहीं किया गया।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, राजस्थान में राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल का गठन रहा है, वह किसी भी एक कानून के बजाए पूरे राजस्थान के श्रमिकों के हितों के लिए विचार करता था और सरकार को सलाह देता था। अगर आज तक था तो अब सरकार श्रमिकों के हितों का ध्यान रखने के लिए इसका गठन क्यों नहीं करना चाहती है? दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल अधिनियम, 1948 की धारा-7 के तहत आपने जो गठन कर रखा है, इस मण्डल में आपके लेबर सैक्रेटरी भी शामिल हैं, सर्वसम्मत न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिकों की 175, इस सर्वसम्मत सलाह के बाद में भी 175 रुपये न्यूनतम मजदूरी नहीं करने के सरकार के क्या कारण हैं? जब कि आपके सैक्रेटरी ने इसको सर्वसम्मत मान्यता और तमाम मान्यता दी है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था...

श्री अमराराम (धोद): गैर-कानूनी था पहले?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, एक अतिरिक्त उसकी चूंकि, जो भी कानून के तहत प्रावधान थे, उसके तहत स्थाई समितियां जो भी आवश्यक थीं, वे गठित कर ली गई हैं। राज्य सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि श्रमिकों के हितों का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। उसके तहत जो-जो भी कानून में प्रावधान थे, उसके तहत हमने जो तीन-चार स्थाई सलाहकार समितियां, जो गठित करने की थीं, वे कर ली हैं।

दूसरा प्रश्न धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि न्यूनतम मजदूरी की सर्वसम्मत सिफारिश की गयी थी। सर्वसम्मत सिफारिशें

(श्री रामकिशोर मीणा)

होती हैं लेकिन नियोक्ता की और सभी चीजों को ध्यान में रखकर, प्रदेश की परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान सरकार ने एक ही शासन के दौरान चार साल के अन्दर दूसरी बार न्यूनतम मजदूरी का एलान कर दिया है। पहले 2004 में किया गया था और अब 01 मार्च, 2008 से न्यूनतम मजदूरी जो 73 रुपये थी, वह बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गयी है। जहां तक श्रमिकों के हितों का मामला है, राजस्थान सरकार उससे भी ज्यादा बढ़कर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए अलग से कर रही है। अभी जो बजट पेश किया गया है, जहां पहले चौकटी लगती थी वहां पर किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं, उन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए जयपुर में, कोटा में और उदयपुर में हमने चौकटी निर्माण के लिए भी इस बजट में प्रावधान कर दिया है। एक जो हमारे माइग्रेट होने वाले श्रमिक थे उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, उनको ध्यान में रखकर हमने आइडेंटिटी कार्ड बना दिये हैं। करीब 12 हजार तो हम जारी भी कर चुके हैं ताकि दूसरे प्रदेशों में जाकर हमारे श्रमिकों के हितों की रक्षा कर सके। बैंकों के लेन-देन के अन्दर उनको दिक्कत आती थी, उसके लिए बैंकों के मार्फत हम उनको वह सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जहां तक यह कह रहे हैं कि इसके गठन क्यों नहीं किये गये, तो आपकी जहां सरकारें हैं, केरल प्रान्त में है और पश्चिम बंगाल में है, वहां पर भी इस प्रकार का सलाहकार मण्डल नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल क्या उससे पहले थे वे गैर-कानूनी थे? मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि श्रमिक हैं, और सबसे ज्यादा उनका शोषण होता है, क्या उनकी भी कानूनी, सामाजिक सहायता करने के लिए सरकार विचार रखती है- कृषि श्रमिक, खेत मजदूरों के लिए?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, कृषि श्रमिकों के भी हितों की रक्षा करने के लिए जहां पर किसी प्रकार की कोई भी उनको चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं या और दूसरे प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं, नहीं, खेत मजदूर जो इसमें कवर ही नहीं होता है। आपके इसमें शामिल ही नहीं है। खेत मजदूर जो सबसे ज्यादा संख्या में हैं उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, खेत मजदूर अभी तक कहीं पर भी कवर नहीं हो रहे हैं। जहां कहीं भी आपकी सरकारें हैं वहां भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उसके लिए कानून और ...(व्यवधान) चार साल पहले जो श्रम सलाहकार मण्डल बना हुआ था क्या वह गैर-कानूनी था?

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, गैर-कानूनी नहीं, उसमें जो प्रावधान है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): तो फिर आप चार साल में उसका पुनर्गठन क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब मजदूरों के लिए और आपका लेबर सैक्रेटरी, सरकार का जो प्रतिनिधि है, वह सर्वसम्मत सहमत है, फिर सरकार उसकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाए तो मैं समझता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): नहीं, न्यूनतम मजदूरी हमने बढ़ा दी लेकिन जो उन्होंने ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): नहीं बढ़ाई है। 73 रुपये से आपने 100 रुपया किया है। आपके लेबर सैक्रेटरी की अध्यक्षता में इस मण्डल की जो बैठक हुई उसकी सर्वसम्मत राय थी 175 रुपये की, उसकी बजाय आपने 73 से 100 रुपया किया है।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय सदस्य, आप बहुत ज्यादा सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए चिन्तित रहते हैं, श्रमिकों के हितों को रखते हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप तो नहीं हैं न, आप तो उनके खिलाफ हैं। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): लेकिन आपकी जहां पर सरकार है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सबसे ज्यादा मजदूर खेत में काम करने वाला खेत मजदूर है जिनकी संख्या आज ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हम भला करते हैं उनका। हम भला करते हैं, उनके हक में काम करते हैं, उनका ...(व्यवधान) हम भला करते हैं उनका।

श्री रामकिशोर मीणा (श्रम एवं नियोजन मंत्री): आपकी जहां पर सरकार है वहां पर भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी का तो परिणाम है नंदीग्राम। यह बहुत ज्यादा चिन्तित हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी का तो परिणाम है नंदीग्राम की घटना घटा दी इन्होंने। नंदीग्राम में क्या किया इन्होंने? (व्यवधान) यह यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप क्यों चिंता करते हो, हम ज्यादा भला करेंगे इनका।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, यह बताएं कि क्या पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी राजस्थान से अधिक है? क्या पश्चिम बंगाल में न्यूनतम मजदूरी राजस्थान से अधिक है?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): नंदीग्राम में क्या किया? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह नंदीग्राम आपके राज में ही हुआ है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों के असली दुश्मन यही हैं। इन्होंने नंदीग्राम में क्या किया? यह यहां पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, नंदीग्राम में इन्होंने क्या किया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी एक बात बता दें कि जयपुर में कितनी जगह पर चौकटियां स्थापित करेंगे और कौन-कौनसी जगह करेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हरिमोहन शर्मा।

फंक्शनल असैसमेंट कैम्प में छात्र सुविधाओं पर व्यय

73. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत फंक्शनल असैसमेंट कैम्प विभिन्न जिलों में लगाया गया था? यदि हां, तो ऐसे कैम्प में उपकरण दिलाने हेतु प्रत्येक जिले में कितने-कितने बच्चों का चयन किया गया?

(2) क्या उक्त चयनित बच्चों को ट्राई-साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, सोलर बैटरी और कैलीपर उपलब्ध करवाने थे? यदि हां, तो इसके लिए कुल कितना बजट प्रावधान था और कितनी राशि अब तक खर्च कर दी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गई तथा कितने बच्चों को अब भी उक्त उपकरण उपलब्ध नहीं कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सर्राफ): (1) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य में ब्लाक एवं जिला स्तर पर फंक्शन असैसमेंट कैम्प आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2007-08 में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जिलों में कुल 129 कैम्प आयोजित किये गये। इन कैम्पों में 25985 बालक-बालिकाओं को उपकरण दिलाने हेतु चयनित किया गया। जिलेवार चयनित बालक-बालिकाओं की संख्या का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में दिसम्बर, 07 तक 10252 चयनित बच्चों को टाई-साइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, सोलर बेटरी और कैलीपर उपलब्ध करावाए जा चुके हैं। चयनित बच्चों में से दिसम्बर, 07 तक शेष रहे 15, 733 बालक-बालिकाओं को उपकरण दिये जाने की प्रक्रिया जारी है। इस हेतु वर्ष 2007-08 में कुल 157.09 लाख रुपये की राशि का बजट प्रावधान है। दिसम्बर, 07 तक कुल 60.00 लाख रुपये की राशि खर्च कर दी गई है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पढ़ने वाले विकलांग बच्चों के लिए, मूक-बधिर, लूले-लंगड़े, बच्चों के लिए यह 157.09 लाख रुपये का प्रावधान था। पूरा वर्ष गुजर जाने के बाद सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस राशि में से केवल मात्र आप 60 लाख खर्च कर पाये, एक तो इसका कारण क्या है?

(समय : 12.00 बजे)

नम्बर-2, पूरे राजस्थान में आपकी सरकार थी, उन 11 जिलों में ऐसी क्या विशेष कृपा रही कि जिनके कारण बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चूरू, झुन्झुनूं जहां से स्पीकर साहब आती हैं, इस प्रकार 11 जिलों में विकलांग बच्चों का चयन होने के बाद एक भी चीज आपने उपलब्ध नहीं कराई? नम्बर-3, झालावाड़ के विशेष विकास की चिन्ता माननीय मुख्य मंत्रीजी सहित सरकार को रहती है, इस मामले में यह भेदभाव क्यों कि झालावाड़, बारां और धौलपुर में तो आपने अधिकांश बच्चों को उपलब्ध करा दिया और राजस्थान के शेष 11 जिलों में एक को भी उपलब्ध नहीं कराया?

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसका कारण क्या रहा, मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अंग-उपकरण वितरण का कार्य केवल एलीमको एक कम्पनी है, उसके द्वारा ही किया जा सकता है और जिलों में एलीमको के दल पहुंचने के उपरान्त अंग उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। आपने पूछा है कि 11 जिलों में यह भेदभाव क्यों किया गया। एलीमको कम्पनी का दल जहां पहुंचता है और वे रिकमण्ड करके जितने उपकरण भेजते हैं, उतने हम उस जिले में भेज देते हैं। राज्य सरकार ने भारत सरकार को और एलीमको कम्पनी को यह लिखा है कि एक ही कम्पनी यह सारा काम नहीं कर सकती इसलिए महावीर विकलांग संस्थान को भी अधिकृत किया जाए, परन्तु खेद है कि केन्द्र सरकार ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में हम सबको ये उपकरण उपलब्ध करवाना चाहते हैं। हमारी मंशा है कि सबको उपलब्ध करवाएं, पर भारत सरकार जब तक एक ही कम्पनी को अधिकृत रखेगी, हमको उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हमने अनुरोध किया है कि महावीर विकलांग संस्थान को भी वे अधिकृत करें, परन्तु उन्होंने अभी तक नहीं किया है। आपका मैं सहयोग चाहूंगा कि भारत सरकार में यदि आपकी चलती हो तो उनको कहकर हमें दूसरी कम्पनी को भी अधिकृत करवाने की कृपा करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हमारी चलती है तब ही तो रोजगार गारण्टी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर हमने भारत सरकार से करा दिया, लेकिन धन्यवाद तो दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरा प्रश्न है, निवेदन क्या, प्रश्न है ...(व्यवधान) 11 जिलों में बच्चों को नहीं देना और साल भर तक मोनिटरिंग नहीं करना, साल भर तक विभाग की मीटिंग नहीं करना, साल भर तक उन विकलांग बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना, और उसमें भी पक्षपात करना, आप उचित मानते हैं क्या इसको?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्य, आ गया जवाब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो सरासर अन्याय हो जाएगा, उपाध्यक्ष महोदय। आपसे तो अपेक्षा है। सरकार विकलांग के पैसों को खर्च नहीं कर पा रही है। 11 जिलों में एक भी विकलांग को नहीं दिया है। झालावाड़, बारां और धौलपुर में जिस प्रकार से आपने और उस कम्पनी ने तत्परता दिखाई, और जिलों में आपको ध्यान नहीं आया क्या? माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप ध्यान रखा करो।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): आप लोग विकलांगों को तो बख्शो। किसी को तो बख्शो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री को 25 फरवरी, 2008 से 15 मार्च, 2008 तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्रीमती उषा पूनिया, पर्यटन राज्य मंत्री ने अपनी पुत्री के इलाज के सिलसिले में अमेरिका जाने के कारण दिनांक 25 फरवरी, 2008 से 15 मार्च, 2008 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आज कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष: आज नहीं है कोई।

1. श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से जिला चूरू के राजगढ़ में पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाने के संबंध में।

2. श्री दाताराम गुर्जर, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, खेतड़ी को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने के संबंध में।

3. श्री हरीसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चल रहे रिक्त पदों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में।

4. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से रेवदर मुख्यालय में दुग्ध की डेयरी खोलने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

5. डॉ. जालम सिंह रावलोत, सदस्य की ओर से राज्य के पश्चिम जिलों के भील अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

6. श्रीमती प्रतिभा सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था सुचारू करने के संबंध में।

7. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन, अजमेर के पुलिस के भवन को शिक्षा विभाग को सुपुर्द करने के संबंध में।

8. श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से माही डैम की भूगड़ा कैनाल की आर.डी. 0 से 19.80 किलोमीटर में किये गये सर्वे अनुसार गांव खरवा में टेकिंग नहर का शिलान्यास करने के संबंध में।

9. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राष्ट्रीय राज मार्ग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

10. श्री अर्जुन बामणिया, सदस्य की ओर से नवीन जिला प्रतापगढ़ में 18 पंचायतों की एक नई पंचायत समिति बनाने के संबंध में।

11. श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में सहकारी भूमि विकास बैंक व अन्य बैंक द्वारा की जा रही वसूलियों को तत्काल स्थगित करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नन्दलाल पूनिया।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजगढ़ (चूरू) में परिवहन निगम के बस स्टैण्ड का निर्माण

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजगढ़ कस्बा हरियाणा सीमा के नजदीक है तथा यहां की जनसंख्या करीब एक लाख है। यहां पर उपखण्ड मुख्यालय है तथा अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश, कृषि उपज मण्डी समिति, पुलिस का उप अधीक्षक कार्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग का खण्ड कार्यालय तथा अन्य काफी विभागों के कार्यालय भी हैं।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

राजगढ़ से रेवाड़ी एवं राजगढ़ से हिसार की रेल लाइन भी मीटर गेज से ब्राड गेज में बदली जा रही है, जो तीन-चार माह में पूर्ण होकर चालू हो जाएगी।

महोदयजी, राजगढ़ हरियाणा सीमा के पास होने पर काफी अन्तरराज्यीय बसें यहां से संचालित होती हैं। हरियाणा रोडवेज की भी काफी बसें यहां आती एवं जाती हैं। राज्य परिवहन की करीब 200 बसें यहां से संचालित होती हैं। इसके अलावा प्राइवेट बसें भी काफी संचालित हैं। राजगढ़ से जयपुर, सीकर, झुन्झुनूं, अलवर, भरतपुर, दिल्ली, रोहतक, हिसार, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, सुजानगढ़, चूरू, रतनगढ़, भादरा, नोहर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, घड़साना, सरदारशहर, विजयनगर, खाजूवाला, फलौदी आदि मार्गों की बसें काफी तादाद में यहां से संचालित होती हैं।

इसके अलावा पंजाब में भटिण्डा, जालंधर, लुधियाना, गलारकोटला, डबवाली के लिए भी राज्य पथ परिवहन निगम की बसें यहां से संचालित होती हैं।

इतनी संख्या में यहां से बसें आती-जाती हैं लेकिन उनके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। निगम की बसें राष्ट्रीय राज मार्ग-65 पर साइड में खड़ी होती हैं जिससे हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है तथा काफी बार जाम लग जाता है जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। राजगढ़ में एक छोटा-सा प्राइवेट बस स्टैण्ड है जिसकी क्षमता बहुत कम है और इसके चारों तरफ 100-125 दुकानें बनी हुई हैं। बसें खड़ी करने के लिए जगह नहीं है।

अतः मेरा राज्य सरकार एवं पथ परिवहन निगम से अनुरोध है कि दूरसंचार विभाग एवं वन विभाग के बीच में राष्ट्रीय राज मार्ग-65 पर जो भूमि पड़ी हुई है, उस पर राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड बनाने की कृपा करें। उक्त भूमि को नगरपालिका निगम को देने के लिए भी सहमत है। उक्त भूमि प्राइवेट बस स्टैण्ड के बिलकुल पास है जिससे यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दाताराम गुर्जर।

खेतड़ी के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर का दर्जा एवं नामकरण

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी में पी.जी. कक्षाएं स्ववित्त पोषित योजना के तहत चल रही हैं। इनको सरकार की तरफ से संचालित कर पी.जी. कक्षाएं खोली जाए एवं छात्र-छात्राओं की संख्या 1500 से अधिक होने के कारण एक उपाचार्य का पद भी सृजित किया जाए। राजकीय महाविद्यालय का नामकरण स्वामी विवेकानन्द के नाम पर करने का मैंने गत वर्ष भी प्रस्ताव रखा था, मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कर मांग करता हूं कि इसी वर्ष स्नातकोत्तर का दर्जा तथा महाविद्यालय का नामकरण स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम में चिकित्सा विभाग में रिक्त पद एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के माध्यम से भीम विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चल रहे रिक्त पदों एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम सामाजिक एवं भौगोलिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र की आबादी भी छोटी-छोटी बाड़ियों एवं मजरों में दूरस्थ क्षेत्रों में बसी हुई है जिसकी वजह से चिकित्सा सुविधा से ग्रामीण जनता को वंचित रहना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी ढाणियों में बसावट होने से सरकार द्वारा जो सुविधाएं डैजर्ट एवं अन्य पिछडे क्षेत्रों के अनुसार मुहैया कराई जाती हैं उनका लाभ मेरे मगरा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाता है। इन क्षेत्रों के छोटे-छोटे बाडियों की चिकित्सा सुविधा हेतु विभाग द्वारा सर्वे करा कर ग्राम पंचायत के बड़े गांवों में भी उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की व्यवस्था कराई जाए एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिवेर, छापली, कुआंथल, कुन्दवा, लसानी, ताल बरार, बार, सभी केन्द्रों पर चार साल से रिक्त चल रहे सभी चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य नर्सिंग कर्मचारियों के पदों को स्थाई रूप से भरा जाए ताकि ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सके।

(श्री हरीसिंह रावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी भी कई ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर एवं बड़े कस्बों में उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खुले हैं। खुले वहां पर भी कई समय से ए.एन.एम. के पद रिक्त चल रहे हैं। में आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तत्काल जनसंख्या अनुपात से नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं एवं जहां पद रिक्त चल रहे हैं उन्हें भरा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देवगढ़ एवं भीम में भी पिछले काफी समय से कनिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक एवं एमओ. एवं एस.एमओ एवं अन्य नर्सिंग एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त चलने एवं दोनों स्वास्थ्य केन्द्र एन.एच.8 पर पड़ने से आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होने से घायल व्यक्तियों को उपचार नहीं मिलने से असमय ही मृत्यु लोक का रास्ता पकड़ना पड़ता है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की कमी के कारण चिकित्सा परिसर में सफाई नहीं हो पाती है। अतः तत्काल रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था करावें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पिछले बजट में ट्रोमा यूनिट खुली थी एवं उससे सम्बन्धित सभी एपरेटस भी विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिये गये थे, लेकिन आर्थोपैडिक एवं ऐनेस्थीसिया चिकित्सक भीम स्थानान्तरण होने के बावजूद अपना डैपुटेशन करा कर उदयपुर ही कार्यरत हैं। इसके लिए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर भी बात की लेकिन मामला आश्वासनों तक ही सीमित रह गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ट्रोमा-सम्बन्धित चिकित्सक नहीं होने के कारण लाखों रुपये लागत की ब्लड बैंक एवं अन्य मशीनरी धूल चाट रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में भीम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड से 75 बैड क्रमोन्नत किया, उसकी जगह 50 से 100 बैड एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 से 50 बैड में क्रमोन्नत नहीं किया गया तो जनता का भारी रोष झेलना पड़ेगा। अतः मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि तत्काल असुविधाओं का निवारण कर भीम विधान सभा क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एहसास दिलावें कि भा.ज.पा. सरकार की कथनी एवं करनी में कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगसीराम कोली।

रेवदर मुख्यालय पर दूध की डेयरी की स्थापना

श्री जगसीराम कोली (रेवदर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही जिले में रेवदर विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर दूध का प्लांट लगा हुआ था जो अकाल के समय पर बन्द कर दिया गया था। आज दूध का उत्पादन सिरोही जिले के रेवदर विधान सभा क्षेत्र में हजारों लीटर होता है, सारा दूध गुजरात की प्राइवेट एजेंसियों द्वारा खरीदा जाता है। अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रेवदर मुख्यालय पर दूध की डेयरी खोली जाए तो हजारों काश्तकारों को सीधा फायदा मिलेगा व राजस्थान की सरकार को लाभ मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है व उम्मीद करूंगा कि रेवदर मुख्यालय पर डेयरी खोलने का शीघ्र विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. जालम सिंह रावलोत।

बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में भील समाज को विशेष सुविधाएं

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के अति पिछड़े जिले बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में भील अनुसूचित जनजाति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अति दयनीय है। इन जिलों में लगातार अकाल की चपेट में आने से अधिकतर भील जनजाति अपने पेट एवं रोजी-रोटी के लिए यहां से पलायन कर राज्य के अन्य जिलों में निवास करने लगी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कई योजनाएं जो ट्राइबल बैल्ट के जिलों की जनजाति के लिए क्रियान्वित हो रही हैं, उनको बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के भील आदिवासियों के लिए लागू करवाया जाए, जैसे टी.ए. डी.पी. जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत टी.एस.पी. (जनजाति उपयोजना)। इन जिलों में यह योजना लागू कर भीलों को बैंक ऋण एवं सिंचाई की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए तथा छोटे-छोटे पदों की सरकारी नियुक्तियों (नौकरियों) में भी इनको विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाए।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

इसी तरह राज्य सरकार द्वारा इन जिलों में अनुसूचित जाति के बंधु लोगों को घरेलू बिजली का कनेक्शन हाथों-हाथ दिया जाता है जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन जनजाति (भीलों) को आठ से दस साल तक इन्तजार करना पड़ता है जो कि इनके साथ अन्याय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के अन्तर्गत उक्त जिलों के भील समाज को विशेष सुविधाएं प्रदान करे ताकि उनका जीवन स्तर उन्न्त हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्रीमती प्रतिभा सिंह। (अनुपस्थित) (श्रीमती अनिता भदेल)

अजमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ,पुलिस लाइन के भवन की मरम्मत

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन के भवन को शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर को सुपुर्द (सम्पत्ति का अधिकार) किये जाने बाबत निवेदन करना चाहती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अजमेर शहर में उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुलिस लाइन संचालित है जहां विद्यालय भवन तो पुलिस का है परन्तु शिक्षण व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। यह एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, किन्तु चूंकि भवन पुलिस विभाग का है इसलिए शिक्षा विभाग इस भवन की मरम्मत से अपना पल्ला झाड़ रहा है कि भवन उनकी सम्पत्ति सूची में नहीं है। पुलिस महकमे का कहना है कि चूंकि भवन शिक्षा विभाग के काम में आ रहा है अतः इसके रख-रखाव का दायित्व भी शिक्षा विभाग वहन करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री महोदय को भी पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि या तो स्कूल भवन शिक्षा विभाग को सौंपने के आदेश प्रदान करें अन्यथा इसकी मरम्मत पर होने वाले व्यय रुपये 9 लाख 58 हजार की स्वीकृति पुलिस प्रशासन को प्रदान करें ताकि विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सुरक्षा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्षः श्री नवनीत नीनामा।

माही डैम की भूंगड़ा नहर से पानी वितरण की शुरूआत

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के माध्यम से मैं माही डैम की भूंगड़ा कैनाल की आर.डी. 0 से 19.80 किलोमीटर पर किये गये सर्वे-अनुसार गांव खेरवा में आप टेकिंग नहर का शिलान्यास करने बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला बांसवाड़ा में बने माही डैम का निर्माण 1966 से 1980 के दरमियान किया गया है व माही डैम की दाईं व बाईं तरफ नहरें निकाली गयी हैं, मगर उक्त दाईं नहर निकालने के बावजूद पीवल में आने वाली जमीन पानी पीवल से वंचित रह गयी थी। तब तीसरी नहर भूंगड़ा कैनाल के नाम निकाली गयी है। उस भूंगड़ा कैनाल की आर.डी. नम्बर जीरो से 19.80 किलोमीटर पर नया सर्वे कर नहर निर्माण कर खड़कई की घाटी में टरनल करा नहर खेरवा गांव में होकर आगे कई गांवों की 7011 हैक्टेयर किसानों की सूखी जमीन में पानी सप्लाई होने वाला है। नहर निर्माण की लागत 60.75 करोड़ आंकी गयी है। उस भूंगड़ा कैनाल की शाखा नहर का शिलान्यास करने योग्य स्थान गांव खेरवा पटवार मण्डल खेरवा में है, उस स्थान पर नहर का शिलान्यास कराया जाकर कार्य शुरू करा किसानों के खेतों में पानी सप्लाई करवाये जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

बीकानेर से जयपुर तथा गंगानगर के राज मार्गों पर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में दुर्घटनाग्रस्त के इलाज की सुविधा

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राष्ट्रीय राज मार्ग - बीकानेर से जयपुर तथा बीकानेर से गंगानगर जाने वाले मार्ग पर आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं तथा तात्कालिक इलाज की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण अनेक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की अस्पताल तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इस हेतु मेरा निवेदन है कि यदि राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महाजन व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नोरगवेसर को ट्रोमा हास्पिटल में क्रमोन्नत कर दिया जाए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लूणकरणसर एवं नापासर को रैफरल अस्पताल में क्रमोन्नत कर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्राम धीरेरा, बामनवाली, गुसाईसर, रायसर, तेजरासर व अर्जुनसर में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएं तो न सिर्फ लगातार हो रही दुर्घटनाओं के शिकार घायलों को समुचित तात्कालिक इलाज की सुविधा मिलेगी बल्कि अनेक घायल व्यक्तियों के जीवन को भी बचाया जा सकेगा।

अत: मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय तत्काल प्रभाव से उपरोक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ट्रोमा अस्पताल में क्रमोन्नत करने व नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही करवाने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अर्जुन बामनिया।

बांसवाड़ा तहसील की 18 पंचायतों की नई पंचायत समिति का निर्माण

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के अन्तर्गत नई पंचायत समिति बनाने बाबत निवेदन है कि प्रतापगढ नया जिला बनाया गया है जिसमें पंचायत समिति पीपलखूंट की 18 पंचायतों को तहसील घाटोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है और शेष 18 पंचायतें बांसवाड़ा तहसील क्षेत्र में आती हैं। उपरोक्त पंचायतें माही डैम से पूर्वी भाग में हैं, डैम होने से पूर्वी भाग दूसरी पंचायत समिति की कोई भी पंचायतें उपरोक्त 18 पंचायतों की सीमा से लगती हुई नहीं हैं। इन 18 पंचायतों में कुल सत्तर हजार की आबादी है एवं 133 रेवेन्यू (राजस्व) गांव हैं, 14 पटवार मण्डल व दो गिरदावर सर्कल हैं। 18 पंचायतों में पुलिस थाना भी है एवं दो सीनियर सैकण्डरी, दो सैकण्डरी विद्यालय हैं। नादिया, जहांपुरा, छायनबडी, मूलिया, मकनपुरा, बागतालाब, खजूरी, धाडीतेजपुर उपरोक्त आठ पंचायतें बड़ी हैं जो भविष्य के पंचायतों के सीमांकन में डबल बन सकती हैं तथा पूर्ण रूप से आदिवासी क्षेत्र है।

अत: श्रीमान से निवेदन है कि जनता की मांग एवं भावना को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त 18 पंचायतों की पंचायत समिति बनाई जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जीतमल खांट।

बांसवाड़ा जिले में बैंक वसूलियों का स्थगन

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के माध्यम से बांसवाड़ा जिले में सहकारी भूमि विकास बैंक व अन्य बैंक वसूलियों को तत्काल स्थगित करने बाबत निवेदन है कि बांसवाड़ा जनजाति बहुल जिला है। जिले में दो तरह की परिस्थितियां हैं- एक नान कमाण्ड क्षेत्र है, दूसरा कमाण्ड क्षेत्र है। नान कमाण्ड में आने वाले किसान परिवारों की संख्या साठ प्रतिशत है। खरीफ फसल में किसानों को छुटपुट अनाज हाथ लग जाता है। रबी व गर्मी के समय किसान सिंचाई के कुएं, तालाब आदि से अपने संसाधन जुटा कर अपने परिवार के जीविकोपार्जन की पुख्ता व्यवस्था कर लेता है। वर्तमान समय में यू पी ए की सरकार ने डीजल, पैट्रोल के दाम बढ़ा कर गरीब आदमी को डीजल पम्प सैट चलाने के लिए सोचने को मजबूर कर दिया है। नान कमाण्ड क्षेत्र में किसान के खेतों में रबी की फसल अपनी-अपनी हैसियत के अनुसार कहीं-कहीं है, अधिकांश के नहीं है। परन्तु आज भूमि विकास बैंक एवं अन्य सहयोगी बैंकों की वसूली बड़े पैमाने पर की जा रही है। आज मंहगाई के इन हालात में सौ दिन की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में किसान को मात्र 45.50 रुपया दैनिक मजदूरी दी जाती है। सौ दिन पूरा हो जाने के पश्चात गरीब परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पड़ौसी राज्य में पलायन को मजबूर होना पड़ रहा है।

ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न बैंकों के माध्यम से वसूली जाने वाली समस्त वसूलियों को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर सम्पूर्ण जिले के किसानों को राहत पहुंचाने का श्रम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सम्पूर्ण बांसवाड़ा, डूंगरपुर की एक जैसी परिस्थितियां हैं और बैंकों के माध्यम से कठोर कार्यवाही करने के नाम पर धमकाया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से यहां पर मंत्रीजी विराजमान हैं मैं कहना चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ऐसे समय में वसूलियां की जा रही हैं

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, 295 में भाषण नहीं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना आ गयी है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना सुन ली मंत्रीजी ने।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक सिस्टम है वसूली स्थगित करने का। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने सिस्टम से अपने अधिकारी-कर्मचारियों से सूचना प्राप्त कर उन गांवों की सूची बनाकर फिर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भेजता है। उसके बाद राज्य सरकार अभावग्रस्त गांवों की सूची डिक्लेयर करती है। 9.1.2008 को बारह जिलों के 4309 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। उसके तुरन्त बाद हमारे विभाग ने, हमारी रजिस्ट्रार, सहकारी समिति ने 5.2.2008 को इन वसूलियों को, जिन जिनमें अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, स्थगित करते हुए जो शार्ट टर्म लोन है उनको मीडियम टर्म में परिवर्तित करने के निर्देश दे दिये हैं। राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव (अपैक्स) बैंक ने भी इसके बाद तुरन्त ही 5.2. को दिए हैं। हमने आदेश दे दिये उसके बाद ये बारह जिले हैं अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, झालावाड़, चूरू, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद- अजमेर के 699 गांव, बाड़मेर के 1714 गांव, बीकानेर के 2208 गांव, झालावाड़ के 94....

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक मिनट सुनें।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप कोई सूचना दे रहे हैं, सुनना नहीं चाहें तो आप रहने दीजिए, मंत्रीजी। आप नहीं सुनना चाहते।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब तक आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग उनको सूची भेजकर राज्य सरकार डिक्लेयर नहीं करे, अभावग्रस्त घोषित, तब तक वसूली स्थगित करने का हमारे यहां कोई प्रावधान नहीं है। यदि वह हो जाता है तो उसके बाद हम वसूली स्थगित कर देंगे।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री जीवाराम चौधरी, विधान सभा क्षेत्र सांचोर में एस टी, एस सी बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा आप? (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

डा. एन.एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): उदयपुर तो है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सांचोर में अनुसूचित जाति-जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सांचोर के बारे में पर्ची के माध्यम से बोलने जा रहा हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र सांचोर सीमावर्ती क्षेत्र से सटी हुई तहसील है और उस तहसील में एक बार्डर गुजरात का लगता है, एक बार्डर जिला बाड़मेर का लगता है। एक बार्डर कच्छ का रण और पाकिस्तान का लगता है। उस क्षेत्र में पर्टिकुलर मेरे मेड़ क्षेत्र में एस सी, एस टी के काफी संख्या में परिवार रहते हैं। कभी-कभी अकाल की स्थिति में वे लोग पड़ौसी क्षेत्र गुजरात में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। पिछले दो साल से तो ईश्वर की कृपा रही और लूणी का पानी भी आया इस वजह से उस क्षेत्र में थोड़ी खुशहाली है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार हमारे मध्यमवर्गीय और उच्च स्तरीय परिवारों के बालक-बालिकाएं शिक्षा का लाभ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे एस सी, एस टी के बालक-बालिकाओं को लाभ नहीं मिलता है। वर्तमान में मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचोर में 136 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं, 32 विद्यालय अभी क्रमोन्नत हुए हैं। उन विद्यालयों में अभी 43, 759 छात्राएं अध्ययनरत हैं जिसमें 8, 160 छात्राएं एस सी की और 6, 222 एस टी की हैं। वर्तमान में सांचोर में एक भी एस सी, एस टी बालिका छात्रावास नहीं है। एस सी, एस टी की छात्राएं उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे अध्ययन से वंचित रह जाती हैं क्योंकि गरीबी एवं आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनको आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस कारण सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी पढ़ने का उन बालक-बालिकाओं को लाभ नहीं मिलता है।

(श्री जीवाराम चौधरी)

वर्तमान में हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा विभाग में सभी वर्गों के लिए खूब सारा अच्छा कार्य किया है। खूब सारी अच्छी योजनाएं भी बनायी हैं, उनका लाभ भी हमारे सभी बालक-बालिकाएं ले रहे हैं। वर्तमान में नगरपालिका क्षेत्र सांचोर में भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध है। पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी बालिका छात्रावास एस सी, एस टी का नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सांचोर नगरपालिका क्षेत्र में, सांचोर शहर में एक बालिका छात्रावास एस सी, एस टी के लिए खोलने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित, जयपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के सम्बन्ध में।

जयपुर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की राजधानी देश भर में गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है जहां पर व्यवसाय के रूप में दिन-रात चौगुनी प्रगति हो रही है। विश्व के बाजार की देश में दो-चार मंडियां हैं तो उनमें एक मंडी जयपुर है। सबसे बड़ी मूल्यवान हीरे-जवाहरात की इंटरनेशनल मंडी जयपुर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण से यहां की व्यवस्था के बारे में भी विचार करना चाहिये।

देश में 25 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक अच्छी कानून-व्यवस्था हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर व्यवस्था, पुलिस को एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था करने का अधिकार दिया जाता है। देश के कई महानगरों में सक्सैसफुल पुलिस कमिश्नर व्यवस्था है, महाराष्ट्र को ले लीजिए, आंध्र को ले लीजिये। आज मुम्बई अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के प्रत्येक गांव से, प्रत्येक तहसील से किसी न किसी काम से चाहे वह सरकारी काम से आए, चाहे वह सरकार से डिमाण्ड के लिए आन्दोलन के नाम पर आए, उसे जयपुर तो आना पड़ता है। इसलिए यहां की दुर्व्यवस्था में राजस्थान का वह ग्रामीण नागरिक उलझे नहीं, इस हेतु एक अच्छी व्यवस्था कायम करने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा, 25 लाख की आबादी से ऊपर, कुछ मैं पाइंटस देता हूं जिनके कारण से जयपुर में यह आवश्यकता बनती है कि यहां पर भी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था मुम्बई और महाराष्ट्र की तरह लागू की जाए।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिवर्ष लगभग तीन सौ से अधिक सार्वजनिक जुलूस यहां पर निकलते हैं, उन जुलूसों की परमीशन के लिए पहले कलक्टर के पास जाओ। कलक्टर फिर पुलिस अधिकारियों के पास, एस पी के पास भेजते हैं। एस पी अगर दो सीमा में है तो दूसरे एस पी के पास भेजता है। फिर वापस कलक्टर एस पी से बातचीत करते हैं कि इसको हमें परमीशन देनी है कि नहीं देनी है। तो एक बात चार जगह घूमने के बनिस्पत अगर कमिश्नर व्यवस्था होती तो एक ही जगह पर हो जाए। प्रदेश एक खिड़की व्यवस्था के लिए अपने आप में तैयार है तो यह व्यवस्था भी ऐसी बनानी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब यह तो जयपुर के विधायकों पर छोड़ो आप।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान के प्रत्येक गांव से नागरिकों को राजस्थान की राजधानी में किसी न किसी मांग को लेकर, किसी न किसी काम को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यवसाय को लेकर आना पड़ता है, इसलिए हमारा दायित्व है इस विषय को उठाएं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन सौ से अधिक ये हैं।

इसी प्रकार से अपराध को रोकने के लिए पाबंद करने जैसे छोटे-मोटे कानून, तीन हजार से अधिक ऐसे केसेज जिनकी सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट हैं लेकिन उनकी सुनवाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता है, पूरे वर्ष में मुश्किल से एक या दो केस सलटते हैं। मतलब इसी बीच में वह रहता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी आर पी सी दंड प्रक्रिया के तहत जुलूस प्रकरणों को, अपराध सम्बन्धी प्रकरणों को पाबंद करने की कार्यवाही कलक्टर को करनी पड़ती है लेकिन उसे पुलिस से वापस समन्वय करना पड़ता है। मतलब आवाजाही और कहीं न कहीं गति करो एक, दो जगह जाकर उसका डिले होना-इसे रोकना चाहिये। रोकने के लिए यह कमिश्नर व्यवस्था आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इंटरनेशनल मार्केट होने के कारण यहां बड़े-बड़े होटल्स हैं, हीरे-जवाहरात का मार्केट है तो इन सबका एक लाइसेंस, क्योंकि अपराध अगर कहीं होंगे, चोरी-डकैती होगी तो पुलिस का सीधा सम्बन्ध होता है। इन सबके लाइसेंस अगर पुलिस कमिश्नर व्यवस्था होगी तो उनके यहां रिन्युअल के तरीके होंगे, उनके यहां रिन्युअल करवाना होगा, जैसा कि आजकल महानगरों में होता है। वैसी स्थिति में पुलिस से सीधा सम्बन्ध उनका

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

रहेगा जिसके कारण अपराध को रोकने में भी इनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के हिसाब से जिला तीन भागों में बांटा हुआ है, फिर एक ट्रैफिक, मतलब चार-चार। एक जुलूस को एक जिले से दूसरे जिले में प्रवेश करने के बाद वहां दूसरी टीम लगती है। इसका मतलब यह है कि नियंत्रण कहीं एक नहीं होता है। कमिश्नर व्यवस्था होने के कारण जब नियंत्रण एक हो जाएगा, कई तरह की सुविधाएं होंगी, और मैं तो यह कह रहा हूं, इनकम भी होगी। सारे प्रतिष्ठानों पर जब कमिश्नर पुलिस द्वारा पुलिस लाइसेंस बनाये जाएंगे उससे इनकम होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्री महोदय बैठे हैं, उन्होंने सुन ली बात आपकी। माननीय सदस्य, अब आ गयी बात, समाप्त कीजिये इसको।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): बिलकुल समाप्त करता हूं एक-दो मिनट में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बड़े महानगर में अपराधों पर कंट्रोलिंग के लिए पुलिस को एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में अधिकार दिये जाने चाहिये। मैं तो यह कह रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के गृह मंत्रीजी जयपुर के जीवन में, जयपुर की औद्योगिक नगरी के जीवन में जयपुर में हीरे-जवाहरात की मंडी के लिए, अन्तरराष्ट्रीय मंडी के लिए और इस जयपुर को एक अच्छी कानून-व्यवस्था के लिए तोहफा दें और जयपुर में कमिश्नरी व्यवस्था राजस्थान के इतिहास में पहली बार किसी महानगरी में लागू करें। जैसा कि पहले पुलिस एक्ट में विचार कर लिया गया, विचार अगर सारा पॉजिटिव है तो उसमें रूकावट कहां है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सरकार से वापस निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर एक अच्छी नगरी, गुलाबी नगरी बना रहे, इस पर बढ़ती हुई जनसंख्या का भार बढ़ रहा है, बढ़ते हुए व्यापार का वज़न बढ़ रहा है, इसलिए पुलिस को स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करने के लिए कमिश्नरी व्यवस्था को लागू करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतनी लंबी-चौड़ी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं थी। सामान्यत: यह था कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था राजस्थान में लागू हो। मैं सोचता हूं कि 1861 के एक्ट में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसका क्लीयरकट कोई आधार नहीं था। हमने जो अभी नया पुलिस एक्ट, 2007 बनाया, उसमें सैक्शन 15 में इसको डाला है। हमने इसकी परिभाषा में भी, आप तो 25 लाख का कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि 10 लाख से भी अधिक आबादी का जो शहर होगा, उसको राज्य सरकार कमिश्नरी के लिए घोषित कर सकती है। प्रक्रिया में चल रहा है। सलैक्ट कमेटी में भी इस पर विचार होगा कि हम अपना एक्ट, अलग से कमिश्नरी एक्ट बनाएं, कोई कमियां जो रह गयी हैं उन कमियों को भी निकालते हुए एक परफैक्ट कानून बनाकर हम इस व्यवस्था को लागू करें। वह प्रक्रिया में चल रहा है। मैं सोचता हूं कि आपकी भावना को ध्यान में रखकर बहुत पहले से ही हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल निवाई।

टोंक जिले के एकमात्र संस्कृत विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान

श्री हीरालाल (निवाई): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय कार्यरत है। टोंक जिले में केवल एक ही यह संस्कृत विद्यालय है जिसके कर्मचारियों को 24 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस बाबत मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदया और राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय को भी पत्र के माध्यम से निवेदन किया था। श्री सनातन धर्म वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय निवाई के कर्मचारियों के 24 माह का वेतन रोकने बाबत माह नवम्बर, 2007 से वेतन बिलों को निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा पारित नहीं किया जा रहा है इससे कर्मचारियों के भूखों मरने की नौबत आ गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन कर्मचारियों के वेतन बिल 768388 रुपये डी.डी. द्वारा दो वर्ष से बनाकर रखे हुए हैं परन्तु भुगतान नहीं करवाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक शारीरिक शिक्षक गम्भीर रूप से बीमार होकर एस.एम.एस. में भर्ती हो चुका है। उक्त कर्मचारियों के पास अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो दो वर्ष का डीडी रूका हुआ है वह दिलाया जाए और 24 माह का जो वेतन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है वह भी दिलाया जाए।

(श्री हीरालाल)

उपाध्यक्ष महोदय, यह टौंक जिले में एकमात्र संस्कृत विद्यालय है, उसके कर्मचारी भूखों मरने की स्थिति में आ गये हैं। मेरी मांग है कि इन कर्मचारियों को 24 माह का वेतन दिलाया जाए और दो वर्ष का डी.डी. 768388 रुपये का निदेशक महोदय, संस्कृत शिक्षा विभाग ने रोक रखा है, वह भी दिलाया जाए ताकि जो बीमार शारीरिक शिक्षक एस.एम.एस. में भर्ती है उसका इलाज हो सके और जो शिक्षक अभी वर्तमान में बिना वेतन के काम कर रहे हैं उनके बच्चों का पालन हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैंने मुख्य मंत्रीजी को और शिक्षा मंत्रीजी को कई बार लिखकर भी निवेदन किया है। मैं राज्य सरकार और जो अभी सदन में शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, इनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय है, उन अध्यापकों के बच्चों पर रहम खाकर 24 महीनों का वेतन दिलाने की कृपा करें। मेरी आपसे उम्मीद है। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, 24 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने कहा है, इस मामले की सारी फाइलें मंगाकर देखूंगा और 24 महीनों का इनको वेतन किस प्रकार से मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में नियम विरुद्ध संचालित एल.एल.एम. कक्षाएं

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में एल.एल.एम. के नाम से कुछ व्याख्याताओं द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और नियम विरूद्ध, नीति विरूद्ध, सिद्धांत विरूद्ध एल.एल.एम. की कक्षाएं राजकीय महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं जब कि विधि महाविद्यालय अलग से संचालित है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर; रायपुरिया महाविद्यालय, बीकानेर; लोहिया महाविद्यालय, चूरू; नेहरू मैमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़; खालसा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर इत्यादि में एल.एल.एम. विषय हाल में ही पृथक हुए विधि महाविद्यालयों में संचालित है जब कि सिर्फ एक अपवाद के रूप में राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में यह कोर्स चलाया जा रहा है जो कि राजकीय विधि महाविद्यालय में चलाया जाना था। इसके पीछे कुछ स्वार्थी तत्व हैं जिनके निहित स्वार्थ हैं और वे इस कोर्स को जो कि स्व-वित्त पोषित योजना है, एल.एल.एम. की कक्षाओं को अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में ही चलाये देना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगी, वह आश्वस्त करें कि आने वाले सत्र में एल.एल.एम. की कक्षाएं विधि महाविद्यालय में संचालित होंगी।

इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में एल.एल.एम. के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगी। जब 2005-06 में यह स्व-वित्त पोषित योजना शुरू हुई, तब इसकी स्वीकृति जुलाई माह में मांगी गयी जो नवम्बर में मिली और नवम्बर में यह कोर्स प्रारम्भ हुआ। नवम्बर से मार्च, अप्रैल में चूंकि परीक्षाएं होती हैं, तो पांच महीनों में क्या कोर्स कम्प्लीट कर लिया गया था? सौ-सौ लैक्चर हो गये एक-एक लैक्चरर के और उनको 25-25 हजार रुपये का भुगतान दिया गया। इसके अतिरिक्त वे एल.एल.बी. की क्लासेज भी ले रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मैं लगातार नौ घंटे यहां खड़े रहकर बोलूं तो मेरी क्षमता नहीं है, किसी भी मानव में क्षमता नहीं है कि वह नौ घंटे लगातार पढ़ा सकता है। एल.एल.बी. और एल.एल.एम. की कक्षाएं जो बहुत हाई स्टैंडर्ड की कक्षाएं होती हैं, जिनको पढ़ाने के लिए खुद व्यक्ति को दो-तीन दिन पढ़ना पड़ता है, वे कक्षाएं वे लगातार पढ़ा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए और एल.एल.एम. की कक्षाएं विधि महाविद्यालय में संचालित की जाए। इतना ही मैं आपसे कहूंगी कि आप इस मैटर को पूरा दिखवा लें, इसमें बहुत गम्भीर अनियमितताएं हुई हैं। इन गम्भीर

(श्रीमती अनिता भदेल)

अनियमितताओं को समाप्त करके एक अच्छा शैक्षणिक वातावरण अजमेर के महाविद्यालयों को मिले, इतना ही आग्रह है।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है तो अगले सत्र से एल.एल.एम. की कक्षाएं विधि महाविद्यालय, अजमेर में स्थानांतरित कर दी जाएंगी और इन्होंने जिस भ्रष्टाचार की बात कही है, पहले भी इनकी शिकायतें मिली हैं, उनकी जांच करवायी जा रही है, जांच पूरी होने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एल.एल.एम. आपने खोलने की घोषणा कर दी, बजट में प्रावधान किया हुआ है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: करेंगे वह तो अब। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं, ये तो चल रही हैं। अभी तो क्या है कि अजमेर गवर्नमेंट कालेज में एल.एल.एम. की कक्षाएं चल रही हैं और इनकी मांग यह है कि वे लॉ कालेज में स्थानांतरित की जाएं। पूरी बात सुनी भी नहीं है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने सोचा, नयी खोल रहे हो ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उसमें जो टैक्सी का किराया लगेगा वह आपकी तरफ से दे देंगे। (व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय ,जयपुर विधेयक ,2008

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालीचरण सर्राफ, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2008 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2007 (2007 का अध्यादेश संख्या 7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समर्थ लाल मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आय-व्ययक पर बहस का समय आसन पहले निर्धारित कर चुका है, वैसे भी कार्य सलाहकार समिति की बैठक में अनौपचारिक रूप से यह तय हो गया था कि मुख्य मंत्री महोदय का उत्तर छह बजे करवाना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बहस प्रारम्भ होने से पहले किस-किस दल का कितना-कितना समय बचा है, जरा यह बता दें ताकि हम उसी हिसाब से अपने-अपने माननीय सदस्यों को समय देने की बात करें। यह आप फर्मा देंगे तो ठीक रहेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): समय तो बढ़ता रहता है, आपने सबसे कम बहस करवाई है गवर्नर एड्रेस पर और इस पर। आप भागना चाहते हैं तो भागो, पूरी बहस तो करवाओ कम से कम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें भागने की कतई बात नहीं है, जो समय विभाजन आसन ने पहले किया है, हम उसी की पालना करना चाहते हैं। जरा मालूम पड़ जाए कि किस दल के पास कितना समय बचा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आवश्यकता हो तो उसमें संशोधन कर लो, उसमें क्या है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इस विधान सभा का यह इतिहास रहा है कि जो समय तय किया जाता है उसका दुगना, तिगुना समय बहस में लगता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई न कोई चीज छेड़े बिना आपको चैन नहीं आता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: विपक्ष का समय वैसे तो समाप्त हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समाप्त हो चुका है, ठीक है। ठीक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से बहस हो जाए और उसके बाद मुख्य मंत्रीजी का उत्तर हो जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): समय तो इस सरकार का समाप्त होता जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समय का बंटवारा तो आसन ने किया है, हम तो आसन की व्यवस्था से पूर्णत: बंधे हुए हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी चले जाइएगा। सात बजे से पहले भागने के चक्कर में हैं क्या? आप सात बजे रिप्लाई करा दीजिएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन जो भी निर्देश देगा हम उसकी पालना करेंगे। हम तो आसन से बंधे हुए हैं। आसन के अनुसार जो समय विभाजन था उसके अनुसार अगर कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त हो गया है और उसके बाद भी अगर आप दो-चार-पांच मिनट देना चाहते हैं तो प्रतिपक्ष के नेता बोल लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कांग्रेस पार्टी का समय कभी समाप्त नहीं होता है। यह कभी नहीं डूबने वाला सूरज है, यह आप ध्यान रखना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये नई-नई परम्पराएं शुरू मत करवाइए। अब तक हमेशा बजट और अभिभाषण पर चर्चा समय से ज्यादा लम्बी चलती रही है, उन्हीं परम्पराओं को कायम रखते हुए हमारे दल की तरफ से आप नाम पुकारिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूर्णत: आपका अधिकार है, आप जो भी निर्देश देंगे, हम उसकी पालना करेंगे। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा, मेरा निवेदन है कि जब समय प्रतिपक्ष का समय समाप्त हो गया है, प्रतिपक्ष के नेता अगर कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहना चाहते हैं, उन्हें तो जरूर अनुमति दें, उनके मौलिक विचारों से तो हम खुद ही लाभान्वित होना चाहते हैं, उसके बाद सदन की नेता उत्तर दे दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आनरेबल पार्लियामेंटरी मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी का समय कभी समाप्त नहीं होगा, यह कभी नहीं डूबने वाला सूरज है, यह ध्यान रखना आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो महीपाल मदेरणाजी को बुलवाइए।

श्री उपाध्यक्ष: बुलवाएंगे, बुलवाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो लोक हितकारी बजट भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह तो आप ऐसा करें कि मुख्य मंत्रीजी से कहला दें, हम चले जाते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काहे पर बोल रहे हैं, इनको बोलो आप। इनको लोक हितकारी बजट पर कुछ कहना है तो इनकी पार्टी से इनको दो मिनट का समय दिलवा दो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ...(व्यवधान) सरकार ने किसानों के कर्जे माफ करने का फैसला किया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना देने का फैसला किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): xxx

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप बीच में न बोलें। अभी तक किसी को पता ही नहीं है, आप किस कायदे से बोल रहे हैं, आसन की परमीशन के बिना बोल रहे हैं,

(श्री उपाध्यक्ष)
अभी आपको जल्दी है क्या? इतनी जल्दी है क्या? हाउस आज तो एडजोर्न हो नहीं रहा है, आपको जल्दी किस बात की है?

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: बात होगी तसल्ली से। आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं, कोई अंकित नहीं होगा। आपकी कोई बात अंकित नहीं होगी। माननीय सदस्य, अभी पूरा पता लगने दो लोगों को, ऐसी क्या बात है? अभी सदन चलेगा, अभी यह हाउस एडजोर्न थोड़े ही हो रहा है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आ गए किसान, घरों में ही बैठे हैं, सड़क पर भी जाएंगे, खेतों में भी जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। आप बिना परमीशन के बोल रहे हैं, कोई कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य को बहस शुरू करने दीजिए।

श्री समर्थ लाल मीणा।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस सदन में चार वर्ष के बाद मैं पहली बार बोल रहा हूं। पहली बार बोलने के उपलक्ष्य में आदरणीय माननीय सदस्य व्यवधान पैदा कर रहे हैं, यह व्यवधान पैदा करने की आदत हमारी पड़ गई है।

श्री उपाध्यक्ष: आपको तो अनुभव है इसका।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): मैंने कहा, हमारी आदत पड़ गई है। इस पवित्र सदन में इस प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हम यहां कर रहे हैं, राजस्थान की जनता और पूरे हिन्दुस्तान की जनता हमको देख रही है। हम ढाई-तीन-चार लाख लोगों की जनसंख्या के जन प्रतिनिधि कहलाते हैं, अब इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधि विधान सभा के इस पवित्र सदन के अंदर जिस प्रकार से अपना आचरण करते हैं, उसका सारे लोग

(श्री समर्थ लाल)

मूल्यांकन करते हैं। आप यह न समझें कि हम ही माहिर हैं मूल्यांकन करने के। इस प्रकार का मूल्यांकन होता है चाहे वह किसी भी पक्ष से हो।

मुझे याद है, मैं अच्छी तरह से पूरे होशो-हवास से बात कर रहा हूं, 1952 से, जब से यह विधान सभा बनी, तब से आज तक, मैं तो 1967 में ही आ गया था, उसके बाद से आज तक मुझे अच्छी प्रकार से ज्ञान है कि मेरे 1967 में आने के बाद से यह सदन चल रहा है, इससे पहले तक, जितनी

(समय : 13.00 बजे)

गरिमा इस विधान सभा की रही है, वह गरिमा इन दिनों में हमने गिरायी है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो, सरकार का उत्तरदायित्व सरकार निभाती है और विपक्ष का उत्तरदायित्व विपक्ष निभाता है, लेकिन उत्तरदायित्व निभाने वाला विपक्ष है उसका सकारात्मक सोच होना चाहिए। विधान सभा का समय बहुत मूल्यवान है उसको हमें समझना चाहिए, कितना रुपया खर्च होता है एक-एक मिनट के अंदर। इधर शासन बैठता है, उधर प्रशासन बैठता है, शासन और प्रशासन के समन्वय के आधार पर 2008-09 का बजट आपके सामने प्रस्तुत किया है माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री के रूप में, मैं समझता हूं इस बजट को पढ़ने के बाद बहस का कोई मुद्दा रह नहीं जाता। आदरणीय बंधुओं, हर पक्ष को इन्होंने छुआ है गरीब से लेकर अमीर तक। अमीर अमीर बनता रुके नहीं, गरीब अपनी हालत सुधारता रुके नहीं, उस प्रकार के परिप्रेक्ष्य के अंदर यह भाषण हमारे सामने आया है। हर वर्ग को छुआ है।

अब सड़कों के अंदर देखिए, सड़कों के अंदर 500 तक की आबादी के गांव राजस्थान में जुड़े हैं। आप कहते हैं, इसमें राज्य सरकार का कोई श्रेय नहीं है। आदरणीय बंधुओं, राज्य सरकार और भारत सरकार अलग-अलग नहीं हुआ करती। इस लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार डिफरेंस करके हम चले तो हिन्दुस्तान की जो गरीब जनता है उसकी उन्नति हम नहीं कर पाएंगे।

राजस्थान के अंदर आपने वो बजट भी देखा है, सुना है, उस बजट का बखान आपने शुरू कर दिया। मान लिया, अच्छा बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन यह बजट भी उससे कम अच्छा नहीं है, उससे ज्यादा अच्छा है। हमारे राजस्थान के अंदर सड़कों के मामले में जैसा मैंने आपसे निवेदन किया ... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): अपने बजट की नकल की है।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): अपने बजट की नकल की है, खैर, मैं यह बात नहीं कह सकता। मैं तो यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी तो थोथी घोषणा रहेगी और वे कुछ लागू करेंगे इसलिए नकल नहीं करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप गारंटर हो? वह तो अपनी भुगत चुके हैं।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): सचेतक महोदय, आदरणीय बंधु, सुनिए।

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्रीजी को जुकाम होता है तो +++ को पूछते हैं, सोनियाजी को, वे क्या घोषणा करेंगे किसानों के लिए?

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): आप विराजें, यहां सोनिया कहां से आ गई?

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलने दीजिए।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): सोनियाजी कहां से आ गई यहां?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): सोनियाजी तो न भारत सरकार में हैं, न यहां हैं कहीं भी नहीं है। अब अप्रत्यक्ष रूप में कौन कहां है, इसका आपने कैसे पता लगा लिया? आप कोई जादूगर हो क्या?

आदरणीय बंधुओं, सड़कों के मामले में निश्चित रूप से हमने तरक्की की है। इस बजट भाषण के अंदर 250 की आबादी और 400 की आबादी तक के गांवों को हम सड़कों से और जोड़ना चाहते हैं। वास्तव में सड़कें हमारे विकास की बहुत बड़ी धुरी बनने वाली हैं, बन रही हैं।

बिजली के मामले में 220, 400, 132, 33 केवीए जीएसएस का कितना निर्माण हुआ है चार वर्ष के कार्यकाल के अंदर। (व्यवधान) विनान के 132 के लिए मंत्री महोदय कह रहे हैं, बनना है, इन्होंने आपके सामने हां कर ली है।

आदरणीय बंधुओं, बिजली के मामले में भी हम तरक्की कर रहे हैं। बिजली के कनेक्शन खोल ही दिये, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन की वास्तव में बड़ी आवश्यकता थी। 1992 या 1991 तक के कनेक्शन हुए हैं, इसकी बहुत बड़ी डिमाण्ड किसान वर्ग को थी, वह डिमाण्ड राजस्थान की सरकार ने पूरी की है।

(श्री समर्थ लाल)

इसके अलावा पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत आप सब जानते हो, हम सब समझते हैं, पिछले चार वर्ष से बरसात बहुत कम हो रही है। बरसात कम होने के बावजूद भी चार वर्ष के बाद इस सरकार ने, इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय जो आशातीत सफलता प्राप्त की है पेयजल के मामले में और सिंचाई के मामले में छोटे-बड़े एनीकट बनाकर, कुछ बांध बनाकर जो आशातीत सफलता प्राप्त की है, मैं समझता हूं कि इस बजट के अंदर इस बात का पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम बहुत आगे बढ़े हैं। मुझे याद है 1952 से अब तक, जो शिक्षा में उन्नति इन चार वर्षों में हुई है उतनी प्रगति किसी भी पंचवर्षीय योजना के अंदर नहीं हुई, आज तक नहीं हो पायी। प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले, हाई स्कूल खोले, साथ में बिल्डिंग। मैं उन दिनों का स्टूडेंट हूं जब पेड़ की छाया में पढ़ा करता था। और पेड़ की छाया में पढ़ाया करता था उस समय का मास्टर भी हूं। मैं यह नहीं कहता कि आजादी के बाद आपकी सरकार ने प्रगति नहीं की, आपकी सरकार ने निश्चित रूप से प्रगति की है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा यह डिफर करना चाहता हूं कि इन चार वर्षों के अंदर जो काम हुआ है उतना काम आपकी सरकार में कभी नहीं हुआ, पांच वर्षों में कभी भी नहीं हुआ। मैं यह कहूं कि इन चार वर्षों के अंदर जितना काम हुआ है, इस सरकार ने किया है उतना काम आपकी सरकार जो 40-45 वर्ष तक लगातार आयी, उसने भी नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में। (व्यवधान) इसमें आप हंस रहे हो। आप मंत्री रहे हो, इसका आप थोड़ा गम्भीरता से विचार करो। शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में हम आगे बढ़े हैं। आपकी सरकार ने एक भी मास्टर नहीं लगाया, एक कर्मचारी नहीं लगाया और हमारी वर्तमान सरकार ने हजारों मास्टर लगा दिये। 70 हजार लगा दिये, 32 हजार और लगा रहे हैं। कुल मिलाकर एक लाख हो जाएंगे। और जरूरत पड़ी तो और भी लगाएंगे, हमारी सरकार और भी लगाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कमी छोड़ने वाली नहीं है।

चिकित्सा के क्षेत्र में हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है। जितने भी हास्पिटल्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उन सारे अस्पतालों के अंदर 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक हमने खर्च किये हैं भवन बनाने के अंदर और संसाधन जुटाने के अंदर। अब सरकार यही कर सकती है, और क्या करे?

(श्री समर्थ लाल)

मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट भाषण आया है 15 हजार करोड़ से ज्यादा का, उसमें आप लोगों ने यह आशंका प्रकट की है कि यह चुनावी बजट है। अभी-अभी जो आपके केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी भाषण दे रहे थे भारत सरकार के अंदर, यह कौनसा बजट है? यह भी चुनावी बजट है। चुनाव का जब अवसर आता है हर सरकार इसी प्रकार का बजट पेश करती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत गम्भीरता के साथ निवेदन करना चाहता हूं और बहुत विश्वास के साथ, हमारी सरकार पर हमारा विश्वास है कि जो बजट हमने पेश किया है निर्धारित समय पर वो बजट आपको जमीन पर दिखाई देगा, उसी आधार पर काम दिखाई देंगे, इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इसलिए इसका आप चुनावी बजट कहकर जो विरोध प्रकट कर रहे हो, मैं समझता हूं, प्रतिपक्ष का भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। मुझे याद है, जब मैं उस चेयर पर बैठा करता था तो प्रतिपक्ष के अंदर परसरामजी मदेरणा, इधर भैरोंसिंहजी बैठा करते थे। आधी समस्या तो उस आसन की वो ही हल कर दिया करते थे। आज प्रतिपक्ष बिखरा हुआ है। जो अनुशासन होना चाहिए इस विधान सभा के अन्दर, आदरणीय बंधुओं, वह अनुशासन हमने प्रकट नहीं किया, पैदा नहीं किया, जनता के अन्दर उस अनुशासन को हमने पहुंचाया नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, यह आपके यहां बड़ा अच्छा अनुशासन है कि मंत्री एक दूसरे के खिलाफ अखबारों में देते हैं, तो अनुशासन की यहां क्या बात है?

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): मैं सदन की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। (व्यवधान) मैं सदन के अन्दर की बात कह रहा हूं। आपकी भी बात कह रहा हूं, इनकी भी बात कह रहा हूं, कि अकारण प्रतिपक्ष को भी व्यवधान नहीं करना चाहिए और अकारण सत्ता पक्ष को भी व्यवधान नहीं करना चाहिए। आप वैल में आ जाते हो, वैल तो कुए को कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ है कुआ और कुए में तो आदमी जब पड़ता है जब वह सब जगह से निराश हो जाता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गुरुदेव, यह दिल्ली में भी कह देते, दो दिन से नहीं चलने दे रहे हैं आपकी पार्टी के लोग।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): मुझे उम्मीद है कि मेरी खबर दिल्ली तक भी पहुंचेगी, मेरी बात दिल्ली तक भी जाएगी। वैल में आने का जो हम लोग

(श्री समर्थ लाल)

प्रयास करते हैं बार-बार, आसन को मजबूर करते हैं। यह सर्वोच्च आसन कहलाता है, हम हमारे मुंह से ही कहते हैं सर्वोच्च आसन और फिर आचरण जब हम करते हैं तो वह सर्वोच्च आसन के अनुसार आचरण हम नहीं करते हैं, हम वैल में आ जाते हैं और मन में आ जावे जब ही खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। आसन कहता है अंकित नहीं हो, उसके बाद भी हम बोलते रहते हैं। अखबारों में वह छपता नहीं है, अंकित नहीं हो तो छपता ही नहीं है। (व्यवधान) तो संयमजी से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप शायद पहली बार आए हैं या दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हैं। बात तो चाहे एक बार आओ, चाहे दो बार आओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तव में आपकी बुद्धि की तो मैं दाद देता हूं, आप बुद्धिमान हैं, इसमें दो राय नहीं है लेकिन इस बुद्धि का आप सदुपयोग करें। इस बुद्धि का आप सदुपयोग करें और उस सदुपयोग के आधार पर इस सदन को भी उससे लाभान्वित करवाएं ताकि राजस्थान की जो जनता है वह भी आपको सुने और सुन करके आपका आकलन अच्छे प्रकार से करे, शुद्ध रूप से करे। उस आधार पर आप इन कामों को करें।

अंत में मैं हमारी सरकार से यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, कि अलवर जिले के अन्दर, जब यह राजस्थान एक हुआ था, एकीकरण के अवसर पर हर जिले को कोई न कोई तोहफा राजस्थान की सरकार ने दिया था लेकिन अलवर जिले को आज तक कोई तोहफा नहीं दिया गया। कोई प्रमुख डिपार्टमेंट या कोई प्रमुख विद्यालय वहां नहीं खोला। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अलवर के अन्दर जब मैं पढ़ा करता था तो केवल राजगढ़ में हाई स्कूल था और दो हाई स्कूल अलवर में थे, और कहीं भी हाई स्कूल नहीं था। यह आजादी के बाद का करिश्मा है सारा, उनकी सरकार का भी है, इस सरकार का भी है, इसमें दोराय नहीं है, लेकिन अलवर के अन्दर विश्वविद्यालय खोलने की बहुत बड़ी मांग है, जबरदस्त। हमने मैमोरेंडम भी दिया है, कुछ विधायक हमारे विपक्ष के अवेलेबल नहीं हो पाये, अलवर के अन्दर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। हमारे राजा जयसिंह थे, मैं राजाओं की बात भी करना चाहता हूं, जयसिंह राजा के अन्दर जो भावनाएं थीं, आप लोग तो बुराई करते हो, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था यदि राजस्थान में किसी राजा के अन्दर थी तो अलवर के राजा के अन्दर थी, लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुसार वे चलते थे और यही कारण है कि आजादी की लड़ाई के अन्दर, उस

(श्री समर्थ लाल)

दरमियान अंग्रेज सरकार ने उनको काले पानी की सज़ा दी थी। उन्होंने अलवर के अन्दर मनु मार्ग स्थापित किया, शुद्ध हिन्दी में मनु मार्ग, रघु मार्ग और इस प्रकार से शुद्ध हिन्दी के अन्दर उन्होंने अपने इलाके के अन्दर, अपने राज्य के अन्दर मार्गों का नामकरण संस्कार किया है। अब हम यहां मिली-जुली भाषा बोलते हैं। अभी हमारे वित्त मंत्रीजी भाषण दे रहे थे, भारत सरकार के, तो वह अंग्रेजी में बोल रहे थे। अंग्रेजी में बोलना कोई गुनाह नहीं है लेकिन यह हिन्दुस्तान है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विदेश गये थे उन्होंने हिन्दी में भाषण दिया था, हिन्दुस्तान का सम्मान बढ़ा था। अगर हमारे यहां का भाषण और यहां का वाद-विवाद हिन्दी के अन्दर होना शुरू हो जाए, कुछ मिली-जुली भाषा अंग्रेजी भी हम बीच-बीच में बोल लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम-अवाम की समझ में वह बात बैठ जाए उस प्रकार की भाषा का हमको सदन के अन्दर प्रयोग करना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं राज्य सरकार से, मुख्य मंत्रीजी कहीं सुन रही होंगी, राज्य सरकार सुन रही है यहां पर, कि राजगढ़ के अन्दर 1967 में जब पहली बार विधायक बना था सुखाड़ियाजी उस समय मुख्य मंत्री थे, उनके कार्यकाल के अन्दर वहां लड़कों का महाविद्यालय हुआ था 1968 के अन्दर और मैं विधायक था ...(व्यवधान) सुनिए, मैं मेवात बोर्ड की तरफ भी आ रहा हूं। राजगढ़ के अन्दर बिल्डिंग तैयार है, लड़कियों का महाविद्यालय अलग से खुलना बहुत आवश्यक होगा। अलवर जिले के अन्दर जो राजगढ़ की स्थिति है, अलवर के राजा-महाराजा सब राजगढ़ से गये हैं और अलवर जिले के अन्दर सबसे पहले हाई स्कूल था, टीकारामजी पालीवाल साहब, बी एन जोशी साहब जो आपके मंत्री रहे हैं, वे तो राजगढ़ हाई स्कूल में पढ़े हैं। वहां पर लड़कियों का महाविद्यालय इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमने बिल्डिंग बना दी, महाविद्यालय की बिल्डिंग बना दी 70-80 लाख रुपये उसमें खर्च कर दिये। अब वह बिल्डिंग सूनी खड़ी हुई है इसलिए वहां महाविद्यालय बनना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजगढ़ तहसील अलवर जिले की सबसे बड़ी तहसील है, उसके अन्दर सब तहसील तो है रेणी लेकिन दूसरी तहसील बनना बहुत आवश्यक है। रेणी को तहसील बनाने की मैं राजस्थान की सरकार से प्रार्थना करता हूं कि रेणी ट्राइबल एरिया है, उसके अन्दर 30-35 ग्राम पंचायतें हैं, पूरा ट्राइबल एरिया पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ है, वहां से आने के लिए राजगढ़ के लिए केवल दो सड़कें हैं, पूरा एरिया

(श्री समर्थ लाल)

दो सड़कों से आ नहीं सकता इसलिए रेणी के अन्दर तहसील खोलना बहुत आवश्यक है।

राजगढ़ का जो अस्पताल है माननीय मंत्री यहां नहीं हैं, वहां 50 बैड हैं, बहुत पुराना है, 50 बैड और बढ़ा दिये जाएं, सौ बैड का कर दिया, यही मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं।

आदरणीय बंधुओं, यह जो बजट 2008-09 का पेश हुआ है इसको आपने शुरू से आखिर तक पढ़ा होगा। मुख्य मंत्रीजी ने दो घंटे तक यहां पढ़ा था, आप लोगों ने इसको बार-बार पढ़ा होगा क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में बहस की है। पढ़ने के बाद में निष्कर्ष यह निकलता है कि 2008-09 का जो बजट है, हमारी सरकार से भी मैं उम्मीद करता हूं कि इस आने वाले वर्ष के अन्दर यह पूरा खर्चा हो जाना चाहिए, सुचारु रूप से हो जाना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं विधान सभा के अन्दर, आदरणीय बंधुओं, अछूती कोई भी सरकार नहीं रही है। शासन और प्रशासन के आधार पर हम लोकतंत्र को चला रहे हैं और लोकतंत्र चलना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए इस प्रकार की और वह व्यवस्था का माध्यम हमारी विधान सभा है, हमारी सरकार है। सरकार के अन्दर जो हमारे आई.ए.एस. अधिकारी यहां लॉबी के अन्दर बैठे रहते हैं, चीफ सैक्रेटरी से लेकर नीचे स्तर के लोग, वे सारे स्तर के लोग यहां रहते हैं, उन्हीं के आधार पर एक्जीक्यूशन होता है और उस एक्जीक्यूशन के आधार पर जनता की हम भलाई करते हैं इसलिए, आदरणीय बंधुओं, शासन-प्रशासन का समन्वय होना भी बहुत आवश्यक है। शासन भी शुद्ध होना चाहिए और प्रशासन भी शुद्ध होना चाहिए, उसके आधार पर ही हम यह जो लोकतंत्र है इसको इस देश के अन्दर कायम रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा लोकतंत्र भारत में स्थापित हो जाए तो मैं समझता हूं कि यह हमारी बहुत बड़ी खूबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। यही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि विपक्ष के नेता के अलावा दूसरे वक्ता 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें। 10 मिनट के बाद में परमीशन नहीं दी जाएगी। (व्यवधान) नहीं-नहीं, 11 बजे तक नहीं है। 6 बजे का समय है और ज्यादा से ज्यादा 7 बजे मुख्य मंत्रीजी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगले दिन तक हाउस चला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ऐसी आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो....

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इतनी आवश्यकता है। आज भारत सरकार का बजट आया है, किसान को इतनी बड़ी रिलीफ दी है। (व्यवधान) यह पता चलना चाहिए। 60 हजार करोड़ रुपये का रिलीफ दिया है किसानों को। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने क्या रिलीफ दी है, क्या रिलीफ नहीं दी है, यह कोई माननीय सदस्य कहना चाहें तो कह देंगे, यह एहसान किया है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: हां, कोई बात हो तो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने एहसान किया है क्या? कल तो कह रहे थे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पहले तय हो गया, कार्य सलाहकार समिति में तय हो गया और आसन ने व्यवस्था दे दी। अब आसन की व्यवस्था को हमेशा चुनौती देने की आदत पड़ गई है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...किसी पार्टी की सत्ता में आ जाते हैं तो संस्कार बदल दें, यह तो खुद का मौलिक विचार है, यह तो सोच है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सुनिये, पूरा 60 हजार करोड़ रुपया किसानों को दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में दिया है, पानी के क्षेत्र में दिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हो गया न। भारत सरकार के पास जो पैसा जाता है वो राजस्थान से भी जाता है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई बपौती में नहीं दिया। राजस्थान के गरीब किसानों के पसीने का पैसा है। (व्यवधान) बपौती में नहीं दिया राजस्थान सरकार को।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आडर।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सी आर एफ के नार्म्स में तो बदलाव किया ही नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक सी आर एफ के नार्म्स के ... (व्यवधान) लघु और सीमांत किसान का पूरा का पूरा ऋण माफ किया है। (व्यवधान) अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधानमंत्री थे जब क्या कर रहे थे? (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): पाइंट आफ आडर, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये आप। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...आप ढोंग करने के लिए खड़े हो गये सी आर एफ का। (व्यवधान)

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): पाइंट आफ आडर।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): राजस्थान के किसान को पाले से नुकसान हुआ है, सी आर एफ के नार्म्स में अगर अमैंडमेंट करते तो हम समझते। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...राजस्थान सरकार को एक हजार करोड़ रुपये का फायदा मिलेगा। (व्यवधान) मंत्री महोदय, वन टाइम रिलीफ से राजस्थान के किसान को एक हजार करोड़ का फायदा मिलेगा। 400 करोड़ देने की हिम्मत नहीं है, वो खड़े होकर बोल रहे हैं, खाली नाटक कर रहे हैं, बिजली का माफ कर दिया, फलां कर दिया। कितना पैसा दिया राजस्थान सरकार ने? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): ...पाला और बिजली का माफ, आबियाना माफ किया, यह नाटक लगता है। और सी आर एफ में नोटिफाइड कैलेमिटी हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया। उसमें शीतलहर है, पाला नहीं होना चाहिए? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आडर में लाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आडर। आप सुनें तो सही और पाइंट आफ आडर का डिसीजन भी दें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रतिपक्ष से माननीय सदस्य या इस पक्ष के

(श्री समर्थ लाल)

माननीय सदस्य हों, उनको अपने स्थान से बोलना चाहिए। वो अपना स्थान छोड़कर बोलते हैं। मैंने अभी माननीय सी. पी. जोशी साहब को देखा है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपने स्थान से नहीं बोल रहे हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप डायरेक्शन दें। आसन से डायरेक्शन दें। (व्यवधान) आसन से डायरेक्शन दें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वे नहीं सुधरेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अनुशासन तोड़ने वालों को तो मंत्री बना रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सारा जहां सुधर जाएगा मगर ये नहीं सुधरेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी के पास जाकर यह कहा है कि सी. पी. जोशी से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि यह अनुशासनहीन हैं। सारे कांग्रेस के नेताओं ने जाकर ज्ञापन दिया है और मदेरणा साहब को आगे लाने के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: छोड़ो इस बात को, यह उनकी पार्टी का है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): महावीरजी, मुख्य सचेतक महोदय, हमने यह कहा या नहीं कहा लेकिन आप लोगों ने जाकर मुख्य मंत्रीजी को बदलने की कितनी बार प्रार्थना की?

श्री उपाध्यक्ष: इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) यह पार्टी का अंदरुनी मामला है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कितनी बार प्रार्थना की आपने? पूरी की पूरी टीम ने कितनी बार प्रार्थना की है कि मुख्य मंत्रीजी को हटाओ, हमको बिठाओ? (व्यवधान) आप अपनी बात हम पर क्यों थोप रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने तो कहा है न? (व्यवधान) आप लोग दिल्ली जाकर कह कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ये कैसे हां भर लेंगे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नेतृत्व परिवर्तन करने की मांग करने वाले थे आप। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे इधर से ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो आपके दिमाग की उपज है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप संभलकर रहो, आप संभलकर रहो। (व्यवधान) अब आपकी बारी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी नेतृत्व परिवर्तन में नहीं चली तो दूसरी जगह नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हो। (व्यवधान) अपना परिवर्तन तो करवा लो पहले। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप अपने जैसे सब को समझते हो। आप शिकायतें करते हो इसलिए ऐसा समझते हो कि सभी करते हैं। यह आपकी आदत है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): देखो, मैं आपकी आज भविष्यवाणी करता हूं कि मदेरणा प्रदेश अध्यक्ष होंगे और आपकी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विदाई होगी। यह मेरी भविष्यवाणी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह बजरंगी महावीर की भविष्यवाणी है। अब आप करो जी भविष्यवाणी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरी भविष्यवाणी यह है कि परसरामजी मदेरणा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे और आपको भी बदला जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो हाई कमान बनाएंगे वह स्वीकार है, हम स्वागत करेंगे, आप काहे को दिक्कत में फंसते हो? हम स्वागत करेंगे बनते ही, मना नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...आपके खतरे ढूंढ रहे हैं। अभी महिपालजी मदेरणा की पुत्रवधु ने यह कहा है कि 25 सीटों... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी उनके पुत्र के.? (व्यवधान) अभी आपके सामने उनके पुत्र बोलेंगे, सुन लेना और उससे सहमति अभिव्यक्त कर देना। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ओम माथुर के बनने पर मुख्य मंत्री इस्तीफा लेकर वह गईं दिल्ली, क्या हुआ? ओम माथुर साहब के बनने पर मुख्य मंत्री इस्तीफा लेकर वह दिल्ली गई थीं। (व्यवधान) आपको पता है क्या? इस्तीफा भी जेब में ही रह गया उनका।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। काहे के लिए झगड़े में पड़ते हो? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारी मुख्य मंत्रीजी निर्विवाद नेता हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मदन राठौड़। बैठिये, माननीय सदस्य।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अफीम में बोल रहे हैं। अफीम खाकर बोल रहे हैं, क्यों बुला रहे हो इनको आप? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने जो पहले बोला था वही आज बोल रहे हैं। न तो हमने इस पर कभी विवाद किया न कोई विवाद था और घर में छोटी-मोटी बात तो होती है जो होती रहेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर अफीम का मुकदमा लागू नहीं होता तो आप माफी नहीं मांगते।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन की तरफ से निवेदन है कि....

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुकदमे से क्या ? (व्यवधान) आपने सारा ही करवाया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन की तरफ से निवेदन है कि 10 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोले।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करो, 10 मिनट में नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा। माननीय सदस्य, समय सीमा है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान की श्रद्धेय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने वित्त मंत्री के नाते बजट प्रस्तुत किया तो विपक्षियों के चेहरों की हवाइयां उड़ रही थीं। उपाध्यक्ष महोदय, जब यहां से बाहर निकले तो इनको ऐसी अटैची मिली जिसमें व्हील लगा हुआ था, तो एक विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने अपने दूसरे साथी को कहा कि यह पहिये लगी हुई अटैची हमको किसलिए मिली है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए मिली है। ये हंस रहे हैं, इनको मालूम है, ये मेरे पास खड़े थे और हम दोनों सुन रहे थे। कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य भी पास में खड़े थे। जब दूसरे ने

(श्री मदन राठौड़)

पूछा तो उस वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि हम तो समझते थे कि यह महारानी है, यह गरीबों के बारे में कुछ नहीं जानती लेकिन इसने तो कमाल ही कर दिया, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा, सभी के हितों का बजट दिया है। अब तो जाओ अपनी कांस्टीट्युएंसी संभालो। यदि वापस आना है तो तुरंत ही इस व्हील वाली अटैची को लेकर अपने इलाके में चले जाओ। यह एक वरिष्ठ सदस्य की राय थी, वो विधायक हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में यह कहना चाहूंगा कि श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने सभी वर्गों की चिन्ता की है। आज तक किसी ने चिन्ता नहीं की थी कि जो बाल काटने वाला है उसका क्या दर्द है। किसी ने चिंता नहीं की है कि जो पालिश करता है, उसका क्या दर्द है। किसी ने चिंता नहीं की कि जो कपड़े धोता है, धोबी का काम करता है, उसका क्या दर्द है। यह किसी ने चिंता नहीं की। यह जानकारी सब माननीय सदस्यों को भी है कि ऐसे लोग जो चौपाल में गांव में खड़े हो जाते हैं मजदूरी के इंतजार में, वह इंतजार करता है कि कोई हमें मजदूरी के लिए लेकर जाएगा और वह एक मजदूर हाट बनकर रह जाता है। वहां पर वह मजदूर दिन भर खड़ा रहता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको कोई जरूरत पड़ती है, वह मजदूर को लेकर जाता है और किसी मजदूर को यदि रोजगार नहीं मिलता है तो वह वापस लौटकर अपने घर जाता है, दिन भर वह धूप में खड़ा रहता है। उसकी चिंता आज तक किसी ने नहीं की। सबसे पहले यदि चिंता की है तो श्रद्धेय वसुन्धराजी ने की है कि उसके लिए भी वहां पर किस प्रकार से शेड बनाया जाए, उनके लिए भी टायलेट की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार की चिंता सबसे पहले आज की वर्तमान मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने की है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक अख़बार में छपा था एक सर्वे, उस अख़बार का नाम भी मैं बोल दूं "करंट ज्वाला", उसमें था कि "वसुन्धराजी की लोकप्रियता शिखर पर"। आज तक जितने भी राजस्थान में मुख्य मंत्री हुए, वसुन्धराजी के निकट में कोई नहीं है, बहुत दूर-दूर हैं, नजदीक में कोई नहीं है, इस प्रकार की ख्याति वसुन्धराजी की पूरे राजस्थान में आज है। फिर इस प्रकार का बजट उन्होंने दिया है। ये विपक्ष के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि आज केन्द्र का बजट आया। आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि केन्द्रीय विकास दर घटी है, पहले 9.6 प्रतिशत थी, वह घटकर 8.7 प्रतिशत रह गई। आज थोड़ा विचार तो करो कि विकास दर घटी है, किस प्रकार से चुनावी बजट

(श्री मदन राठौड़)

देकर यहां पर खुश हो रहे हो। यही नहीं, कृषि का दावा करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। आपको मैं यह जानकारी दूं कि लोक सभा में विगत तीन दिन से हमारे भाजपा के राजस्थान के सांसद हंगामा कर रहे थे, केवल इसलिए कर रहे थे कि किसानों के लिए पैकेज घोषित करो।

(13.30 बजे)

(श्री शांतिलाल चपलोत, सभापति, पदासीन)

राजस्थान में पाला पड़ा है, इस पाले के लिए किसानों के लिए पैकेज घोषित करो। तो पैकेज की मांग के लिए उन्होंने वहां पर मांग उठाई थी और आज आप कह रहे हो कि किसानों के हितैषी हम हैं। आप हितैषी होते तो जिस समय यहां प्रस्ताव लाया गया था, आप बहिर्गमन करके बाहर नहीं जाते। लेकिन आप किसी भी प्रकार से किसान के हितैषी नहीं हो। आपको यह जानकारी होगी कि हिन्दुस्तान में कृषि विकास दर घटी है। जो 3.8 प्रतिशत थी, वह अभी 2.6 प्रतिशत रह गई है। आप किस प्रकार से किसान हितैषी होने की बात करते हो। आज किसानों के हितैषी होने का ढोंग करने का केवल प्रयास करते हो, वह भी ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में बेरोजगारी बढ़ी है, हिन्दुस्तान का बुनियादी ढांचा लड़खड़ा गया है, यह जानकारी मैं आज का जो बजट पेश किया है केन्द्र ने, उसके परिप्रेक्ष्य में आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी ने साम्प्रदायिक सौहार्द कायम किया है। मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि 27 तारीख को यहां पर भरतपुर, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने क्या बात कही, बहुत शर्मनाक बात कह दी इस सदन में, कि भड़काने की भी कला आनी चाहिए। किस प्रकार की बात आप करते हो। क्या जनता को भड़काने की कला सिखाना चाहते हो यहां पर? किस प्रकार की बात आपने कही है। यह रिकार्ड के अन्दर है, यह ठीक बात नहीं है। इस प्रकार से भड़काने का प्रयास आपने भी किया है। कभी गुर्जर आन्दोलन के रूप में भड़काने का प्रयास करते हो। कभी किसी दूसरी जाति को आप भड़काने का प्रयास करते हो। लेकिन आप कितने ही प्रयास कर दो, आप किसी भी रूप में कामयाब नहीं हो सकते। श्रद्धेय वसुन्धराजी ने देवनारायण योजना के माध्यम से गुर्जरों और जो पिछड़ा समाज है, उन सब के लिए पैकेज की घोषणा की है। यह कोई कम बात नहीं है। इसको अनुकरणीय मानकर इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

(श्री मदन राठौड़)

सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, जिस समय पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर भाषण कर रहे थे और उन्होंने राजस्थान की सरकार की और वसुन्धराजी की प्रशंसा कर ली तो हिण्डौली के माननीय सदस्य ने खड़े होकर एक बात कही थी। यह देखो, यह बड़ी जवाबदारी से कह रहे हैं, यह रिकार्ड पर है, मैं बोल रहा हूं, हिण्डौली के माननीय सदस्य ने कहा कि ये पिलानी के माननीय सदस्य पूरी जवाबदारी के साथ कह रहे हैं, ये प्रशंसा करते हैं, यह प्रशंसा करने की भावना सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी आनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हिण्डौली के माननीय सदस्य भी मानते हैं कि पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रशंसा की वह बिलकुल ठीक की थी और सही मन से प्रशंसा की थी। मन में तो आप भी जानते हो, मन में तो आपके भी है कि निश्चित रूप से प्रशंसनीय बजट रहा। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने कोई पहला बजट नहीं दिया, उनका यह पांचवां बजट था, चारों बजट में भी इसी प्रकार से प्रशंसा उन्होंने प्राप्त की है। यह पांचवां बजट है, जिसमें भी उन्होंने प्रशंसा प्राप्त की है। केन्द्र से असहयोग मिला, किसी भी प्रकार से केन्द्र से सहयोग नहीं मिला, उसके बावजूद भी राजस्थान में विकास के इस रथ को आगे बढ़ाने में वह कामयाब हुई हैं। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाई है। जाट के मुंह से सही बात निकलती है, यह ठीक बात है।

ग्रामीण विकास के बारे में भी पूर्व सरकार ने पांच वर्ष में 3, 331 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था और वर्तमान सरकार ने चार वर्षों में 5, 234 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, इतने विकास के काम यहां पर किये हैं। इन्दिरा आवास के बारे में आपने कभी सोचा है, 25, 000 रुपये में कभी मकान बन सकता है? आप 25, 000 रुपये में मकान बनाने की बात करते थे लेकिन श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने 25, 000 रुपये राजस्थान के कोष से देकर 50, 000 रुपये किये हैं। उस गरीब का मकान बन सके, इस प्रकार की व्यवस्था की है और इस तरह 50, 000 रुपये की व्यवस्था उन्होंने कराई है।

माननीय सदस्य बोल रहे थे नाथद्वारा से आने वाले कि गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना आपने बन्द कर दी है। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा कि बन्द नहीं की है, पांच करोड़ रुपये से 60 करोड़ रुपये रखा है और आज आपको जानकारी होगी कि इस प्रकार की व्यवस्था की है। एस.सी. के क्षेत्र में भी गुरु गोलवलकर जन सहभागिता योजना के आधार पर काम

(श्री मदन राठौड़)

करेंगे तो वहां पर 80 प्रतिशत या पांच लाख रुपये, दोनों में जो कुछ भी कम होगा, इस प्रकार से सहयोग देने की घोषणा इन्होंने की है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य यह भी कह रहे थे कि आप मानिटरिंग नहीं करते हैं। एन.आर.ई.जी. में मानिटरिंग नहीं करते हैं। एन.आर.ई.जी. में यदि मानिटरिंग नहीं की होती तो आज जो राष्ट्रीय एवरेज 27 दिन का रोजगार देने का है और राजस्थान में 57 दिन का एवरेज है, यह मानिटरिंग से ही सम्भव हुआ है, यह आपकी जानकारी में होना चाहिए।

एक बात और आपने कही है कि ऋण भार बढ़ा है। जब कांग्रेस शासन का अंत यहां राजस्थान में हुआ था, 57, 180 करोड़ रुपये का कर्जा राजस्थान की जनता पर लाद दिया था और आज आप कह रहे हैं कि अब यह 70, 000 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन आपने यह जानकारी नहीं की होगी कि आपने 57, 000 करोड़ रुपये का कर्जा कर दिया लेकिन परिसम्पत्तियां आपने नहीं बनाई थीं और यहां पर राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने जो काम किया है, उन परिसम्पत्तियों का आकलन भी हुआ है, 98 प्रतिशत रिकार्ड पर मौजूद पाई गईं। इस प्रकार के विकास के काम यहां पर हुए हैं। अब आप क्या बोलोगे? बजट की प्रशंसा जितनी की जाए, उतना कम है।

मैं आपको एक-दो जानकारी देना चाहूंगा, 2002-2003 में आपने 5, 535 करोड़ रुपये का प्रावधान वार्षिक योजना में रखा था, 2003-2004 में 4, 258 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था लेकिन 2008-2009 में हमने 15, 248 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है, यह मेहनत से हुआ है, प्लानिंग से हुआ है। ठीक इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजना की बात है, आपके 1999-2004 में केवल 22, 078 करोड़ रुपये का प्रावधान था लेकिन हमने 2004-2008 तक 52192 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। राजस्थान की जनता को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए यह सार्थक प्रयास किया है, यह कोई कम बात नहीं है।

आप अभी खुश हो रहे थे, बहुत बढ़-चढ़कर बातें बोल रहे थे कि केन्द्र ने जो घोषणा की है, हम वह पूरी करेंगे। मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको दूं, ये मेरे पास में आपके दोनों बजट हैं 2002-2003 में भी और 2003-2004 भी, आप भी निकालकर देख लें, ये जवाबदार विधायक हैं और उनके पूर्व मंत्रीजी भी यहां विराजमान हैं, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने बजट में 2002-2003 में सड़क बनाने की घोषणा की थी जयपुर-डिग्गी, आप देखना चाहें तो

(श्री मदन राठौड़)

पेज नम्बर 11 पर है, लेकिन वह सड़क नहीं बनी। 2003-2004 में फिर से आपको घोषणा करनी पड़ी कि जयपुर-डिग्गी की सड़क हम बनाएंगे, वह पेज नम्बर 15 पर है, आप देख लें। यानी 2002-2003 के पेज नम्बर 11 पर वही घोषणा है जो 2003-2004 में पेज नम्बर 15 पर है। ठीक इसी प्रकार से 2002-2003 में पेज नम्बर 13 देख लें, आपने भरतपुर-अलवर सड़क का निर्माण करने की घोषणा की थी। ठीक वही घोषणा आपने 2003-2004 में भी की है पेज नम्बर 15 पर। उस बजट की घोषणा मेरे पास में है, दोनों बजट मेरे पास में है। आप चाहें तो मैं टेबल भी कर सकता हूं, दोनों बजट को आप देख लें। वही घोषणा भरतपुर-अलवर की आपने पेज नम्बर 15 पर भी की है। ठीक इसी प्रकार से 2002-2003 में आपने शाहपुरा-अलवर सड़क निर्माण की घोषणा की थी और वही घोषणा आपने 2003-2004 में भी की है कि हम अलवर-शाहपुरा सड़क बनाएंगे। फिर क्या किया था 2002-2003 में? वह पैसा कहां गया? यह मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह काम आपने नहीं किया।

यही नहीं, ऊर्जा के क्षेत्र में आपने क्या किया, यह भी आप देखना चाहें तो, 2002-2003 में, सभापति महोदय इन्होंने केवल नकल की है, केवल नकल की है। शब्दावली भी वही, अंक भी वही। आपको आश्चर्य होगा, 2002-2003 के अन्दर इन्होंने लिखा, उत्पादन मद में 240 करोड़ रुपये, जो पेज नम्बर 15 पर है। ठीक इसी प्रकार से 2003-2004 में भी लिखा है कि उत्पादन मद में 240 करोड़ रुपये। क्या हुआ, 240 करोड़ रुपये 2002-2003 में भी और यही 240 करोड़ रुपये 2003-2004 में भी? ठीक इसी प्रकार से 2003-2004 के बजट में आपने 380 करोड़ रुपये प्रसारण मद में बताये हैं जो कि 2002-2003 के बजट में भी बताये हैं। सभापति महोदय, 2003-04 में उप प्रसारण वितरण प्रणाली में सुधार, एलटी लैस योजनाओं हेतु 464 करोड़ रुपये लिखा है, पेज नम्बर पन्द्रह पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। माननीय मदनजी राठौड़ साहब, समाप्त करें अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है। अभी तो मुझे तो कुछ बातें कहनी हैं और हमारी सरकार के विकास की बातें भी मैं नहीं कह पाया।

श्री सभापतिः नहीं, गागर में सागर भरो। अब आधा मिनट और है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये किसान हितैषी होते तो नदियों को जोड़ने की योजना बंद नहीं करते। जब अटल बिहारी वाजपेयीजी ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई थी, ब्रह्मपुत्र गंगा से, गंगा यमुना से, यमुना नर्बदा से जुड़ती, राज्य के प्रत्येक किसान का खेत पानी पीता। लेकिन आपने उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया, इस प्रकार से भेदभाव का काम आपने किया है। किसान की उपज के बारे में आपने कभी सोचा है? किसान जब खेत जोतता है तो ट्रैक्टर भी खलवाता है, बीज लाता है, खाद लाता है और उसके खुद के परिवार के सभी सदस्यों का पारिश्रमिक भी यदि जोड़ लिया जाए तो उसकी उपज का उचित मूल्य भी उसको नहीं मिलता है। आपने कभी भी चिंता नहीं की, हमने चिंता की है कि किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, इन्होंने गेहूं खरीदा था विदेश से, आपको मालूम होगा, हमने आंदोलन किया था। गेहूं खरीद घोटाला पूरी दुनिया जानती है कि आपने चौदह सौ रुपये क्विंटल...

श्री सभापतिः माननीय, विराजें अब आप। विराजें। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः गेहूं खरीदा। राज्य के किसान को आप 850 रुपये देने में भी आनाकानी करते हो, राजस्थान के किसान को 850 रुपये भी नहीं देना चाहते हो और विदेशी गेहूं आप मंगाते हो चौदह सौ रुपये में।

श्री सभापतिः विराजें आप, विराजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः इस प्रकार का घोटाला करने का काम केन्द्र की सरकार ने किया है, यह ठीक बात नहीं है। ट्रैक्टर ऋण के अंदर किसान कर्जा लेता है और उस कर्जे में भी...

श्री सभापतिः अब आप विराजें। मेरी मजबूरी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)ः नहीं, सभापति महोदय, मेरा विषय नहीं हो पाया पूरा।

श्री सभापतिः उपाध्यक्षजी व्यवस्था देकर गये हैं कि दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है और आप ग्यारह मिनट बोल लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा, सभापति महोदय।

श्री सभापति: I cannot give any protection to anybody.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ऐसा है, मुझे थोड़ा-सा बोलने दो। मैं पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लूंगा।

श्री सभापति: नो-नो। दस मिनट से ज्यादा मैं देने में मजबूर हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): केवल पांच मिनट दे दीजिये, केवल पांच मिनट।

श्री सभापति: मुख्य मंत्रीजी का भाषण छह बजे पहले-पहले हो जाना चाहिए, इसलिए प्लीज आप विराजें अब।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं अब पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: No, no, please don't advise me. The list is here. Please don't talk.

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय...

श्री सभापति: विराजें आप। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं बोलें, दातारामजी।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): हमारे समय में कटौती कर लेना, इनको पांच मिनट और दे दें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, इतनी देर में तो मैं मेरी बात ही पूरी कर लेता।

श्री सभापति: नहीं-नहीं, ऐसे नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप पांच मिनट दे दें।

श्री सभापति: नहीं, पांच मिनट नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, मैं यह बात कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी का जवाब होना ही होना है, अब माननीय सदस्य सब हैं, अगर दो-दो, चार-चार, पांच मिनट ज्यादा भी बोल लेते हैं, इतना कठोर क्यों होते हो।

श्री सभापति: मैं आसन की व्यवस्था से बंधा हुआ हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आसन तो आसन है, सिर पर है आसन तो हमारे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन पर तो जो बैठा होता है उसी का होता है, अब आप बैठे हैं, आसन आपका है।

श्री सभापति: व्यवस्था देकर गये हैं उपाध्यक्षजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) आसन तो पैरों पर है और हमारे सर पर है, इसलिए आप तो सिर माथे हैं।

श्री सभापति: चलिये आप, एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान की श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले बैल ट्रैक्टर की योजना दी। आपको मालूम होगा, आजकल ट्रैक्टर का जमाना है, ट्रैक्टर चलता है तो बैल का कोई उपयोग करता नहीं है। लेकिन बैल-ट्रैक्टर की योजना जो दी, यह बिलकुल सार्थक हुई है, मैंने खुद देखा है। एक बैल से पांच हल वाला ट्रैक्टर चलाया जा सकता है, उसमें पहिये भी लगते हैं, लीवर सिस्टम से वह बनाया गया है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस प्रकार की योजना पहली बार यदि किसी ने दी है तो श्रद्धेय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने दी है। आप जानते हैं कि बैल या बछड़े को कटने के लिए भेजा जाया करता था लेकिन उसको रोकने के लिए, गौ धन का सही उपयोग किया जा सके, इस प्रकार का सार्थक प्रयास श्रद्धेय मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने किया है। आज किसान भवन के बारे में आपको जानकारी होगी कि सभी सम्भागीय मुख्यालय पर किसान भवन का निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी जिला केन्द्रों पर भी किसान भवन निर्माण करने की व्यवस्था की गई है। सभापति महोदय, मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आपदा राहत कोष में क्या किया, आपदा के मामले में राजस्थान की सरकार ने 126 करोड़ की जो व्यवस्था दी है, यह अनुकरणीय है। लेकिन केन्द्र सरकार ने क्या किया, भेदभाव किया कि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि 2005-06 में समाप्त होती है उसके 430 करोड़ 65 लाख रुपये जो राजस्व प्राप्तियों के रूप में हमको उपलब्ध होने चाहिए थे, उसको रोक दिया और केवल 71 करोड़ 20 लाख रुपये का ही उपयोग करने की अनुमति दी। 359 करोड़ 45 लाख रुपये राजस्व प्राप्तियों का रोक दिया, वंचित कर दिया। यही नहीं, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उसमें से 276 करोड़ रुपया वसूल कर लिया, कौन-सा, जो 2025 में किश्त हमारी बनती है। जो 2025 में वसूल किये

(श्री मदन राठौड़)

जाने चाहिए थे वे आज ही वसूल कर लिये। किस प्रकार का भेदभाव यह कर रहे हैं, यह शर्मनाक स्थिति है। यह ढोंग पीटते हैं कि हम जनता के हितैषी हैं, किस प्रकार के हितैषी हैं। कांग्रेस ने कभी भी चिंता नहीं की। राजस्थान के अंदर देश आजाद होने के 60 वर्ष...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 60 वर्षों में 47 वर्षों तक अकाल पड़ा है और किसी भी प्रकार का राजस्थान को पैकेज नहीं दिया। केवल विदर्भ में जहां पर केवल पांच किसानों ने आत्महत्याएं कीं, वहां चार हजार करोड़ का पैकेज, स्पेशल पैकेज उन्होंने दे दिया है। यही आधार लेकर...

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अब आप, सभापति महोदय, इतना तो कठोर मत बनो।

श्री सभापति: कठोर नहीं, मैंने आपको पांच मिनट ज्यादा कर दिये हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पांच मिनट ही लूंगा।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं, मेरी मजबूरी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अच्छा, दो मिनट। मैं दो मिनट में।

श्री सभापति: नहीं-नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, यह जय जवान जय किसान का नारा लगाते थे, 2002-03 में इन्होंने केवल 73 करोड़ का प्रावधान रखा। लेकिन हमारी सरकार ने 497 करोड़ किया, यानि सात गुना। यही नहीं, अभी 2008-09 में 619 करोड़, यानि कोई तुलना ही नहीं हो सकती। किस प्रकार किसान हितैषी का ढोंग, किसान हितैषी का नारा ये दे रहे हैं, सम्भव ही नहीं है। इन्होंने देखिये, 2002-03 में कृषि ऋण 2748 करोड़ का रखा और हमने 8130 करोड़ का और अब 2007-08 में 11500 करोड़ का हो जाएगा। ब्याज की दर किसने घटाई? जिस किसान से साढ़े तेरह प्रतिशत आप ब्याज लेते थे, यह राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी हैं जिन्होंने साढ़े तेरह प्रतिशत से घटाकर किसान पर सात प्रतिशत और वह भी बैक डेट से, पिछली तारीख से यह लागू कर दिया। यह है किसान का हित।

अब मैं दो-तीन बातें ही कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि आप थोड़े नाराज ज्यादा हो रहे हैं। कभी आपने चिंता की है सेनजी

(श्री मदन राठौड़)

महाराज की? सेन समाज के महाराज और धोबी समाज के श्री गाडेजी महाराज, उनकी जयंती पर छुट्टी की घोषणा की है। यह मुख्य मंत्री वसुंधराजी ने ही किया है, यह और किसी के दिमाग में कभी भी नहीं आया। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी को कि एक लोहे के पाइप का पलंग बनता है जिस पर बनती है खाट, मैंने आपसे निवेदन किया था और आपने वह स्वीकार कर लिया, साढ़े बारह प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत उस पर कर किया है, मैं इसके लिए इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि खाट का उपयोग कोई धन्ना सेठ नहीं करता, खाट का उपयोग सामान्य किसान, सामान्य नागरिक ही करता है। यही नहीं, पापड़-खार को आपने कर मुक्त किया है...

श्री सभापति: यह तो आपने गत वर्ष भी कहा था। यह बात गत वर्ष बोल चुके हैं आप, आगे चलिये आप। समाप्त करें आप। यह गत वर्ष बोल चुके हैं आप। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, गत वर्ष नहीं, इस वर्ष किया है। सभापति महोदय, मैंने गत वर्ष मांग जरूर की थी, स्वीकार इस बार हुई है और इस पर मुक्त किया है।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिये आप।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ बांध, यह किसानों के हित की बात है, जिनको अपग्रेड किया जाना चाहिए, जैसे हेमावास बांध है मेरे विधान सभा क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार से बाणियावास बांध है उसको भी अपग्रेड करना है, दो फीट उसको बढ़ाने की जरूरत है। (व्यवधान) नहीं, बाणिया नाम है, बाणियावास, वह खुश हो रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, सभापतिजी का वह बांध होगा, लेकिन गोमाधड़ा बांध (व्यवधान) इसी प्रकार से बाला बांध, इसको भी दो फीट अपग्रेड करने की आवश्यकता है। आपने थोड़ा-सा लिबरल होकर मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान राव राजेन्द्र सिंहजी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सभी सदस्यों से अनुरोध है...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने यह तय कर लिया कि हम यहां मूकदर्शक बैठे रहेंगे?

श्री सभापति: नहीं-नहीं, आपका मौका है। विराजें आप, विराजिये। विराजिये। आप विराजें, दो मिनट।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, कब आएगा मौका? कल भी तीन बोल लिये, आज भी तीन बोल लिये, तो क्या मौका है? या तो आप कह दीजिये, आप चलाते रहिये, हम चले जाएं।

डा. ओ.पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): देखिये, जो बात हुई है, आपका पर्याप्त समय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अनावश्यक समय जाया कर रहे हैं। विराजें आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सभापति महोदय, यह नई-नई परम्पराएं मत चलाइये।

श्री सभापति: मुझे पता नहीं, मैं तो यह जो बनाकर गये हैं लिस्ट, उसी हिसाब से बोल रहा हूं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, तो आप बता दीजिये, हम मूकदर्शक बैठे रहें क्या यहां?

श्री सभापति: अभी विराजें तो सही दो मिनट। आप विराजिये, अभी दस मिनट में आप...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक तरफ तो आप कहते हैं सदन अच्छे से चले, परम्पराओं से चले, नियमों से चले...

श्री सभापति: महीपालजी बोलेंगे अब। राव राजेन्द्र सिंहजी के बाद महीपालजी बोलेंगे, आप बोलने दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और इकतरफा कार्यवाही कर रहा है आसन तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास मजबूरी है।

श्री सभापति: माननीय जुबेर खानजी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, समय जाया न करें। माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपका समय ही समाप्त हो गया तो क्या करें, आसन क्या करे? जो समय का विभाजन हुआ था, समय जो आबंटित हुआ था विभिन्न दलों को, वह समय अब आपकी पार्टी का समाप्त हो गया। हम तो ग्रेस में कह रहे हैं, यह तो आसन की कृपा से आप बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं। विराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): संसदीय मंत्री महोदय, अगर इस विधान सभा में, बारहवीं में अगर कभी भी ऐसा हुआ हो, समय पर भाषण हुआ हो तो आज भी आप बंद कर दो। जैसे पिछली चार बार ऐसा हुआ है कि समय से ज्यादा चर्चा हुई है...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): समय समाप्त होने के बाद भी...

श्री सभापति: माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) हां, मैं बैठ रहा हूं। समय समाप्त होने के बाद भी वेंटीलैटर पर कई दिन चलते हैं, इसलिए कोई चिंता मत करो, नम्बर आ रहा है।

श्री सभापति: विराजें आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): माननीय सभापति महोदय, बजट राज्य की जनता की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। जन-प्रतिनिधि का वास्तविक धर्म और दुखाग्रता व परोपकार की भावनाओं में उसकी संलग्नता उसका क्रियात्मक प्रतिफल है। जन सामान्य की व्यथा और वेदना के समाहार के लिए जब उच्च एवं पवित्र मनोभावों से प्रेरित, प्रभावित व संचालित होकर पुण्य आत्माएं तथा परोपकारी लोग जब सद्यबद्ध होते हैं और सामाजिक संताप के इस परिहार के लिए सकारात्मक कार्यक्रमों का सृजन करते हैं तब जाकर प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का वास्तविक उदय होता है और आज का बजट जिस पर हम परिचर्चा कर रहे हैं, इस एक वाक्य में इसकी सकारात्मक पारदर्शिता होना आज की तारीख में एक परिदृश्य है।

सभापति महोदय, दस मिनट का समय है और पांच साल का लेखा-जोखा हमारे बीच में हर प्रकार से हम उसको एक सकारात्मक दृष्टि से देखने की चेष्टा कर रहे हैं। यह भी वास्तविकता है कि अपनी-अपनी बात को अपने-अपने तरीके से कहना और उसको अंतिम मान लेना वाद और विवाद के दायरे व घेरे तय करता है और कहीं ऐसा महसूस हम करते हैं जैसे चार अंधे एक हाथी के बारे में बहस कर रहे हैं। उस जैसे उदाहरण के स्वरूप में हमारे बीच प्रस्तुत होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो चर्चा का मंथन इस पवित्र सदन में होना चाहिए, विचारों के मंथन के माध्यम से जनता में व्याप्त इसकी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

परेशानियों का हमें सकारात्मक तरीके से निराकरण खोजना चाहिए। यह इस सदन में एक राजनीति होकर उठती है और इस राजनीति होकर उठने में दलतंत्र के सामने लोकतंत्र पुनः अपने घुटने टेक देता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सत्तापक्ष के सदस्य होने के नाते पूर्ववर्ती सरकार को मैं नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता। अपने-अपने समय सरकार आती है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप वे जन-प्रतिनिधि भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन एक व्यथा आज भी है, कोशिश करने के बाद में भी यह बार-बार बात आती है कि हर सरकार ने दलितों के लिए यह किया, हर सरकार ने ग़रीबों के लिए किया, अगर इस सरकार के पास में कुछ है तो ग़रीबों के मसीहा का चरित्र है। लेकिन हर बार इस बात की सत्यता भी होती है। छह दशक के उपरांत भी इतने के इतने गरीब हैं और बीपीएल की लिस्ट बढ़ती जा रही है। किसी ने बहुत सहज लफ़्ज़ों में यह बात कही थी "हम गरीब को गणेश मानकर अपना कार्य करते हैं'' तो, आदरणीय, एक बात बताइए, 80 प्रतिशत जनता सनातन धर्म की अनुयायी है और सनातन धर्म के अंदर यह बात पूरी व्याप्त है कि किसी की भी मनोकामना पूरी करने के लिए अगर देवताओं का सृजन करना है तो गणेश का सबसे पहले होगा, तो मैं क्या यह मान लूं कि लोकतंत्र के अंदर गरीब को गणेश बनाना और उसका गरीब ही रहना अनिवार्य है वर्ना कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी? क्या मेरा गणेश गरीब है और क्योंकि हमें हमारी मनोकामना सिद्ध करनी है तो मेरे गणेश को तो गरीब रहना अनिवार्य है? क्योंकि अगर वह गरीब नहीं रहेगा तो गणेश नहीं होगा, गणेश नहीं होगा तो सनातन धर्म यह कहता है कि देवी-देवताओं से आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन यह कहां की व्यथा है कि उस इंसान को आपने गणेश तो बना दिया लेकिन सुबह से शाम की रोजी-रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाये। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए जिस दिन आपको स्मरण करना हो गणेश को न्योता दे देते हैं और पांच वर्ष में एक बार न्योता देते हैं। सभापति महोदय, पांच वर्ष के उपरांत उसी गरीब को न्योता देते हैं क्योंकि वहीं हमारी जन-प्रतिनिधि की मनोकामनाओं की पूर्ति का संसाधन है। दीवाली भी साल में एक बार आती है, सारे त्यौहार साल में एक-एक बार आते हैं लेकिन यह प्रजातंत्र का त्यौहार पांच वर्ष में एक बार आता है और जन-प्रतिनिधियों ने गरीब को गणेश बनाकर पांच साल के लिए भ्रमित कर रखा है। अब एक बात बताइए, मैं किसी पर भी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उंगली नहीं उठाना चाह रहा हूं, केन्द्र सरकार के आज के बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है, अच्छा काम कोई करता है तो प्रशंसा करनी चाहिए, यह हमारा उत्तरदायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन हमारे काम पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो इस सदन के किसी भाग में हम बैठे हुए हैं यह हम पर भारी पड़ जाता है। अगर हम इसके उत्तरी भाग में हैं तो हमारा कथन कुछ और होना चाहिए। पूर्वी भाग में है तो कुछ और होना चाहिए, अगर आपकी सीट के उलटे हाथ पर हैं तो हमारा कथन ही दूसरा होना चाहिए, उसकी स्क्रिप्ट ही दूसरी होती है। अब एक बात बताइए, हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो की पंक्ति से पंक्ति पढ़ी जा रही थी और यह कहा जा रहा था, इतने हो गये हैं और इतने नहीं हुए, तो सपने हमने भी देखे थे और सपने देखकर उन सपनों को साकार करने की कटिबद्धता हम में भी थी, लेकिन प्रकृति और प्रवृत्ति के आगे मनुष्य अपनी महत्वकांक्षाओं से कर्तव्य की पालना के लिए पुरुषार्थ कर सकता है लेकिन परिणाम इस कलयुग में मनुष्य के हाथ में नहीं है, वह आज भी नारायण ने अपने हाथ में गिरफ्त कर रखा है। यह बताइए, उन सारे के सारे कामों में क्या हमने कर्तव्यनिष्ठा से पुरुषार्थ किया है या नहीं किया है? गीता भी यह कहती है "कर्म करने का कर्तव्य तेरा है, फल मिले या नहीं मिले, इस महत्वकांक्षा से तुझे पथभ्रष्ट नहीं होना है"। हमारा कॉन्स्टीट्यूशन था या हमारी जो पार्टी का कॉन्स्टीट्यूशन था उसमें से बहुत-सी बातें प्रतिपक्ष ने कहीं, अब इनकी एक यूपीए के कॉन्स्टीट्यूशन की बात मैं आपको कह रहा हूं और यह मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इन्होंने हमारी सीएजी रिपोर्ट पढ़ी है तो हमने भी यूनियन गवर्नमेंट की सीएजी रिपोर्ट पढ़ी है, इनका एक पैरा यूपीए के चुनाव के संबंध में है, गवर्नमेंट गठन हुई उस चुनाव के पहले- "It is the Congress that empowered the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes through reservation and through social welfare and economic development programmes for their welfare and well being, notes the Congress Manifesto when it went to the poll in 2004." 2006-07 की सीएजी रिपोर्ट यूनियन आफ इण्डिया की क्या कहती है? This is 2004 when the UPA assumed power at the Centre. "The total spent on welfare of SCs and STs has not been more than even 1 per cent of the total allocations in any of the past 4 Budgets. In its first two Budgets, there was a decline in the overall spent. The year 2006-07 and 2007-08 Budgets saw year on year growth of 50% in allocations. However, as the proportion of the overall allocations, it has remained stagnant at 1 one per cent." 45 वर्ष तक, आदरणीय, इन अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटों की लोक कल्याणकारी नीति के आधार पर कांग्रेसनीत

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

सरकारें केन्द्र में और प्रदेशों में राज करती रही हैं। हालात ये है कि प्रदेशों को यह बात कही जाती है कि जो तुम्हारे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना चल रही है उसमें सुधार करो, तुम्हारे को जो पैसा दिया जा रहा है उसको पूरा लगाओ। उनको यह नहीं मालूम कि उस दीये तले कितना अंधेरा है। जितना एलोकेशन एससी और एसटी के वैलफेयर के लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने किया उसका एक प्रतिशत भी वे नहीं खर्च कर पाये। उनकी तुलना के आधार पर यह तुलनात्मक मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं प्रदेश में किसी सरकार का अंग हूं तो मैं यह भी मानता हूं कि हमारी पार्टी की सरकार एक टर्म केन्द्र में भी पूरी कर चुकी है। अब उनके समय में क्या था, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि इस तरीके की प्रतिस्पर्द्धा है। आदरणीय, इस प्रतिस्पर्द्धा को संतुलित करने की चेष्टा कर रहा हूं। मैं यह बात कह रहा हूं, किसी व्यक्ति

(14.00 बजे)

का है, लेकिन कहां-कहां पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिस चीज के पीछे हम लोग चलते हैं, जिसने हमें अलंकरण दिया है आज हम उसी को भूल जाते हैं। अगर आज की सत्ता के पक्ष में बैठ कर हम यह बात भूल जाएं कि गरीब का वास्तविक मिज़ाज उसके स्वाभिमान में है। उसकी दरिद्रता को देखके, चिह्नित करके, प्रदर्शित करके उसको एक तरीके से यह कहा जाए, अगर हम उसे कुछ देते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और उसकी आत्मा ललकारती है। किसी को यह कह कर कि तू गरीब है इसलिए मैं तुझे कुछ दे रहा हूं, यह नहीं होना चाहिए। एक मानव धर्म का निर्वाह करते हुए अगर हम कुछ दें तो हृदय से दें क्योंकि यह आपका और हमारा दायित्व है। लेकिन केन्द्र की सरकार ने क्या किया, जरा यह भी आप सुन लीजिये. "This comes as a major surprise at the UPA's performance as compared to the Budgets presented by the NDA in the previous ruling alliance. All the 5 Budgets under the saffron rule had a minimum of 2 per cent of funds, double than that allotted by the UPA." This is conscious. We are discussing the reality in figures, we are discussing character and spirit. In innocence, you cannot do away with truth and reality. आगे क्या कहते हैं ..."The stingy attitude towards the under-privileged seems to have cost the Congress dear in various State elections. Even while it is ruling in Delhi, out of the 7 State elections held in 2007, the Congress and its alliance could manage to win in only two." सर, तो स्पष्ट रूप से है, इसको तो कोई नहीं झुंठलाया जा सकता है। अगर आप ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): इनको हिन्दी में भी समझाएं, साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): क्योंकि सीएजी रिपोर्ट ही अंग्रेजी में है, सर, इसका अनुवादन अगर कोई करना चाहे तो मेरे ख्याल से मैं बहुत आदर के स्वरूप कहूंगा कि हमारे सामने बहुत-से विद्वान लोगबाग बैठे हैं जो पुरजोर इसका एनलाइज कर सकते हैं। एक-एक शब्द को एनलाइज वो कर लें, अर्थ वो ही निकलेगा जो अंग्रेजी में है, हिन्दी में इससे दूसरा अर्थ निकल नहीं सकता। एक और व्यू है इसी सीएजी रिपोर्ट का। इसमें इन्होंने जो हाइलाइट्स की हैं, Overview – "Two indicators of the ..." मंत्री महोदय जिस टाइम में आदरणीय घनश्यामजी शिक्षा मंत्री थे तो इन पर भी कई सवाल उठाये गये और आज जो शिक्षा मंत्रीजी हैं उन पर भी कई सवाल उठाये जाते हैं। अब इनका शिक्षा का देख लीजिये कि इन्होंने क्या किया – "The two indicators of educational development i.e. gross enrolment rate and gross drop out rate displayed adverse trend in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes." ये तो सब स्टेटिक्स हैं जो इनको बराबर मिल रहे हैं। आप यह भी मान कर चलिये, अगर हम यहां सिक्स मंथली रिव्यू करते हैं तो वहां भी सिक्स मंथली रिव्यू होता है – "The gap in GDR between general candidate and Scheduled Tribes and Scheduled Tribes candidate which was 6.7 per cent and 15.1 per cent in 2001-02 deteriorated to 10.4 and 16.6." अब 2001-02 में हम थे तो 2006-07 में वो हैं। जब इनके समय में परसेंटेज आफ जीडीआर ही डैप्रीशियेट कर रहे हैं तो इनसे यह कहलवाना कि अगर कोई वाकई में दलितों का मसीहा है, कोई वाकई में अनुसूचित जाति का हित देखता है तो ये देखते हैं, यह सीएजी की रिपोर्ट तो इस बात को नकारती है।

कुछ दिनों पहले एक बात यह भी आयी थी कि, साहब, आपने नाई की, मोची की, थड़ियों पर बैठने वाले व्यापारियों की खूब चिंता की, उनके औजारों पर से आपने टैक्स हटा दिया। बोले कि टैक्स लगता ही कहां था। अब, साहब, एक बात बताइये, मैं यह इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि 28 तारीख को आज के बजट के पूर्व चिदंबरमजी का एक स्टेटमेंट है। यह चिदंबरमजी का स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन आदमियों को हमने चिह्नित करके उनके उद्धार के लिए, उनके स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए जो योजना बनायी है उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं – "The Pre-Budget Economic Survey has warned that the US economy is slowing down."

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मैं यूएस इकोनोमी की बात, सभापति महोदय, इसलिए कर रहा हूं कि हमारा जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है, अगर वहां की इकोनोमी कंडीशंस स्लो डाउन होंगी तो हमारे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब जब प्रतिकूल असर पड़ता है, और इकोनोमी स्लो डाउन की बात जैसे मदनजी ने कही, इकोनोमी स्लो डाउन होकर परसेंटेज आ गया हमारा 8.7, पिछली बार था 9.4, तो इन्होंने लिखा है – "... agriculture sector is attributing to the slackening growth of rabi crop, manufacturing and ..." अब इसमें यह लिखा है, साहब – " ..allowing a share of foreign equity in retail ..." आप करना क्या चाहते हैं? तीस मिलियन खुदरा व्यापारी हैं किराना वाले, सब्जी वाले, खुदरा और तरीके का व्यापार करने वाले, तीस मिलियन पीपल अपनी अर्थव्यवस्था अपने स्वरोजगार से चलाते हैं, अगर फारेन इक्विटी कैपीटल को आपने जहां अलाउ कर दिया सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनोमी का ग्रोथ कम हो रहा है, आपके उस ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाना है, तो फिर क्या होगा? आप सब्जी रिलायंस से नहीं खरीद कर लाएंगे। रिलायंस तो फिर भी हिन्दुस्तानी है, फिर आप वाल-मार्ट में जाएंगे और जब आप वाल-मार्ट में जाएंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा? दस हजार से बीस हजार स्कवॉयर फीट एक इमारत मिलेगी, एयरकंडीशन होगी। आपको अच्छी-अच्छी थैलियों में वो ही प्याज और वो ही सब्जी जो वो काश्तकार अपने यहां के किसी खुदरा व्यापारी को देता है वो आएगी। लेकिन उस पूरी की पूरी बिल्डिंग को चलाना और उसके अंदर जो बिजली की खपत और एयरकंडीशनिंग की जो खपत होती है और एयरकंडीशनिंग की खपत से जो ग्रीन हाउस गैसेज पैदा होती हैं, जितना पोल्यूशन पैदा होता है, वो किसके माथे लिखा जाएगा? वाल-मार्ट की स्टेटिक्स कहती है, सभापति महोदय, पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट है, वन डालर मार्केट से इनका काम चालू हुआ था, कोई भी इनके यहां चला जाए एक डालर में मिलती थी इन्होंने 80 प्रतिशत मार्केट को कैप्चर कर लिया है। अस्सी प्रतिशत मार्केट को कैप्चर करने के बाद जो लोगबाग स्वरोजगार से मार्केट में बैठते थे, जिनको अपन किराने की दुकान कहते हैं, उनको मोम और पॉप शॉप्स कहते हैं अमेरिका में, सब की सब बंद हो गईं और ढाई प्रतिशत अनएम्प्लायमेंट में वृद्धि हुई है। आप कर लो इनको अनएम्प्लाय। जिस व्यापारी के भविष्य के बारे में आपके मुख्य मंत्रीजी ने सोचा कि उनके औजारों

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगे उसके बारे में सोचा, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए उनको हितकारी योजना दी। आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो फारेन इक्विटी को रिटेल में लाना चाहते हैं, और रिटेल में लाना चाहते हैं इसलिए आप तो उनके औजारों से मुक्ति दिला दीजिये। उनका पूरा कार्यक्रम तो इनको इस पूरे व्यवसाय से ही मुक्ति दिलाने का है। फिर उस वाल-मार्ट में ही आप बाल कटवाकर आएंगे। सभापति महोदय, आपको अगर सब्जी खरीदनी है तो सब्जी खरीदने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, आपके घर के सामने ठेले वाला सब्जी बेचने नहीं आएगा, आपको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले तो आपने हाइड्रो कार्बन जलाया, हाइड्रो कार्बन जला तो उससे आपके कार्बन-डाई-ऑक्साइड का पोल्यूशन हुआ। गाड़ी को लेकर आप सड़क से गये तो कंजेक्शन आपने ट्रैफिक का सड़क पर किया। फिर पार्किंग के लिए आपने गाड़ी खड़ी की और फिर उस एयरकंडीशन मार्केट में गये। आपकी सेहत पर तो प्रतिकूल असर होगा ही होगा, पर्यावरण की सेहत पर भी प्रतिकूल असर होता है। अब आप यह बताएं, मैं दस मिनट इसलिए ले रहा हूं, सभापति महोदय, कि अगर भारतवर्ष किसी बात से चिन्तित है तो राजस्थान प्रदेश उस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। हमें यह बात कही जा रही थी, हमारे बड़े-बड़े विपक्ष के नेताओं के बयान आये, और कुछ हमारे नेताओं के भी आये, कि कॉटेज इण्डस्ट्री की अगर बात नहीं करेंगे, हम लघु उद्योग की बात नहीं करेंगे तो इकोनोमी वापस अपने पहिये पर नहीं आने वाली है। आपका प्रदेश परमाणु हथियारों से लैस है और आप शायद यह भी बात भूल गये कि आपका ही एक ऐसा डवलपिंग नेशन है जो स्वयं का उपग्रह भी बनाता है। अब जहां सेटेलाइट्स बनते हों, न्यूक्लीयर आर्म्स होते हों, अगर वहां टैक्नोलोजी का अगर आप निवेश नहीं करेंगे और आप यह कहेंगे कि मुझे तो हेंडलूम ही बनाना है, मुझे तो हथकरघा ही बनाना है, बनाइये यह आपका हैंडीक्राफ्ट है, यह आपका अर्टिजन है। लेकिन अगर आप टैक्नोलोजी को इस वजह से रोकना चाहते हैं तो भारत को चिह्नित कर रखा है भारत को चिह्नित कर रखा है पांच मुख्य उसमें। भारत को चिह्नित कर रखा है, "India is the only developing country and 6th in the world ..." अगर देखें वर्ल्डवाइड - "to design, manufacture and launch its own satellites. About 165 institutions in the country are engaged in genetic engineering research." अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जब हम करते हैं और फिर जब हमारे मुख्य मंत्री इस बारे में जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कोई रिसर्च लैब लगा रहे हैं और कृषि विभाग की देखरेख के अन्दर जेनेटिकल इंजीनियर्स सीड्स पैदा करते हैं तो वो जनता के और किसान के भले के लिए नहीं है तो किसी और के भले के लिए है? आज तक आपका बीटी कॉटन सीड आता है, बाहर से आता है, गुजरात ही एक ऐसा प्रदेश है जो जेनेटिकली ओरिजिनेटेड सीड को मैन्यूफैक्चर करने का रजिस्ट्रेशन रखता है। बाकी किसी के पास नहीं है। अगर हमने इस तरीके की कोई चीज को इस्तेमाल किया है, राज्य में जीन परिवर्तन संश्लेषण के लिये, आखिर क्या है। अगर इसका हम रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्च करने के बाद इंटेल ने 500 ऐसी चीजें हैं जिनका इंडिया में पेटेंट किया है। अगर आपके पास इण्डस्ट्रियल यूनिट नहीं होंगी, अगर आपके पास इण्डस्ट्रियल पार्क नहीं होंगे, अगर आपके पास टैक्निकल पार्क नहीं होंगे तो यह जो इंटेल यहां आकर पेटेंट कर रही है, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के माध्यम से राजस्थान में कई रिसर्च लैब सैट करना चाहती है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कौन आयेगा? पहले घर बनाना पडता है उसके बाद अतिथि को बुलाना पड़ता है। किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठकर किसी का आतिथ्य सत्कार करने का आपका उत्तरदायित्व नहीं है। You will have to create infrastructure. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा या रिसर्च लैब इंडिया में लगेगी और अगर राजस्थान उसमें पीछे रह गया तो नुकसान किस का होगा? इस राजस्थान की उस भली जनता का होगा जो आज भी इस बात के लिये टकटकी लगाये हुए देख रही है कि मैं गणेश आपका जरूर हूं लेकिन इस गरीबी से मुझे भी हटाओ क्योंकि गरीबी से मुझे भी परेशानी होती है। गरीबी से मुझे भी पीड़ा होती है। मेरा वंश भी गरीब नहीं कहलाना चाहता, मेरा वंश भी स्वाभिमान की रोटी खाना चाहता है दया की भीख से जीवन का निर्वहन नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, करौली में टोडाभीम करके एक जगह है...

श्री सभापति: माननीय, आप समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): मैं कर दूंगा अभी। मैंने आपकी उपस्थिति का कुछ फायदा जरूर उठाया है लेकिन नाजायज तरीके से नहीं उठाया। मैं सिर्फ एक बात का बोध कराना चाहता हूं, समाज कल्याण में गरीब व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता का। हम आज तक वाहवाही लूटते थे, अगर हमने

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एससी वालों को बस का ड्राइवर बना दिया तो हमने इतनों को नौकरी दी, कंडक्टर बना दिया तो इतनों को नौकरी दी। टोडाभीम में एक बच्चा है नीरज, कानपुर एविएशन में कमर्शियल पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। यह समाज कल्याण विभाग के साढे 9 लाख रुपये की छात्रवृत्ति की देन है। मैं इसलिए यह बता रहा हूं कि यह सरकार ड्राइवर और कंडक्टर बनाने से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आज की 21वीं शताब्दी की नई टैक्नोलोजी से पूर्ण कर इतना परिपक्व करना चाहती है कि अगर पूरी की पूरी योग्यता है तो तू बस का ड्राइवर या कंडक्टर न बन, तू भी हवाई जहाज उड़ा, तुझमें कोई कमी नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक आदमी को हवाई जहाज उड़वाओ और एक हजार बेकार रहें, क्या कर रहे हो। एक हजार ड्राइवर बनते तो एक हजार परिवार पलते। एक को पायलेट बनाने से 999 तो भूखे मरेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): शुरूआत तो हुई न आगे बढ़ने की।

श्री सभापति: एससी, एसटी को भी वैल इक्विप करने की आवश्यकता है, यह कह रहे हैं आप।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): मैंने यह कहां कहा? जो ड्राइवर की योग्यता रखता हो उसे ड्राइवर बनाओ, जो चपरासी की योग्यता रखता है उसे चपरासी बनाओ, जो एलडीसी की योग्यता रखता है उसे एलडीसी बनाओ। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो कि जो प्रोफेसर बनने की योग्यता रखता हो उसे थर्ड ग्रेड का टीचर बनाओ, ऐसा क्यों हो? अगर व्यवस्था होगी तो जो जैसी योग्यता रखेगा वह वहां पहुंचेगा। मैं प्रतिकार नहीं कर रहा। आज एयर फोर्स में और कमर्शियल पायलट में कितनी वेकेंसी हैं और कितने बच्चे हैं जो तैयार हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफ करना बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य, आप में योग्यता की कोई कमी है क्या, आपकी योग्यता को ही नहीं समझा मुख्य मंत्रीजी और सरकार ने, क्या बात करोगे आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इसी मानसिकता के आधार पर आप आज तक चले हो। कभी इधर, कभी इधर और सिर्फ एक ही मानसिकता है आपकी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपकी मानसिकता ही है यह यहां पर।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तो जो पैसे देता है उसकी पैरवी करते हो। मैं तो राव साहब की बात कर रहा हूं, आपकी योग्यता की तो मैंने बात ही नहीं की कभी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व): नगर से आने वाले माननीय सदस्य विषय को डाइवर्ट कर रहे हैं। कोई अच्छी बात वह कह रहे हैं उसको वह सुनना नहीं चाहते। सुन कर मनन करें और विचार करें इन बातों पर, आने वाले समय में विचार करें। आप हमेशा विषय को डाइवर्ट करते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम तो मानते हैं कि यह बहुत ज्यादा काबिल आदमी हैं। कतई डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं कि इनकी योग्यता का भी लाभ उठाना चाहिये था।

श्री सभापति: माननीय, विराजिए आप।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): सभापति महोदय, माहिरजी ने न केवल अच्छी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बीच में इण्टरप्ट किया है बल्कि माननीय संसदीय सचिव के लिये यह तक कहा है कि आप तो उनकी पैरवी करते हो जो पैसे देते हैं।

श्री सभापति: बिलकुल सही कहा है, वकालत के नाम पर कहा है और माहिरजी भी यही करते हैं। एज ए वकील माहिरजी भी यही करते हैं, विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): सभापति महोदय, मेरी योग्यता कितनी है मुझ से बढ़िया कोई नहीं जान सकता। भगवान करे यह वहम और भ्रम सब का बना रहे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इनको टिकट इनकी योग्यता के आधार पर मिलता है क्या? टिकट तो यह मुसलमान हैं इसलिए मिलता है। यह मुसलमान हैं इसलिए टिकट मिलता है, योग्यता के आधार पर मिलता है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप टोकाटाकी नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माहिर साहब ने वही बात बताई है जिस काम में वह माहिर हैं।

श्री सभापति: विराजिए. Let him complete. समय जाया नहीं करें, समाप्त करने दें आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): मैं दो चीजें निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। यह बात बिलकुल सही है कि आज की तारीख में राजस्थान सरकार पर 76752 करोड़ का ऋण है और यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर 12 हजार का ऋण है। अगर मैं रोज 100 रुपये कमाता हूं तो 40 रुपये मेरा ऋण में जाता है। लेकिन एक बात आप बताइए कि मैं 40 साल तक तो बीमार पड़ा रहा इंटेंसिव केयर यूनिट में और मुझे किसी भी तरीके से स्वस्थ करके बाहर लाया गया और फिर आप मुझसे यह अपेक्षा करें कि ओलम्पिक की 100 मीटर की स्प्रिंट में स्वर्ण पदक ले आऊं, यह तो अतिशयोक्ति ही होगी। आदरणीय, बात यह है कि हमको रेवेन्यू इन्क्रीज करनी है और टैक्स रेवेन्यू इन्क्रीज करेंगे तो किसी न किसी पर तो भार पड़ेगा ही। आदरणीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, इनकी पीडब्ल्यूडी की एक सेंसस कहती है कि पूरे के पूरे राजस्थान का जो 800 किलोमीटर का दायरा है इसमें से तकरीबन प्रति दिन 80 हजार ट्रक गुजरते हैं। 80 हजार ट्रक गुजरें और इनमें से आधे यानी 40 हजार सौ-डेढ़-सौ लीटर डीजल अगर लेते हैं तो अगर डिस्पैरेटी नहीं हो सेल्स टैक्स में हरियाणा और राजस्थान में तो 5 अरब, मतलब 500 करोड़ ज्यादा हमको रेवेन्यू मिल सकती है कमर्शियल टैक्स में। इस चीज को हमको कहीं न कहीं सुधारना पड़ेगा। हमारे विद्युत मंत्रीजी विराजे हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी विद्युत का कारखाना रातोंरात नहीं लग जाता। गेहूं का बीज डालने के बाद में चार महीने इंतजार करना पड़ता है। एक नवजात शिशु को जन्म लेने में भी 9 महीने का कार्यकाल लगता है। आखिर इनके कारखाने बिजली उत्पादन करेंगे तब की बात है। हमने कारखाने तो लगा दिये, सिर्फ कागजों में तो नहीं लगाये, वहां लग तो रहे हैं। जब उत्पादन होगा तो इस प्रदेश की जनता ही तो उसका इस्तेमाल करेगी। इसलिए किसी ने यह कहा है कि राजस्थान सरकार की उपलब्धि क्या है। इस राजस्थान सरकार की उपलब्धि अगर आप सुनना चाहें, सभापति महोदय, तो यह है कि जब हम सरकार में आये थे, what looked difficult became easy. It is only the impossible which is taking time. जिस बात की लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो नामुमकिन मानते थे उसको हम मुमकिन कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। और एक बात को कह कर मैं अपनी बात को विराम दूंगा।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आप सब यहां विराजे हुए हैं, बिजली का कारखाना तब लगेगा जिसके लगने के बाद उद्योग आएंगे लेकिन एक कारखाना आज भी आपके पास में है ह्यूमन रिसोर्स। राजस्थान का नागरिक किसी भी तरीके से अपने हुनर और स्किल में कम नहीं है। हम यह चाहते हैं कि अगर उद्योग में टैक्नोलोजी के पार्क लग रहे हैं तो लोजिस्टिक पार्क का लगना भी जरूरी है। क्योंकि वैट के बाद लोजिस्टिक पार्क लगने के बाद सी एण्ड एफ एजेंट की आवश्यकता नहीं पडेगी। ईस्ट, नोर्थ, साउथ और नोर्थ ईस्ट के कोरीडोर में बड़ी-बड़ी कम्पनियां डिवाइड हो जाएंगी। लोजिस्टिक पार्क में आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंडस्ट्रियल यूनिट के नाम से एक भौगोलिक क्षेत्र में देना पडता है, बाकी लाइट्स यूज करते हैं जो कि हम और आप यूज कर रहे हैं। उनके पास वेयर हाउस चाहिये, एनर्जी इंटेंसिव नहीं है, इलेक्ट्रिक पावर इंटेंसिव नहीं है। इस बात को अगर हम कर लें, लोजिस्टिक पार्क नार्थ वैस्टर्न ग्रिड का राजस्थान में लग जाता है तो आप यह मानिए कि वैट तो आप कलैक्ट करेंगे ही करेंगे, वैट कलेक्ट करने के बाद जब तक वैट लास्ट एण्ड पर जाकर होता है, तब तक आपके पास में वैट कलैक्ट किये हुए का पैसा जो वापस क्रेडिट करके आपको डेबिट करते हैं, तीन-चार महीने के लिये फ्लोटिंग कैपिटल आपके पास रहता है जिसका आपको ब्याज नहीं देना पड़ता है। अगर वह आपके यहां लग जाता है तो आपकी इनकम और रेवेन्यू में और इजाफा हो सकता है। विद्युत मंत्रीजी यहां पर हैं, हमारे जो पूर्व प्रेसीडेंट हैं उनकी एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और उसमें शायद आप लोगों ने कुछ की है। उन्होंने कहा है कि सोलर एनर्जी पर हमको डिपेंड करना पडेगा। सोलर एनर्जी की हमारे पास में आज की तारीख में रिसर्च है, उसमें से सिर्फ 30 प्रतिशत एनर्जी प्रिजर्व कर पाते हैं। जब तक सोलरसेल्स और सोलर एनर्जी को प्लस 45 प्रतिशत पर नहीं ले जाएंगे, तब तक एनर्जी क्राइसिस त्यों की त्यों पड़ी रहेगी। हम एनर्जी क्रीएट कर रहे हैं अर्थमैटिक रेशो से, हमारी डिमांड बढ़ रही है ज्योमैट्रिकल रेशो से। 4+4=8 कर रहे हैं, 4x4=16 हो रही है। एक तो उन्होंने यह सुझाव दिया था। इसकी रिसर्च स्वीडन में हो रही है, इसकी रिसर्च स्विट्जरलैण्ड में हो रही है। उन्होंने इस रिसर्च के बारे में 2006 की साइंस कांग्रेस के अंदर भाषण दिया था, पांच मिनट का भाषण इस पर केन्द्रित रखा है। दूसरा, उन्होंने जेट्रोपा के लिए कहा है कि जेट्रोपा की जो खपत है, जेट्रोपा की प्लांटेशन है उसमें आज भी एक से दो किलोग्राम प्रति प्लांट, या एक से दो टन प्रति हैक्टेयर उत्पादन कर रहे हैं, जब तक यह चार से छह पर नहीं आएगा तब तक जेट्रोपा बायोफ्यूल के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

हिसाब से इकोनोमिकली वायबल, कमर्शियली वायबल नहीं होगा। क्योंकि इकोनोमिक्स में छलांग लगानी है तो सिर्फ रिसर्च और डवलपमेंट से नहीं होगा, हमको उसको कमर्शियली वायबल करना पड़ेगा। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, सभापति महोदय आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय महिपाल सिंहजी मदेरणा साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस विधान सभा के सत्र में सम्मानीय मुख्य मंत्री, राजस्थान की वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट मेरे सामने था। मैंने जब प्रथम बार इस बजट को देखा, और बजट का अपना एक महत्व है। राज्य के विकास के लिए इसकी वित्तीय स्थिति सम्पूर्ण जन प्रतिनिधियों और जनता के सामने आनी चाहिए, इस विधान सभा के पांचवें और अंतिम वर्ष में, इसी क्रम में पांचवें बजट में मैं सहयोगी बनना चाहता हूं। वित्त मंत्री की बजट स्पीच इस सदन में उन्होंने प्रस्तुत की, उसके तथ्यों और आंकड़ों को मैंने देखा। बल्कि जब मैं दूसरी तरफ मेरे अनुभव से देखता हूं, जो वास्तविकता में अनुभव करता हूं तो जो बैलेंस शीट आपने दी है आंकड़ों की, वह किसान और गरीब का भला नहीं कर सकती। हमारी जरूरतें क्या है? सरकार को पता नहीं कि किसी गांव के किस आदमी की, आम आदमी की जरूरत क्या है। नहीं देखा आपने। हमारे पास साधन सीमित हैं फिर भी हम जानते हैं इस बात को कि हमारा प्रशासन कैसा है, What your bureaucracy is doing. You have not been able to control that bureaucracy. उसको घुण लग गया है और घुण लगने के कारण प्रशासन ने जनता की सेवा नहीं की अपने स्वार्थ को देखा। कितनी दक्ष है यह आप जानें, कितनी कुशल है आप जानें, लेकिन जो परिणाम देने चाहिए थे वे परिणाम पिछले चार सालों में नहीं आये हैं। वित्त मंत्री की अपेक्षाएं आवश्यक विकास क्या कर पाएंगी, दो बड़े शब्द अभी चल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण आपके इस बजट में हावी हैं। इसका मतलब प्रशासन कुछ नहीं करेगा और शासन की व्यवस्था कुछ नहीं करेगी। सारा निजीकरण को सुपुर्द कर दो- शिक्षा भी कर दो, सड़क भी कर दो, ऊर्जा भी कर दो, तो फिर शासन की व्यवस्था में आप क्यों आते हो? अगर निजीकरण करना पड़ेगा, मैं नहीं समझता, आपके इस निजीकरण से सिर्फ 20-30 प्रतिशत अमीर लोगों को फायदा हो रहा है या किसी न किसी की जेब भरी जा रही है। किसकी जेब में हिस्सा सिमट रहा है, मुझे नहीं मालूम। (व्यवधान) आपको तो सब मालूम है। आप भी चुप थे, हम भी चुप थे। आप नहीं बोले, हम भी नहीं बोले। ऐसी स्थिति ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने अपना धर्म नहीं निभाया ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): कई धर्म निभाएंगे। (व्यवधान) अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखें, बड़े गौर से सुना, चार साल में पहली बार बोल रहा हूं और बड़े ध्यान से, महावीरजी, लिखकर लेकर आया हूं, ऐसा-वैसा सोच नहीं है मेरा। मेरी हालत तो उस कबीर दास जैसी है, कहते हैं कबीर दुखिया दास, कबीर है जो वो, सो रोवे। अगर हम संवेदनशील हैं तो जो देखते हैं उसमें दुःखी होने से नहीं बच सकते1 हम कितने विकास के दावे करें, पर आपके बजट से आधी आबादी को न्याय नहीं मिल रहा, यह स्थिति है। वास्तविक स्थिति, न्याय नहीं मिल पा रहा। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आधी आबादी महिलाओं की है, उनको तो पूरा ही दे दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। आपको मौका आए तब बोल देना।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बढ़ती महंगाई, घटती कमाई, रोजगार के साधन नहीं, आजीविका जो गरीब है उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। (व्यवधान) मेरे लिए बजट और योजना निर्माण की क्रियान्विति उसकी कसौटी है, इस बजट की क्रियान्विति ही आपकी कसौटी है। अभी कोई कह रहे थे, नाथद्वारा के आने वाले, इस बजट को अगर परिणाम तक पहुंचना है तो उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी है। इससे ऊपर की तुलना और नीचे वाले का अधिकतम भला हो नहीं पा रहा है, यह आपको देखना है। मैंने जब बजट भाषण सुना, जोधपुर के एक नेशनल चैनल पर थोड़ी-सी झलकी दिखी थी, मैं मानता हूं मुख्य मंत्री की प्रस्तुति वाकई जंचने वाली थी। उनकी मन ही मन मुस्कान थी और तिरछी नजरों से आपको देख रही थीं, हमारे ऊपर पता नहीं कौनसी नजर से देख रही थी ...(व्यवधान) आप ही तो तिरछी नजर फेंक रहे थे उन पर। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): गैरों पर करम अपनो पर सितम। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने टीवी स्क्रीन देखी, वित्त मंत्री के विश्वास की तुलना उनके व्यक्तित्व में और ज्यादा थी। दूसरे वर्ष के बजट में उनका आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा था। आपने तो उनको बढ़ने नहीं दिया, उनका सेंसस उन्हीं के कारण बढ़ता रहा।

(श्री महीपाल मदेरणा)

मैं ज्यादा नहीं कहकर, लोकतंत्र में अगर कोई जीत होती है तो भरोसे से होती है। जनता का विश्वास जीतो। जनता का विश्वास अभी आपके साथ नहीं है। परन्तु जब दूसरी ओर नजर गई भाजपा कामों को रंगीन चश्मे से देखने की अभ्यस्त पड़ गई है। आप नीचे हकीकत नहीं देख रहे हो, हकीकत से बेखबर रहकर शब्दों की सजावट में अगर रह गये तो, कभी भाजपा ने नारा दिया था इंडिया शाइनिंग, नकल चमक जैसी, It is not a very shining budget. आपके आंकड़ों में आप कहते हैं इनवैस्टमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, वैसे ही जैसी नकल चमक है। जो इनवैस्टमेंट की आपने बात की है, इनवैस्टमेंट अभी लगा नहीं, that is only an assurance. आपने कितना साइन किया, कितना वह लगेगा, उसके बाद राजस्थान की क्या तस्वीर होगी? अच्छी तरीके से राजस्थान को देखो। जो आपको दिखाई देता है, वैसा नहीं दिख रहा है। आपने क्या किया? पूरे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट भव्य समारोह कर रहे थे, स्थापना दिवस में लगे हुए थे, अन्य जगह नौकरशाही द्वारा प्रकाशित मैग्जीन के अंदर इतना पैसा खर्च किया। मुझे अच्छा लगा। लोगों ने और मीडिया ने इस बात को कहा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री कैटवाक कर गईं। बड़े विश्वास से किया, हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने भी किया। बल्कि मैं उनकी बोल्डनैस की तारीफ करता हूं। गांव के अन्दर हमारे यहां रात को रातजगा होता है और लुगाइयां नाच करती हैं और हम सब देखते हैं, उस कला को देखते हैं। कैटवाक कर लिया और भाजपा को, कुछ लोगों को उसमें आपत्ति हो गई, मीडिया को हो गई। मैंने कहा, she has very boldly done. आजकल की लड़कियां, मैं तो रोज समारोहों में, टीवी में यही देखता हूं। और उन्होंने किया, उन्होंने अपनी एक कला का प्रदर्शन किया, किसी के लिये किया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं उनकी बोल्डनैस पर। आलोचना करना तो अच्छी बात नहीं है, मैं उनकी तारीफ करुंगा इस बोल्डनैस। आपके दल की कोई चमक नहीं है। आप तो महिलाओं को सराहो तो थोड़ा नजदीक पहुंच जाएंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): आप में भी वही है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप सुनें तो सही, सुनिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी महिला ने क्या कहा? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): कौनसी महिला ने?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी धर्म-पत्नी ने।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरी धर्म-पत्नी ने? स्वतंत्र है, कह सकती है। मैं मुख-बन्द लगा सकता हूं क्या उसके ऊपर? आपने अभी जो बात कही, ऐसा लगता है आप सोनिया गांधी से मिलकर आ रहे हो और मेरी पार्टी जाइन कर रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो कांग्रेस में ग्रह लग गया न...

श्री सभापति: विराजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपको जो बात कहनी नहीं चाहिए, आप यहां के मुख्य सचेतक हैं, एक मजाक में आपने कह दिया, परसरामजी मदेरणा का नाम लेकर, you must feel sorry about it being a senior legislator. यह मजाक का सदन नहीं है। यह राजस्थान की साढ़े पांच करोड़ जनता की गरिमा और गौरव का सदन है।

अब आप बंद कर दो ये समारोह वगैरह। अभी कह रहे थे पाली से आये हुए कि यह अटैची दी है, व्हील वाली। यह व्हील, कई इसके ऊपर बैठकर अब निकल जाएंगे। निकलने की सम्भावना है।

राजस्थान की जमीन की झलक देखो, उससे दूर मत होओ, काम करो। मंत्री जाएं, गये नहीं। प्रभारी मंत्री कुछ कर भी नहीं कर सके।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन्होंने झलक नहीं, चमक देखी।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): चमक तो आ गई कि सारी जगह भू-सम्पत्तियों को बेच दिया, नगर निगमों को। अभी आऊंगा मैं शहरीकरण पर, थोड़ा-सा मेरा...

मेरी दृष्टि में राजस्थान के बजट से लगता है कि आपका काफी धन गैर-जरूरी कामों में, फिजूलखर्ची पर खर्च होता रहा। किसी ने नहीं देखा। नौकरशाही के ठाठ पर खर्च हो गया। कोई भी नौकरशाह आए, सर्किट-हाउस में नहीं ठहरता। फाइव-स्टार होटल से नीचे नहीं ठहरता है। हमारे लिये भी व्यवस्था कराते, सरकार का दायित्व बनता है। वैसे आप कहते हो कि आप चीफ सैक्रेटरी के बराबर हो, वाकई? दो मापदण्ड नहीं होने चाहिए। वैसे बजट गांव के लिये नहीं है। आपका अधिकतम धन गांव के विकास को मिलना चाहिए और ग्रामीण जनता के लिये पहुंचना चाहिए जो परिलक्षित नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री महोदय, यह हकीकत है। जिसके लिये वहां तक आपको

(श्री महीपाल मदेरणा)

क्रियान्विति तक पहुंचना पड़ता है। फिर भी जनता यह मानती है कि हमारे लिये चार साल बजट के गये, हमारे पैसे की छीजत कहां गई। जनता समय आने पर आपको नहीं बख्शेगी। जनता में घर कर गया है, इस छीजत में या तो हमारे जन-प्रतिनिधि इन्वाल्व्ड हैं या टाप-ब्यूरोक्रेट्स इन्वाल्व्ड हैं। मजे की बात है कि इनकी सूक्ष्म दृष्टि, पैनी नजर अपन सभी जन-प्रतिनिधियों को देख रही है। इसलिये आपसे, राजस्थान की वित्त मंत्री से यह अपेक्षा करुंगा कि वह गांव के उस गरीब को देखे।

सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय बार-बार विपक्ष की तरफ संकेत कर रही थीं, कुछ आपत्ति थी। क्या कहना चाहती थी? कि प्रदेश का योजना व्यय और विकास केन्द्र से प्राप्त होने वाले धन के सहारे चल रहा है। मिल रहा है, आपके रिकार्ड में है, मिल रहा है। वित्त मंत्रीजी यह अच्छी तरह से जानती हैं। और इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, मिल रहा है। आपको आपके अधिकार से मिल रहा है। बल्कि आपको विपक्ष की बात को बड़े गौर से और विचार से सुनना चाहिए। जब हम बात कहते हैं तो समझते हैं कि जनता की बात आपके समक्ष पहुंचे। उसके लिये ही यह सदन है। जो पैसा जनता के लिये मिल रहा है, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे आपका हो, सबको पता रहना चाहिए। सबसे ज्यादा उसका खर्च सही रूप से हो। उसकी जिम्मेदारी जो सरकार में है उसकी होती है। अगर आप छिपाना भी चाहोगे तो छिप नहीं सकता है। इस सौ पेज के बजट भाषण में 218 पैराग्राफ वाला बजट है, उसमें केन्द्र से प्राप्त होने वाली रिसीट्स का उल्लेख है। वही बजट भाषण में भरा रहता है। इन तथ्यों को स्वीकार करने में संकोच क्यों? केन्द्र से धन पाना आपका अधिकार है, राजस्थान की जनता का अधिकार है। राज्य अपने आय-व्यय के संसाधनों का विकास करने में पूर्ण रूप से पिछड़ रहा है। आपके बजट की स्थिति एक ऐसे व्यक्ति जैसी है, बुरा मत मानना, जिसका गुजरा बसंत हो। अपनी कमाई कम, बाहरी मदद ज्यादा। कर्ज के सहारे आपका बजट चल रहा है। राज्य की जनता के सामने सब आना चाहिए। सरकार की सब योजनाओं का पता होना चाहिए। विकास की योजनाओं का, निर्माण की योजनाओं का, स्कीमों के लिये केन्द्र से प्राप्त पैसा। कर्ज लेकर कैसे चलाते रहोगे? सर्व शिक्षा अभियान के लिये पैसा मिला, पेयजल के लिये मिला, शहरी विकास के लिये मिला, ग्रामीण आवास के लिये मिला, रोजगार गारण्टी के लिये मिला। और क्या बताऊं आपको। यह जो भी पैसा मिलता है उसके बाद इस बजट भाषण

(श्री महीपाल मदेरणा)

के आरम्भ से अन्त तक हम देखते हैं, राज्य में कई तरह के काम अब निजी क्षेत्र में करने का मानस बना लिया गया है। शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सड़क क्षेत्र में कई बड़ी संस्थाओं का निर्माण निजी क्षेत्रों में हो रहा है। बजट भाषण में ईमानदारी से सरकारी व निजी क्षेत्र के प्रयासों से बनाई व चलाई जाने वाली इन संस्थाओं का उल्लेख होना चाहिए। कौन-कौन हैं, कौन-कौन निजी क्षेत्रों में आये और क्या-क्या काम किया है, उसका भी इस बजट में उल्लेख होना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य में देखें, 80 प्रतिशत तक आपका काम निजी हाथों में चला गया। इसके क्या प्रभाव होंगे और क्या परिणाम होंगे? इस जनतंत्र में कल्याणकारी राज का निर्वाह करने की कसौटी और दायित्व आप पर है। अपने अनुकूल और प्रतिकूल बाधाएं न बन जाएं। उदाहरण के लिये मैं मानव संसाधन विकास, बजट के पैरा 26-27 का उल्लेख करते हुए, घनश्यामजी, शिक्षा के विस्तार, सर्व शिक्षा के बारे में इस सरकार से इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे सिर्फ 90 कालेज हैं, and we are not being able to give better education. It is written. और निजी क्षेत्र में इन 4 सालों में इनकी संख्या 791 हो गई है। तो सरकारी कालेजों से निजी क्षेत्र में कितने बढ़ गये? मैं अनुभव करता हूं कि यह शिक्षा पूंजीवादी कारोबार का रूप है। आपको सब पता है। बच्चा सीनियर सैकण्डरी करने के बाद इंस्टीट्यूशन के जाल के अन्दर, एक चक्री में फंस गया है। इस जाल में फंस गया है। इनके निर्माता कैसे हैं, इनके संचालक कैसे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। वे कभी शिक्षा जगत से जुड़े हों तो। अपनी दुकानें लगा-लगाकर बैठ गये हैं। कालेजज लगा-लगाकर बैठ गये। शिक्षा की व्यवस्था में गरीब और साधारण आदमी को जो ये प्राइवेट कालेजज हैं, उनमें एडमिशन भी नहीं है, इतने खर्चीले हैं। इस खर्च के कारण वह वहां पर पढ़ भी नहीं सकेगा, इसलिए गरीब आदमी के पिसने का इस निजी क्षेत्र में पूरा इंतजाम है। कितना मुश्किल है, कितनी मुश्किल से गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है। बंद करो इन खर्चीले कालेज को। सरकारी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय के प्रति जो आकर्षण बढ़ता जा रहा है और सरकारी स्कूलों के प्रति यह जो एक ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कृपया, मंत्रीगण बात नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मंत्रीगण आपस में बात कर रहे हैं, कृपया सदन की गरिमा तो बनाये रखें आप लोग। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, कैबिनेट मंत्री तो ख्याल रखें।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सरकारी क्षेत्र के अन्दर... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। नोट कर रहे हैं। लिख भी रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): ऐसा है सरकारी... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सारे लोग नहीं सुन रहे हैं। आप अकेले सुन रहे हैं, यह तो बहुत अच्छा, आप परम विद्वान हैं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आज यह देखिये कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कालेजज के प्रति जो आकर्षण कम हो गया है, और जो घटता जा रहा है, वह एक मापदंड है आपके बजट का। ऐसे सरकारीपन को अगर काठ मार गया है तो हटाओ उसको। खराब है तो क्या करना है? निष्क्रिय और नाकारा लोगों को हटा दो अब। करो। कामचोरों को हटा दो। सरकार आपकी है। सीमित संस्थाओं से, निजी क्षेत्र के कारण, और बढ़ावा दो निजी क्षेत्र को कि ये लुटेरे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इनको बहुत सोच-समझकर देना चाहिए, कालेज विश्वविद्यालय वगैरह। भले ही इसके लिए कोई रैगुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया आपने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बजट में कहां है?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): Now you will do it. उससे पहले तो लूट मचा दी उन्होंने। नहीं, उसकी सोशल आडिटिंग होनी चाहिए विभाग की। अगर आपने इसका रैगुलेटरी सिस्टम नहीं बनाया और इसकी सोशल आडिटिंग नहीं करायी तो ये आपके कब्जे में भी नहीं रहेंगे। एक नया माफिया ग्रुप आप पनपा दोगे। मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से बड़े दबंग से काम करना चाहिए, दबंग जलवे वाली मुख्य मंत्री हैं आपके पास और घनश्याम तिवाड़ी चुप बैठते हैं ...(व्यवधान) अब छिन गया, वह तो थे ही। चार साल का बताएंगे, लेखा-जोखा तो जनता में इन्हीं को बताना है।

इस बजट के पैराग्राफ 39, 47 की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा- शहरी विकास और व्यवस्था। राज्य सरकार का विभाग भी इसमें है। जन-प्रतिनिधि की संस्थाएं-नगरपालिकाएं हैं, नगर निगम हैं। निष्क्रिय हो गयी हैं नगरपालिकाएं, इनके पास आमदनी का सोर्स नहीं है, छोटी छोटी नगरपालिकाएं। नगर निगम में तो बहुत पैसा आ रहा है। कभी भी तकनीकी दृष्टि से उनको पर्याप्त करने का हमने प्रयास नहीं किया। वही कारण रहा,

(श्री महीपाल मदेरणा)

नवीनतम दक्षता वाले लोगों को उसके अन्दर नहीं जोड़ा। घोर राजनैतिक पक्षपातपूर्ण काम करने में ये संस्थाएं लगी रहती हैं। बिजली, सड़क, सीवरेज, सफाई, शहरी विकास के लिए ए.डी.बी. का लोन लिया, केन्द्र के कर्जे पर आधारित योजनाएं चलायीं, कार्यक्रम चलाये, वे जनता की सेवा के लिए थे और वे चलाने चाहिए थे। ठीक से नहीं चल रहे थे, इसमें कई परेशानियां भी होती हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): प्रद्युम्न सिंहजी ने शुरूआत की थी ए.डी.बी. की।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): किसकी? ए.डी.बी. की। मैं उसका एक छोटा-सा उदाहरण आपके समक्ष पेश करता हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बंद कर देते। बंद कर देते हमारी योजना थी तो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैंने तो इनका ध्यान आकर्षण किया है कि यह काम इनका है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो आप बंद कर देते न, महाराज। बाकी के शेयर क्यों ले रहे हो अब आप? बाकी के शेयर काहे के लिए ले रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: आदरणीय मदेरणा साहब, कनक्लूड करने की कृपा करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह क्या बंद कर देते, यही बंद कर दिये गये खुद ही विभाग से। क्या बंद करते यह उसको? (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): I will conclude within two minutes. Nothing doing. ये जे.डी.ए., कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, नगर निगम, मैं आपको यह कहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): शुरूआत हुई है, साहब, अभी तो। पहली दफा बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, पहली दफा बोल रहे हैं, इनको टोकना नहीं चाहिए।

श्री सभापति: मैं इसीलिए ज्यादा नहीं बोला कि पहली दफा बोल रहे हैं। नहीं, बोलिये आप। नहीं, बोलिये। मैं तो टोक नहीं रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): 90 परसेंट शहरीकरण में आपको बजट हुआ है भारत सरकार से। जे.डी.ए. को मिला, कारपोरेशंस को मिला, म्युनिसिपैलिटीज को मिला, नगरपालिकाओं को मिला। लेकिन आम आदमी वहां खड़ा होकर क्या कहता है आपको, कभी आपने सुना? काम नहीं होते। जिस उद्देश्य से जाते हैं, उसके विपरीत कार्य होते हैं। नगर एक तरह से नरक बन रहे हैं। सौन्दर्यता के नाम पर मत लूटो। इन अनइन मत करो। सौन्दर्यकरण कर रहे हो, लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हो और जो सौन्दर्यकरण के नाम से आपको पैसा मिला है उसकी लूट हो रही है। बड़े-बड़ चौराहे, कहां जरूरत है सौन्दर्यकरण करने की? पहले तो सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा करो। शिक्षा नहीं कर सकते। बल्कि दूसरी एक बड़ी विचित्र चीज हो रही है, इन यू.आई.टीज. के अन्दर, मूल्यवान भू-सम्पत्तियों को बेच कर अनप्रोडेक्टिव थिंक्स में अपना पैसा लगा रहे हैं। आज इतनी वैल्युएबल आपकी प्रापर्टीज हैं, जिनको कौड़ियों के भाव वे बेच रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम सौन्दर्यकरण कर रहे हैं। उनका विकास था। नये आवास बनाओ, नई योजना बनाओ, सस्ती जमीन दिलाओ। वह उद्देश्य तो भूल गये। मेरे जोधपुर में गौरव पथ बन रहा है, पहले भारत सरकार से शहरी विकास के नाम से साढ़े नौ करोड़ रुपये मिले। फिर देखा गया तो साढ़े बारह करोड़। मैंने कहा कि इतनी जल्दी! इतनी जल्दी स्वीकृति भारत सरकार से ले ली इन्होंने, 15 करोड़। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आपके सामने है न वह?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): हां, मेरे सामने है। रोज देखता हूं मैं उसको। वह तो इनको लेकर जाएगा, उखाड़ कर जाएगा वह तो, जोधपुर का जो गौरव पथ है। हां करना चाहिए। थोड़ा सौन्दर्यकरण होना चाहिए। एक सीमित साधन में होना चाहिए। लेकिन सौन्दर्यकरण में जितनी लूट मची है इसको बंद करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): बना तो सुन्दर है न?

श्री सुरेन्द्र गोयल (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास): क्या चाहते हो आप? नहीं, आप क्या चाहते हो?

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): देखिये, मैं बताता हूं, क्या चाहता हूं मैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): कितना सुन्दर बना है!

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): सुन्दरता को क्या देखोगे? आपने उस कच्ची बस्ती में काम नहीं किया जिसकी नाली चोक हो रही है। आपने उस बस्ती के अन्दर सड़क नहीं बनायी जिसको आपको बनाना चाहिए। उसका हक था उस पैसे के लिए। उसके ऊपर तो हमारी कारें चलेंगी या नौकरशाहों की कार चलेगी। वी.आई.पी. कार में या तो कभी कटारियाजी चलेंगे या घनश्यामजी तिवाड़ी, उनके लिए यह सड़क है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपके पास में ही है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मेरे पास में ही है। मैं तो रोज नमस्ते करूंगा आप आओगे तो।

मैं ज्यादा नहीं कह कर मेरी बात को विराम देने से पहले कहना चाहता हूं, वाकई महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत, यह स्वागत योग्य है। एक क्रांतिकारी कदम राजस्थान की मुख्य मंत्री ने उठाया है। इसके प्रभाव मेरी दृष्टि में बहुत व्यापक होंगे। शायद आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, महिलाओं का समग्र विकास होगा, चहुंमुखी विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को सुनहरा अवसर मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में भी वे आगे आएंगी। वे पिछड़ रही हैं अभी, राजस्थान के अन्दर जहां मैं देखता हूं। राजनैतिक रूप से भी उनको सबलता मिलेगी। राजनैतिक रूप से भी आपको तो बल मिले या नहीं मिले, वसुन्धराजी को जरूर मिलेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन्हीं को मिलना चाहिए।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): तो फिर आप क्या बजाओगे? तो फिर आप क्या करोगे?

श्री सभापति: माननीय, अब समाप्त करिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो आप बजाओगे, वही हम बजाएंगे। (व्यवधान) तो फिर आप क्या करोगे? (व्यवधान) मदेरणाजी मेरे गुरू हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप मेरे गुरू हो। सबसे बड़ी बात, आरक्षण से जो व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जनसंख्या के समाधान में आपको योगदान मिलेगा। विकास की योजनाएं हैं, जिस तरह से जनसंख्या पर कोई नहीं बोल रहा है, संजय गांधी ने कुछ काम किया। पुराने सदन में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जनसंख्या वृद्धि पर सेमीनार आयोजित की थी, वह मुख्य मंत्रीजी उप राष्ट्रपति बन गये। उसके बाद जनसंख्या का कार्यक्रम इस तरीके

(श्री महीपाल मदेरणा)
से किया जाए, किसी ने नहीं सोचा। अगर महिलाएं शिक्षित हो गयीं और आरक्षण का फायदा इनको मिल गया तो यह आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। बल्कि इसका एक और पहलू है। इस घोषणा की क्रियान्विति कैसे सुनिश्चित करेंगे? यह बड़ा लुभावना लग रहा है, चुनावी बजट है आपका, यह घोषणा मात्र नहीं होकर रह जाए, मुझे अंदेशा है। इसकी क्रियान्विति समय-समय पर हो। एजेंसी का मूल्यांकन होना चाहिये। क्रियान्विति अगर नहीं हुई तो ऐसी घोषणाओं का क्या होगा? आई अगेन रिपीट, इसकी आडिटिंग होनी चाहिये। मुख्य मंत्रीजी की पुरानी घोषणाएं, आपको मालूम होगा वह बीकानेर के दौरे पर गयी थी ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: माननीय मेरा अनुरोध है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): बस ओनली वन मिनट, सर वन मिनट।

श्री सभापति: नहीं, टोक नहीं रहा हूं।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप भी मुस्कुरा रहे हो, बोलने तो दो।

श्री सभापति: अच्छा लग रहा है आपका बोलना। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): मुख्य मंत्रीजी विजिट पर गयीं, मुख्य मंत्रीजी की 59 घोषणाओं पर आपके प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसी घोषणा इस महिला आरक्षण की नहीं होनी चाहिये। इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे। यह आशा और विश्वास मुझे है। अब आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, महावीरजी कह रहे हैं कि आपकी श्रीमतीजी ने कुछ कह दिया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सही कहा है।

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आपने कहा न? आपको भी अंदर ही अंदर पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में नहीं आएगी। (व्यवधान) सुनो-सुनो, अंदर ही अंदर आपको भी पता है, डर है इसलिए ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अंदर पता है, बाहर आ गयी। (व्यवधान) जो अंदर पता है वह बात बाहर आ गयी। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (भोपालगढ़): आप सुन तो लीजिये। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आने का प्रश्न ही नहीं। हां, वसुन्धराजी आ सकती हैं।

(श्री महीपाल मदेरणा)

उसमें आपका योगदान नहीं होगा। मुख्य मंत्रीजी की कल्पना को कोई नहीं पकड़ सकता। उनके सपनों को कोई नहीं पकड़ सकता। (व्यवधान) न-न, आगे सुन लो, आगे सुनो आप। वह जीतेंगी तो बाहरी मित्रों के सहयोग से ही जीत सकती हैं, आपकी सत्ता से नहीं जीतेंगी। और आप कांग्रेस को कमजोर मत समझना। (व्यवधान) आप तो 2 तारीख को कांग्रेस के परिवर्तन की झलक देख लेना, कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, यह बात मैं आपके माध्यम से कहकर जाता हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप तो अशोकजी को नेता बनाकर रखो। (व्यवधान) आप तो अशोकजी को नेता बनाकर रखो, चिन्ता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, विराजें अब। माननीय रामप्रतापजी कासनिया। एक मेरा अनुरोध सुन लीजिये आप सभी माननीय सदस्य, क्योंकि काफी समय दिया है आज। कुछ ऐसे वक्ता थे, आदरणीय मदेरणा साहब कम ही फर्माते हैं इसलिए ज्यादा समय दे दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खींचें। जो अपने पते की बात हो, वह दस-दस मिनट में कहने का कष्ट करें। आदरणीय कासनियाजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट को पढ़ने से यह महसूस होता है कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश है। छोटी से छोटी जगह पर झुग्गी-झोंपड़ी में बैठा हुआ आदमी भी इस बजट से जुड़ा है। हर वर्ग का इस बजट में खयाल रखा गया है। वह चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, कोई भी चीज इस बजट से अछूती नहीं रही है। अब आंकड़ों में तो जाना मेरे बस की बात नहीं और समय की भी आपने पाबन्दी लगा दी। पिछले दो-तीन रोज से हाउस में बजट पर बहस चल रही है, कोई बोल रहा है पैसा केन्द्र से आया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सभापति महोदय, मैं तो इतना जानता हूं कि इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद धरातल पर काम किये। कार्य हुए हैं वे गांव में दिखाई दे रहे हैं जहां कहीं भी जाओ। जहां प्राथमिक विद्यालय थे, वहां मिडिल स्कूल हो गये। टैन प्लस टू सैकण्डरी अध्यापकों की भर्ती, गांव-गांव पक्की रोडों से जुड़ना और पेयजल के संबंध में तो मैं क्या कह रहा हूं, पूरा प्रतिपक्ष संतुष्ट है इस बात से

(श्री रामप्रताप कासनिया)

कि पेयजल की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से इन पिछले चार वर्षों में हुई। बहुत सराहनीय है और पक्ष-विपक्ष दोनों ने इसको सराहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब रहा सवाल पैसा आने का, फलां योजना में केन्द्र से इतना पैसा आया, फलां योजना में केन्द्र से इतना पैसा आया, सभापति महोदय, राजस्थान केन्द्र का हिस्सा नहीं है क्या? क्या इसका अधिकार नहीं है? क्या इसका हिस्सा रोका जा सकता है? पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर भी केन्द्र के अंदर राजस्थान का हिस्सा होता था। यह तो काम करने की कुशलता, बुद्धि, वित्तीय प्रबन्ध करने की क्षमता होनी चाहिये। वित्तीय प्रबन्ध इस सरकार ने जिस तरह से किये हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए, कम है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपने किसानों के लिए कोई चुनाव को देखकर ओलावृष्टि में मदद की थी? पिछले वर्ष वह कोई चुनावी साल नहीं था, आपने शुरूआत पहले कर दी। पाला, शीतलहर के ऊपर किसानों को आपने जो सहायता दी है, वह आपने पूर्व में घोषणा कर दी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही तारीफ के काबिल बात है। मैंने 18 तारीख को इस हाउस में कहा था कि केन्द्र की मजबूरी है। मेरे विपक्ष के साथियों से निवेदन किया था कि केन्द्र सरकार से मांग करो कि किसानों के लिए कोई स्थाई समाधान हो। परन्तु, सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने किसानों का जो कर्जा माफ किया है, कुछ हद तक तो मैं इसको ठीक समझता हूं, परन्तु कटोरा तो किसान के हाथ में वैसे का वैसे ही रहेगा। केन्द्र सरकार हकीकत में इन काश्तकारों की मदद करना चाहती थी तो उनको कोई स्थाई घोषणा करनी चाहिये थी कि जब तक किसानों की फसल प्राकृतिक प्रकोप से ...(व्यवधान) क्या कर दी, कुछ नहीं। बजट मैंने सुन लिया, अनपढ़ हूं पर मेरी बुद्धि काम कर रही है। स्थाई समाधान वह होता है, सभापति महोदय, कि शीतलहर, ओलावृष्टि चाहे किसी भी तरह से कोई नुकसान हो, प्रति बीघा दस हजार रुपये फसल के हिसाब से, जितनी मंहगी फसल है, ज्यादा खर्च होता है, उसके अनुपात में अलग-अलग फसल का प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा एक कलम से तय हो जाना चाहिये ताकि हर दिन भिखारी की तरह काश्तकार कभी जयपुर, कभी दिल्ली जाकर भीख नहीं मांगे। अगर स्थाई समाधान केन्द्र सरकार करती तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता।

(समय : 15.00 बजे)

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पर, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देखा देखी साजै जोग, सीजै काया बंधे रोग। यह स्टेट के अन्दर वसुन्धराजी ने जो पहल की, इस वर्ष नहीं पहले भी, किसानों के लिए अगर किसी ने कोई सोचा है तो वसुन्धराजी की सरकार ने किसानों के लिए शुरूआत की है। बोलें क्या, सच्चाई है। शुरूआत करने वाले को ही धन्यवाद मिलेगा, देखा-देखी कोई रिपीट करे, अब मैं आपकी बोली हुई बात दोबारा यहां रिपीट करूं तो इस हाउस में बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने एक श्लोक कहा था, और वो हमारे गांवों में बहुत ही प्रचलित है, कि जब हम अपने खेत में अनाज बोने के लिए जाते हैं तो शावड़ माता है, उससे किसान मांग करता है कि कीड़ी को दे, कमेड़ी को दे, कारू को दे, कमीन को दे, आवारा पशु को दे, चोर को दे, चकोर को दे, राजा को दे और घर आये हुए मेहमान को दे, साधु संत को दे और बचाखुचा थोड़ा बहुत हो तो मेरे परिवार को दे। इस तरह की मांग करने वाला किसान आज बहुत दुःखी है। और दुःखी है केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण से। इतना पैसा। अभी फिजूलखर्ची की बात हो रही थी, केन्द्र की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, मूल रूप से हमारे गल्ले की चाबी केन्द्र के पास है। हमारे राज्य के साधन सीमित हैं, केन्द्र के पास जो बजट है, जो तिजोरी है वह बहुत बड़ी है। इससे सौ गुना बड़ी है। केन्द्र चाहे तो किसानों का स्थायी समाधान कर सकता है पर फिर भी, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सहायता दी है, उसमें कुछ और देओ, लक्ष्मी आप पर मेहरबान है, आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। पूंजीपति लोगों की तरफ जो बकाया है, करोड़ों रुपये शराब के ठेकेदारों पर बकाया हैं, कारखानों के मालिक जो हैं बड़े-बड़े, उनकी तरफ बहुत बकाया है, उन लोगों से सख्ती से पैसा वसूल करके काश्तकारों को दे दिया जाए तो खजाना आपका वापस भर जाएगा।

सभापति महोदय, अभी कह रहे थे कि सत्ता में कांग्रेस आएगी, समय बतायेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चाहे कितनी ही बड़ी तकलीफ हो, कितनी ही बड़ी रिस्क उठानी पड़े, इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें और कोई न कोई घोषणा करें जिससे काश्तकारों का स्थायी कोई समाधान हो। सामर्थ्य के अनुसार। मैं यह नहीं कहता दस हजार रुपये बीघा करो, जितनी स्टेट की सामर्थ्य है उस हिसाब से करनी चाहिए।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

सभापति महोदय, खेती की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। किसान के हाथ में कुछ नहीं बचा है। उसने बीज डाल दिया, खाद डाल दी, पेस्टिसाइड डाल दी, सारा खर्चा जितना होना चाहिए था वह हो गया और अब जब खेत की तरफ जाता है तो मायूस होकर वापस चला आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, दिल खोल कर किसानों की सहायता करें। सख्ती से जो पुराना बकाया पड़ा है, मैं एक-एक चीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब समझते हैं, राज करने वाले के पास सख्ती है, सब कुछ है कि कितना पैसा कहां बकाया पडा है, किसमें पड़ा है, किस तरह से वसूल करना है, किया जा सकता है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ...

श्री सभापति: अब एक मिनट में समाप्त करें आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): एक ही मिनट में, साहब? अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो कुछ चालू ही नहीं किया।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं पूरे सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान विधान सभा का गौरवशाली इतिहास समाप्त होता जा रहा है। जिस तरह का यहां पर वाद-विवाद हो हल्ले में, मैं किसी एक पक्ष का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक के अन्दर अब यह चर्चा होने लग गयी है कि, देखिये, हमारी विधान सभा और लोक सभा में क्या हो रहा है। हमारे खून-पसीने की कमाई लग रही है, हमारे लिए कोई कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पक्ष की कोई बात नहीं हो रही है और हो हल्ले में समय बर्बाद होता जा रहा है। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आजकल जो टीवी वाली बीमारी है इससे गांव के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति यहां का दृश्य देख रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें अब। बजट के बारे में तो कुछ नहीं कहना है आपको? आदरणीय, विराजें आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, नहीं, बजट के बारे में बोल रहा हूं अभी।

श्री सभापति: विराजें आप, इधर-उधर की बात कर समय जाया नहीं करें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री सभापति: कोई बात करो, मूल बात करो आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मूल बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: इधर-उधर की बात क्यों कर रहे हो आप? जल्दी करो अब आप।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, चक 29 एस टी जी 15-20 गांवों का आवागमन है और सूरतगढ़-हनुमानगढ़ रोड से 29 चक एस टी जी को पक्की रोड लिंक बनी हुई है, बीच में घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है, 100 मीटर से कम है, अगर वहां पर पुल का निर्माण कर दिया जाए तो 10-15 गांव के लोगों के आवागमन का रास्ता सही हो जाए। कम से कम 15 किलोमीटर उनका सफर कम होगा, बचत होगी।

सभापति महोदय, इसी तरह से नेशनल हाई-वे नम्बर 15, सूरतगढ़ से भोजेवाला गांव को एक कच्चा रास्ता जाता है, वहां घग्घर डिप्रैशन है, घग्घर डिप्रैशन पर पुल बनाकर बारह किलोमीटर रोड भोजेवाला गांव तक, सूरतगढ़ नेशनल हाई-वे नम्बर 15 से वाया एक-दो के एस पी एम भोजेवाला तक, अगर पक्की रोड बना दी जाए और पुल का निर्माण कर दिया जाए तो, सभापति महोदय, कम से कम 25 किलोमीटर आवागमन का रास्ता बीस-पच्चीस गांवों का कम हो जाएगा और लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति: विराजें आप, विराजें।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: बहुत अच्छी बातें कह दीं आपने। आदरणीय अर्जुनलालजी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): सभापति महोदय, कुछ नहीं कही, मैं सब समझता हूं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, खेल मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में प्रीतसर गांव का एक लड़का है जसपाल सन आफ रामकरण ओढ़ जिसने 200 मीटर की दौड़ और 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है, उस लड़के ने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर और अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक स्वर्ण पदक हासिल किये हैं, उसके पास लगभग, कम से कम 700 ग्राम सोने के मैडल हैं, पर उसको अभी तक किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है।

(15.09 बजे)

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़ ,सभापति ,पदासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बच्चे के लिए सरकार कोई पैकेज दे, कोई सहायता दे। आर्थिक रूप से बच्चा बहुत ही कमजोर घर का है, बहुत ही दयनीय उसकी स्थिति है। रेलवे के अन्दर फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए कल ही वो यहां आया है, इन्टरव्यू है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस बच्चे की किसी न किसी रूप में जो भी सहायता सरकार कर सकती है, वो करे।

सभापति महोदय, मुझे पता है अब आप भी घंटी बजाओगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) बजा ही दी।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर वरन् अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी, जो बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। अभी हाल ही में रीसर्जेंट राजस्थान जो सम्पन्न हुआ, उसमें हमारे इस प्रदेश के कई प्रवासी भारतीयों ने, कई कम्पनियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस प्रदेश में निवेश करने का जो मानस बनाया, वह सब के सामने उदाहरण है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन-चार दिन से माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों के तर्क-वितर्क और इस बजट पर चर्चा मैंने सुनी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है 2008-09 का, सभी वर्गों के लिए-व्यापारी वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए और उन आदिवासी बंधुओं के लिए समर्पित किया है, जिनके दम पर आज तक साठ साल की आजादी में अधिकतर समय तक कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में राज किया। हमेशा आदिवासियों को, जनजातियों को, मुस्लिम बंधुओं को अपना वोट बैंक समझा और उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उनको खाली छोटी-मोटी योजनाओं को दिखाया। छोटी-मोटी व्यक्तिगत योजनाएं दीं जैसे कुक्कुट शाला है, कुआ निर्माण है, छोटे-मोटे बांध बनाये, लेकिन उनकी शिक्षा पर, उनके चहुंमुखी विकास की तरफ पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया जिससे आज यह स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में ट्राइबल के मात्र 76 आर ए एस अधिकारी हैं और उसमें से भी केवल दो आर ए एस अधिकारी उस ट्राइबल सब प्लान एरिये से हैं। इस उदाहरण से यह साबित होता है कि साठ साल की आजादी में केवल दो आर ए

(श्री अर्जुन लाल मीणा)
एस पैदा हुए हैं। इससे यह साफ झलकता है कि पिछली सरकारों ने शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में और गरीबी उन्मूलन के मामले में कोई सार्थक काम नहीं किया, सार्थक योजनाएं नहीं पहुंचाईं।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने एक बात कही थी, मैं सेण्टर से एक रुपया भेजता हूं उसका पन्द्रह पैसा गांव तक जाता है। उन्होंने देखा था, उन्होंने देखकर यह बात कही थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 2008-09 के बजट में शिक्षा के मामले में हर पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय से सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। पिछले चार साल में मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में छह माध्यमिक विद्यालय, चार उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलकर यह साबित कर दिया है कि केवल घोषणाएं ही नहीं कीं, उनको क्रियान्वित भी किया है। यह एक उदाहरण है। पूरे राजस्थान में जितने भी राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय थे उन सब को प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया, अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों को यू पी एस में क्रमोन्नत किया। क्रमोन्नत ही नहीं किया, माननीय सभापति महोदय, जहां हजारों पद अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए थे, पिछली कांग्रेस सरकार ने एक भी अध्यापक की भर्ती नहीं की थी, केवल बारह सौ रुपये में पैरा टीचर लगाये थे जिनको भी परमानेंट नहीं किया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उन सब की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने चार साल के शासनकाल में तृतीय श्रेणी के लगभग साठ हजार अध्यापकों की भर्ती की, चार हजार विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की भर्ती की। साथ ही साथ सभी राजीव गांधी विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की। साथ ही उन्होंने अपने इस साल के बजट में गत पांच साल में कांग्रेस शासन के 22 हजार 78 करोड़ के मुकाबले 52 हजार 192 करोड़ का अनुमानित व्यय रखा है जो ढाई गुना है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व माननीय सदस्यों ने सारे बजट पर अपने तर्क-वितर्क दिए हैं, माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने इस साढ़े चार साल के शासनकाल में हमारे टी एस पी क्षेत्र में उदयपुर सम्भाग में जो काम किये हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। उन्होंने सड़कों के मामले में पूरे राजस्थान में पांच सौ की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा तो टी एस पी क्षेत्र में, जनजाति और रेगिस्तान के क्षेत्र में ढाई सौ की आबादी के क्षेत्रों को सड़क से जोड़ा। इस बजट में जितने भी राजस्व गांव हैं, चाहे वे सौ की आबादी के हों, चाहे डेढ़ सौ की आबादी के हों, यदि वे राजस्व गांव हैं तो

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

उनको भी सड़कों से जोड़ने की घोषणा की है। मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

पचास साल की आजादी के बाद भी डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र से आसपुर जाने के लिए पूरे साठ किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जब कि मात्र आठ किलोमीटर उनकी दूरी है। अभी दो महीने पूर्व उन्होंने शीतला माता से बीजवा माता जो लसाडिया विधान सभा क्षेत्र का और सलूम्बर पंचायत समिति क्षेत्र का एरिया है और दूसरा डूंगरपुर जिले का बीजवा माता आदिवासियों का बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको जोड़ने का काम किया है। सवा तीन करोड़ रुपये की घोषणा करके उस पर काम चालू हो गया है। बहुत बड़ा काम किया है, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं।

साथ ही, सोम नदी पर एक वमराणा गांव पड़ता है आठ किलोमीटर की दूरी पर एक और पुलिया है, सवा दो करोड़ रुपये का उस पर भी काम चालू होने वाला है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गयी है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को उस सब जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। नदी पर एक नहीं दो-दो पुलिया स्वीकृत ही नहीं हुई, काम चालू हो गया है, मैं निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही शिक्षा में उन्होंने जनजाति की बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाने के लिए नि:शुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत 18-19 हजार साइकिलें पिछले चार साल में वितरण की हैं। जो बालिका हायर सैकण्डरी स्कूल में 75 प्रतिशत से ऊपर नम्बर लाती है, उसको स्कूटी देने की जो घोषणा की। छह बालिकाओं को मिली। हमारे माहिर आजाद साहब कह रहे थे छह लड़कियों को दिया, आपने तो एक लड़की को साइकिल तक नहीं दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छह लड़कियों को स्कूटी वितरण करके उनको प्रोत्साहन देने का, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी 75 से 65 परसेंट इस बजट में घोषणा की है, सभी जनजाति क्षेत्र की बालिकाएं निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी की आभारी रहेंगी।

मैं अधिक कुछ नहीं कहते हुए, इस 2008-09 के बजट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सलूम्बर को पचास बैड से सौ बैड में क्रमोन्नत किया है, बहुत-बहुत माननीय मुख्य मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

धन्यवाद देता हूं। पिछले साल टी एस पी क्षेत्र में 1119 ए एन एम की भर्ती की थी। चिकित्सा विभाग ने लगभग 1368 ए एन एम की भर्ती, 1797 स्टाफ नर्स और मेल नर्स की भर्ती, 1228 ए एन एम की भर्ती, 528 असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भर्ती और 96 लैब टैक्निशियन की भर्ती की जो घोषणा की है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में दो मांग रखना चाहता हूं। हमारे पूरे उदयपुर सम्भाग के जनजातियों का बेणेश्वर धाम है जो पूरी एक आस्था का केन्द्र बना हुआ है, जहां पर आदिवासियों का बहुत बड़ा मेला लगता है, पांच करोड़ रुपये से पर्यटन की दृष्टि से मेवाड़ वागा सर्कल के नाम पर उसका सुधार और विकास का काम किया जा रहा है। उसके साथ ही हाड़ी रानी महल के विस्तार के लिए 58 लाख रुपये और 28 लाख रुपये का काम चालू हो गया है। साथ ही देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर जिले का उसके साथ मानगढ़ धाम का विकास, महाराणा प्रताप के निर्वाण स्थल चांवण का विकास, इतने सारे काम किये हैं, सब जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे पेयजल की बड़ी-बड़ी योजनाएं-मानसी वाकल परियोजना, देवास परियोजना, सोम कागदर परियोजना, सोम-कमला-अम्बा परियोजना, जयसमन्द परियोजना, 24 करोड़ की योजना, 12 करोड़ की योजना, सभी में मुस्तैदी से काम चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य बाबू सिंहजी राठौड़।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं।

श्री सभापति: आपको दस मिनट में अपना पूरा विषय बताना है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बैठ जाऊं?

श्री सभापति: दस मिनट में आपको पूरा विषय बताना है। इसको आप तीन भागों में बांट सकते हैं। पांच मिनट आप पक्ष में बोल सकते हैं, ढाई मिनट में सुझाव दे सकते हैं, ढाई मिनट में आप अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या रख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: सारी पाबंदी इनके ऊपर है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) बड़े भाई हैं इसलिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यहां कोई राठौड़ नहीं है, यहां पर सब माननीय सदस्य हैं। अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में राठौड़ हैं सब।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस बात के लिए भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप सदन में भाषण दे रहे होते हैं और बार-बार सभापति महोदय आपको टोकें तो आपको कैसा महसूस होता है, उसका मेरे ऊपर भी आप थोड़ा ख्याल रखें।

श्री सभापति: मैं गलती से 27 साल तक टीचर रहा हूं, कल मेरे को दस मिनट का समय दिया था, साढ़े आठ मिनट में मैंने बात खतम कर दी थी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं इस बजट के पक्ष में बोलते हुए लोकप्रिय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी का आभारी हूं कि इस बार जो बजट वह लेकर आयी हैं पूरे राजस्थान के अन्दर खुशी है। बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को परिलक्षित करता है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा-

वसुन्धराजी ने अपना जीवन सर्व को समर्पित किया,
तभी तो हर उन्नति को अपनी मुट्ठी में किया,
वह सर्व की राहों की राही बन गयीं,
इसीलिए हर सिद्ध उनके पांवों में बंध गयी।

सफलता बंध गयी। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। वास्तव में यह सच्चाई है कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में निवास करती है और हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। अब यह जो बजट आया है, मैं समझता हूं कि उसी भावना को परिलक्षित रखते हुए उन्होंने अधिकतर बजट गांवों में खर्च करने का फैसला किया है जो हमारे सामने है।

अभी भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। आज वास्तविक स्थिति यह है कि देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति है। मुख्य मंत्रीजी भी महिला हैं। विधान सभा की अध्यक्ष भी महिला हैं। हमारे जोधपुर जिले की बात करें तो वहां पर मेयर भी महिला है, वहां की प्रमुख भी महिला है, वहां कमिश्नर भी महिला है, वहां पर एस पी भी महिला है और शेरगढ़ की प्रधान भी महिला है। अभी वर्तमान में ही परसरामजी की पुत्रवधु और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की धर्मपत्नी भी सी सी बी की चेयरमैन बनी हैं, इसलिए वह खुश हैं कि वास्तव में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। और इसलिए वसुन्धराजी का ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह एक गाना बाकी है ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सम्मान कर रहे हैं। और अब तो 50 परसेण्ट पंचायती राज के अन्दर आरक्षण मिला है। इन सब आरक्षणों के बीच में ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): स्टेटमेंट पढ़ा कि नहीं? हरिमोहनजी, उनका स्टेटमेंट नहीं पढ़ा क्या आपने? हरिमोहनजी, विधायक जोधपुर शहर की ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राठौड़ साहब, हम आपको इण्टरप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन अब तो परदों से बाहर आने दो ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अब आ रही हैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आने दो। यह पर्दा व्यवस्था आपके इस इलाके में ज्यादा है। इस पर्दा व्यवस्था को खतम करो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): धन्यवाद दे रहा हूं। उस बात का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि इस प्रकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब के राठौड़ साहब खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने स्थान पर महिला को चुनाव लड़ाएंगे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मान-सम्मान बढ़ा है इसके लिए हम आभारी हैं। इस प्रकार से वास्तव में कड़ी से कड़ी अब मिलने लगी है और महिला का सम्बल आगे बढ़ा है इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अगर यहां सौ महिला हों और सौ पुरुष हैं तो क्या हो जरा, इस पर भी रोशनी डालो।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वह आप खड़े होंगे तब डालना। मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, राजस्थान की धरती शूरों, वीरों की सरजमीं रही है। अभी कांग्रेस की तरफ से एक वक्ता बोल रहे थे कि शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए कुछ घोषणाएं नहीं हुई हैं, उनका मान-सम्मान नहीं किया गया है। यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर झुंझुनूं जिले में सबसे ज्यादा सैनिक हैं। तहसील की बात करें तो सबसे ज्यादा सैनिक देने वाली गौरवमयी धरती शेरगढ़ है। वह शेरगढ़ है। उस विधान सभा क्षेत्र का सात बार कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया है, वह कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। लेकिन विकास की बात करें तो? हर घर के अन्दर सैनिक हैं, हर राजस्व गांव के अन्दर शहीद हैं, लेकिन

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

जो सरहदों पर देश की रक्षा करता है, सरहदों पर शहादत देता है उसको हमेशा यह चिन्ता रहती है कि मेरी ढाणी के अन्दर मेरे बच्चों का कौन रखवाला होगा, मेरी धर्मपत्नी का कौन होगा, मेरे माता-पिता का कौन होगा। वहां किस प्रकार समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं।

आज देश आजाद हुए 60 साल हो गये और लोकतन्त्र आए हुए 50 वर्ष से ज्यादा हो गये, लेकिन हमारे यहां 8 मई को मेगा हाइवे का मुख्य मंत्रीजी उदघाटन करने के लिए पधारी थीं। वह पहला अवसर था मेगा हाइवे का। मैं कह सकता हूं कि फलौदी से लगाकर रामजी की कौल तक बना है और उसके ऊपर डेढ़ सौ किलोमीटर लम्बाई कम हुई है। उसी मेगा हाइवे के लिए जब मैं विधायक बना था और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, हमने प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव जाने के थोड़े ही समय बाद कांग्रेस सरकार आयी और उस प्रस्ताव को उन्होंने निरुत्तर कर दिया। उस प्रस्ताव को उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैंने माननीय मुख्य मंत्री महोदया और पी डब्ल्यू डी मंत्री राजेन्द्र सिंहजी को वह प्रस्ताव भिजवाया और मुख्य मंत्रीजी सड़क योजना बनते ही सबसे पहले वह प्रस्ताव पास हुआ। मैं कह सकता हूं कि जो सड़क 10 फीट चौड़ी थी, आज 50 फीट से ज्यादा चौड़ा मेगा हाइवे शानदार रूप से तैयार है, पेट का पानी नहीं हिलता। शहरों के अन्दर जैसा चौराहा है वैसा मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सेतावा में चौराहा बनाया गया। जब 8 मई को उदघाटन करने के लिए मुख्य मंत्रीजी पधारी थीं तो वहां पच्चीस हजार से ज्यादा महिलाएं इकट्ठी हुई पहली बार। पचास हजार से ज्यादा दूसरे लोग आये। सत्तर हजार से ज्यादा जनसंख्या उनका स्वागत करने के लिए वहां खड़ी थी। वहां पर रेगिस्तान के जहाज ऊंट पर बैठकर पूर्व सैनिकों ने उनका स्वागत किया है। वहां जब महिलाएं आयीं तो उन्होंने कहा कि हमने आजादी तो देखी, देश आजाद हुए 60 साल हुए लेकिन हमारे राजस्व गांव के अन्दर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है। मैं दावे के साथ आज कह सकता हूं, उस शेरगढ़ तहसील में जो सैनिकों की तहसील कहलाती है, जिला मुख्यालय पर एक सैनिक कार्यालय था वहां शेरगढ़ तहसील को सैनिक कार्यालय दिया है और निवेदन करूंगा कि उस पर भवन निर्माण की अभी स्वीकृति हमको मिलने वाली है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): रात्रि में कैसी दिखती है रोड, वह बताओ। बाबूसिंहजी, वह रोड रात्रि में कैसी दिखती है, वह तो बताओ। रात में कैसी दिखती है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वहां समस्याओं का समाधान होने लगा ? (व्यवधान) रात में तो वह चांदनी चौराहा है। वसुन्धराजी का चौराहा। लोग कहते हैं उसको कि यह वसुन्धरा चौराहा है। यह पहला अवसर था, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की महिला कभी बाहर नहीं निकलती है लेकिन उत्साहित महिलाएं वसुन्धराजी को सुनने के लिए वहां पर आयी थीं। वहां पर एक ही मांग की थी, हमारे सारे काम हो रहे हैं। राजस्व गांव सड़कों से जुड़े हैं। मैं आज कह सकता हूं पूरे राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा सड़कें जो बनी हैं वे बाड़मेर जिले में बनी हैं। बाड़मेर जिले में विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो सबसे ज्यादा शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बनी हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आयी। आपने उसके अन्दर क्लाज लगा दिया कि दस परसेण्ट घरों को कनेक्शन देकर उसको विद्युतीकरण

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

में लीजिये, जहां दो सौ घरों का राजस्व गांव है, बीस घरों को बिजली देंगे, शेष का आप क्या करोगे? इतने वर्षों तक चिमनी की रोशनी करने वाला वह राजस्व गांव जिसमें बिजली नहीं पहुंची, आज उन गांवों के लिए बिजली की योजना लेकर आये हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अब महसूस होने लगा है कि सच्ची आजादी अब आयी है। वहां पर सड़क बनी है, वहां पर बिजली आयी है, 110 गांवों में और 8 पंचायतों को ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हरिमोहनजी, सुन लिया?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): देश में अभी बिजली आएगी और वह अंधेरा अब उजाले की ओर आगे बढ़ेगा। हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। समस्याएं मुंह खोले खड़ी थीं, गांव का आदमी अपनी समस्या की वजह से गांव छोड़कर शहर आता था। अब विकास होने लगा है, अब शहर छोड़कर वापस गांव जाएगा। ऐसी कल्पना हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

की है। उन्होंने वहां पर यह घोषणा की थी कि विकास की गंगा तो आयी है लेकिन अब वास्तविक गंगा आपके पास में आएगी-हिमालय का मीठा पानी, गंगाजी का पानी। शेरगढ़ तहसील और वहां के सैनिकों ने मांग की थी, वहां

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

की महिलाओं ने मांग की थी और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि वसुन्धराजी मुख्य मंत्री हैं तो आपके सिर से यह घड़ा उतारेंगी, आपके सिर से बाल नहीं उतरने दूंगी और एक साल में आपके लिए हिमालय का पानी पहुंचाऊंगी। यह घोषणा करने वाली मुख्य मंत्रीजी का मैं आभारी हूं कि वहां फिल्टर प्लांट बन रहा है, वहां पर पाइप आ गये हैं और चुनाव से पहले हिमालय का पानी वहां पहुंच जाएगा। अंतिम छोर तक हिमालय का पानी पहुंचेगा। सौ से ज्यादा स्कूलें वहां खुल गयीं। लेकिन आज भी पचास राजस्व गांवों में स्कूल नहीं हैं, नये प्राथमिक विद्यालयों की मांग है। आज भी 40 पंचायतों में ...(व्यवधान) 38 पंचायतों में आज दसवीं तक स्कूल नहीं है ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने कितना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। कृषि मंत्रीजी पढ़ रहे हैं, उनको देख लें आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कृषि मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि काश्तकारों को रूला दिया केन्द्र सरकार ने ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): हक्के-बक्के रह गये। क्या कह रहे हैं, हक्के-बक्के रह गये केन्द्र सरकार का बजट देखकर। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): मोहताज हो गये ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): इसकी घोषणा भी मुख्य मंत्रीजी ने की है, 38 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे ...(व्यवधान) 38 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, राजीव गांधी स्कूलों में जो पैरा टीचर्स लगे थे, उनके सपने चूर हो गये थे और जब वह नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे थे....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री दातारामजी गुर्जर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, दस मिनट तो नहीं हुए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: धन्यवाद दे देना ...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): दो मिनट, दो समस्याएं हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य दातारामजी गुर्जर।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, मैंने तो शुरूआत ही की है ...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): कर दूं क्या शुरूआत ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सारे दो सौ सदस्य सबसे बढ़िया बोलते हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैं तो बढ़िया बोल रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपको पहले ही कह दिया था। मुझे वह गीता का वह श्लोक याद आ रहा है जिसमें अर्जुन की मति भ्रष्ट हो गयी थी कि मैं किससे लड़ूं, किससे न लड़ूं। तो यहां पर सब बीजेपी हैं, सब कांग्रेस हैं, इस समय मेरा कोई व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है। मैं आप सबके लिए बराबर हूं। मैं इस सीट पर आन डैपुटेशन हूं और जितनी देर मैं बैठूंगा आपको इस चेयर का कहना मानना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट की बात है ...(व्यवधान) रोजगार गारंटी योजना चल रही है।

श्री सभापति: ठीक है, अगले का नाम कट कर देता हूं। मेरा क्या जाता है ...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): नहीं, नहीं, कट कैसे करोगे, पहले ही कट हो गया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह आपके यहां से जो पर्ची आयी है, अगले सदस्य का नाम कट कर देता हूं, मैं सबके सामने कह रहा हूं और यह मैं आपके सामने कट भी कर देता हूं।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): सभापति महोदय, मैं तो खड़ा हूं ...(व्यवधान) मैं तो खड़ा हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, इतने xxx मत होइये, वह बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): बैठ रहा हूं। रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, उस योजना में विद्यालयों की चारदीवारी सभी स्कूलों में करने की बात है। दूसरा, मेरा निवेदन एक और है कि मुख्य मंत्री सबके लिये योजना जो आयी है उसमें सबको लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें पांच ढाणियों और पांच घरों को जोड़ने की आवश्यकता है रेगिस्तानी जिलों में। आज जो प्रत्युत्तर आएगा तो उसमें हम चाहते हैं कि वह दस घरों की जगह पांच घरों में हो। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि 2001 के बाद जो राजस्व गांव

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

घोषित हुए हैं वे 250 तक तो जुड़ गये हैं लेकिन आगे वाले जोड़ने के लिए आप फैसला करवाएं, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: अभी माननीय सदस्य ने एक शब्द काम में लिया +++ उसको डिलीट कर दें आप। यह उचित शब्द नहीं है। हां, बोलिये, दातारामजी गुर्जर।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): सभापति महोदय, आपने बजट 2008-09 में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बजट एक सतत् प्रक्रिया है, आगामी वर्ष में राज्य की नेता और मुख्य मंत्रीजी राज्य का किस रूप में विकास करना चाहते हैं इसका एक प्रारूप तैयार करके बजट के रूप में इस सदन में पेश किया जाता है। उस कल्पना के अनुसार सरकार ने, आगामी वर्षों में जो विकास के कार्य करवाये जाने हैं, उनका इस प्रारूप में विवरण पेश किया है।

सभापति महोदय, तीन दिन से बजट पर बहस हो रही है उसमें विभिन्न माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने किसानों के प्रति अपनी बात कही कि किसानों के प्रति सरकार ने क्या किया है। हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में किया है, क्योंकि किसानों की जिम्मेदारी कांग्रेस ने 60 साल तक जो राज किया उसमें खूब निभाई, लेकिन कितना किसानों का विकास हुआ, वह सबके सामने है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कृषि में नवाचार के क्षेत्र में एक वर्ष में एक लाख जैतून के पौधे इजराइल से आयात करके यहां पर 240 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाने की शुरूआत करके एक ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारी मुख्य मंत्रीजी का सपना इससे साकार हुआ है। उत्पादकता, गुणवत्ता एवं बुवाई के क्षेत्र में वृद्धि करने पर केन्द्र सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि का राज्य को नकद पुरूस्कार भी मिला और रजत प्रमाण-पत्र भी मिला।

सभापति महोदय, देश का सबसे बड़ा टर्मिनल मार्केट जयपुर में हमारी सरकार ने बनाया और करीबन 554 बीघा भूमि पर यह एक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया। इसी प्रकार से सम्भाग मुख्यालय पर किसानों के लिए किसान भवन बनाने का सरकार ने बजट में प्रस्ताव रखा और इनके निर्माण के लिए इस बजट में राशि रखी गयी है। सभापति महोदय,

(श्री दाताराम गुर्जर)

इस बजट पर तीन दिन में लगभग सभी बातों पर चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार के आंकड़ों में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आप पहले ही घंटी लगा देंगे, इसलिए मैंने इस बजट में जो कुछ पढ़ा उसको मैं आपके सामने कुछ दो शब्दों में व्यक्त करूंगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस बजट में गांव का, गरीब का, अमीर का, महिला का, पुरूष का, जच्चा का, बच्चा का, युवा का, वृद्ध का, सेठ का, साहूकार का, गुरु का, शिष्य का, कर्मचारी का, व्यापारी का, किसान का, जवान का, मंदिर का, मस्जिद का, महलों का, झोंपड़ों का, नि:शक्त का, सशक्त का, विधवा का, परित्यक्ता का, एस.सी. का, एस.टी. का, ओ.बी.सी. का, राजपूत, ब्राह्मण और गरीब गुर्जर का, आंगनबाड़ी में साथिन का, सहायिका का, वीर का, पीर का, होम गार्ड का, फायरमैन का, डिफेंस और शहीदों के परिजनों का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, बिजली का, पानी का और पंचायतों में पंच का, सरपंच का, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य का, ऊंट का, ऊंट पालकों का, बेरोजगार का, मजदूर का, कारीगर का और साढ़े पांच करोड़ राजस्थान की जनता का सारे का सारा खयाल समावेश किया गया है।

सभापति महोदय, पहली मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने चार साल में राजस्थान में ऐसे कार्य किये हैं और सभी वर्गों का हर वर्ष के बजट में समायोजन किया और राजस्थान को आज एक नम्बर पर विकसित राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। इस प्रकार के कार्य करने पर राजस्थान की जनता ने मुख्य मंत्री को अपने दिलों में जगह दी है। आज प्रतिपक्ष इस बजट की बातों को सुनना तक नहीं चाहता। उनको मालूम है कि गांवों में जाकर इसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं इसलिए यहां हाउस में दो-दो, चार-चार माननीय सदस्य बैठकर अपनी भूमिका, जो प्रतिपक्ष का नाम ही है, अदा कर रहे हैं। वैसे बाहर तो सब यही कहते हैं कि ऐसा बजट आज तक हमने अपने जीवन में देखा नहीं है। इस प्रकार का जो बजट पेश किया है मुख्य मंत्रीजी ने, उससे इनके पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं हैं। मैं इस बजट की प्रशंसा करता हूं और उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, इसमें महापुरूषों के स्मारक बनाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्ताव किया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद

(श्री दाताराम गुर्जर)

को नरेन्द्र से स्वामी विवेकानंद नाम मिला। खेतड़ी उनकी कर्मभूमि रही है, खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद के स्मारक का भी इस बजट में प्रावधान रखें। इसी मांग के साथ आपने समय दिया उसके लिए पुनः धन्यवाद। जयहिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना संपूर्ण विषय केवल सात मिनट में रख दिया। आपने सदन के तीन मिनट बचाये उसके लिए धन्यवाद।

माननीय हरिमोहनजी शर्मा, मेरा आपसे आग्रह है कि जो समय दिया है दस मिनट, उसमें पूरी बात करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकें तो देख लेना। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं तुलसीदास जी की एक चौपाई कि 'सचिव, वैद्य, गुरु तीनि जो प्रिय बोलइ भय आस। राजधर्म तन तीनि कर होय बेगिही नाश'। आप तारीफ करें, मुझे एतराज नहीं है। आपकी जिस किसी जगह पर आस्था है, उस आस्था के पुजारी जो हैं उन्होंने किसी चीज का ज्ञान दिया है। अगर आप उचित समझें तो उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें ...(व्यवधान)

श्री सभापति: लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुख्य अनुशासन समिति के अंदर हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी के मुगल कालीन शासन के अंतिम वर्ष के इस बजट में लोक-लुभावन घोषणाएं करके सरकार ने अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचार, अत्याचार और गोलियों के तांडव से हुई किसानों की मौत को जनता भूल जाए, इन्होंने जनता को दिभ्रमित, दिशाभ्रमित करने का प्रयास किया है। यह सभी जानते हैं कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के नागरिक स्वाभिमान वाले हैं और आत्मसम्मान से जीना चाहते हैं, चाहे आप उनको कितना ही प्रलोभन दो, चाहे कितनी ही लाभ की योजनाएं आप उनके घर पहुंचाना चाहो। चार साल में आपने कुछ नहीं किया हो, उन गरीबों को आपने प्रताड़ित किया हो तो उन पर मरहम लगाने के लिए व्यक्तिगत योजनाएं बनवा लो लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजस्थान की जनता जो मान सम्मान से जीने वाली है, वह आपके इस प्रकार के खोखले वादों से दिशा भ्रमित होगी और जो आप कल्पना कर रहे हैं उनको साकार करने में वह आपकी मदद करेगी।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सवेरे ग्यारह बजे से पहले तक आप लोगों के चेहरों पर बजट प्रस्तुत करने के कारण जो चमक नजर आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि जैसे ही ग्यारह बजे और केन्द्र का बजट आया और आपके चेहरों पर अभी मुझे मायूसी देखने को मिल रही है। मायूसी इसलिए कि...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी योग्यता का लाभ इसलिए उठाना चाहता हूं कि कोई बीच में न उठे। (व्यवधान) बोले नहीं।

जिस प्रकार से किसानों की हितैषी बनकर 126 करोड़ रुपये की घोषणा का नाटक करने वाले केन्द्र सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ किये, 60 हजार करोड़ रुपये के, इस हिन्दुस्तान का वह नागरिक जो सीमांत कृषक है, लघु सीमांत कृषक है ...(व्यवधान) अब आप देख लीजिए। अब आप देख लीजिए। (व्यवधान) अब आप देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कई बार माननीय सदस्य आपसे भी प्रेरणा ले लेते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो आप उस प्रेरणा को रोकें, साहब।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप भविष्य में बार-बार टोकेंगे नहीं, इसलिए आप भी उनको न टोकें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं राठौड़ साहब के भाषण में एक बार भी नहीं बोला, मेरा नाम लिया तो भी मैं नहीं बोला।

60 हजार करोड़ का जो कर्जा माफ किया है, लघु और सीमांत कृषकों का पूरे देश में, और पूरे राजस्थान में 126 करोड़ रुपये की घोषणा, के वह पैसा भी कभी नहीं मिला। वह पैसा भी केन्द्र का है, 420 करोड़ रुपये आपके पास पड़े हैं। आप झूठी वाहवाही लूटने वाले 4 महीने तक उनके कर्जे को और उनकी बात को स्थगित करते रहे, केन्द्र सरकार की इस घोषणा से, किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, तो वह प्रेरणा लें और किसानों का कर्जा जो आपने डैफर किया है उसको माफ करें। (व्यवधान) 250 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के हिसाब से जो कर्जे हैं उनको अगर आप इस प्रकार से माफ करें तो कुछ ऐसा लगेगा कि बातें नहीं काम करने का भी इरादा है, किसानों की मदद करने का इरादा आप लोगों का है। लेकिन ऐसी कतई सोच आपकी नहीं है। (व्यवधान)आप बैठ जाइए, नाथूसिंहजी साहब, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप इजाजत दे दें, आप इजाजत दे दें तो।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी, आपसे आग्रह है कि यहां पर आप बीच-बीच में खड़े होते हैं तो बोलने वाले आदमी की मन:स्थिति में डिस्टर्ब होता है। इतने रचनात्मक सुझाव आ रहे हैं उनको आप सुनें, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): सभापति महोदय, यह मैम्बर या मिनिस्टर का राइट होता है कि अगर कोई माननीय सदस्य बोल रहा है, उनकी परमीशन लेकर कोई बोलता है तो वह बोल सकता है। With the permission of the hon'ble member speaking, ऐसा होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका तो विधान सभा में पहला नम्बर आ चुका है, अन्य सदस्यों को भी अवसर दें आप। आपका तो विधान सभा में पहला नम्बर आ चुका है, आप इनाम ले चुके हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): मुख्य मंत्रीजी इतनी इण्टेलिजेंट हैं कि आपकी विद्वता को लास्ट के छह महीनों में पहचाना है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, आपने अपने घोषणा पत्र में केन्द्र की परवाह किए बिना 250 करोड़ रुपये का कोष बनाकर उनको मदद करने का आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? किसानों के मामले में न मुख्य मंत्रीजी की सोच है। हां, मंत्रिमण्डल में अगर किसान वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व करने वाले हों तो, आपको तो किसानों से कोई लेना-देना नहीं है, किसानों के प्रति झूठी सहानुभूति है, अगर आपकी किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती तो वह सी आर एफ में डिमाण्ड करने से पहले, जिस दिन कांग्रेस ने धरना नहीं दिया उसके पहले ही आप अपनी मर्जी से दे देते। लेकिन केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार पूरे राजस्थान और पूरे देश में सीमांत किसानों को ही नहीं, जो बड़े किसान हैं, वे यदि चार महीने में अपना एक मुश्त दे देंगे तो चार प्रतिशत ब्याज पर भी उनका कर्जा माफ किया है, यह है किसानों की हितैषी यू पी ए सरकार जिसकी अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि आपने राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): खतरे की घण्टी बज गई दिखती है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): खतरे की घण्टी तो है लेकिन आप लोगों के लिए है, महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये कम्युनिस्ट भाग रहे थे और कम्युनिस्ट छोड़कर जाएंगे, अब चुनाव में जा रहे हैं अक्टूबर में, खतरे की घण्टी पहचान कर, मतलब बिना बजट के इसका प्रावधान किया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, यह समय मेरा नहीं जाएगा।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अक्टूबर में पार्लियामेंट के इलेक्शन हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अक्टूबर में लोक सभा और विधान सभा के साथ होंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दोनों में आपकी छुट्टी होगी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने क्या किया है? (व्यवधान) यह बोलने नहीं दे रहे हैं, कैसे बोलें?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो आपने खुद कहा है कि हमारी राजस्थान की जनता किसी प्रलोभन में नहीं आती है। वह स्वाभिमानी जनता है, उसको कितना ही प्रलोभन दो, वह जाल में नहीं आने वाली है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं पार्टी का अनुशासन भी नहीं मानूंगा और मुख्य मंत्रीजी के सामने आज इस प्रकार का प्रदर्शन करूंगा अगर मुझे बोलने नहीं दिया गया तो, यह मैं खुला कह रहा हूं।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप चिंता मत करो, आपको जितना डिस्टर्ब करेंगे उतना ही टाइम आपको दूंगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): थैंक यू। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): आप तो इतना-सा बता दें जरा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो इन्होंने ही कहा है कि आप बोलो, इसलिए बोला है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बहुत निष्पक्ष आसन है, ऐसे हों सभापति। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना पूर्णत केन्द्र की है, आप सभी मानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जनता के पैसों की है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन आपने जो दिया वह तो महारानी का पैसा है क्या पर्सनल?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): वह तो राजेन्द्र सिंहजी का है, वह तो राठौड़ साहब का है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मुझे आप उस सीमा तक मत ले जाना, नहीं तो वाकई मैं वह बोल जाऊंगा फिर। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना का पैसा, 90:10 रेशो में केन्द्र का है। यह किताब है राजस्थान सरकार की, उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के बारे में बताया है कि केन्द्र 75 प्रतिशत देगा, आप इसको करैक्ट करावें, आप इसको दिखवा लें कि 75 प्रतिशत देगा या क्या देगा। इस प्रकार की गलत और भ्रामक सूचनाएं राजस्थान सरकार देती है तो कोई तर्कसंगत नहीं है। यही नहीं, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत आप अब घुसना चाहते हैं। घुसना कैसे चाहते हैं, मुझे याद है कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने एक सर्वे करवाया था जिसमें यह पता लगा कि नरेगा के अन्तर्गत जो भी योजनाएं चल रही हैं उससे कांग्रेस को फायदा होगा तो अब उसमें घुसने का आपने प्रयास किया है। आपने केशवबाड़ी योजना की घोषणा की थी, अपने फण्ड से की थी, अपने बलबूते पर की थी कि केशवबाड़ी योजना का सारा पैसा हम देंगे। आपको शर्म नहीं आई? सारे का सारा पैसा केशवबाड़ी योजना के अन्तर्गत आपको नरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से मिलता है और उसमें अपने नाम से दिला दिया। अधिकारियों के सामने आपने एक ऐसी बात खड़ी कर दी कि आगे आने वाली सरकार जिन अधिकारियों ने गलत भुगतान किया है उनको सस्पैण्ड करेगी या नौकरी से निकालेगी।

आपने खुद लिखा है, यह आपके महामहिम राज्यपाल महोदय, शीलेन्द्र कुमार सिंहजी का अभिभाषण है, उसमें आपने लिखा है, राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत केशवबाड़ी योजना के रूप में लेकर आये हैं। केशवबाड़ी योजना के लिए आपके पास पैसों का इन्तजाम नहीं हुआ, गरीब लोगों को आपने दिशा भ्रमित किया, आपने उनसे वादा किया और वादा करने के बाद उसको पूरा नहीं कर पाये, सारा पैसा केन्द्र से दिलाने की आपने बात

(श्री हरिमोहन शर्मा)

कर दी। यही नहीं, आपने यह सोचा कि इसके अंदर कैसे घुसा जाए, क्या किया जाए, कैसे नाम हो, तो आपने अमृता देवी विश्नोई साड़ी योजना चलाई, वाह भाई! वाह। बाद में राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत आपका नाम उसमें नहीं आ रहा था तो आपने कहा कि साड़ी देंगे। वह साड़ी पचास रुपये की या सौ रुपये की जितने की भी, मैं यह थोड़े ही समझ रहा था कि माननीय मुख्य मंत्रीजी पहनेंगी वैसी साड़ी बांटेंगे उनको, यह तो किसी को गलतफहमी नहीं है। तो वह जो साड़ी उनको आप देंगे, साड़ी तब देंगे जब सौ दिन का काम करे। साड़ी कब देंगे जब सौ दिन का, अस्सी दिन का, उसको सौ दिन का काम मिल जाएगा? और जैसा कि माहिर आजाद साहब ने कहा था, उनके पति घर बैठे रहेंगे और आपने उस गरीब महिला का शोषण करने की प्रेरणा देने की यह घोषणा करके जो उसका शोषण किया है वह महिला आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने इस बजट भाषण में वादा किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। 2 लाख 80 हजार बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं, योग्यता रखते हैं भत्ता प्राप्त करने की। आपने 2 लाख 80 हजार बेरोजगारों में पूरे वर्ष में केवल 16 हजार अर्थात 6 प्रतिशत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। बेरोजगारी भत्ता 6 प्रतिशत और आपने कहा कि हम 2 लाख 80 हजार को देंगे। उनको दिशा भ्रमित किया, उनको नौकरी देने का झूठा लालच दिया और उनको यह देने की आपने बात की। आप मुझे बताइए, योजना की घोषणा के बाद 6 प्रतिशत लोगों को यह बेरोजगारी भत्ता दे पाये?

माननीय उद्योग मंत्रीजी, आप अभी ताजा-ताजा ही गये हैं, स्वास्थ्य की ज्यादा जानकारी है, लेकिन यह तो आपकी जानकारी में है कि राजस्थान में कितने लघु उद्योग रुग्ण पड़े हुए हैं और कब से पड़े हुए हैं, उनके सुधार की क्या योजना थी और आज की तारीख में लघु उद्योगों से कितने मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है, गरीबों को मजदूरी मिल सकती है? बड़े उद्योगों की बात करके हमको झांसा दे रहे थे कि हमने 300 एमओयू कर दिये, 5 लैटर आफ इंटेंट कर दिये, एक लाख 62 हजार करोड़ रुपया और निवेश हो जाएगा और हम आगे करीब 8 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे। आपने देखा आपके विभाग को? आपके वादे को देखा, आपने इस परिप्रेक्ष्य में देखा? आपने सवा चार साल में, माननीय उद्योग मंत्रीजी, केवल मात्र एक उद्योग लगाया है जिसमें 2200 लोगों को रोजगार दिया है और फिर भी आप अकड़ रहे हैं, फिर भी कह

(श्री हरिमोहन शर्मा)

रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां हैं। बेरोजगारों को भत्ता नहीं देंगे तो उपलब्धियां, हम उद्योग नहीं लगाएंगे तो उपलब्धियां।

आज बीपीएल परिवारों को 1500 रुपये स्मार्ट कार्ड के माध्यम से देने का आपको खयाल आया। आपको दो साल से खयाल नहीं आया? दो साल से कोई बीपीएल परिवार का आदमी इलाज के अभाव में, मेडिकल रिलीफ कार्ड के अभाव में मौत के कगार पर खड़ा है, उसके बच्चे तड़प रहे हैं, आपने उनका मेडिकल कार्ड बनवाया? आपने उनका बीपीएल कार्ड बनवाया? 4 रुपये 80 पैसे, दो रुपये किलो के गेहूं के लिए दो साल पहले आपने घोषणा की थी ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आप दोनों कामों के लिए मुझे क्यों कह रहे हो?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सामान्य मान्यता है कि आप और राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ही इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं। यह सामान्य मान्यता है। आप अपने लिए नहीं, सरकार के लिए ही समझें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह सरकार भी चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अच्छा है ये हमारी तरफ आ तो गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इसी प्रकार से कहा था कि केन्द्र सरकार ने बीपीएल की संख्या कम कर दी, इसलिए 17.5 लाख वे और बाकी सवा तीन लाख बचे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अपने संसाधनों से इनकी मदद करेंगे, 21 लाख की करेंगे। एक आदमी को मेडिकल रिलीफ कार्ड से इलाज नहीं करवाने दिया और एक आदमी का बीपीएल कार्ड नहीं बनाया और दो साल तक उनका शोषण करके उनको लाभ नहीं पहुंचा सके, उनकी दुर्गति करके आज आप आंसू पोंछ रहे हैं। आज मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं कि हर बीपीएल कार्ड वाले को उनके घर पर जाकर मैं 1500 रुपये रख आऊंगी कि आपको जंचे जो ही करो। कौनसी योजना है यह? 1500 रुपये स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बीपीएल परिवार को घर पर आप देना चाह रहे हो, यह कौनसी योजना है? इसमें कौनसा निर्माण हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है और इसमें कौनसी बातें आपके सामने आ रही हैं।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आज ही विकलांगों का मामला आया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 157 लाख रुपया आपके पास पड़े हैं, 11 जिले ऐसे हैं। विकलांगों के साथ आप स्कूटी पर बैठकर प्रदर्शन करके अपनी फोटो छपा सकते हो और हम फोटो को देखकर कह सकते हैं कि मुख्य मंत्रीजी स्कूटी देंगी। 11 जिलों में 157 लाख में से केवल 59 लाख रुपये खर्च कर पाये। 11 जिलों में एक भी विकलांग को सहायता नहीं दिला पाये-कैलिपर नहीं दिला पाये, श्रवण यंत्र नहीं दिला पाये और इसके बाद आप कहते हो कि हमने जितनी भी थोथी घोषणाएं की हैं आप उन पर विश्वास करो। आप उन पर विश्वास करो कि हम बिजली हर घर में पहुंचा देंगे, 24 घंटे देंगे। आप उनको कहां से दिशाभ्रमित करना चाहते हो? दिग्भ्रमित करना चाहते हो, जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हो, आप जवाब दो। जो वादा आपने किया वो आज तक आप कर नहीं पाये, सारी स्थितियां आपके सामने हैं।

डा. सी.पी. जोशी कह रहे थे कि मोदी माडल है। मैं समझ नहीं पाया मोदी माडल की बात। उन्होंने नरेन्द्र मोदी माडल की बात कही थी। शायद उनका खयाल तो यही होगा कि जिस प्रकार की योजना है वो मोदी माडल है, लेकिन सी.पी. जोशी साहब को यह पता नहीं था, मोदी माडल को माननीय मुख्य मंत्रीजी सार्वजनिक पार्टी मीटिंग में कहती हैं, क्या होता है मोदी माडल, हमारा माडल है। लेकिन सही बात है, मैं हूं ना। लेकिन एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी माडल, नरेन्द्र मोदी माडल अगर कोई हो तो वहां कोई न कोई ईमानदारी का आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मेहरबानी करके इस xxx का माडल राजस्थान में अडाप्ट न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां सदन में जो सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वर्ना अभी यह सिलसिला चालू हो जाएगा। यह क्या मतलब हुआ xxx यह क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जो इस सदन का सदस्य नहीं है उसके लिए सदन में टिप्पणी नहीं की जा सकती। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक्सपंज कराओ इसको।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि भविष्य में आप ऐसा न बोलें। मोदी प्रकरण है इसको डिलीट कर दें आप।

एक माननीय सदस्य: यहां पर जो सोनिया का माडल बताने लगे तो सब भूल जाओगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो सदन का सदस्य नहीं है वो कैसे स्पष्टीकरण देगा?

श्री सभापति: उन्होंने जो गुजरात के मुख्य मंत्रीजी का नाम लिया है उसको मैंने डिलीट करा दिया है। बाकी आप कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx का। xxx का नाम लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री सभापति: मैं आपसे आग्रह करूंगा ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसको एक्सपंज कराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या कहना चाहते हैं? फिर हम भी नाम लेना प्रारम्भ कर देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस से बड़ी xxx कोई नहीं है।

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि आप इतना बढ़िया बोल रहे थे, बीच-बीच में आपकी गाड़ी उतर जाती है। आप ठीक प्रकार से बोलें।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसको एक्सपंज तो कराओ।

श्री सभापति: उसको डिलीट करा दिया।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): सभापति महोदय, पहले नाम एक्सपंज कराने का करें।

श्री सभापति: बिलकुल, आप चिन्ता न करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मोदीजी की पत्नी आमेर विकास प्राधिकरण की डाइरेक्टर हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक्सपंज कराओ।

श्री सभापति: बिलकुल करा दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): मोदीजी से डरकर आपकी आका हास्पिटल में चली गई थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो हवेलियों की खरीद हुई है। (व्यवधान) हवेलियों की खरीद में आपने पहले तो नोटिस जारी किये हैं, नोटिस जारी करके कहा कि हवेली नहीं बेच सकते और जब xxx और उसकी कंपनी खरीदने लगे, ये सारे अख़बार भरे पड़े हैं, आपने उन हवेलियों पर से रोक हटा दी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): आपका तो एक ही माडल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, बिना आधार पर इस सदन के अंदर आरोप नहीं लगाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं पहले भी आपको दो बार कह चुका हूं इन शब्दों का उल्लेख न करें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समाचार-पत्रों के आधार पर कोई मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): अख़बार के आधार पर कोई भी चर्चा नहीं होगी।

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): इनका तो पता नहीं कोई इटली का माडल है, पता नहीं कहां-कहां के माडल हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, अखबारों के आधार पर यहां कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री सभापति: मैंने इनको दो बार चेतावनी दे दी है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरोप नहीं लगा रहा हूं। आरोप लगाया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह है, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को दो बार चेतावनी दे दी है, अगर इन्होंने दुबारा ऐसे शब्दों का चयन किया तो इनको रोक दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य: माननीय सभापति महोदय, इनको वसुंधराजी की भी थोथी घोषणाएं दिख रही हैं जबकि वे वास्तविक घोषणाएं हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): कांग्रेस के पास तो एक फटीचर माडल है उस माडल का नाम ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं आरोप नहीं लगा रहा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य को दो बार चेतावनी दे दी है। अब फटाफट घण्टी बजा रहा हूं, चिन्ता मत करो। (व्यवधान) बिलकुल आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान रखा जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चलो, xxx वाले प्रकरण को अपन छोड़ते हैं भले ही कुछ हुआ हो, लेकिन वह आमेर प्राधिकरण के डाइरेक्टर हैं, मैंने नहीं बनाया, मुख्य मंत्रीजी के यहां से बने हैं और उन्होंने हवेलियां खरीदी हैं इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और आपने पहले हवेलियां खरीदने से रोक लगायी, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): राजीव फाउंडेशन तो याद है ना? खरीद नहीं सकते ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आपको बुरा क्यों लग रहा है, राजेन्द्रजी? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या हवेली खरीद नहीं सकते?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): खरीद सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): क्यों नहीं खरीद सकते, क्या बात हुई यह?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने पहले बेचने पर रोक लगायी, फिर इन्होंने खरीदी ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आप तो यह बता दें कि राजीव फाउंडेशन में कितना रुपया जमा है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने उनको क्यों नोटिस दिया था? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): (व्यवधान) किला कांग्रेस के सांसद ने खरीदा है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): राजीव फाउंडेशन में कितना रुपया कहां छुपा है, बता दो। (व्यवधान)

(समय : 16.00 बजे)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दो मिनट में मेरी बात कहता हूं। आखिर में मेरा एक निवेदन है। आपने वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

गवर्नर को। कहां है, वह पेश करो। (व्यवधान) जी, हां। राज्यपाल के यहां पेश की...(व्यवधान) है तो यहां पेश कीजिए, विधान सभा में कब पेश करोगे, यह बताइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गवर्नर साहब के आए तो पेश करो न।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप उस रिपोर्ट को क्यों छिपा रहे हैं, आप पेश नहीं करना चाहते। आप उसको पेश नहीं करना चाहते हैं। वित्त आयोग की जो रिपोर्ट वहां पेश हुई थी, कहां है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, परसों जब गवर्नर साहब को रिपोर्ट दी है, गवर्नर साहब के यहां से रिपोर्ट सरकार के पास आएगी और फिर कैबिनेट में जाकर एटीआर के साथ प्रस्तुत होती है, तो उसमें क्या बात हो गई?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तारीख बताइए, कल, परसों, परले रोज और आखिर में एक शेर है।

श्री उपाध्यक्ष: गवर्नर साहब भेजेंगे जब ही होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: नियमों की जानकारी रखो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आखिर में एक शेर है, अब ज्यादा के बजाय मैं समाप्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, शेर बोलिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह ख्याल रखना चाहिए हर आदमी को चाहे इधर बैठे हों, चाहे उधर बैठे हों।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): लोमड़ी याद रखो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आज हम हैं, कल हमारी याद होगी,

जब हम न होंगे हमारी बात होगी,
जब कभी पलटोगे पन्ने जिन्दगी के,
आप राज कर रहे हो,
जब कभी पलटोगे पन्ने जिन्दगी के,
आपकी आंखों से बहती धार होगी।

इस बात को याद रखना। आप पश्चाताप करोगे कि आपने राजस्थान की जनता के साथ क्या किया है। धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे धार आवे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य रणधीर सिंहजी भीण्डर। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हरिमोहनजी ने इतना बढ़िया शेर सुनाया, उसके बाद पता नहीं क्यों गुस्से में आ गये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं, नहीं आया।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): हम तो सोच रहे थे कि

मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में,
मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह घनश्यामजी तिवाड़ी क्या कह रहे थे, कौन सा गाना गाया था आपने?

गैरों पे करम, अपनों पे सितम,
ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर।
आप सुना रहे थे न यह?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह मैंने आपके लिए कहा था।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ठीक है।

श्री सभापति: हां, माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापति महोदय, एक सैकण्ड।

जब तक था दम में दम, दबे न आसमां से भी हम
और जब दम ही निकल गया तो जमीं ने दबा दिया।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, 25 तारीख को मुख्य मंत्री महोदया ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बोलने दें, बोलने दें। माननीय नये सदस्य को बोलने दें आप।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): सभापति महोदय, 25 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया उसके बाद तीन दिन से यह वाद-विवाद चल रहा है। मैं तो एक जूनियर सदस्य हूं, मैं सब की बातें सुन रहा था और आज शेरो-शायरी की बात हो रही थी। मैं पहले दिन से एक चीज नोट कर रहा हूं वह यह है कि हमारे पूर्व मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत जिनको

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

बैस्ट मुख्य मंत्री की ख्याति प्राप्त थी और उनको नम्बर वन का दर्जा दिया गया था, वह हर सत्र में पहले दिन आते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरे जैसे नये सदस्य उनको सुनना चाहते हैं, आज शेरो-शायरी की बात हो रही है तो मैं भी एक शेर सुना कर यह शुरूआत करता हूं कि-

सुना था कि वह आएंगे अंजुमन में,
सुना था कि उनसे मुलाकात होगी,
मगर क्या पता था, मगर क्या खबर थी,
न यह बात होगी, न वह बात होगी।

सभापति महोदय, हम नये सदस्य बैठे-बैठे आप लोगों की बातें सुनते हैं और विचार करते हैं कि क्या ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सभापतिजी इजाजत दें तो जवाब दे सकता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: देखिए, यह बिलकुल नये सदस्य हैं, उनको बोलने का अवसर देना चाहिए, आप तो कई बार विधायक बन गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साहब, यह कह रहे थे कि जवाब दो, बार-बार नाम लेकर कह रहे हैं।

श्री सभापति: नहीं, मैं आपको अलग से चैम्बर में भेज देता हूं, शाम तक शायरी करें आपस में अन्दर।

श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): दूसरा, सभापति महोदय, बाहर वह कई जगह घोषणाएं भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, यहां आकर नहीं करते तो एक शेर और मुझे याद आ गया।

ये इनायतें गजब की, ये बला की मेहरबानी,
मेरी खैरियत भी पूछी किसी और की जुबानी।

यहां पधारें आप और अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।

माननीय मुख्य मंत्री ने 25 तारीख को जो बजट रखा, विपक्ष की बातों से ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। मैं 2003 के वह दिन याद करना चाहता हूं जब हमारे चुनाव के पहले हम गांवों में घूमते थे, गांवों में जो परिस्थितियां थीं उसकी जानकारी कांग्रेस के सदस्यों को भी होगी, हमको भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, बजट की स्टेटिस्टिक्स तो मैं समझता नहीं, मैं कोई वित्तीय विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन जनता की नब्ज से मुझे पता चल

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

सकता है कि आज हालात क्या हैं और पहले क्या थे। मैं जानता हूं, जब हम घूमते थे गांवों में लोग-बाग़ भाषण के बीच में खड़े होते थे और डिमाण्ड राशि के बिल ऐसे लहराते थे, साहब, 80 हजार का डिमाण्ड आया हमारा, हमारा डेढ़ लाख का डिमाण्ड आया है। क्या आपको महसूस नहीं होता कि यह सरकार आने के बाद यह डिमाण्ड राशि कितनी कम हो गई है, ढाई हजार रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से हो गई है? हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक भी मेवाड़ के ही रहने वाले हैं, उस दिन वह बात मेवाड़ की कर रहे थे, मैं भी मेवाड़ का रहने वाला हूं, 3 हार्स पावर और साढ़े 7 हार्स पावर से ज्यादा के कनेक्शन हमारे लोग कोई लेते नहीं हैं, आप लोग तो काफी जमींदार लोग हो, हमारे तो 20 बीघा का आदमी भी बहुत बड़ा जमींदार है लेकिन साढ़े 7 हार्स पावर, 5 हार्स पावर का कनेक्शन अब साढ़े 12 हजार, साढ़े 17 हजार में हो जाता है। यह शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि इससे किसान को कितना फायदा हुआ। मुझे यह भी ध्यान है, कई बार बिजली वाले पकड़ते थे जब लोगों को बिजली की चोरी करते हुए, तो वह आदमी यह कहता था कि, साहब, मैंने तो फाइल जमा करा रखी है, मुझे कनेक्शन दे दो। कनेक्शन की मारामारी थी। आपकी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। बल्कि जिन्होंने फाइल जमा करा रखी है जो कनेक्शन के लिए आतुर हैं उनको आप और पकड़ रहे हो, उनके ऊपर और प्रैशर थोप रहे हो। जब भी वे कनेक्शन लेना चाहते थे। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि 2003 तक के जितने भी कनेक्शन थे, अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि उन सब को बिजली के कनेक्शन मिलेंगे। यह आपको जानकारी में हो तो आप जाकर गांवों में बात करो, लोग इस बात से कितने खुश हैं, ये होती हैं जनता की नब्ज की बातें। मुझे याद है जब 2003 में अकाल पड़ा था और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 850 पानी के टैंकर लगे थे लोगों को पीने के पानी की सप्लाई के लिए। लेकिन उसके बाद से भगवान भी रहम कर रहा है क्योंकि ऐसी मुख्य मंत्री आई हैं जो प्रदेश में खुशहाली लेकर आई हैं और बारिश इतनी हो रही है कि हमको 850 टैंकर की जगह विभाग से इतने पैसे सैंक्शन हुए हैं कि छोटे-छोटे गांवों में हमने पनघट, जलदाय योजनाएं स्वीकृत कीं और जो मौजूदा जलदाय योजनाएं थीं उनमें हमने और ज्यादा पैसे देकर हर तबके तक पानी पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। मुझे याद है कि हम कई सालों तक लेकर बैठते थे लोग हमसे

(श्री रणधीर सिंह भीण्डर)

पूछते थे कि डब्ल्यूबीएम गिट्टी रोड हुई है और उस पर हम निकल रहे हैं, कब इनको डामर बनाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है यह कहते हुए कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी रोड ऐसी नहीं है जो डब्ल्यूबीएम हैं और उसको डामर नहीं कर दिया हो। इसको काम कहते हैं। ये काम है जिसके लिए हरि मोहनजी अभी कह रहे थे कि ये लोगों के बीच में जाने की बातें हैं। मैं आपको बताऊं कि जिंदगी क्या है, जानने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, पर आज तक कोई जिया तो नहीं। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे लेकिन याद रहेंगे लोगों को अपने काम से। मैं आपको विश्वास के साथ यह बात बता सकता हूं कि जब भी आगे कभी याद होगा तो यह जरूर याद किया जाएगा कि ऐसी मुख्य मंत्री आई थी जिसने इतना विकास किया। जनता को एक साथ रिलीफ देने के लिए जो काम हुआ, वैसा काम न पहले हुआ, न आगे होगा। मैं आपको कह सकता हूं, चार साल बनाम 56 साल, यह काम आप तौल कर देखें, आपको खुद महसूस होगा कि कितना काम हुआ है। सभापति महोदय, इससे पहले कि आप टोकें, मैं आपको धन्यवाद दूं, इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप इस प्रवृत्ति के आदमी हैं, आपसे तो अच्छी-अच्छी अपेक्षाएं हैं, 4 से 56 मत जोड़ो, ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य के.डी. बाबर।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 25 फरवरी को जो बजट यहां रखा, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समर्थन में बोलने के लिए इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं बल्कि इसलिए कि उन्होंने इसमें ऐसा कर दिखाया है जिसके कारण से मैं इस बजट का समर्थन कर रहा हूं। मैं भी एक दोहा लिखकर लाया हूं और उस दोहे से शुरूआत करना चाहता हूं-

दाता कहे सुम से, क्यों है चित्त मलिन,
क्या गठरी से गिर गया, क्या काहू को दीन।
सुम कहे दातार से- न गठरी से गिर गया न काहू को दीन,
देतां देखां और को, यों है चित्त मलिन।।

(श्री केसर देव बाबर)

दाता कहे सुम से- क्यों है चित्त मलिन, यानि दाता हमारी मुख्य मंत्रीजी और सुम पूर्व मुख्य मंत्रीजी। क्यों है चित्त मलिन, दु:खी है। क्या गठरी से गिर गया क्या काहू को दी, क्या तुम्हारी गठरी से कुछ गिर गया या आपने किसी को कुछ दे दिया? "सुम कहे दातार से" गहलोत साहब कह रहे हैं, "न गठरी से गिर गया न काहू को दीन", न हमारी गठरी से कुछ गिरा है और न हमने किसी को कुछ दिया है, पर "दैतां देखां और को, यों है चित्त मलीन। वसुंधराजी जनता को दे रही हैं इसलिए ये दु:खी हैं। माननीय वसुंधराजी ने जब से प्रदेश की डोर-कमान सम्भाली तब से प्रदेश में खुशहाली है। प्रतिपक्ष के लोग रोते-चिल्लाते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों के हमदर्द हैं लेकिन जितनी जेब इन्होंने किसानों की काटी है, गहलोत साहब की सरकार के समय इन्होंने किसानों को फूटी कौड़ी नहीं दी। इसका उदाहरण है, आन रिकार्ड है यह चीज। यदि उन्होंने किसानों को कुछ दिया हो तो बताएं। मुझे याद है, आदरणीय घनश्यामजी उस समय ऊर्जा मंत्री थे, घनश्यामजी ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था नर्सरी योजना। किसानों को तुरन्त कनेक्शन मिले....

श्री सभापति: एक मिनट बैठिये आप। मुझे सभी माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि इतनी बढ़िया, सुंदर विधान सभा है, हां पक्ष की लॉबी बनी हुई है, ना पक्ष की लॉबी बनी हुई है, मंत्रियों के कमरे बने हुए हैं, विधायक दल का कक्ष बना हुआ है, आप माननीय सदस्यों को आपस में बात करने की इच्छा है तो इन स्थानों का उपयोग कर सकते हैं। बोलिये माननीय सदस्य।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): आदरणीय घनश्यामजी ने जो योजना शुरू की उसमें यह था कि हम किसान को सस्ता कनेक्शन देंगे। 1250 रुपये प्रति एच.पी. के जो हम ले रहे हैं वो 25 रुपये एच.पी. के हिसाब से किसानों को वापस उनकी जेब में भेज देंगे। जैसे ही दो साल होंगे वो कनेक्शन स्वत: ही सामान्य हो जाएंगे और दो साल बाद में किसान का बिल सामान्य श्रेणी से भी कम का आएगा क्योंकि 25 रुपये एच.पी. के वो कम हो जाएंगे और उसका कृषि का कनेक्शन है वह सामान्य हो जाएगा। जैसे ही गहलोत साहब ने कमान सम्भाली इन्होंने तुरन्त प्रभाव से यह फैसला किया कि नर्सरी योजना में जो 25 रुपये हम दे रहे हैं वे नहीं देंगे, हमारी जेब में रखेंगे। इसके अलावा दो साल में सामान्य नहीं करेंगे, जिस दिन उस गांव में सामान्य श्रेणी का नम्बर आएगा उस दिन उस किसान का सामान्य श्रेणी का होगा। इन्होंने

(श्री केसर देव बाबर)
मुश्किल से पांच घंटे बिजली दी। सुबह-शाम की बिजली देना बन्द कर दिया। सभापति महोदय, गांवों में एक बिलौना होता था उस बिलौने को गांवों में गृहिणियों ने टांड पर रख दिया, काम में ही नहीं लेती थीं। जैसे ही हमारी मुख्य मंत्रीजी आई, गांवों में सुबह बिजली आई और बिलौने से महिलाएं बिलौने लगीं। जो गरीब किसान छाछ के लिए दोपहर तीन बजे तक तरसता था वो गरीब किसान सुबह 6 बजे छाछ पीने लगा। इन्होंने बिजली की रेट बढ़ाई, मीटर रेट बढ़ाई, फ्लैट रेट बढ़ाई। जैसे ही हमने कमान सम्भाली, किसानों को 8 घंटे थ्री फेस बिजली मिली। आज इसका आप प्रदेश में असर देख रहे हैं कि बिजली के नाम का कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। किसानों को लगातार बिजली मिल रही है। गांव में सुबह बिजली मिलती है, शाम को बिजली मिलती है। ये किसान की जेब पांच साल में जितनी काट सकते थे उतनी काटी। जैसे ही हमारी सरकार आई, किसानों की फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाई, जितना पैसा ये बढ़ाकर गये थे उसी रेट से हम किसानों से बिल ले रहे हैं। इन्होंने कनेक्शन दिये अपने कार्यकाल में 1, 11, 773 जिसमें इनकी चोरी योजना भी आ गई, सामान्य श्रेणी भी आ गई, एस.सी., एस.टी. भी आ गई, सब योजनाएं आ गईं। इनके कार्यकाल में एक योजना थी चोरी योजना, चोरी करो और कनेक्शन पाओ। इनकी नीयत ही ऐसी थी। जैसी इनकी नीयत थी वैसे ही ये काम कर रहे हैं। वह चन्द्रभानजी चोरी योजना थी। हमने चार साल में 1, 30, 226 कनेक्शन दिये। इसमें 68589 सामान्य श्रेणी के, 29468 अनुसूचित जाति के लोगों के, ये करीब 92 हजार तो सामान्य श्रेणी के हो गये और स्पेशल में 22523 अलग हैं। यही नहीं, जो कनेक्शन ये चोरी योजना में देकर गये, जो कनेक्शन ये नर्सरी योजना में देकर गये, जो अन्य किसी योजना में देकर गये उन सब को दो साल होते ही सामान्य श्रेणी में कर दिया। यह किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। ये किसानों की बात करते हैं वह किस मुंह से बात करते हैं, इनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। हालांकि गहलोत साहब कभी बोलते नहीं हैं, यहां कहते भी नहीं हैं कि मैंने किसानों को कुछ दिया है। वो आते इसलिए नहीं हैं कि वो गांधीजी के सामने असत्य नहीं बोलना चाहते। वो इनके सामने बिलकुल असत्य नहीं बोलना चाहते कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के भले की बात हम करते हैं। इन्होंने नौकरी दी सिर्फ पैरा

(श्री केसर देव बाबर)
टीचर्स की राजीव गांधी पाठशालाओं में और उसमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं रखा। सबसे बड़ा अन्याय इन्होंने किया है तो एस.सी., एस.टी. के साथ किया है। इसमें आरक्षण नहीं होने की वजह से हमारे जो बच्चे भर्ती होते, वो होने से वंचित हो गये। यह इनकी नीयत खराब थी। जबकि कहते फिरते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों का भला सिर्फ हम ही कर सकते हैं, बी.जे.पी. वाले नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने नौकरी दी वो बिलकुल नियम, कानून-कायदे और पारदर्शिता से दी है।

सभापति महोदय, ये क्या कहते हैं वो मैं एक बात कोट करना चाहूंगा। नगर से आने वाले माननीय सदस्य 27 तारीख को बोल रहे थे गार्गी पुरस्कार के बारे में। गार्गी पुरस्कार के बारे में वो बोल रहे थे कि गार्गी पुरस्कार आपने दिया ही नहीं, आपने दिया तो सिर्फ 13 छात्राओं को दिया। सभापति महोदय, एक मिनट में मैं आपसे निवेदन करूं कि सीकर जिले में 823 लड़कियों को गार्गी पुरस्कार दिया गया दिनांक 11.2.2008 को और धोद से आने वाले माननीय सदस्य अमरारामजी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लेकिन माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब कह रहे हैं कि आपने सिर्फ 13 लड़कियों को ही दिया। झुन्झुनूं में करीब एक हजार बच्चियों को दिया गया और चूरू में करीब 700 बच्चियों को दिया गया। हालांकि चूरू नम्बर तीन पर रहा। झून्झुनूं का एक नम्बर, सीकर का दो नम्बर और चूरू का तीन नम्बर रहा। सभापति महोदय, ये इतना बड़ा असत्य बोल जाते हैं, कहां 13 हजार और कहां 13। असत्य बोलने की भी कोई सीमा होती है, सभापति महोदय। सभापति महोदय, यह जो बजट रखा है इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर व्यापारी का ध्यान रखा गया है, इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि कांग्रेस शासन में हम जब अख़बार पढ़ते थे तो हम देखते थे कि एम एल ए कोटे से हैण्डपम्प लगाया गया है, एम एल ए कोटे से ट्यूबवैल लगाया गया है, एम एल ए कोटे से कुआ खोदा गया है। आज सांवरलालजी हमारे जलदाय मंत्री हैं, उनके राज में किसी विधायक को एम एल ए कोटे से हैण्डपम्प खोदने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज प्रदेश में सड़कों का जो हिसाब है वह आप देखते ही हैं, मैं आंकड़ों में नहीं पड़ना चाहता। 2-3 मेरी मांग हैं वो मैं रख दूं, आप घंटी बजाने वाले हैं। मेरे क्षेत्र में जो पानी है उसमें फ्लोराइड है, नाइट्रेट है और खारापन है, उसके

(श्री केसर देव बाबर)

लिए स्कीम बनी हुई है। मेरे क्षेत्र को भी अच्छा पानी मिले, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, नहर का मीठा पानी मिले, यह व्यवस्था हो। इसके अलावा एक उप तहसील नेछवा में हो, यह मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है।

सभापति महोदय, नीमकाथाना बड़ा कस्बा है और उसकी करीब 60,000 की आबादी है। वहां पर 50 बैड का अस्पताल चल रहा है, उसको 100 बैड करें, यह मेरी मुख्य मंत्रीजी से मांग है। एक मेरी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी से मांग है कि नीमकाथाना शहर काफी बड़ा हो गया, काफी व्यस्त शहर है, नीमकाथाना के पास दिल्ली जाने के लिए बाई-पास रोड बनी। मंत्री महोदय, दिल्ली जाने के लिए आपने रोड अच्छी बनाई है बी.ओ.टी. से, गाड़ियां अच्छी चलती हैं लेकिन नीमकाथाना शहर में आकर वे अटक जाती हैं इसलिए आप बाई-पास बना दें सिरोही नदी से महुवा होते हुए तो समय भी बच जाएगा और शहर में भी तकलीफ नहीं पाएंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य जीतमल खांट। (व्यवधान) नहीं, मैं आपके निर्देश मानूं या मुख्य सचेतकजी के मानूं? आप तय करें। बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने...

श्री सभापतिः 10 मिनट में बात समाप्त करें। उससे पहले भी कर सकते हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं बहुत जल्दी करूंगा। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव इस बजट पर इस सदन में रखे हैं, मैं भी अपने विचारों को सम्मिलित करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में पंचायती राज जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तम्भ है, जिस पंचायती राज के लिए महात्मा गांधी कहते थे, यह इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, उसी बात को चरितार्थ करते हुए मुख्य मंत्री महोदया ने महिला को जिसे हमारे पुरुष प्रधान इस देश में अर्द्धांगिनी का दर्जा देते हैं, गृहिणी को पुरुष के बराबर पार्टिसिपेंट मानते हैं किन्तु जिस गृहिणी के ऊपर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में अनेक प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, कठिनाइयां

(श्री जीतमल खांट)

हो रही हैं, किन-किन परिस्थितियों से वह महिला गुजरती है, राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश की पार्लियामेंट में महिला बिल को पारित करवाने के लिए देश के कोने-कोने में सारी महिलाएं आन्दोलन कर रही हैं, लेकिन पहली बार राजस्थान की मुख्य मंत्री ने राजस्थान में पंचायती राज में 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महिला आरक्षण किया है और उसका बिल यहां रखा है सदन में। एक महिला होने के नाते उनकी इच्छाशक्ति यह जताती है कि महिला के अन्दर नेतृत्व करने की शक्ति निकलेगी, नेतृत्व करने की हिम्मत पैदा होगी। पूरे राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार से महिला का सम्मान बढ़ाने का काम मुख्य मंत्री महोदया ने किया है, निश्चित रूप से राजस्थान के इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए लिखा जाता रहेगा।

राजस्थान में हमारे अभी पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने सुझाव दे रहे थे। एन.डी.ए. का दिल्ली में राज था, निवर्तमान अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में कांग्रेस का राज राजस्थान में था। आज परिस्थितियां ठीक उसी तरह से बदल गई हैं। आज दिल्ली के अन्दर यू.पी.ए. का राज है और राजस्थान के अन्दर मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में भाजपा का राज है। मुझे यह हिम्मत और साहस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी दिन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने यह नहीं कहा कि मेरे हाथ में कभी पैसा नहीं है। यह उन्होंने कभी नहीं कहा। हमेशा यही कहा कि मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक महिला मुख्य मंत्री बनी और उन्होंने हिम्मत के साथ काम किया है। राजस्थान के अन्दर भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार का इलाका है, भिन्न-भिन्न समस्याएं हैं, लेकिन उनका मुकाबला करते हुए, साहस के साथ काम कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस के मुख्य मंत्री थे, मैं गहलोतजी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे कहने के साथ यह अफसोस हो रहा है, राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार गहलोत साहब को 156 का बहुमत मिला था, उसके बाद में भी हमेशा गहलोतजी ने कहा कि सेन्टर मेरे साथ में भेदभाव कर रहा है। आज मुख्य मंत्री महोदया के साथ सेन्टर की जो सरकार है, वह भेदभाव नहीं कर रही है? भेदभाव कर रही है लेकिन कभी यह कहा नहीं। कभी पत्र-पत्रिकाओं में, कभी किसी स्टेटमेंट में भारत सरकार के खिलाफ मुख्य मंत्री ने आज तक नहीं बोला है। मैं इनको बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि एक महिला होने के बावजूद भी प्रदेश की

(श्री जीतमल खांट)

विभिन्न समस्याएं हैं-चाहे शीतलहर हो चाहे प्रकोप हो चाहे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, इन सबसे मुकाबला करने का साहस जुटाया है। इतना ही नहीं, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि बी.पी.एल. परिवार को, एस.सी. एस.टी. को, इनको किस तरह से क्या-क्या योजनाएं दीं। इन योजनाओं के बारे में सभी जिक्र कर चुके हैं, मैं ज्यादा उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पहली बार मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में कई अभिनव प्रयोग किये गये। उनका लाभ गांव से जुड़ा हुआ वह आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको मिला। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मैं अभिभाषण में इस बात को कह चुका हूं कि राजस्थान का दक्षिणी इलाका है उसमें हमारा ट्राइबल सब प्लान का पूरा एरिया आता है, उस पूरे के पूरे इलाके के अन्दर महिला का प्रतिशत शैक्षणिक दृष्टि से बहुत गिरा हुआ था। आज विद्यालयों में हमारे लड़के-लड़कियों का प्रतिशत बराबर देखने को मिलता है। इस सरकार ने 20, 000 के आसपास साइकिलें वितरित करने का काम किया है जिससे बालिकाओं में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन पैदा हुआ है। उससे हमारे महिला शिक्षा का स्तर बढ़ा है। हम बराबर जिक्र करते हैं एस.सी. एस.टी., बी.पी.एल. गरीब और दलित व्यक्ति की व्यथा के बारे में, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपसे यह कहना चाहता हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 2004-2005 के बीच में सम्पूर्ण राजस्थान में बारिश हुई और हमारे बांसवाड़ा-डूंगरपुर, उदयपुर सम्भाग में जिस इलाके में कभी बारिश होने की सम्भावना नहीं थी, वहां पर भी भयंकर बारिश हुई। हमारे बांसवाड़ा-डूंगरपुर के इलाके में 112 इंच बारिश हुई और उस बारिश की वजह से बांसवाड़ा-डूंगरपुर के अन्दर कई ऐसे कच्चे मकान जो मिट्टी के बने हुए थे, ढह गये। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि का क्रम है, यह प्रकृति का क्रम है, वह तो जारी रहता है लेकिन बांसवाड़ा के इतिहास में इतनी बारिश, 112 इंच बारिश पहली बार हुई और हजारों-हजारों मकान ढह गये, कच्चे मकान। कभी कांग्रेस की सरकार ने चिंतन-मनन नहीं किया लेकिन राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने एक पूरा पैकेज दिया। तीन तरीके के मकान में बारह हजार, दस हजार, छह हजार और बारह सौ रुपये देकर तत्काल तरीके से उन लोगों को राहत देने का काम किया, बांसवाड़ा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। उसी दरमियान में हमारे देश के गृह राज्य मंत्री सम्माननीय जायसवाल साहब और उनके साथ में हमारे वन राज्य मंत्री मीणा साहब आते हैं, हैलीकाप्टर का दौरा करते हैं।

(श्री जीतमल खांट)

कांग्रेस के सारे लोग इकट्ठा होते हैं जिला मुख्यालय पर और मांग करते हैं कि पूरे जिले के अंदर तबाही मच गई, फसल चौपट हो गई, मकान बर्बाद हो गये। गृह राज्य मंत्रीजी बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत बोलने का प्रयास करो, पहले हिसाब लो, उसके बाद में बात करेंगे सहायता की। माननीय सभापति महोदय, जो आदमी तकलीफ में हो, पीड़ा हो, दर्द हो, उस दर्द पर नमक छिड़कने का काम करे देश का गृह राज्य मंत्री, इससे बड़े शर्म की और क्या बात हो सकती है। तत्काल पैसा देने की बजाय इन्होंने तो वहां गरीब के उस घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, हम सब लोग पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सभी सदस्य अपने-अपने विचार यहां रख रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पूरे प्रदेश में जो भी पीडित व्यक्ति है, जो आहत है उसको राहत देने का हम सब का जिम्मा है। पैसा मिले भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से, संयुक्त रूप से हम सब प्रयास करें और जो पीडित व्यक्ति है उसको राहत मिलनी चाहिए। मैं यह भी कह देना चाहूंगा कि बीपीएल परिवार को सहायता देना, यह तो है ही, कहीं न कहीं भारत सरकार और राजस्थान सरकार के नार्म्स में आता है लेकिन राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार कहा कि बीपीएल के अलावा गैर बीपीएल जो लोग हैं इनको भी, उस महिला के खाते में भी डेढ़ हजार रुपये का चैक पहुंचेगा और उसको भी तकलीफ के समय वे डेढ़ हजार रुपये काम आएंगे। यह पहली बार हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया ने जो साहसिक कदम उठाये हैं पूरे राज्य की जनता के लिए, वे स्वागत योग्य हैं।

सभापति महोदय, जिस तरीके से हमारे विद्यालयों का शैक्षणिक जगत में ग्राफ बढ़ा है, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है, मैं आरोप या प्रत्यारोप लगाना नहीं चाहता लेकिन पिछली सरकारों का भी इतिहास रहा है, जब कभी भी बजट पास होता था या सदन में हम सब लोग वाद-विवाद करते थे तो बड़ी मुश्किल से एक सीनियर सैकण्डरी, दो सैकण्डरी स्कूल, दो-चार प्राइमरी हम लोगों को हमारे हिस्से में मिलती थीं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है 3108 विद्यालयों को सैकण्डरी में क्रमोन्नत करना। माननीय सभापति महोदय, हमें न जाने कितने-कितने लोगों से, कितने ऊंचे-ऊंचे लोगों से जाकर हाथ जोड़ने पड़ते थे, सिफारिश करानी पड़ती थी। आज बिना किसी सिफारिश के 3108 विद्यालयों को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का इतना बड़ा जो साहसिक काम किया है, निश्चय ही स्वागत योग्य है। मैं ज्यादा बात नहीं

(श्री जीतमल खांट)

कहूंगा, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, हम बैठने के लिए बिलकुल तैयार हैं, लेकिन एक-दो हमारे सुझाव हैं।

हमारे यहां पर माननीय पीडब्लूडी मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, सड़कों का जाल आप बिछा रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जार्ज फर्नाडीज की एनडीए की सरकार में जो सड़कों का जाल बिछा है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के जितने भी ट्राइबल सब प्लान में आने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारे भौगोलिक दृष्टि से फैले हुए हैं। इस बार आपका बजट हमने पढ़ा है, मिसिंग लिंक का कोई प्रावधान आपने नहीं रखा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम मिसिंग लिंक के प्रावधान रखे जाएं। गांव-गांव जुड़ गये लेकिन दो गांवों के बीच में ज्यादा नहीं तो पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस किलोमीटर का भी पैकेज अगर जोड़ा जाता है तो गांव से गांव जोड़ दिये जाएंगे, इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान फर्माएं।

दूसरा मेरा निवेदन है कि एमएलए लैड की राशि को एसटी और एससी की बस्तियों में खर्च करने का जो प्रावधान यहां रखा है, 80 लाख बहुत ही कम होते हैं, मैं चाहूंगा कि 80 से बढ़ा कर कम से कम इसको एक करोड़ कर दिया जाए। अपने-अपने क्षेत्र में जिस तरीके से जनता की मांग है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कन्हैया लालजी पाटीदार।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): और आपने जो समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय सभापति महोदय, मैंने बीच में इनको इण्टरप्ट करना उचित नहीं समझा, लेकिन जब यहां पर मोदीजी का नाम हिण्डौली से आने वाले सदस्य ने लिया था तो आपने उसको डिलीट करा दिया था। अभी माननीय सदस्य ने केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्री नमोनारायणजी मीणा का नाम ले-लेकर कई बातें कहीं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको भी आप कार्यवाही से निकालें, वे भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वह तो आये थे न, कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आये थे तो क्या, यहां पर मोदीजी तो ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): नहीं-नहीं, बिराजो। आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मोदीजी नहीं आये क्या यहां? यह मीठा-मीठा गप और कड़वा-कड़वा थू नहीं चलेगा। आसन के लिए सब के लिए समान व्यवस्था है। मैंने आसन से निवेदन किया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माहिर साहब, जिस मोदीजी की आप बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कहने का कोई राइट नहीं है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने आसन से निवेदन किया है, कृपा करके, सभापति महोदय, आप उसको भी कार्यवाही से निकलवाइये। वह इस सदन के सदस्य नहीं हैं। एक तो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, एक वन और पर्यावरण राज्य मंत्री हैं, उनका नाम लेकर आप यहां कोई टिप्पणी करो, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एक फूटी कौड़ी नहीं दी। बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों के साथ में बहुत बड़ी उपेक्षा की, एक फूटी कौड़ी नहीं दी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और यह आपने राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय किया है, मोदी ने जो ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारे घावों पर नमक छिड़कने का काम किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: चलो, आपका दोनों का विषय मेरे को समझ में आ गया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): मैं इनसे कोई गाली-गलौच नहीं कर रहा हूं। एक फूटी कौड़ी कहा है।

श्री सभापति: अभी हम इसको देख लेंगे, कोई अनुचित बात होगी तो हटा देंगे।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कोई काम नहीं किया, न कोई राशि उन्होंने स्वीकृत करवाई।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): और जिस मोदीजी का आप बार-बार जिक्र कर रहे हो, उन मोदीजी का वही पैटर्न राजस्थान में दोहराया जाएगा। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इससे पहले उस पक्ष के लोगों ने किसी का नाम लिया, आप डिलीट करा दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोहरा लो न, पता पड़ जाएगा। (व्यवधान) बांसवाड़ा में दोहराया गया था न।

श्री सभापति: मैंने आपसे आग्रह कर दिया है, अगर कोई अनुचित बात होगी तो उसमें से हटवा देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपका जेडीयू का कैंडीडेट चुनाव नहीं लड़ पाया, आपसे छिन गई सीट। आगे भी पता पड़ जाएगा आपको। आपको भी पता पड़ जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हटवा देंगे। उसको तत्काल डिलीट करवाइये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय कन्हैया लालजी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सभापति महोदय, यह तो गलत बात है, उसको डिलीट करवाया जाए।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): That is only a reference, न कि आरोप। एलिगेशन नहीं है, सिर्फ रेफरेंस आया है कि वह आये थे, उन्होंने यही कहा है, दैट्स आल। कोई एलिगेशन नहीं है। उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको दिखवा लेते हैं, कोई अनुचित बात होगी तो हटा देंगे उसमें से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने तो आसन से अपनी बात निवेदन कर दी, आसन का काम है देखना, खतम बात, इसमें क्या बात है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उन्होंने यह कहा था ...(व्यवधान) तीस करोड़ रुपये बचा लिये ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव) कोई आरोप नहीं लगाया है, सिर्फ रेफरेंस आया है कि वह आये थे। उन्होंने यही कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको नहीं कहा, मैंने आसन से कहा है। आसन का काम है टिप्पणी हटाना, संसदीय सचिव का काम नहीं है यह।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपने अभी आसन से रिक्वैस्ट की है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आप सभी लोगों से आग्रह कर दिया है, अभी इसको देख लेते हैं, कोई भी अनुचित बात होगी, उसको डिलीट करवा देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बस, थैंक यू।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लालजी पाटीदार। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): वैसे मेरा नाम लेकर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य ने चाहे जो कह दिया, उठा कर कह दिया कि सीकर में इतने हजार थीं, झुंझुनूं में इतने हजार थीं, चूरू में, लिस्ट करो न आप, गार्गी पुरूस्कार इतने लोगों को दिया है तो।

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य, आपकी बात समझ में आ गई। चलिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खुद आपके मंत्री ने कहा था कि इतने लोगों को दिया। छह स्कूटी देकर आप पूरे प्रदेश के दलितों की वाहवाही लूटना चाहते हो।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): लूटेंगे तो। दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों का विषय सदन में आ गया है ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): एक फूटा रुपया नहीं दिया, xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मेरा विषय यह था ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आदिवासियों का पीते हैं xxx कांग्रेस में।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हमारा आब्जेक्शन है, आदिवासियों को आज दिन तक लोक लुभावने नारे देने का काम किया है हमेशा। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने सभी माननीय सदस्यों की बात को गम्भीरता से सुन लिया है, सब का विषय समझ में आ गया है, आप अन्य सदस्य को बोलने दें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैंने तो यह कहा था कि 75 से 60 करो, गलत कहा क्या यह? आदिवासी बालिका ...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ढाई हजार आवासीय विद्यालय निर्माण कराये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो स्पेशली यह कहा मैंने। आपको अगर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये। सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): कैसे नहीं दिये बनाकर...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुझे क्या आपत्ति है?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मुख्य मंत्री महोदय ने छह करोड़ पांच लाख की स्वीकृति तुरंत जारी की थी उस समय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आदिवासियों के कल्याण की बात होती है तो माहिर आजादजी के पेट में दर्द होता है।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): पीड़ितों को क्या दिया, लिस्ट मंगवाकर दे दो। लिस्ट रखें लिस्ट, पता लग जाएगा। बिना मतलब बोले जा रहे हो, लिस्ट बताओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है, आप बैठिये। मंत्रीजी, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 60 करोड़ किये हैं, भारत सरकार ने ...(व्यवधान) पांच सौ करोड़ से बढ़ाकर एक हजार करोड़ किये हैं। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): लूट कर खा गये आदिवासियों को। (व्यवधान)

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से एक सुझाव है, माननीय मंत्रीजी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सरकार काश्तकारों के लिए पाले और शीतलहर के लिए सीआरएफ में तो चैंज नहीं कर पाई और काश्तकारों के लिए आप दुहाई दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो यह बता दो ...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यू.पी. के अंदर मायावती ने हमारे ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप तो यह बता दो कि मोदी पैटर्न अच्छा लग रहा है कि वसुंधरा पैटर्न? यह फैसला कर लो कि आपको मोदी पैटर्न अच्छा लग रहा है कि वसुंधरा पैटर्न। (व्यवधान)

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य बढ़िया-बढ़िया सुझाव दे रहे हैं ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप फैसला कर लो इस बात का।

श्री सभापति: बैठिये, बैठिये आप। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पता पड़ जाएगा लिस्ट करा दो ... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपको सोनियाजी अच्छी लगती हैं या मनमोहन सिंहजी?

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): बाढ़ पीड़ितों को किसको 500-500 रुपए दिये? आप लिस्ट करवा दो, दस हजार और आठ हजार की बात ...(व्यवधान) लिस्ट करवा दो यहां, सरकार में बैठे हैं, सरकार के समर्थक बैठे हैं, बांसवाड़ा की लिस्ट करवा दो आप।

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सोनिया जी अच्छी लगती हैं, अच्छी बात है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ...(व्यवधान) जवाब दो। आपके पास कोई जवाब ही नहीं है कह दो आप ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): इसका मतलब भारत का प्रधानमंत्री ...(व्यवधान) इसका मतलब भारत में निष्ठा नहीं है आपकी। भारत के प्रधानमंत्री को नहीं चाहते हो, इसका मतलब उसमें निष्ठा नहीं है आपकी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सरकार बड़ी होती है कि पार्टी बड़ी होती है? (व्यवधान)

श्री सभापति: चलो, आपने एक दूसरे की समालोचना कर दी है, बैठ जाइए आप स्थान पर।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह आपस में जो बहस कर रहे हैं वह तो घर जाकर कर लेंगे, इनको बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, हाउस को आडर में लाइए। इनको सोनियाजी अच्छी लगती हैं, उनका भाषण अच्छा नहीं लगता है।

श्री सभापति: एक मेरा सभी माननीय सदस्यों से सुझाव है आप आपस में यहां पर आरोप लगाते हैं, जो माननीय सदस्य जिस विधान सभा सदस्य पर आरोप लगाना चाहता है, भगवान ने इतनी बढ़िया-बढ़िया मशीनें दी हैं उस पर आप पत्रक छपवाएं एवं क्षेत्र में बांटें, इस पर बैठे यहां पर समय खराब नहीं करें। उस पर सारी जनता पढ़ेगी, यहां पर तो बहुत कम लोग सुन रहे हैं। बड़ा रचनात्मक सुझाव आपको दिया है बिलकुल जोरदार पत्रक छपवाएं और क्षेत्र में बटवाएं आप। सदन का समय खराब नहीं करें।

श्रीमती स्नेहलता (डग): माननीय सभापति महोदय अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा...

श्री सभापति: वह सुन लिया है मैंने, आप बैठिये।

श्रीमती स्नेहलता (डग): गार्गी पुरस्कार नहीं दिया गया सीकर ज़िले के लिए, उन्होंने कहा, तो हम लाकर दे देते हैं सूची।

श्री सभापति: आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती स्नेहलता (डग): हम लाकर दे देते हैं, अभी हमारे लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो अपना स्थान ग्रहण करें। एक तरफ हैं 33 करोड़ देवी-देवता, एक तरफ तीन महाशक्ति, वो 33 करोड़ आज तक तीन का कुछ नहीं बिगाड़ सके, आप तो मस्त रहें।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय सभापति महोदय, 25 तारीख को जो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने सदन में बजट पेश किया है और बजट के माध्यम से जो कल्याणकारी घोषणाएं मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश की जनता के हित में की हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। यहां हमारे सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने इस बजट की प्रशंसा की है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अभी-अभी माननीय हरिमोहनजी शर्मा ने एक चौपाई तुलसीदासजी की यहां उद्धृत की-सचिव, बैद, गुरु तीनि जो प्रिय बोले भय आस। मैं शर्मा साहब को बताना चाहूंगा कि हम जो सदस्य बजट के पक्ष में बोल रहे हैं न तो मुख्य

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

मंत्री के सचिव हैं, न उनके वैद्य हैं, न उनके गुरु हैं, हम सब उनके सहयोगी हैं, और न हमें किसी प्रकार का भय है। आपकी यह चौपाई यहां सटीक नहीं बैठती है, शर्मा साहब, क्षमा करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह उस चौपाई का कांग्रेस ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय परबतसर से आने वाले सदस्य, अभी आपने ही सुझाव दिया था, उनको बोलने दो। आप उनको बोलने दें।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय सभापति महोदय, सफल सरकार वही होती है जो आम आदमी के हितों की रक्षा कर सके। आम आदमी जिन मूलभूत आवश्यकताओं से रोजाना रूबरू होता है और वे मूलभूत आवश्यकताएं जब भी अव्यवस्थित हो जाती हैं, उनको नियंत्रित जो सरकार कर सके वही सफल सरकार होती है। माननीय सभापति महोदय हमारा प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है, लगभग 80 प्रतिशत किसान हमारे प्रदेश में निवास करते हैं। किसान की मुख्य आवश्यकताएं बिजली, सिंचाई का पानी, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, चिकित्सा की सुविधा, चलने के लिए सड़कें-सारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की है हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने। बिजली की इतनी अव्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार के समय में थी, हमारे कितने माननीय सदस्यों ने यहां उसका वर्णन किया है। मुझे भली-भांति याद है, 80 हजार, एक लाख रुपये के डिमाण्ड किसानों को जारी हुआ करते थे, इतनी भारी राशि के डिमाण्ड जारी करने के बावजूद एक सब-डिवीजन के ऊपर 15 या 20 कनेक्शन से ज्यादा आबंटित नहीं होते थे। रात-रात भर गांवों की बिजली गायब रहती थी, पूरी तरह से ब्लैक आउट रहता था। दिन में या रात में किसानों को सिंचाई हेतु मात्र 2 या 3 घंटे की बिजली मिला करती थी। उन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मात्र 13 हजार रुपये पर पांच हॉर्स पावर का कनेक्शन और साढ़े आठ हजार रुपये पर तीन हॉर्स पावर का कनेक्शन, खम्भे चाहे कितने ही लगें, उसमें कोई बाधा नहीं, बरसों से पैंडिंग पड़े आवेदनों के सारे के सारे मार्च, 1993 तक के कनेक्शन उन्होंने जारी कर दिये। कनेक्शन किसानों को दे दिये। 2004 तक जितने आवेदन पैंडिंग हैं या जितने आवेदन आ चुके हैं, उन सबके कनेक्शन इस वर्ष में कर दिए जाएंगे, ऐसी इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की है। यह किसान के लिए

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

एक वरदान है। सिंचाई का पानी यदि किसानों को मिल जाए तो किसानों को भगवान मिल गये, कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कहता हूं, मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारों दिशाओं में चार डैम स्वीकृत किये। एक डैम से किसानों को पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है, तीन डैम का काम अभी चल रहा है, गतिशील है। सिंचाई के पानी की दृष्टि से मेरा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र पूरी तरह से बनाया है मुख्य मंत्री महोदया ने, वहां के समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में मुख्य मंत्री महोदया ने ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जिस बात की किसी राजनेता ने हिम्मत नहीं की, एक बहुत बड़े साहस का परिचय दिया है माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में महिलाओं को दिया है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत साहसिक कदम उठाया जिसे कहना चाहिए वह मुख्य मंत्रीजी ने उठाया है। जब महिलाएं पुरुष की बराबरी का काम करती हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं के सहयोग के बिना कोई भी काम पुरुष पूरी तरह से, पूर्ण रूप से सम्पादित नहीं कर सकता, फिर महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में इतना पीछे क्यों रखा गया, यह दर्द हमारी मुख्य मंत्री महोदया के दिल में आया और उन्होंने 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया। इससे पूर्व जब से मुख्य मंत्रीजी प्रदेश में बैठीं तब से उन्होंने महिलाओं के हित में, महिलाओं को हीन भावनाओं से उबारने के लिए, क्योंकि पहले महिलाएं पुरुष के अधीन हुआ करती थीं, सारा कमाई का कार्य पुरुष करता था, महिलाएं यह सोचती थीं कि पुरुष कमाता है, हम घर बैठे खाती हैं, मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं को रोजगार देना प्रारम्भ किया। चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से उन्होंने दिया हो या अन्य किसी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, उन्होने महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न किया है। महिलाओं के मन में एक हिम्मत जगी है, महिलाओं के दिल से हीन भावना निकली है। महिलाओं के दिल में यह भावना आई है कि आज पुरुष कमाता है तो मैं भी कमाई करती हूं और परिवार के भरण-पोषण में मेरा भी उतना ही सहयोग है जितना पुरुष का सहयोग है। तो आज महिलाएं हीन भावना से अलग हुई हैं और पुरुष वर्ग के बराबरी में आई हैं।

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

फिर यह एक क्रांतिकारी कदम जो मुख्य मंत्री ने उठाया है, 50 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में जो महिलाओं को मिला है। महिलाएं तो लाभान्वित हुई ही हैं, लेकिन एक संदेश माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को दिया है जिसका अनुसरण पूरे देश को करना चाहिए। एक और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाया है, माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल तक की शिक्षा हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने उपलब्ध करवाई है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं गांवों में पढ़कर अपने घर में बैठ जाया करती थीं, आज ग्रामीण क्षेत्र में 10वीं तक की शिक्षा उपलब्ध होगी तो ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक बालिका 10वीं तक तो निश्चित रूप से शिक्षित हो जाएगी। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के यहां सत्ता में विराजमान होने से पूर्व राजस्थान को एक बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान को बीमारू राज्य की कालिख जो हमारे,

(16.49 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान के माथे पर लगी हुई थी, उसको मिटाकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में हमारे राजस्थान को स्थापित किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां हमारे कितने ही पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय अशोकजी गहलोत साहब ने कितनी ही बार ऐसे स्टेटमेंट जारी किये कि मेरे पास खजाना खाली है, मैं कोई विकास राजस्थान का नहीं करवा सकता। मैं इस बात को दुहरा नहीं रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि खजाना खाली हो या भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए। हमारे यहां गांव में कहावत है कि यदि आदमी काम करता है तो धूल से भी धन पैदा करता है। यही कहावत हमारी मुख्य मंत्री महोदया के ऊपर

(श्री कन्हैया लाल पाटीदार)

चरितार्थ होती है। मैं यह पूछना चाहता हूं हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से कि जब हमने अशोकजी गहलोत को शासन सम्भलाया उस समय खजाना खाली करके दिया था तो जब अशोकजी गहलोत ने हमें सत्ता सम्भलायी तो क्या उन्होंने खजाना भर कर दिया था जो हम आज विकास करवा रहे हैं? उस समय खजाना खाली था तो इस समय भी खजाना खाली था, लेकिन हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने एक दिन भी नहीं कहा कि मेरे राजस्थान का खजाना खाली है। क्योंकि वो जानती थीं कि खजाना खाली रहना हमारे राजस्थान की प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ सवाल है, मैं अपने राजस्थान प्रदेश की प्रेस्टीज को कभी नीचे नहीं आने दूंगी। इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे प्रदेश का खजाना खाली है, मुझे पैसे की कभी कोई कमी है। मैं हर प्रकार के विकास का काम करवा सकती हूं चाहे कितना ही धन उसमें लगे, मुझे धन की कमी कहीं भी आड़े नहीं आएगी, हमेशा मुख्य मंत्री महोदया ने यही जवाब दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कितनी ही बार विपक्ष के साथियों ने कटाक्ष किया है कि आपके मंत्री, आपके विधायक आपकी मुख्य मंत्री को देवी का रूप मानते हैं उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि देवी और देवता की परिभाषा क्या है? जो देता है वह देवता कहलाता है और जो देती है वह देवी कहलाती है, यह व्याकरण सिद्ध परिभाषा है। देने वाले को देवता कहते हैं और देने वाली को देवी कहते हैं, तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है? यदि कोई देवी कहे क्योंकि हम आये दिन उनसे मांगते हैं और वो हमें देती हैं। हम अपने ईश्वर के सामने अगरबत्ती, धूप, प्रसाद वगैरह सब चढ़ाकर उनसे मांग करते हैं-ईश्वर हमारे जीवन में सफलता देना, हमें बढ़िया रोजगार देना। लेकिन हमारी देवी को न तो अगरबत्ती लगानी पड़ती है न प्रसाद चढ़ाना पड़ता है न फूल चढ़ाना पड़ता है, केवल निवेदन करते हैं कि मुख्य मंत्री महोदया हमें इस बात की आवश्यकता है आप हमें दीजिये और तुरन्त वह हमें अशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो इसमें यदि हमने देवी कह दिया तो कौन-सी अतिशयोक्ति हो गई? वैसे भी हमारे समाज में कोई भी अच्छा काम करता है तो कोई भी कह देता है कि वो तो देवता स्वरूप आदमी है, वो तो देवता स्वरूप आदमी है। हम कहते हैं कि यह एक व्यावहारिक बात है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इस वाद-विवाद के पूरा होने और उत्तर देने तक बढ़ाया जाए।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): ...(व्यवधान) पांच मिनट बाद ही बोल देते, वो देवी की पूजा कर रहे थे। आपको इसी समय बोलनी थी क्या यह बात?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) पूजा कर चुके थे, प्रसाद का समय है अभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक का समय आज के वाद-विवाद समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है। मुख्य मंत्री के जवाब देने तक समय बढ़ाया जाता है।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता हमें वोट देती है, हम अपने सिर पर कर्जा मान कर उसे स्वीकार करते हैं। कर्ज हम मानते हैं और उस कर्ज की अदायगी हम पांच साल के अन्दर करते हैं। प्रदेश की जनता की जो-जो समस्याएं व्याप्त हैं, उन समस्याओं का हम भली प्रकार निराकरण करके प्रदेश की जनता का कर्ज अपने सिर से उतारते हैं और इन चार सालों में हमने यही कार्य किया है। प्रदेश की जनता का जो कर्ज हमारे माथे पर था उस कर्ज को हमने बखूबी उतारा है प्रदेश को विकास देकर। पूर्ववर्ती सरकार ने कर्जा लिया था, प्रदेश की जनता जो साहूकार रूपी जनता है, उसने पूर्ववर्ती सरकार को भी कर्जा दिया था और बहुत अधिक दिया था लेकिन उन्होंने ब्याज तो ब्याज मूल तक नहीं चुकाया जिसकी वजह से उन्हें दुबारा कर्ज नहीं मिला। हमने पूरे प्रदेश की सेवा करके मूलधन, ब्याज सब चुकाया है और अब जब हम दुबारा कर्ज प्रदेश के सामने मांगने जाएंगे तो हम जितना चाहेंगे कर्ज मिलेगा। पहले हमें 120 सीटें प्रदेश की जनता ने दी थीं, इस बार हमको 150 सीटें प्रदेश की जनता जिताकर देगी। इन्होंने अपनी साख खो दी, हमने अपनी साख बनायी है, हमें कर्जा मिलेगा इनको कर्जा नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त कीजिये।

श्री कन्हैया लाल पाटीदार (पिड़ावा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की तीन डिमाण्ड्स करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सुनेल में तहसील, रायपुर में सब तहसील और पिड़ावा में आरएसईबी का सहायक कार्यालय-ये तीन मांगें हमारे क्षेत्र की काफी समय से लम्बित चली आ रही हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया से भी अनुरोध किया है ...(व्यवधान) मैं मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की इन तीन मांगों की पूर्ति की जाए ताकि क्षेत्र की जनता की मांग की पूर्ति हो सके। बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम धोद।

श्री अमराराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट 2008-09 मुख्य मंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में रखा है, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में लोगों को धोखा देकर लोगों से वोट लेने का काम किया, लगातार चार बजटों के बाद यह बजट भी उसी तरह का बजट है, केवल थोथी घोषणाएं जनता को लुभाने के लिए की गई हैं। आप में से सत्ता पक्ष से कहेंगे कि इसके लागू होने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 2004 से लेकर लगातार जो चार बजट रखे हैं, उनका जो हश्र हुआ है वही हश्र इसका होगा। अभी भीण्डर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सबको कनेक्शन दे दिये। हमारे आज खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उस समय में बिजली के मंत्री थे, सम्भालते थे, घोषणा की थी कि 2007 तक जितने भी कनेक्शन राजस्थान में मांगने वाले हैं, सबको कनेक्शन मिल जाएगा और दिसम्बर, 2007 में जो भी बिजली का कनेक्शन मांगेगा उसको तुरंत मिल जाएगा। मैं समझता हूं कि आज भी चौदह साल से इंतजार कर रहे हैं। छोड़िये उनको जो प्रायोरिटी से इंतजार कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि 120 दिन में हम कनेक्शन दे देंगे वो 28 हजार किसान, इस सरकार के 120 दिनों में कनेक्शन देने के वादे पर जिन्होंने ट्यूबवैल खुदवाया, जो पम्पसैट लाये, फव्वारे लाये, 2004 से 2008 तक, आज तक आपकी सरकार के वादे को रो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करता था न। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपलब्धता का पता नहीं था, पर सरकार में आने के बाद भी, 2004 में बजट घोषणा करने के बाद भी अगर आकलन नहीं हुआ तो अभी भी आकलन नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, प्लांट्स वगैरह कभी फेल हो जाते हैं, दिक्कत आ जाती है।

श्री अमराराम (धोद): यही मैं कह रहा हूं, इसमें केवल आकलन वो किये गये हैं। गिरल की 125 मेगावाट की यूनिट जो 25 फरवरी को पिछले साल चालू हुई थी, आज 29 तारीख है, 365 दिन में मात्र 30 दिन चली है। 365 दिन में मात्र तीस दिन चली है, यह है उपलब्धि। माननीय सदस्य लक्ष्मणगढ़ से आने वाले कह रहे थे, उनका रिकार्ड पढ़ाऊंगा मैं उनके विधान सभा क्षेत्र में कि 8 घंटे बिजली, गांव को चौबीस घंटे बिजली अबाध रूप से दे रहे हैं। जयपुर में दो घंटे कट रही है डिवीजनल हैडक्वार्टर पर कट रही है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कट रही है और गांव में चौबीस घंटे जा रही है। इनके बिजली के अधिकारी, गजेन्द्रसिंहजी लिख कर भेज रहे हैं कि सीकर में 238 गांवों में चौबीस घंटे बिजली मिल रही है। अब यह अलग से लाइन डाल रखी है क्या? ये उपलब्धि! न केवल यह उपलब्धि है ...(व्यवधान) क्या पता इनको मिल रही हो, मैं नहीं कह सकता। ग्रामीण क्षेत्र में जिसके कुए पर लाइन है, वहां से कनेक्शन मिल जाता था 1000-1200 रुपये में, सरकार ने पिछले चार साल में पाबंद कर दिया कि...

(समय : 17.00 बजे)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): सभापति महोदय, यह बिलकुल असत्य कह रहे हैं। यह कहा गया है कि जहां छीजत 15 प्रतिशत से कम होती है वहां पर 24 घंटे सिटी लाइट दी जाएगी, शहरों के माफिक बिजली दी जाएगी। मेरे यहां पर 100 प्रतिशत गांवों में शहरों के लायक बिजली दी जाती है।

श्री अमराराम (धोद): हो सकता है आपको मिल गई हो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): चोरी कम करो। आप तो चोरियां बढ़ाते हो, चोरी करने वालों को शह देते हो और खुद चोरी करते हो, चोरी करने वालों को बिजली कैसे मिलेगी?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अमराराम (धोद): आपको मिल रही होगी, मैं नहीं समझता कि 120 माननीय सदस्यों को मिलती है। हम तो राजस्थान की जनता को जाकर कहेंगे जो लिख कर भेजा है कि 24 घंटे राजस्थान के 40 हजार गांवों में मिल जाएगी। तो फिर जयपुर में क्यों काट रहे हो? सबसे बड़ा धोखा यह कर रहे हैं कि शहर की बिजली काट कर किसान को दे दी। आज से 30 साल पहले किसान को 24 घंटे बिजली मिलती थी, वह 20 घंटे काट कर किस को दी है, सरकार उत्तर दे। आज से 30 साल पहले किसान ने जब भी कनेक्शन लिया, उसको 24 घंटे बिजली मिलती थी और आज चार घंटे बिजली मिलती है, तो ये 20 घंटे गांवों की बिजली काट कर किस को दी है?

श्री उपाध्यक्ष: सीकर में मिलती होगी 24 घंटे।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले जिसने भी कनेक्शन लिया है, 1977-78 में, उसको 24 घंटे बिजली मिलती थी। आप भी इस बात के गवाह हैं, बिजली मंत्री रहे हैं, कि जिस तरह से किसान के साथ दुभात की है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): के. डी. बाबर साहब भी तो वहीं विराजते हैं।

श्री अमराराम (धोद): वहीं विराजते हैं और यह कह रहे हैं कि 8 घंटे मिली है, मैं समझता हूं, इन चार सालों में एक दिन बता दें, जब 8 घंटे किसान को बिजली दी हो। आदेश ही नहीं दिया।

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): इस समय भी 6-7 घंटे बिजली मिल रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): नंदीग्राम में कितने घंटे बिजली दे रहे हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप दोनों ही तय कर लो, आपको ही अदला-बदली करनी है।

श्री अमराराम (धोद): आपको भी अदला-बदली करनी है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, न केवल बिजली के साथ, 2008 तक का मैनडेट राजस्थान की जनता ने दिया है, अभी बजट में घोषणा की है 2009 में सब को कनेक्शन दे देंगे, 2009 में कौन रहेगा? जिसको जनता भेजेगी वह कनेक्शन देगी। इनके हाथ में तो नवम्बर तक का हिसाब दिया हुआ है। दिसम्बर में

(श्री अमराराम)

कौन आएगा, कौन देगा? जिस तरह से बालिकाओं की बात कर रहे हैं, पिछले ही बजट में मुख्य मंत्रीजी ने यहीं से घोषणा की थी कि सीनियर स्कूल तक बालिकाएं अपने निवास से स्कूल तक राजस्थान परिवहन निगम की बसों में फ्री जाएंगी, क्या फ्री जा रही हैं? राजस्थान परिवहन निगम की बसों में लडकियों का अपने निवास से विद्यालय तक जाना फ्री नहीं है। आडर निकाला और दूसरे ही महीने वापस ले लिया। घोषणाएं यहां वाहवाही लूटने के लिये कर देते हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत स्वागत है, लेकिन केवल ग्रामीण क्षेत्र में? नगरपालिकाओं में महिलाओं की जरूरत नहीं है? क्या वहां 50 प्रतिशत महिलाएं नहीं हैं? राजस्थान में जहां 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, उनके लिये 50 प्रतिशत बजट होता है और जो 20 प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं उनके लिये भी 50 प्रतिशत बजट होता है। उसमें भी हालत यह है कि चाहे पानी का सवाल हो, चाहे विकास का, ग्रामीण विकास का और शहरी विकास का अगर आप बजट देखेंगे तो मैं समझता हूं 20 प्रतिशत लोगों पर राजस्थान का 50 प्रतिशत बजट खर्च होता है। पानी पर 50 प्रतिशत खर्च करने के बाद भी राजस्थान की राजधानी जहां सरकार के तमाम उच्च अधिकारी रहते हैं उनकी नाक के नीचे दूषित पानी से मौतें हो रही हैं। सांवरलालजी कह सकते हैं लेकिन जिसका 25 साल का बेटा गया है वही जानता है। मेरे गांव का 25 साल का बलबीर सिंह जिसकी नन्ही-सी दो साल की बच्ची है, उसके परिवार वाले जानते हैं कैसे मौत हुई है। और एक नहीं, 12 लोग मारे जाएं! कारण बता दें, क्योंकि सरकार का तो इन्कार करने से ही काम चल जाएगा, वह दूषित पानी से नहीं तो किस बात से हुए हैं? दूषित पानी का रिकार्ड नहीं आता, उसके मलेरिया होगा या उसके पीलिया होगा। निश्चित रूप से दूषित पानी से लोग मारे जा रहे हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अमरारामजी, अपन किसान हैं, तालाब में भी पानी पीते हैं, पानी से कोई नहीं मरता।

श्री अमराराम (धोद): आप तो वह बोतल वाला पानी पीने लग गये और बोतल पीने लग गये इसलिए आपको पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब के साथ उदारीकरण और निजीकरण का खेल किया है, जो 50 रुपये की मजदूरी

(श्री अमराराम)

रोज करके लाता है उसको मजबूर कर दिया। राजस्थान में अभी 3 मार्च से परीक्षाएं हैं, आज भी हर जिले में एक या दो स्कूल को रोज छात्र और अभिभावक ताला लगा रहे हैं। 12वीं तक की स्कूल है और दो टीचर हैं। आप हजारों स्कूल खोलो, किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन 3100 स्कूलें खोलेंगे और मास्टर कितने लगाएंगे? एक मास्टर नहीं लगाएंगे। मतलब उस अभिभावक को निजी शिक्षण संस्थान में जाने के लिये मजबूर करेंगे जो मजदूरी करके अपना परिवार चलाता है। आज राजस्थान के तमाम ग्रामीण क्षेत्र की, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा का जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, अभिभावकों को निजी स्कूल में जाने के लिये बाध्य कर रहे हैं। जितनी स्कूलें खोली हैं, उनके हिसाब से अध्यापक अगर लगाते, आज राजस्थान में 52-57 वाली स्थिति नहीं है कि राजस्थान में अध्यापक नहीं मिलते थे, अनट्रेंड 8वीं पास को अध्यापक लगाना पड़ता था। आज तो हजारों की संख्या में ट्रेंड लोग हमारे पास हैं। हजारों स्कूल बगैर अध्यापक के हैं। पांच साल होने जा रहे हैं, पांचवां बजट है, उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस है। एक तरफ हालत यह है कि शहर में दो छात्र हैं, तीन अध्यापक हैं और चौथा और लगा दिया। समानीकरण न पिछली सरकार कर सकी और न यह सरकार कर सकी। किसी सरकार की हिम्मत नहीं है कि समानीकरण कर दे। इसलिए पैसे वाले लोगों को फायदा पहुंचाने का काम इस बजट के माध्यम से किया जा रहा है।

यही चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। हमारे पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी कह रहे हैं, डाक्टर नहीं आ रहे। राजस्थान में चिकित्सा में और शिक्षा में जितनी भी पोस्टें खाली हैं, निश्चित रूप से वह ग्रामीण जनता जो गरीब है, सरकार की इन किसान विरोधी नीतियों से कर्जदार है। मजबूरी में आज देश की सरकार को 50-60 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ करना पड़ा है, उन नीतियों से कर्जदार हुए हैं। सरकार की जो जन कल्याणकारी सोच है उस पैसे का कहां तक उन लोगों पर उपयोग हो रहा है। डाक्टर आते नहीं, आप परमानेंट नौकरी देते नहीं। डाक्टर होते हुए भी नहीं जाते। विद्युत कम्पनियों में से इंजीनियर छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि उनकी सुविधाएं आप नहीं देखेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे। आज निजी अस्पतालों में क्या हालत है? गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी करके उनकी किडनी निकालते हैं और हमारी इतनी सक्षम सरकार है कि यहां से किडनी निकाल कर चले गये और चार साल बाद में अभी गुड़गांव में पकड़ा गया तब लेकर आये। यह जो लूट हो रही है, मैं

(श्री अमराराम)

समझता हूं इससे लगता है कि इस बजट का उस जनता के लिये कितना उपयोग हो रहा है, राजस्थान में किसान को किस तरह से लूटा जा रहा है। कृषि मंत्रीजी के पास सीकर से भी लोग आये, कोई किसान बैंक से ऋण लेकर ट्रैक्टर लेता है या नकद में लेता है, उसमें एक लाख का अंतर है। भूमि विकास बैंक से या अन्य बैंक से लोन लेता है, वही पैसा अगर आप उस किसान के खाते में डाल देते हैं तो नकद पैसे में एक लाख रुपये कम में वही ट्रैक्टर मिल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, बैंक ऋण से वही ट्रैक्टर वही कम्पनी का एक लाख रुपये ज्यादा का बिल देते हैं और नकद में वही ट्रैक्टर उसी कम्पनी का, उसी मार्के का लेंगे तो एक लाख रुपये कम में मिलेगा। सीधे-सीधे किसान से एक लाख रुपये लूट रहे हैं। यह सरकार के पास सीकर से भी कलक्टर के माध्यम से हमने भेजा है। झालावाड से भी शिकायत आई है। कृषि मंत्रीजी ने जांच भी कराई लेकिन मैं समझता हूं आज तक कार्यवाही नहीं हुई। वही पैसा है जो नकद में देता है, वही पैसा है जो बैंक से चैक के रूप में जाता है। लेकिन किसान को लूटने के लिये उनको छूट है।

जहां तक गरीब के राशन का सवाल है, महिलाओं की बात हो रही है, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि महिलाओं के लिये पूरा बजट है। आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को मिलता है 1000-1500 रुपया, 18 तरह के काम, सुबह से शाम तक काम, न्यूनतम मजदूरी एक दिन की 100 रुपये है और उनको 50 रुपये देकर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं राजस्थान में। (व्यवधान) इन्होंने नहीं दिया जब 156 से 56 रह गये और आप भी नहीं दोगे तो 120 से 20 रह जाओगे, एक गायब हो जाएगा। याद कर लो ...(व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): आपको तो यहीं बैठना है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैं तो यहां तो आ जाऊंगा आप इस विधान सभा में नहीं दिखोगे, नागपाल साहब।

एक माननीय सदस्य: अपुन को तो एक ही आना है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): मैं कह रहा हूं, जनता का पैसा है जनता तक कितना पहुंच रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो लूट रहा है उसको कानून के हवाले करें और किसानों को राहत दें। जैसे महिलाओं की बात की जा रही है, बात समझ में आती है, दो स्टेट में उनको परमानेंट राज्य सरकार का कर्मचारी

(श्री अमराराम)

घोषित किया है। लालू जब कुलियों को रेल का कर्मचारी घोषित कर सकते हैं, अगर मुख्य मंत्रीजी और सरकार महिलाओं की सच्ची हितैषी हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका सब को राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित करे, जब तो पता लगे कि वाकई में महिलाओं को कुछ देना चाहते हैं, खजाने से देना चाहते हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): बंगाल में क्या स्थिति है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बंगाल में आप गये थे। यहां लोगों का जला वह तो आपको दिख नहीं रहा और बंगाल। पैरों बजती नहीं दिखती आपको, डूंगर बजती दिखती है आपको।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): हां, राजस्थान के लोगों को ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बंगाल में आपका खाता नहीं खुला।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): किसका खाता नहीं खुला? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): सीपीएम तो आपकी छाती पर फिर भी है, बंगाल में आप एण्टर नहीं कर पाये आज तक।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपकी जो स्थिति है उससे तो बढ़िया है हमारी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): आप जोर लगा लेना फिर भी एण्टर नहीं करोगे।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): आपसे तो बढ़िया है, आपकी जो स्थिति राजस्थान में है उससे बढ़िया है हमारी वहां बंगाल में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): बढ़िया है, बताओ कितने एमएलए हैं, कब कब आये हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): दो एमपी थे पहले।

श्री अमराराम (धोद): एमएलए बताइये, विधान सभा का मुंह देखा है क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (शिक्षा मंत्री): देखा है, 11 थे 11 ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): गेट बंद हैं भारतीय जनता पार्टी के। केरल में भी बंद हैं, बंगाल में भी बंद हैं। आप कितने ही चक्कर लगा आना, सर्राफ साहब, वहां आपका खाता नहीं खुलना है। (व्यवधान) हम तो फिर भी एक आपकी छाती पर है।

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड कीजिए।

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, केवल थोथी घोषणाएं करके जनता की सेवा करने की बात है। मैं समझता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से राशन की व्यवस्था को समाप्त किया, लूटने के लिए पूरी छूट है। अभी सुबह एलपीजी गैस की बात चल रही थी, राजस्थान में धड़ल्ले से इस सरकार के संरक्षण में 300 का सिलेण्डर 600 में खुलेआम नीलाम होता है। 600 रुपये का सिलेण्डर है, राशन तमाम गायब। जितना राशन जो कुछ भी आता था पहले तो केन्द्र सरकार ने कम किया निश्चित रूप से। गेहूं की कीमत जिस प्रकार बढ़ रही है, बीपीएल के अलावा एपीएल को भी गेहूं की जरूरत है। केन्द्र सरकार ने मारने का काम किया है निश्चित रूप से। राजस्थान की सरकार ने भी उस राशन व्यवस्था को जो गरीब का एक सहारा था, उसको तमाम को नष्ट करने का काम किया है। जो गरीब ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केन्द्र में आप भागीदार हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): हम भागीदार हैं जब ही 60 हजार का कर्जा माफ हुआ है वर्ना आप वहीं थे ...(व्यवधान) आपकी सरकार थी चार साल।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं तो फिर यह राशन और गेहूं मिलने का वहां कहो।

श्री अमराराम (धोद): गैस तो आ रही है।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप कर्जा क्यों माफ कर रहे हो, आप तो राशन दिलाओ लोगों को, गैस दिलाओ, कर्जा बाद में करना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड कीजिए।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): कर्जा माफ करने के लिए तो सबने मांग की, धरना दिया सब पार्टियों ने, आप तो वहां जाकर मिले हो बाद में। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता के साथ भेदभाव है, अभी ग्रामीण क्षेत्र के जन प्रतिनिधि-जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के लोगों का भत्ता बढ़ाने की बात की है, वाह-वाही लूटना चाहते हैं आप। जो जिला परिषद का मैम्बर है, जितना क्षेत्र और जनता उसके वोटर हैं उतना ही नगर निगम के पार्षद का होता है, उसको 2000 रुपये भत्ता मिलेगा, टेलीफोन मिलेगा और यहां 40 रुपये से 60 रुपये कर दिया और एहसान कर रहे है। एक दिन की न्यूनतम मजदूरी है 100 रुपये। जिला परिषद का मैम्बर जिले के आखिरी कोने से जिला परिषद की मीटिंग में आएगा, 150 रुपये का किराया खर्च करेगा और ये वाहवाही लेना चाहते हैं, 40 की जगह 75 उसको दैनिक भत्ता देंगे। जिस तरह का विकास में जन प्रतिनिधियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, इस बजट के माध्यम से भी राजस्थान के खजाने में ग्रामीण क्षेत्र के किसान और गरीब का उतना ...(व्यवधान) 80 प्रतिशत बजट पर हक है लेकिन प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से यह सरकार धन्नासेठों को मालामाल करने का काम कर रही है-शिक्षा उनके हवाले, चिकित्सा उनके हवाले, सड़क उनके हवाले। निश्चित रूप से यह बजट आम जनता के विकास में भागीदार नहीं हो सकता। हालत क्या है? सरकार की नाक के नीचे नाई, जिनकी बात कर रहे हैं, मुख्य मंत्री सेन समाज का नाम लेकर उनके वोट लेना चाहती हैं, नाई की भर्ती होनी थी, धोबी की भर्ती होनी थी, मात्र 71 लोगों की भर्ती होनी थी, 80 हजार लोग आये। एक चित कर मर गया, एक उनको बचाने के लिए गया तो पुलिस ने एक विदेशी को चीतकर मार दिया, यह हालत है। बेरोजगारी की जो हालत है, उस बेरोजगार को न कोई दिशा देने वाले हैं, न किसान को, न गरीब मजदूर को। सर्वसम्मत राय देने के बाद भी मंहगाई जिस तेजी के साथ बढ़ रही है न्यूनतम मजदूरी को महंगाई सूचकांक के साथ नहीं जोड़ा गया। गरीब जिसको राशन की आवश्यकता है, जिसको चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, हमारी मुख्य मंत्री कह रही हैं उसके लिए व्यवस्था नहीं होगी। केवल कहने से राजस्थान बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्य में आ जाएगा? जच्चा और बच्चा की मोर्टलिटीरेट ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दी आपने सारी। कल्ला साहब। नाम पुकार रहा हूं, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद): एक मिनट। केवल बातों से राजस्थान विकास नहीं कर सकता। राजस्थान की 75 प्रतिशत जनता, किसान और गांव के गरीब का जब तक विकास नहीं होगा, इस जन कल्याणकारी बजट का हिस्सा उनके हिस्से में नहीं आएगा तब तक मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी की जबान से कहने से राजस्थान विकास नहीं करेगा। आज भी जच्चा और बच्चा की मोर्टलिटी रेट है वह राजस्थान देश के नीचे से आता है। मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है, बजट का उपयोग राजस्थान के गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, उसका उपयोग जनकल्याण के लिए होना चाहिए। यह बजट केवल धन्नासेठों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए करने का काम किया है और इसका जवाब आने वाले समय में जनता देगी। यह बजट जनता के लिए नहीं है, यही बात कहते हुए आपने मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बी डी कल्ला।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): (व्यवधान) किसको लेकर बैठे हैं विधान सभा में जो जनता जवाब देगी? आप तो अकेले बैठे हो, जनता की क्यों बात करते हो?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आय व्यय 2008-09 पर, विचार प्रस्तुत कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): कम्युनिस्ट की हैसियत से नहीं जीत रहे हो जहां से आ रहे हो।

श्री अमराराम (धोद): मैं तो कम्युनिस्ट की हैसियत से ही जीत रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): लगा रखा है, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, आज दिया जाएगा? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, बैठिये, बताएंगे आपको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं तो बता दो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: देखेंगे, निर्दलीय का समय होगा तो दे देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): इतने बड़े सीनियर साथी खड़े हो गये इनके बाद में, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ जाएगी समझ में। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): समझ में आ जाएगी मतलब नहीं बुला रहे? इसका मतलब तो मैं साफ समझ रहा हूं कि आसन भी प्रभावित हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं हो रहा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं, नहीं, हुआ है अभी।

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आसन से पर्ची गई है इधर पूछने के लिए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: निर्दलीय बोल लिये पहले।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ... और फिर वहां से पता नहीं क्या निर्देश मिला है आसन को, उसी पर प्रतिक्रिया होने जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। हां, कल्ला साहब, शुरू कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने बोलना शुरू कर दिया।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं उनको टोक नहीं रहा, उलटा वह तो मेरे को शैल्टर दे रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे को थोड़ा-सा आश्वस्त कर दें कि बोलने दिया जाएगा या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठें तो सही पहले। इनको खतम करने दो, समय होगा तो देंगे आपको।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): नहीं देंगे तो मैं पूरी तरह समझ जाऊंगा कि आसन प्रभावित हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शंका करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान) आप बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिए। आप, कल्लाजी, शुरू कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के विरोध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। पिछले चार बजट और यह पांचवां बजट, जब-जब बजट आया है सरकार ने बजट के वक्त में टैक्स नहीं लगाया और यह चेहरा प्रस्तुत किया कि सरकार अपना बजट बिना टैक्स के लगा रही है। बजट के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के ऊपर दो बार बिजली की दरें बढ़ीं, पानी की दरें बढ़ीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्ला साहब, प्रारम्भ कर रहे हैं, इतने सीनियर हो, बिजली की दरें किसने बढ़ाई?

श्री अमराराम (धोद): आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने बढ़ाई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 80 प्रतिशत आपने बढ़ाई और उस एफ.आर.जी. पर, जिस पर दस्तख्त करके गये कि 2011 तक बिजली की दरें बढ़ाते रहेंगे, वह गुनाह भी आपका किया हुआ है। हमने तो नया पैसा बढ़ाया नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारी बातों को बहुत मानते हो क्या आप? मैं कहता हूं, बिजली की दर आधी कर दो, मान लो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): आपके किये हुए कर्मों को भुगत रहे हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारी बात को बहुत मानते हो तो मैं तो कह रहा हूं कि बिजली की दर आधी कर दो। किसानों को बिजली की दर आधी कर दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपकी बात तो नहीं मान रहे, आपकी सरकार ने जो एग्रीमेंट उस टाइम पर किये, उसके हिसाब से सरकार को करना पड़ रहा है। वह भी नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह भी हमने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): किसानों के सच्चे हितैषी बन रहे हो आप, पैट्रोल और डीजल के दाम किसने बढ़ाये अभी कुछ दिन पहले? कितने बढ़ाये हैं आपने?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): पैट्रोल और डीजल के ऊपर तो राजस्थान में जितना बिक्री कर है उतना हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में नहीं है। 28 प्रतिशत और 18 प्रतिशत पैट्रोल और डीजल पर ले रहे हो। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): आप क्यों बढ़ा रहे हो? (व्यवधान) आप क्यों बढ़ा रहे हो? (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): आप राज में थे तब आपने क्यों नहीं घटाये? (व्यवधान) जब सरकार में थे उस समय क्यों नहीं घटाये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 28 प्रतिशत पैट्रोल पर और 18 प्रतिशत डीजल पर टैक्स दे रहे हैं। (व्यवधान) आपके ही माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि यदि हम हमारे नेबरिंग स्टेट के बराबर बिक्री कर कर दें तो हमको रेवेन्यू भी ज्यादा प्राप्त हो सकता है। आज ही एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था, इसको मान लेना चाहिए। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): कल्ला साहब, आप तो बहुत सीनियर हैं, अभी आपका बजट आया सेण्ट्रल का, इसके कितने दिन पहले आपने पैट्रोल और डीजल की रेट बढ़ाई है? यह उचित है क्या? आप इसको उचित मानते हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो आज 60 हजार करोड़ के कर्जे माफ कर दिये। आपने तो 126 करोड़ का पैकेज भी नहीं देकर... (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): 60 हजार करोड़ के कर्जे जो माफ किये, उससे किसी को लाभ नहीं मिल सकेगा। उस 60 हजार में से 10 हजार ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो।

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकेगा। किसी किसान को लाभ नहीं मिलेगा। (व्यवधान) छोटे तबके के किसी भी किसान को लाभ नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): चुनाव में जाना है इसलिये किया है। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): इसमें, कल्ला साहब, सुनिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कर्जा माफ किया है, 4 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): इसमें श्रेणी कौनसी रखी गई है? किसी को लाभ नहीं मिलेगा उससे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): बैठिये एक मिनट। 10 हजार करोड़ तो वे हैं जो आप बड़े किसानों के 25 प्रतिशत उपलब्ध कराने की बात कर रहे हो और उन पर कंडीशन लगा दी कि जून तक वे पूरा पैसा जमा करेंगे तब ही फायदा मिलेगा। नहीं तो नहीं मिलेगा, 10 हजार के तो ये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी नहीं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): जी नहीं, इनका है, देख लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जी नहीं। 30 जून तक तो बैंक्स को सारे अकाउण्ट्स फाइनलाइज करने पड़ेंगे, उसके बाद उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी। उनको तुरन्त फिर कर्जे दिये जाएंगे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, वह अलग है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुनिये, 50 हजार करोड़ रुपये का वह वाला अमाउण्ट है और 10 हजार रुपये का अन्य काश्तकारों का जो वन टाइम सैटलमेंट करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह तो वसूली स्कीम है। यही तो मैं कहना चाहता हूं, यह 10 हजार करोड़ की तो वसूली स्कीम है। काहे का कर्जा माफ है? बातें कर रहे हो। (व्यवधान) इतनी देर से बोले जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, वसूली स्कीम, जी हां। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप छोड़ो।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): फेंके जा रहे हो, फेंका-फाकी करते जा रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कर्जा माफ नहीं, यह वसूली स्कीम है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपको पता लगेगा, क्या है, आपका धुंआ निकल जाएगा। धुआं निकल गया आपका तो। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): फेंका-फाकी करते जा रहे हो इतनी देर से। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): आपका धुआं तो अब स्वतः ही निकल रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कुछ रिलीफ मिलेगी उससे। (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह तो एकमुश्त वसूली स्कीम है आप लोगों की। (व्यवधान) और फेंका-फाकी कर रहे हो कि 60 हजार का कर्जा माफ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): गरीब आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगी नहीं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जब प्रति बीघा आप 10 हजार रुपये परमानेंट कर देते तो कोई बनती, यह तो क्या है, झुनझुना पकड़ा दिया, कुछ नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): खाना बहुत बढ़िया बना है, थोड़ा नमक ही कम हो गया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। वह कटोरा तो हाथ में ज्यों का त्यों रह गया। किसान के तो प्राकृतिक प्रकोप आते ही रहते हैं। परमानेंट व्यवस्था नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लघु-सीमान्त कृषक हैं उनके तो कितना ही कर्जा है। सीमा ही नहीं है, कितना ही है। (व्यवधान) सारा का सारा माफ होगा। (व्यवधान) आप सुनो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): हेमारामजी, अभी तो यहां कह रहे हो कि लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि, कल्ला साहब आपको पता लग गया, किसी के कर्जे माफ नहीं होंगे। एक ऐसी कंडीशन लगा दी, किसी का कर्जा माफ नहीं होगा और बताने के लिये 60 हजार के कर्जे माफ होंगे। (व्यवधान) 50 हजार के तो...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): चुनाव हैं। सिर पर चुनाव की तलवार लटकी है, चुनाव की तलवार। (व्यवधान) चुनाव की तलवार लटकी हुई है, प्राकृतिक प्रकोप पहले भी हुए थे और यही केन्द्र सरकार थी, एक फूटी कौड़ी नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। अंकित नहीं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): xxx

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): xxx

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करें, उसके ऊपर एक दिन की चर्चा रख लें, पता लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किसानों को जमती नहीं है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): xxx

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): xxx

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): xxx

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री): xxx

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को आडर में लाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने केवल कोई सूचना दी है, आप उस पर ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, किसकी बात करते हो? आप काहे की बात कर रहे हो? माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है इनका।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री अर्जुन सिंह (दानपुर): xxx

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): xxx

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): xxx

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अब बंद कीजिए आप। माननीय कासनियाजी, आप काहे के लिए ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान कर रहे हैं। संसदीय कुछ परम्पराएं होती हैं। बीच में, कोई बोल रहा है, तो उसको व्यवधान नहीं करना चाहिए। यहां पर संसदीय सचिव और मंत्रीगण बोल रहे हैं बीच में, यह तो बहुत बुरी बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको जो सूचना दी है उसका हिसाब-किताब करते रहना। बीच में वाद-विवाद का विषय नहीं है यह। माननीय सदस्य, ठीक है, बीच में टोकाटोकी नहीं करें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यहां पर राजस्थान में बजट के अलावा दो बार बिजली और एक बार पानी की दरें बढ़ाई गयीं। उसके बाद खनिज के ऊपर रायल्टी की दर बढ़ायी गयी। लगातार आन्दोलन राजस्थान में होते रहे, हाउस टैक्स माफ नहीं किया। उसके बाद हाउस टैक्स माफ किया तो प्रापर्टी टैक्स लगा दिया कि हम स्टाम्प ड्यूटी और उस पर युक्तिसंगत, विवेक से कम करेंगे। हर बार डी.एल.सी. की मीटिंग होती है और स्टाम्प ड्यूटी जमीन की दरों के बढ़ने के कारण से दो गुणी, पांच गुणी, सात गुणी हो जाती हैं। आप अपनी आत्मा पर हाथ रखकर सोचें कि वास्तव में डी.एल.सी. की दरों में वृद्धि होने के कारण स्टाम्प ड्यूटी जो है उसका भार राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसी प्रकार राजस्थान में अनेक प्रकार के कर-भूमि कर लग गया, बजट में नहीं लगाया, वैट का और बिक्री कर का समानीकरण किया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उससे राजस्थान की गरीब जनता पर 1500

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

से 2000 करोड़ रुपये का भार पड़ गया। तो बजट के अलावा-अलावा ये सारे काम किये गये।

अब मैं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते कुछ बातें आपको बताता हूं कि इस सरकार ने बजट में क्या किया। किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इकोनोमिक सर्विसेज को श्रेय देना या उसको आगे बढ़ाना सरकार का प्रथम काम होता है। इस बजट में आपने क्या किया? इकोनोमिक सर्विसेज के लिए पिछले साल के बजट में 12.79 परसेंट टोटल प्रावधान आपने किया था। इस साल आपने क्या किया? 1.54 परसेंट। यानी आर्थिक सेवाएं ठप राजस्थान की। अब आर्थिक सेवाएं ठप हो जाएंगी तो क्या काम होंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक सेवाओं में प्रमुख रूप से सहकारिता, उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सारी आती हैं। यहां पर इकोनोमिक एक्टिविटीज खतम हो जाएंगी तो आर्थिक विकास कैसे होगा राजस्थान का? इन्होंने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि राजस्थान के आर्थिक विकास का लाभ हम गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। लेकिन आर्थिक विकास के बारे में इकोनोमिक एक्टिविटी जो प्रमुख रोल अदा करती है, उसी को कम कर दिया तो फिर आर्थिक विकास कैसे होगा? सरकार ने कभी सोचा है? लघु उद्योगों के लिए, आर्टिजन्स के लिए आपने कोई प्रावधान किया है? दस्तकार, गांव का जो कुटीर उद्योग में काम करने वाला व्यक्ति है, गांवों में तो खेती आप जानते हैं कि छह महीने ही होती है और छह महीने लोग बेकार रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं करना, उनकी बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं देना, उनकी इकोनोमिक एक्टिविटीज को नहीं बढ़ाना, कैसे आर्थिक विकास होगा? आज 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं और गांवों की जनसंख्या जब तक इन एक्टिविटीज से नहीं जुड़ेगी तब तक इस प्रदेश का भला नहीं होगा।

दूसरा, विनिर्माण के क्षेत्र को, मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र को बिलकुल नैग्लेक्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा खास तौर से, इन्होंने पिछले वर्ष 2006-07 में 26.41 परसेंट मैन्यूफैक्चरिंग के ऊपर खर्च किया था और 2007-08 के बजट में यह घटकर 25.6 परसेंट रह गया। तो विनिर्माण को नैग्लेक्ट करना, मैन्यूफैक्चरिंग को नैग्लेक्ट करना, इससे भी इकोनोमिक डवलपमेंट प्रभावित होता है। और तो और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि उद्योग और खनिज का बजट

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

2007-08 में 1.28 परसेंट था, यह कम करके अभी 0.97 परसेंट कर दिया इस साल के बजट में। सिंचाई का बजट 7.18 था वह घटाकर 6.84 कर दिया इस साल के बजट में। ऊर्जा का बजट 41.5 परसेंट था वह घटाकर 40.74 परसेंट कर दिया और परिवहन का बजट 6.37 था वह घटाकर 4.64 परसेंट कर दिया। ये सारी की सारी एक्टिविटीज इकोनोमिक डवलपमेंट के लिए बेसिक इंडिकेटर्स हैं, इस बेसिक इंडिकेटर्स को कमजोर करना राजस्थान के अर्थ-तंत्र के पहियों को कमजोर करने के समान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 14.39 परसेंट इन सैक्टरों में कमी की गयी है इस साल के बजट में, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के लिए शुभ सूचक नहीं है।

इसके बाद आप उठाकर देखें, पूरे विश्व के अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि मैन्यूफैक्चरिंग के सैक्टर को जो स्टेट या जो देश आगे बढ़ाएगा, वही प्रदेश और वही देश आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर जब इकोनोमिक एक्टिविटीज को कम कर दिया तो सरकार का जो एक दिमाग है, इससे पता लगता है कि इनकी इकोनोमिक डवलपमेंट के प्रति सोच पाजिटिव नहीं है। जब तक इकोनोमिक एक्टिविटीज के बारे में, इकोनोमिक सर्विसेज के बारे में और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पाजिटिव सोच नहीं होगा, प्रदेश पीछे रह जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी पार्टी की जब-जब सरकारें रही हैं, हम अपनी योजना का करीब-करीब 60 परसेंट पैसा केवल मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए, सिंचाई और बिजली के लिए खर्च करते थे और इकोनोमिक सर्विसेज के लिए भी यह समझिये कि 10 परसेंट से तो कभी भी कम नहीं हुआ। कभी 15 परसेंट, कभी 16 परसेंट, ये सारी चीजें हमारे वक्त में रही हैं। लेकिन अब आप देखिये कि स्थिति क्या है। यही कारण है कि यह कह रहे हैं कि हमने चार गुणा बड़ी योजना बना ली लेकिन बिजली का उत्पादन कितना हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खुद ही कह रहे हैं कि 1151 मेगावाट बिजली हमने बढ़ायी है। वह बिजली घरों के आकड़ों से बढ़ गयी होगी बाकी तो आप देख रहे हो कि किसी भी किसान के खेत में चार या पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि आपने चार गुणा आकार तो बढ़ा लिया लेकिन फिजिकल टार्गेट्स क्या होंगे? मैं आगे आकड़ों के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पूंजीगत व्यय बजट का मात्र 10.5 परसेंट भी नहीं है। कुल मिलाकर राजस्थान के विकास की दर जो बताती है कि राजस्थान आज किस स्थान पर खड़ा हुआ है, इसको यदि आप देखें तो वर्ष 1998-99 में राजस्थान के विकास की दर 27.3 प्रतिशत थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कितनी?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 27.3 परसेंट 2003-04 में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कहां से ले आये यह विकास की दर 2002-03 में? जरा पढ़ लो इसको, यह इकोनोमिक सर्वे है, इसको पढ़ लो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरे पास है यह। हां, मैंने पढ़ लिया है। हां, पढ़ा हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं बिलकुल फैक्ट्स के आधार पर कर रहा हूं। 2003-04 में राजस्थान के विकास की दर ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपको कागज दिये हैं, ये कोई ठीक कागज नहीं हैं, खोटे कागज हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): किसने कागज दिये हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह चाहते हैं कि आपकी परफारमेंस जो पहले थी, वैसी नहीं रहे। इसमें यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं आगाह कर रहा हूं इसलिए इन कागजों को अलग करके पढ़ो। वैसे ही भाषण दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा, कोई बात नहीं। यह जो भी काम करेंगे मेरे हित का करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई कागज दिये नहीं हैं। मैंने आपकी सरकार से प्रश्न पूछा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह स्वयं विद्वान हैं, इनको मेरी सहायता की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे मुख्य मंत्रीजी विद्वान हैं। आप जबरदस्ती सहायता देने की कोशिश करते हो, वह न किया करो आप। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं-नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। यह जो भी सहायता देंगे वह अच्छी देंगे और जानकारी से देंगे। आपको जानकारी नहीं है। आप अपने वित्त मंत्रीजी से पूछिये, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी सरकार से प्राप्त की उसमें यह बताया गया था कि 2003-04 में राजस्थान की विकास की दर 27.3 थी, वह 2006-07 में घटकर 12.3 प्रतिशत रह गयी। अब आप जानते हैं कि ये चीजें करेंट ईयर की तो बता नहीं सकते, एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा, तब जाकर पता लगेगा कि विकास की दर क्या है पर राजस्थान विकास के मामले में पिछड़ गया है, राजस्थान की विकास की दर निरन्तर घट रही है। आप चाहेंगे तो मैं आपको और सालों की बता सकता हूं, लेकिन कुल-मिलाकर 2006-07 का मेरे पास आंकड़ा है जो सरकार ने मुझे दिया है, उसके अनुसार 12.3 प्रतिशत राजस्थान की विकास की दर 2006-07 में थी। अब आप यहां बड़ा कह रहे थे, हमने चार गुना कर लिया, यह कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सरकार से ही प्रश्न के उत्तर में प्राप्त जानकारी मैं दे रहा हूं कि राजस्थान में केन्द्रीय सहायता जो वर्ष 1998-99 में मिलती थी, वह 1352 करोड़ थी, वह अब बढ़कर लगभग 5200 करोड़ से ऊपर हो गयी। इसी प्रकार राजस्थान को केन्द्रीय करों में हिस्सा जो वर्ष 1998-99 में 2008 करोड़ रुपये मिला था, आज 2006-07 में वह बढ़कर 8, 250 करोड़ के करीब हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें आपकी कितनी मेहरबानी है? राजस्थान को कोई स्पेशल मिल रहा है या फाइनेंस कमीशन की रिकमण्डेशन पर मिल रहा है, बताओ न। या तो आपने अलग से किये हों।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपकी सरकार क्या देती थी? पोल खुलने पर आप ऐसे क्यों करते हो? आपकी पोल खुल रही है, कोई बात नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): पोल क्या, 12वें वित्त आयोग के हिसाब से जितना मिलना चाहिये, उतना मिल रहा है। 11वें और 12वें वित्त आयोग में फर्क बता दो, कितना है? पांइट 36 का फर्क है दोनों में।

एक माननीय सदस्य: भारत के दूसरे राज्यों को भी मिल रहा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि चार गुना इमोल्यूमेंट्स राजस्थान के बढ़ गये और इसी कारण आपकी योजना का आकार बढ़ा है। यह मैं कहना चाहता हूं सदन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को आपके माध्यम से, लेकिन आप उसको इधर-उधर घुमाना चाहो तो यह घूमेगी वही बात। चार गुना योजना का जो आकार बढ़ा है, उसका कारण यही है। जो केन्द्रीय सरकार से हमारे इमोल्युमेंट बढ़े हैं, उसके कारण हमारी योजना का आकार बढ़ा है।

अब इसके बाद मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं, इस बजट में आपने यह कहा है कि हमारा राजस्व व्यय 1922.08 करोड़ का हमने बढ़ा दिया। इसमें डवलपमेंट एक्सपेंडिचर का तो हिस्सा है 719.82 करोड़ का और नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1202.05 करोड़ का है। इस सरकार के इस प्रस्तुत बजट में नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, डवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कम है, इसके कारण से जो लाभ सरकार देना चाहती है वह दे नहीं पाएगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा राजस्थान ऋणग्रस्तता की ओर बढ़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसी विडम्बना है, राजस्थान में जब हमको सरकार मिली थी, कर्जा था 23 हजार करोड़ का, फिर वह बढ़कर लगभग 51-52 हजार करोड़ का हो गया। अब सरकार ने स्वयं 2007-08 के बाद में यह कर्जा बताया 77089 करोड़ का और यह कर्जा, अभी इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, 81 हजार करोड़ के ऊपर बैठेगा। लेकिन यह तो इन्होंने बताया है, हो सकता है ज्यादा कर्जा ले लें तो 85-90 तक चले जाएं। लेकिन अभी तक जो इन्होंने आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार 81 हजार करोड़ के ऊपर हो जाएगा। मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप नोट कर लें, यह बिलकुल आपकी ही किताबों से बनाये हुए हैं, उनको बता रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे टोकना तो नहीं चाहिये परन्तु आप कह रहे हो डवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हुआ है तो आप सिद्ध कर दो, वर्ना जो किताब है उसको पढ़ लो, डवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ा है। समय के समय बढ़ा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कितना बढ़ा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कहो तो बताऊं मैं। आप यूं ही। कल्लाजी, आपके मुंह से ऐसी बात निकले, या तो किताब कोट करो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लगता है आप प्रजेंस आफ माइंड में नहीं हो। आपका प्रजेंस आफ माइंड कहीं और है। मैंने यह कहा है कि आपका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर 719.82 करोड़ रुपये बढ़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं कह रहा हूं डवलपमेंट एक्सपेंडिचर का प्रतिशत बढ़ा है। हमारे राजस्व व्यय के अनुपात में डवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वर्ना राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य से पूछ लेना आप। यूं ही लगा रहे हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको सारे माननीय सदस्य भी सुन रहे हैं, प्रैस भी सुन रही है। मैं यह कह रहा हूं आपका डवलपमेंट एक्सपेंडिचर 719.22 करोड़ बढ़ा है, लेकिन इसके मुकाबले में नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1202.25 करोड़ बढ़ा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर के मुकाबले में डवलपमेंट एक्सपेंडिचर का प्रतिशत बढ़ा है, मैं यह कह रहा हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बता दो, कितना बढ़ा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2004-05 में 56.53 प्रतिशत था, 2005-06 ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं 2005-06 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं प्रजेंट बजट की बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब 2008-09 में बी.ई. के अंदर 61.41 प्रतिशत है। ये आंकड़े बता रहे हैं, किताब बता रहा हूं न।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या किताब बता रही है? वह तो मुख्य मंत्रीजी आपको करैक्ट कर देंगी। मैं आपके बजट के आंकड़ों से ही लेकर आया हूं कि नान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका निश्चित रूप से ...(व्यवधान) इससे सिद्ध होता है कि ज्यादातर पैसा ब्याज की मद पर सरकार को चुकाना पड़ रहा है।

अब आपके सामने एक चीज और इंडीकेटर है लिटरेसी परसेंटेज। राजस्थान के लिटरेसी परसेंटेज में पिछले चार वर्षों में लगभग 5 प्रतिशत कम हुई है। मदरसे और नान कन्वेंशनल सेंटर्स थे उनको और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में कई प्रकार की स्कीम चल रही थी, उनको कम करने से राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत भी धीरे-धीरे कम हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह आर्थिक समीक्षा की किताब पढ़ लो, यह पेज नम्बर है इसमें 25, इसमें पढ़ लो, इस किताब में दे रखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बोलूं, उसके बाद जवाब दे देना, ऐसे क्या कर रहे हो? माननीय सदस्य, ऐसे क्या करते हो?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मुझे लगता है आपकी गणित कमजोर है, आप इकोनोमिक्स से हो सकते हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप पढ़े-लिखे इकोनोमिस्ट हो, असत्य आंकड़े दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी गणित कमजोर है तो आप ठीक कर दो न। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): वही तो कह रहा हूं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कहां गलत बताया? आंकड़े आपके पास हैं नहीं और खड़े होकर कह रहे हो आपकी गणित कमजोर है, कौनसा आंकड़ा गलत दिया है मैंने?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमको चिन्ता यह है कि राजस्थान के लोग अब तक आपको बुद्धिमान समझते थे, अब गलत आंकड़ों के कारण कहीं गलत संदेश नहीं जाए। यह है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है आप निर्बुद्धि समझ लेना, बाकी लोग तो अपनी समझ से काम लेंगे। (व्यवधान) क्योंकि आपका दृष्टिकोण अलग तरीके का है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय महावीरजी और राजेन्द्रजी, आपने सबके पावर ले रखे हैं, मुख्य मंत्रीजी का अधिकार तो इनके पास रहने दो। वह जवाब दे देंगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनसे भी श्रेष्ठ साबित करने में अपने आपको लगे हुए हैं कि मुख्य मंत्रीजी से यह श्रेष्ठ हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो बोलो। यह आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी और बी.डी. कल्ला साहब के नाम से पढ़ेगी, इसलिए कह रहे हैं, बाकी अब बीच में बोलना ही नहीं। आप तो बोलो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में नान प्लान के लिए 25, 533.22 करोड़ रुपये का खर्च बताया गया। वार्षिक योजना शुरू-शुरू में यह बताया गया था, शायद 14 हजार करोड़ की होगी, लेकिन अभी 15, 248 करोड़ की योजना आपने प्रस्तुत की है। इस योजना में पूंजीगत व्यय 4848.99 करोड़ और 1, 407.12 करोड़ सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम और राजस्व व्यय 5119.23 करोड़ और 1166.39 करोड़, कुल मिलाकर 12, 541.73 करोड़ रुपये आता है और बाकी 2534.28 करोड़ कर्जे का चुकाना है, तो कौनसा विकास होगा? पूंजीगत व्यय इसको मैं मान सकता हूं कि यह विकास में खर्च होगा, इसका प्लान और नान प्लान। इस पूरे बजट को यदि देखा जाए तो लगभग 10.5 प्रतिशत की परिसम्पत्तियां आपकी बनेंगी। इसके अलावा यह सारा जो बजट है, यह तनख्वाह में, पेंशन में, ब्याज में और अन्य चीजों में चला जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तनख्वाह बंद कर दें?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं बंद करने की थोड़े ही कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि यह छठा वेतन आयोग आ रहा है, उसका भी प्रावधान कर देते तो अच्छा होता। वार्षिक योजना का अभी जिक्र हो रहा था, 2004-05 में 151.92 करोड़ रुपये आप खर्च नहीं कर पाये, 2005-06 में आप 455.40 करोड़ रुपये कम खर्च कर पाये और 2007-08 में आपने 213.63 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये। हम लोग आंकड़ों के साथ कभी जगलरी नहीं करते, जो बात है उसको सही कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दो वार्षिक योजना में आपने जितना पैसा बताया था, वह खर्च नहीं कर पाये। इस योजना में भी जैसा मैंने आपको बताया है कि ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक बार भी आपने वार्षिक योजना पूरी की क्या? पांच साल में आपने एक बार भी एनुअल प्लान को बिना काटे छोड़ा तो आप बताओ। सिंगल बार भी। और हमसे बात कर रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, उससे ज्यादा पैसा खर्च किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और हमने तो 100 परसेंट से ज्यादा, पूरा किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब किया है जिसकी तो मैंने पोल खोल दी आपकी कि आपने इतना-इतना पैसा कम खर्च किया है। अब इसमें भी कह दो, आंकड़ा गलत है। पहले मुख्य मंत्रीजी से आप आंकड़े लेकर आते तो फिर बहस करते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बताओ, कौनसा आंकड़ा है? बताओ आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी मैंने बताया था कि 2004-05 में 151.92 करोड़ रुपया कम खर्च किया, 2005-06 में 455.40 करोड़ कम खर्च किया।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में टोका टाकी मत करो। कनक्लूड करें, कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कनक्लूड ही कर दूं? ऐसे कैसे कनक्लूड कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष: आधा घंटा हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दस मिनट ही नहीं बोला हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेन्स हो गया ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कहो तो, आप नहीं बुलाना चाहो तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दो अपनी बात, कह दो बात। कहो अपनी बात पूरी, सुनेंगे हम।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप आसन से रिक्वैस्ट करो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? टेढ़ी नजरों से क्या बात कर रहे हो? रिक्वैस्ट करो आसन से।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसन से रिक्वैस्ट ही कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तो टेढ़ी नजरों से बात कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: पूरी बात कहिये। कहिये, पूरी बात सुनेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हाथ जोड़ कर कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप तो बहुत उदार हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में किस तरीके से पैसा आता है और कितना खर्च होता है, उसके बारे में मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा। कुल बजट का 16 परसेंट पैसा ब्याज पर खर्च होगा, 7 परसेंट ऋणों के पुनर्भुगतान पर खर्च होगा, 47 परसेंट नान-प्लान एक्सपेंडीचर, 6 परसेंट सेण्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के लिए और 24 परसेंट आयोजना व्यय में खर्च होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का अपना खुद का विकास का कौनसा फंड है? इसके अलावा सरकार की आय के जो स्रोत हैं, बिक्री कर से 21 परसेंट, आबकारी शुल्क से 4 परसेंट, वाहनों से 3 परसेंट, अन्य कर 7 परसेंट, गैर कर राजस्व 9 परसेंट, केन्द्रीय करों में हिस्सा 24 परसेंट, केन्द्रीय अनुदान 12 परसेंट और केन्द्रीय ऋण और आन्तरिक उधार इससे 20 परसेंट, यह सरकार की आय है। सरकार तो जो परिसम्पत्तियां साढ़े दस परसेंट एक तरह से तैयार कर रही है तो एजेंसी के रूप में काम कर रही है, प्लान का तो सारा का सारा पैसा केन्द्र का है। बजट के आंकड़ों से जो छवि उभरी है उससे यह साबित होता है कि सरकार का प्रदेश के विकास में कोई विशष योगदान नहीं है, एजेंसी का कार्य सरकार ने किया है।

मैं अब आपको बताना चाहता हूं कुशल वित्तीय प्रबन्ध के बारे में। सी.ए.जी. की रिपोर्ट का मुख्य मंत्रीजी ने जिक्र किया, एफ.आर.बी.एम. एक्ट, इस एक्ट के बारे में आपने बताया कि हमने फिस्कल डैफिसिट और जी.एस.डी.पी., इसका रेशो 2.8 परसेंट कम कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कम नहीं किया, 2.8 कर दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हां, 2.8 कर दिया।

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि जनवरी में जब यह योजना मंजूर हुई थी उस समय मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने एक कमैण्ट किया था कि राजस्थान राज्य का डैट/जी.एस.डी.पी. रेशो नेशनल एवरेज से बहुत अधिक है। यह 2006-07 में 50.8 परसेंट था और 2007-08 में यह 48 परसेंट है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह फोन करके बताया था आपको मोंटेक सिंहजी ने? फोन किया था मोंटेक सिंहजी ने आपको या उन्होंने कोई सर्टिफिकेट दिया है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, नहीं, फोन भी किया था और हिन्दी में पढ़ा है। (व्यवधान) देखिये, मैं जो बात कर रहा हूं वो गलत हो तो मुख्य मंत्रीजी बता देंगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कल्ला साहब, हिन्दू वाला कोरस्पोन्डेण्ट वहां थोड़े ही बैठा था। ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको यह पता है कि किसी भी हिन्दू, कोई अख़बार ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने कोई भी बात गलत की है तो मुख्य मंत्रीजी बता देंगी। अब आप इनको, राजेन्द्रजी को वित्त मंत्री बनाने वाले हो या घनश्यामजी को? ऐसा लगता है कि ये अब दो-दो वित्त मंत्री तैयार हो गये हैं आपके।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको यह पता है कि सामूहिक जिम्मेदारी से बोलना पड़ता है यहां। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, हम तो नहीं बनेंगे पर ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अपनी परफारमेंस दिखा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, पूरे हिन्दुस्तान ने यह देखा और सुना कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने राजस्थान के एनुअल प्लान को मंजूर करते हुए यह कहा कि राजस्थान जैसा वित्तीय प्रबन्धन, राजस्थान जैसा आर्थिक प्रबन्धन दूसरे किसी प्रदेश का रहा नहीं और आधारभूत संरचनाओं में राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है, देश को उसका उदाहरण लेना चाहिए। यह रिकार्ड पर है। यूं बात नहीं है, यह रिकार्ड पर है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): डैट और जी.एस.डी.पी. का रेशो जब नेशनल एवरेज 30.8 है और अपना 2007-08 में लगभग 48 परसेंट है और उससे पहले 50.3 परसेंट है तो यह बिलकुल ही अफसोस की बात है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कल्ला साहब, मामला जम नहीं रहा है, रहने दो आज।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, आप इकोनोमिक्स के जानकार लोगों से पूछो, यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। एफ.आर.बी.एम. में आप जो 2.8 तक इस लेवल को लेकर आये हो, यह ठीक किया, मैं गलत नहीं कहता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ऐसा बोलेंगे तो ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन अभी बहुत काम करने की गुंजाइश है। जब तक आप नेशनल प्रोस्पैक्टिव में उसके बराबर नहीं आएंगे तो थोड़ी-सी वाहवाही आप ले लो, आप ही अपना काम करो और खुद ही शाबासी ले लो, ऐसी बात होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स में पेयजल, ग्रामीण विकास और अन्य अनेक कार्यों में जो पैसा सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया था वो पूरा खर्च नहीं कर पाये, सर्व शिक्षा अभियान में नहीं खर्च कर पाये। इसकी मैं डीटेल में नहीं जाना चाहता, माननीय सदस्यों ने काफी बातें उसके बारे में बतायीं लेकिन सेण्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम का पैसा खर्च नहीं करना, यह अपने आप में मैं समझता हूं कि राजस्थान के साथ ठीक बात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको कुछ डिपार्टमेंट्स के राजस्व व्यय के बारे में बातें बताना चाहूंगा जो बहुत इम्पोटेण्ट हैं। 2007-08 का रिवाइज एस्टीमेट और 2008-09 के बजट एस्टीमेट के आंकड़ों को मैं कुछ विभागों को लेकर बताने जा रहा हूं। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण इसके लिए 371.54 करोड़ का प्रावधान 2007-08 के रिवाइज एस्टीमेट में दिया गया, वह आपने इस बजट में घटा कर 308.44 कर दिया। सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण का बजट 415.5 से घटा कर 406.3 कर दिया। आर्थिक सेवाओं का मैंने बता ही दिया। डेयरी विकास का 3.95 की जगह दो करोड़। खाद्य भण्डारण में 2.71 से 52 लाख। कमाण्ड क्षेत्र विकास, (सी.ए.डी.) 45.9 करोड़ से कम करके 31.7 करोड़। बिजली का बजट 3164.1 करोड़ से कम करके 1470.85 करोड़ किया गया। उद्योग तथा खनिज का 109.3 करोड़ से कम करके 106.9 करोड़ किया गया।

आपने यह कहा कि हम आठ घंटे किसानों को बिजली देंगे, किसानों के बिजली के बिल का करंट कम करेंगे, वह करंट कहां गया? करंट तो बढ़ गया, लोगों के बिल खूब जोर-शोर से आने लगे हैं। एक साधारण कर्मचारी का

(डा. बुलाकीदास कल्ला)
बिजली का बिल दो हजार से कम नहीं आता। इलेक्ट्रोनिक्स मीटर हैं इसकी भी शिकायतें आयी थीं, उसके बारे में चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आज इलेक्ट्रोनिक्स मीटर कूद रहे हैं, जम्प मार रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है।

एक माननीय सदस्य: एक भी पैसा काश्तकार के बिल में नहीं बढ़ाया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ज्यादातर लोगों का करीब-करीब 30-35 परसेंट अपनी आय का हिस्सा बिजली के बिलों को चुकाने में चला जाता है। पूंजीगत व्यय यदि आप देखें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कल्लाजी, कुछ तो सही बोलो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसका 1998 करोड़ का बजट था वो 25.7 कर दिया। आवास का 12.47 से कम करके 10.9 कर दिया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का जो बजट था, 119.3 से कम करके 64.3 कर दिया। सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण का 42.6 से कम करके 37.6 कर दिया। पशुपालन का बजट 1.39 से एक करोड़ कर दिया। सहायता का 21.6 से कम करके 15.7 कर दिया। अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम का बजट 234.7 से कम करके 204.5 करोड़ कर दिया। विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का बजट जो 2007-08 में 94.4 था, वह कम करके 71.97 कर दिया। उद्योग तथा खनिज इसका बजट 15.83 था, कम करके 9.82 करोड़ कर दिया। सड़कें और सेतुओं का बजट 413.75 से 281.48 करोड़ कर दिया। ग्रामीण विकास विभाग इसका एक अप्रैल, 2007 को 621 करोड़ का बैलेंस था इनके पास, मेरे पास यह सारी योजनाओं का मालूम है कि कितना-कितना बैलेंस आपका किस-किस स्कीम में रहा। खास तौर से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 3.14 करोड़ रुपया बैलेंस था, सहरिया विकास 3.66 करोड़, डांग क्षेत्र 3 करोड़ 9 लाख, स्वविवेक कोष 10.89 करोड़ आपके पास बैलेंस के रूप में था।

(18.00 बजे)

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ वादे जो इन्होंने जनता के साथ किये थे, उनके बारे में संक्षेप में बताना चाहूंगा।

आपने महिलाओं से इक्कीस वादे किये और मैं यदि उसमें चिन्हित करूं तो कम से कम दस वादों के बारे में तो काम नहीं हुआ। कुछ में काम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

शुरु हुआ है लेकिन वे वादे पूरे नहीं हुए। क्या आपने महिला बैंक सारे जिलों में खोल दिये? इसी प्रकार महिला थाने क्या आपने सारे जिलों में खोल दिये? हमारे पास जानकारी आ जाएगी तो हम कहेंगे ठीक है, आपने यह वादा पूरा किया, लेकिन महिला बैंक नहीं खुले। इसी प्रकार आपने सत्रह वादे अनुसूचित जाति और जनजाति के किये उसमें से भी कई वादे पूरे नहीं हुए। अल्पसंख्यकों के आपने सात वादे किये, चार वादे पूरे नहीं। स्पोर्ट्स और युवा मामले में आपने तीन वादे पूरे किये थे, उन ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ये वेग बातें हो रही हैं, कोई तथ्यात्मक बात भी नहीं है, वर्ना तो हम यह भी झेलते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको तो वेग ही लगेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चार घंटे चौबीस मिनट का समय आपने दिया था और सात घंटे दस मिनट तो हो चुके हैं, तो फिर हमारी पार्टी के सदस्यों को क्या कहें, हमारे सामने बड़ी दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष: कनक्लूड कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम केवल छह घंटे छह मिनट बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कर रहे हैं कनक्लूड। कल्ला साहब, कनक्लूड करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दस हजार के कर्जे माफ करने का वादा ये पूरा नहीं कर सके। एक लाख लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर सके। मैं आपके माध्यम से, इन्होंने शेरो-शायरी बहुत की है, चार लाइनें इनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपने कहा था-

रोजगार मिलेगा एक लाख लोगों के लिए
और कहां रोजगार मयस्सर नहीं शहर के लिए।
यहां दरख्तों के साये में धूप पड़ती है
चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।

आज नौजवानों में भारी निराशा है। आपने, सर्व शिक्षा अभियान को छोड़ दो तो राजस्थान के लोगों को झांसे ही झांसे मारे हैं और कोई रोजगार

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

नहीं दिया। आंगनबाड़ी में हम रुपये बढ़ा देंगे, आंगनबाड़ी के रुपये तो आज केन्द्र सरकार ने बढ़ा दिये। आपके पास कोई चिट्ठी आयी हुई थी उसके आधार पर आपने ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कितने बढ़ाये हैं?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 1500 रुपये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): और हमने कितने किये?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 1600 रुपये, फिर सौ रुपये बढ़ाकर के ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमने पहले 1600 कर दिये और यूं ही गीत गा रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब विराजो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कम से कम सोच कर तो गीत गाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपने तो, हमारे मुख्य सचेतकजी ने तो जोधपुर में जाकर अपनी सी. आर. खतम कर ली। अब आप कितना ही चाहे कुछ कर लो, मुख्य मंत्रीजी आपसे राज़ी होने वाली नहीं हैं। (व्यवधान) आपने यह कहा था कि हम तहसील हैडक्वार्टर पर महिला कालेज बनाएंगे। कहो, यह कहा था या नहीं कहा था? मुख्य मंत्रीजी, आपने कहा था। सम्भागीय मुख्यालय पर हम वेटरिनरी कालेज खोलेंगे, कहां हैं वे वेटरिनरी कालेज? कहां हैं तहसील मुख्यालय पर महिला कालेज? आपने कहा था कि हम महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा को छोड़कर सभी शिक्षा.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी, हमें मालूम नहीं था कि आप दोनों की ऐसी गुफ्तगू होती है। आपने इन्हीं को कहा था सम्भाग स्तर पर वैटरिनरी कालेज खोलने की, हमें क्यों नहीं कहा आपने?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह रहा मेरे पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या है आपके पास?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह आपका घोषणा पत्र... (व्यवधान) सम्भागीय मुख्यालय पर वेटरिनरी कालेज खोले जाएंगे, यह पढ़ लो आप।

श्री उपाध्यक्ष: अब उसमें कोई समय सीमा थोड़े ही है। समय सीमा तय नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, तकनीकी शिक्षा के अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि हम सब स्तर पर फीस माफ कर देंगे। उस फीस का क्या हुआ, वह फीस माफ हो गयी क्या? इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा कोष, किसान कल्याण कोष इन सब का क्या हुआ? ये सारे के सारे ...

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): बजट पर बोल रहे हैं या घोषणा पत्र पर बोल रहे हैं? बजट पर बोलो न आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह घोषणा पत्र आपका क्या है कि अन्तिम साल है, इससे पहले तो आप कहते अगले साल, अगले साल, अब कौन से साल में करोगे? (व्यवधान) पांच साल में देखो, आपने स्वास्थ्य चेतना यात्रा, जल चेतना यात्रा, राजस्व अभियान खूब चला लिये, अब विदाई यात्रा की तैयारी करो ताकि आप इधर आकर बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी दस महीने हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कल्लाजी, कल्लाजी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने अभी सेन जी महाराज, और कोई महाराज, इनके लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित कर दिये, अच्छा किया... (व्यवधान) लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज जो घर में काम करने वाले कामगार हैं-चाहे वह सुनार है, धोबी है, नाई है, कोई भी है, उनके घर में कमर्शियल रेट से बिजली के बिल भरे जाते हैं। इनको कम करते तो इम्पैक्ट जाता। इन चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एक बार किसी की छुट्टी घोषित कर दो और आप चाहो कि आपको वोट मिल जाएगा, कोई वोट मिलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप सेन समाज से नाराज हैं क्या? धोबी समाज से नाराज हैं क्या?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अब, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की स्थिति का मैं बयान करना चाहता हूं कि बकाया कर की स्थिति क्या है। पिछले एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम भू-राजस्व 47.83 करोड़,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)
पंजीयन-मुद्रांक 39.1 करोड़, बिक्री कर 707 करोड़ और 93 लाख का बकाया है। वाहन कर 5.98 करोड़ रुपये बकाया है। माल व यात्री कर 136.49 करोड़ बकाया है, मनोरंजन कर 3.03 करोड़ रुपये बकाया है और विलासिता कर भी 0.68। कुल मिलाकर 962.2 करोड़ रुपया पिछले एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक का बकाया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): कल्ला साहब, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य चले गये, इतनी गलत बात है वह सुन ही नहीं सकते।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अच्छा कोई बात नहीं, आप तो सही मानते हो न?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय कल्लाजी, अब कनक्लूड करो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक-एक मिनट में व्यवधान करोगे तो ऐसे तो..

श्री उपाध्यक्ष: मैंने पूरा टाइम दिया है आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं एक भी शब्द फालतू नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अभी कनक्लूड करो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कनक्लूड कर रहा हूं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जनता ने बाहर सुन लिया है सब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं, शांत रहें कृपया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कोई भी होती है, बकाया करों की बेहतर वसूली, फिजूलखर्ची पर रोक, नान प्लान पर खर्चे कम करना, पूंजीगत व्यय को बढ़ाना और इसी प्रकार हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके राज्य में नान टैक्स रेवेन्यू को जितना अधिक बढ़ाएंगे उतना ही प्रदेश आर्थिक समृद्धि की ओर, इकोनोमिक डवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां पर सब उलटा ही उलटा हो रहा है। यहां नान डवलपमेंट एक्सपैंडिचर बढ़ रहे हैं और इकोनोमिक सर्विसेज को कम करते हुए राज्य के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिजूलखर्ची इतनी बढ़ी है कि मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पूर्व साथी बोल चुके हैं।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

केन्द्र की सरकार ने जो आज बजट दिया है उसमें आठवीं तक के बच्चो के लिए मिड-डे मील, इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की बढ़ोतरी, राजस्थान के तैंतीस के तैंतीस जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लागू करना, किसान का कर्जा माफ करना, ये जो कदम उठाये हैं, इनकम टैक्स में जो रिलीफ दी है, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को लाभ मिला है और यह बजट कहा जा सकता है कि मंहगाई को कम करने वाला है। इस बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में जो कटौती की गयी है उससे कंजूमर गुड्स सस्ते होंगे और राज्य का इकोनोमिक डवलपमेंट होगा।

अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, ए डी बी प्रोजैक्ट हमारे वक्त में शुरु हुआ, उस ए डी बी प्रोजैक्ट में खासतौर से मेडिकल कालेजेज के लिए साठ करोड़ रुपये रखे गये थे, वे पहले खर्च हो गये। उसके बाद इस सरकार ने मेडिकल कालेजज के डवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया वह पैसा ...(व्यवधान) आप चेयर को प्रभावित कर रहे हैं, यह सारा सदन और सब देख रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ए सी के लिए कह रहे हैं। गर्मी हो गयी है थोड़ी, अब ए सी चलवा दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ए सी के लिए कह रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी दे रहा था कि ए डी बी प्रोजैक्ट में साठ करोड़ रुपये मेडिकल कालेज के लिए और खासतौर से बीकानेर के लिए तो करीब 61.12 करोड़ रुपये रेलवे बाइपास का पैसा रखा हुआ था। करीब बाइस करोड़ रुपये सड़कों के लिए रखे हुए थे। कच्ची बस्तियों के लिए नौ करोड़ और मेडिकल कालेज, बीकानेर के लिए सौ करोड़ रुपये इस राज्य सरकार ने डाइवर्ट कर दिये। मैंने सुना है कि मुख्य मंत्रीजी बीकानेर पूर्व से लड़ने का विचार रखती हैं, कुछ अखबारों में छपा है, तो आप बीकानेर के लिए रेलवे बाई-पास जब तक नहीं करेंगे, बीकानेर का कोई भी बच्चा एक वोट नहीं देगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर तो प्रचार करोगे क्या हमारा? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बीकानेर का रेलवे बजट ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप बीकानेर से लड़ोगे तो आपका पहले पत्ता साफ कर रहे हैं। यह है काम।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्षजी, इनको कोई स्पेशल प्रिविलेज है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: यह कोई वहम हो गया दिखता है इनको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, आपने सबको रोका, टोका, बैठाया, क्या है यह?

श्री उपाध्यक्ष: बैठ रहे हैं यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में कनक्लूड कर रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पांच की जगह आप एक मिनट में ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरा समय यह निर्धारित करेंगे क्या? यह क्या तरीका है? यह बोलेंगे तो इनको हम नहीं सुनेंगे, यह क्या तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष: यह नहीं बोल रहे हैं, आप कनक्लूड कीजिए। आप दो मिनट में कनक्लूड कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बिना कोई रिपीटीशन के हम अच्छे सुझाव दे रहे हैं उसके बावजूद भी। संख्या के बल पर आप दबा नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं दबा रहा ...(व्यवधान) तो आप बीच में देखो, कल्ला साहब ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में खासतौर से गरीब लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कोई संवेदना नहीं है। मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, मैंने दो सत्र पहले एक समस्या यहां उठायी थी कि एस सी, एस टी के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, विशिष्ट स्कूलों में खास तौर से सेण्ट जेवियर, कान्वेंट, बीकानेर बायज स्कूल या मेयो कालेज, उनका तमाम शिक्षण शुल्क, उनके रहने का, भोजन का सारा खर्चा सरकार देती है लेकिन इस सरकार के आने के बाद नये एडमिशन बिलकुल नहीं हुए हैं। इन सब चीजों के बारे में यदि ध्यान नहीं देगी सरकार, एस सी, एस टी के बैकलॉग के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार राजस्थान की शिक्षा में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गुणात्मक सुधार के लिए कुछ नहीं किया बल्कि जो हमारी निजी शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी एड को कम करने का काम किया। जो पोस्ट खाली रह गयीं उनको भरने का काम नहीं किया।

तबादला उद्योग, 90-बी में भ्रष्टाचार का खुला विंडो शुरू कर दिया। कोई भी 90-बी का मामला यदि कोई बी जे पी का कार्यकर्ता भी कराना चाहे तो उसका स्वायत्त शासन विभाग ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर कह रहे हो? (व्यवधान) किस आधार पर कह रहे हो आप, क्या प्रमाण है आपके पास? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): यहां तो xxx चलता रहा। पूरा xxx में डूबा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): कांग्रेस ने ...(व्यवधान) जबरदस्त हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई रिकार्ड है आपके पास? किस आधार पर कह रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (संसदीय सचिव): हमारी इस सरकार से... (व्यवधान) हो नहीं सकता। (व्यवधान) मन में आए जो कह देते हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): या तो प्रमाण दें, यूं उठाकर वेग चार्जेज लगा देना, उपाध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। एक्सपंज करवाइये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई स्पेसिफिक बात हो ? (व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कल्लाजी तैयारी करके नहीं आये लगता है बजट पर, इसलिए इधर-उधर की बात बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब स्पेसिफिक कोई ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि 90-बी की कार्यवाहियां जो स्टेट में चार वर्ष में हुई हैं, सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए तैयार हैं क्या आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप ...(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): बजट पर बोलो। तैयारी करके नहीं आये आप, लगता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: शिकायत करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी आरोप है। (व्यवधान) मेरा भी आरोप है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बंजर भूमि पर बनाया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (संकेत द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जहां-जहां पर गोचर एवं चरागाह भूमियों पर ...(व्यवधान) नहीं तो गाय माता आपको खा जाएगी। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): xxx

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई स्पेसिफिक ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कानून और व्यवस्था की तरफ और एक रावतभाटा एटोमिक पावर प्रोजैक्ट, जिसकी बिजली राजस्थान में क्योंकि ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, व्यवस्था ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिसकी बिजली राजस्थान को 85 परसेंट मिलती थी, उस बिजली का 65 परसेंट हिस्सा मध्य प्रदेश और दिल्ली को दे दिया गया है, इससे राजस्थान को कितना नुकसान हुआ? कहा यह गया कि इस बिजली की कीमत ज्यादा थी। अब बिजली की कीमत आपको क्या मिल रही है? इससे नुकसान हुआ है राजस्थान का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बिजली विभाग के संबंध में ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक तरफ राजस्थान में बिजली की कमी और हमारे हिस्से में आने वाली बिजली को मध्यप्रदेश को देना, इसको हम सरासर गलत बताएंगे। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्षेत्र के लोगों को साढ़े छह रुपये से ज्यादा और आठ रुपये से ज्यादा प्रति यूनिट मिलेगी। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस बजट ने राजस्थान के आर्थिक विकास को चौपट किया है, जिस बजट ने राजस्थान की विकास दर को कम किया है, साक्षरता को कम किया है और जिस सरकार ने पिछले चार वर्ष में विभिन्न गोचर, चरागाह भूमियों को किसानों से छीनकर दूसरे कार्यों में उपयोग में लिया है, और सेज जो बंजर भूमि में बनना चाहिए वह उपयोगी जमीन में बना है, ऐसी सरकार के बजट का मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और कहना चाहता हूं कि यदि आपको सेज बनाना है तो बंजर भूमि में बनाइये और इकोनोमिक डवलपमेंट में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आगे नहीं बढ़ाएंगे तो राजस्थान पीछे रह जाएगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नवनीत नीनामा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप सुनिये पहले। माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: निर्दलीयों का समय खतम हुआ है, आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): निर्दलीय नहीं है तो कांग्रेस वालों से दे दो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं, कांग्रेस वालों का भी समय नहीं है न। कांग्रेस ने भी समय समाप्त कर दिया। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): निर्दलीय में कहां से था? (व्यवधान) मेरे को तो किया है इन्होंने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब हो गया, माननीय ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): तो फिर मैं आपका ...(व्यवधान) मैं आसन पर +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): तो मैं आसन पर यह xxx (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, न तो आपकी पर्ची आयी हुई है और न आपकी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): पर्ची आयी हुई है। कल तक पड़ी थी। आज तो (व्यवधान) आज कहां गायब हो गयी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है। जो निर्दलीयों का टाइम था वह समाप्त हो गया। आठ लोग बोल लिये निर्दलीय। (व्यवधान) माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): बीरूसिंहजी थे और माननीय चपलोत साहब थे, वे कह रहे थे कि पर्ची है आपकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने पर्ची किसको दी? नहीं है अभी ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैंने वह दी थी, यह आपके सैक्रेटरी ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सोमवार को देना। अभी बहुत चलेगा मामला। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं तो +++ ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई पर्ची आयी हुई नहीं है आपकी। माननीय सदस्य, आपकी आज कोई पर्ची आयी हुई नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): आयी हुई है, साहब। ऐसे कैसे (व्यवधान) आयी हुई है। ...(व्यवधान) xxx...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई दबाव नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): +++ पर आपने सवालिया निशान लगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कुछ अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, कुछ अंकित नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से बजट 2008-09 पर चर्चा कर रहा हूं। मान्यवर, मैं सबसे पहले राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां-जहां,

(श्री नवनीत नीनामा)

जिस-जिस वक्त राजस्थान ...(व्यवधान) का दौरा, गांव-गांव में ट्यूर करके, इलाकों में, झोंपड़ियों का जायजा लेकर ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: अंकित मत कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: फिर आपका ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपके इस ...(व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): उस अनुसार आज हमारे राजस्थान के बजट की वाहवाही हो रही है। ...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री द्वारा परिवर्तन यात्रा के समय पूरे राजस्थान को जगाया गया कि राजस्थान में राज किस तरह से होगा। यह महसूस करने की कि क्या-क्या समस्याएं हैं ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए। कोई पर्ची आपकी नहीं है, बैठ जाइये। अंकित नहीं किया जाएगा।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): इन समस्याओं का जायजा लेकर बागडोर अपने हाथ में ली है। मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा ...(व्यवधान) मैं आपकी नजर दक्षिणी राजस्थान की ओर ले जाना चाहता हूं। जहां पर बांसवाड़ा जिस ...(व्यवधान) नदी पर तालाब बनाया जाकर इसका उपसंहार किया है। इस प्रकार के काम होने के बावजूद ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): मान्यवर, गत वर्षों में हमारे यहां पर पी.एच.ई.डी. की तरफ से 5.60 करोड़ रुपये की योजना लागू की गई है। (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में 8.44 करोड़ रुपये की पी.एच.ई.डी. योजनाएं गत साल में ...(व्यवधान) चालू किया है। इसलिए मेरा आग्रह ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार xxx की बात कर रहे हैं। यह आसन सर्वोच्च है, सदन में मैं समझता हूं कि आसन पर। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): xxx

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): xxx

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): xxx

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): xxx

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): xxx

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): xxx

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने आपको कई बार कह दिया है कि आपकी आज कोई पर्ची आयी हुई नहीं है और आज आपको बोलने का समय नहीं दिया जाएगा। आप या तो स्थान ग्रहण कर लीजिये, मैं नाम पुकार रहा हूं आपको बाहर कर दिया जाएगा अभी। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराज जाएं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य सुरेन्द्र सिंहजी, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सुरेन्द्र सिंहजी, स्थान ग्रहण कर लीजिए। पर्ची रोजाना देनी पड़ती है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: नहीं दी, आज कोई पर्ची नहीं आयी है आपकी, बैठ जाएं। (व्यवधान) आप गलत बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, बैठ जाएं आप। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये आप, क्यों वातावरण खराब कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री नवनीत नीनामा (घाटोल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की ओर सदन की नजर डलवाना चाहता हूं। हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का, 2006 में दक्षिणी राजस्थान का दौरा हुआ था, जहां पर बोरखेड़ा गांव में रात्रि विश्राम करके वहां के गांव, गलियों और झोंपड़ों में जाकर उन्होंने देखा। उसके बाद निर्णय लिया गया और माही डैम का पानी जहां-जहां नहीं पहुंचा है वहां पानी पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गयी। माही डैम बनने और नहरें निकलने के बावजूद भी 2.50 लाख हैक्टेयर जमीन सूखी थी। जब पूर्व में हमारे मुख्य मंत्री हरिदेव जोशीजी थे उस वक्त माही डैम का निर्माण कराया गया था। उसका शिलान्यास माननीय मोरारजी देसाई द्वारा

(श्री नवनीत नीनामा)

कराया गया था और उदघाटन माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजी के द्वारा कराया गया था। लेकिन उससे नहरें जो निकाली गयी थीं, उस पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, उन नहरों का जायजा लेने के बाद वहां निर्णय किया गया और जहां-जहां जमीन अधूरी रह गयी है, जहां पानी नहीं मिल रहा है उसकी 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति देकर नहरों का सर्वे कराया गया है। भूंगड़ा कैनाल के नाम से जो नहर है जिसकी शाखा नहरें आगे जाएंगी, उनका सर्वे करने के लिए निर्णय ले लिया गया है जिसकी अभी 60.75 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है और उसका मास्टर प्लान बनकर काम शुरू होने वाला है। इस प्रकार के कार्य के लिए हमारे इलाके की जनता माननीय मुख्य मंत्री महोदय की वाहवाही कर रही है और नहर का शिलान्यास करने का इंतजार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, पीपलखूंट क्षेत्र में जहां सूखा एरिया था उस एरिये में पांच करोड़ रुपये की बोड़बान गट्टी नाम के तालाब की योजना बनकर तैयार हो गयी है। उसका दायीं और बायीं नहरों का कार्य शुरू है जिसके उदघाटन के लिए क्षेत्रीय जनता माननीय मुख्य मंत्रीजी का इंतजार कर रही है। वहां पर सूखा एरिया है जहां हैंड पंपों में पानी नहीं था। पीएचईडी की तरफ से केशरपुरा गांव में सात हैंड पंप खोदे गये, आसपास में पानी नहीं आया तो पीएचईडी की तरफ से नल योजना के द्वारा वहां टंकी का काम शुरू कर दिया गया है और अब वहां नल योजनाएं डालना शुरू कर दिया गया है। वहां कुए बनाने की तैयारी हो चुकी है और उसके उदघाटन के लिए केशरपुरा की जनता इंतजार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से घाटोल क्षेत्र में 544 करोड़ रुपये की योजना की टंकी तैयार हो चुकी है, जो उदघाटन के लिए इंतजार कर रही है। इस प्रकार का कार्य होने के कारण हमारे घाटोल क्षेत्र की जनता को पेयजल की कहीं दिक्कत नहीं है। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि अभी यह विधान सभा सत्र स्थगित होते ही आप उस एरिये में पधारें और वहां की नहर का शिलान्यास करके वहां की जनता को आगे के गांवों में पानी सप्लाई कराकर खुश करने की कोशिश करें। मेरी यह मंशा है। आपने यह आश्वासन भी हमें दिया है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने भी कहा है कि यह विधान सभा सत्र स्थगित होते ही उस एरिये में दौरा करके इस काम को पूरा

(श्री नवनीत नीनामा)

करेंगे। वहां की जनता आपका आभार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है, विधान सभा सत्र स्थगित होते ही आप उस एरिये का दौरा करके भूंगड़ा नहर का शिलान्यास करके जनता को आशीर्वाद दें। यहीं मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष, श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008-09 का जो बजट मुख्य मंत्रीजी ने सदन में प्रस्तुत किया उस पर चार दिन से चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने तारीफ के पुल बांधने में कोई कमी नहीं रखी। हमारी तरफ से कुछ सुझाव भी दिये गये, कुछ सरकार के बजट में जो कमियां रही उन पर सरकार का ध्यानाकर्षित किया गया, कुछ आलोचना भी हुई। हमारा काम है, सरकार द्वारा जो प्रस्तुत बजट है वह कितना सही है, कितना जनता को लाभ देने वाला है या उसमें कोई कमी-खामी तो नहीं रह गयी है, अगर कोई कमी-खामी रह गयी है तो हम सरकार के ध्यान में लाएं। विपक्ष होता ही इसलिए है शासन चलाने वाले लोग अगर कोई गलत काम करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी, आपसे क्षमा चाहते हुए मैं उपाध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं इसलिए ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ...(व्यवधान) बार-बार एक ही माननीय सदस्य इंटरवीन करे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इसमें क्या हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मैं सदन को छोड़कर जा रहा हूं, बायकाट कर रहा हूं।

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप बिना बोले भी जाएं न, क्या मतलब है।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री) लेकिन आप दुनिया मत छोड़कर जाना।

श्री उपाध्यक्ष: छोड़े, जाने दें, Let him go ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिये हैं परंतु मुझे लगता नहीं कि सरकार उन सुझावों पर ध्यान देगी, गौर करेगी, क्योंकि सरकार का जो सोच है, दृष्टिकोण है वह यह बन गया है कि प्रतिपक्ष जो कुछ भी बात यहां सदन में कह रहा है वह कतई सत्य नहीं है और प्रतिपक्ष की भावना से कह रहा है, जैसा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अपने विचारों में बार-बार कहते रहे और सुनने को भी तैयार नहीं हुए। जितने भी हमारे प्रतिपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बोले, कई सीनियर सदस्य बोले, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता, पीसीसी चीफ तक भी, उनको भी बोलने से रोकने के लिए कितने प्रयास किये गये, वह भी आपने देखा।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो इनकी आपस की मिलीभगत थी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सबने देखा। इस तरह से अगर रोकने का प्रयास करेंगे बल के आधार पर, बहुसंख्या के आधार पर ... (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, फिर रोना नहीं आवे तो क्या आवे? (व्यवधान) फिर रोना न हो तो क्या हो, आप बताओ? (व्यवधान) मैं कोशिश करूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जस्टिफिकेशन मिल गया। हम इतने दिनों से तलाश रहे थे कि इतने भावुक क्यों हुए और क्यों रोये, आज जस्टिफिकेशन खुद की भाषा में दे दिया, बिलकुल ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी फिर व्यवधान करने के लिए तैयार हो गये, आप इनको रोकें। (व्यवधान) क्योंकि मैं भावुक हूं, संवेदनशील हूं, यह मुख्य मंत्रीजी ने मुझे उपाधि दे दी, मुझे स्वीकार्य है। इन्होंने मुझे जो उपाधि दी उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे स्वीकार है। कोई जरूरी थोड़े ही है, यह कोई बात कहें उसको हम जिस तरीके से, जिस भावना से यह लेते हैं उस भावना से नहीं लेते। ये हम जो कुछ सुझाव देंगे, बातें कहेंगे, उसको अन्यथा ही लेंगे। हम अन्यथा नहीं लेते। मैं मुख्य मंत्रीजी की बातों को अन्यथा नहीं लेता, बात सही है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर ...(व्यवधान) हंसो, यह हंसने के लिए ही है। हंसने के लिए ही है यह विधान सभा, और काम ही क्या

(श्री हेमाराम चौधरी)

है यहां पर। खूब हंसे, कोई दिक्कत नहीं है, यह हंसी मजाक चलाओ। अब कोई हंसी-मजाक से मैंने कह दिया ...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो बजट पेश किया गया, सत्ता पक्ष से आने वाले सदस्य और बाहर जहां भी जाते हैं ये लोग, इनकी पार्टी के लोग, सब कहते हैं कि प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुख्य मंत्रीजी विकास की गंगा ले आयीं, जिस प्रकार से भागीरथजी गंगा लाये थे ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह बीच-बीच में कमेंट्स न करें। अगर यह कमेंट्स करेंगे तो आपके मुख्य मंत्रीजी जब बोलेंगे तो हम भी कमेंट्स करेंगे। इसलिए अगर मुख्य मंत्रीजी का उत्तर आप शांति से दिलवाना चाहते हैं तो हमारी भी बात को आप शांति से सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में टोका टाकी न करें, नो कमेंट्स। आपको जो बात कहनी है वह दिल से कह दें।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे सदस्यों को टोकाटोकी करने में सत्ता पक्ष ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन कृपा करके, मेहरबानी करके मेरे जैसे भावुक आदमी को आप बीच में टोकाटोकी न करें, नहीं तो इसके लिए जिम्मेदार फिर आप ही होंगे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विकास की भागीरथी, गंगा, विकास की गंगा का श्रेय अगर भारतीय जनता पार्टी भी लेने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है, परन्तु ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय नहीं देना चाहते हैं। सत्ता पक्ष के लोग इस विकास की गंगा का सारा श्रेय अकेली मुख्य मंत्रीजी को देना चाहते हैं कि इस विकास की गंगा का सारा बोझ मुख्य मंत्रीजी अपने सिर पर उठाए हुए लेकर आई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बताते हैं, जो सुनते हैं आप लोगों से, वही बात मैं कहता हूं। इस विकास की गंगा का मैं नहीं कहता कि राजस्थान सरकार का कोई योगदान नहीं है, राजस्थान सरकार का भी योगदान है, परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसमें केन्द्र सरकार का भी योगदान तो है। इस बात से भी आपको इन्कार नहीं करना चाहिए। परन्तु जब भी केन्द्र सरकार का नाम इधर से प्रतिपक्ष के सदस्य अपने सम्बोधन में चर्चा के दौरान ले लेते हैं तो एकदम से इनको xxx लग जाता है। तो यह xxx क्यों लगता है ...(व्यवधान) xxx

श्री मदन दिलावर (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): xxx क्या होता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx की व्याख्या कर दो, कइयों को समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुझे डिस्टर्ब करके मेरी बात को रोकना चाहते हैं। अब क्या कह दिया, आपके समझ में आ गया तो ठीक है। हर शब्द को समझ में आना है क्या? मैंने कह दिया, आपके xxx लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है xxx, अब क्या है? (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि विकास की गंगा में हमारी केन्द्र सरकार भी शामिल है, राजस्थान सरकार भी शामिल है, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सारे जन प्रतिनिधि हैं। विकास का ठेका सिर्फ इन्होंने ही नहीं ले रखा है, हम भी जनता से चुनकर आए हैं। बिना वोटों के हम भी यहां नहीं आ सकते और बिना वोटों के ये भी नहीं आ सकते, परन्तु ये सत्ता में हैं इसलिए इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिम्मेदारी तो इनकी ही है, हमारी तो जिम्मेदारी यह है कि जो ये काम कर रहे हैं उसमें अगर ये कोई गलती कर रहे हैं तो उस तरफ ध्यान दिलाना है, अगर आपको महसूस हो, आपको लगे कि इन्होंने कहा है इसमें कुछ गलत हो सकता है। जरूरी नहीं कि गलती आप जानबूझकर कर रहे हों। गलती तो जाने-अनजाने में भी हो जाती है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। अगर अनजाने में गलती हो जाए तो उस पर जरा आप विचार कर लें। उसमें अगर कोई सुधार की गुंजाइश हो और उसमें आप सुधार कर लें तो कौनसा आसमान गिर जाएगा, कौनसी आपकी नाक कट जाएगी!

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें सबका योगदान है। महावीरजी, आपने यह जो बजट पेश किया, बजट के साथ में यह जो आपने बजट-एट-ए-ग्लांस दिया है प्लान एक्सपेंडीचर अकाउण्ट 2006-2007, इसमें आपने प्लान एक्सपेंडीचर बताया है 7025.28 करोड़,... (व्यवधान) आंकड़े तो कल्लाजी ने बहुत दे दिये, आंकड़ों की मेरे पास कमी नहीं है, पर मुझे पता है, आंकड़े थोड़े-से एक-दो दे दूं बस। आपको ज्यादा दूंगा नहीं, एकाध देऊंगा। आंकड़ों का नाम लेते ही आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उनसे यह भी लगेगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या बात हुई? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा आप इनको रोको।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब न करें। नो डिस्टर्बेंस प्लीज, सब समझते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लान एक्सपेंडीचर अकाउण्ट्स, मैंने आपको बताया 2006-2007 का, और 2007-2008 का है 9211.63 करोड़। यह आपका ही है, बजट-एट-ए-ग्लांस में दिया हुआ है। सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स में एक्सपेंडीचर है अकाउण्ट्स 2006-2007 का 2525.78 अब आप दोनों को देखो, प्लान का एक्सपेंडीचर जो 2006-2007 और 2007-2008 का रिवाइज एस्टीमेट है इसमें वृद्धि दर कितनी है, इसका आप परसेंटेज निकाल लें राजेन्द्रजी राठौड़ साहब। तो जो परसेंटेज निकालेंगे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं बोल जाऊंगा ... (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान) यह वृद्धि दर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगी। सी. एम. बैठी हैं, जवाब दे देंगी। राजेन्द्रजी राठौड़, अननैसेसरी क्यों ? कोई सीमा है, सीमा क्यों लांघ रहे हो?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह वृद्धि है 18.3 प्रतिशत, मैंने निकाली है। आप निकाल लें, फर्क हो तो आप मुझे करैक्ट कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपका सही है, साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स का एक्सपेंडीचर है उसकी वृद्धि दर है 45.5 प्रतिशत। बताओ, जो ये विकास की योजनाएं हैं, इसमें जो खर्चा हो रहा है, उस खर्चे में योगदान आपका ज्यादा है या केन्द्र सरकार का ज्यादा है? हमारा योगदान हमने बढ़ाया 45.5 प्रतिशत, सहयोग पहले से ज्यादा हमने इतना किया है, और आपका है 18.3, फिर भी आप इस तरह से कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह तो आपकी कृपा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आप यहां पर प्रदर्शित करते हो, जताते हो। जैसा आप कहते हो बार-बार यहां पर, केन्द्र सरकार ने दिया है तो हमारा अधिकार है, हमारा हिस्सा है, हमारा टैक्स है। तो फिर आप जो सब कुछ कर रहे हो, जो सब कुछ दे रहे हो, यह तो मुख्य मंत्रीजी धौलपुर के खजाने से दे रही हैं? यह भी तो राजस्थान का खजाना है, यह भी तो जनता के टैक्स का ही पैसा है, यह भी तो राजस्थान का पैसा ही है। इसमें हमारा, जनता का कोई लेना-देना नहीं है, जनता का हिस्सा नहीं है? यह भी जनता का ही है। ऐसे भूलो मत। यह भी जनता का पैसा है और वह भी जनता का पैसा है। हम भी करते हैं तो जनता के लिए करते हैं और आप भी करते हैं तो जनता के लिए करते हैं। आप काहे का एहसान जताते हो। यहां बहुत एहसान जताने की कोशिश की गयी ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए एहसान किस बात का? एहसान तो जनता का है जिसने इधर से उधर भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि आपको फूटरा देखकर भेजा। आपकी शक्ल देखकर नहीं भेजा। इसलिए भेजा कि आप हमारे लिए कुछ करोगे। हम सत्ता में थे, यह बात सही है। यों पांच साल तक रहे। कभी-कभी कई बार कई कारण ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मुख्य मंत्रीजी फूटरी हैं। फूटरा देखकर ही भेजा है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी तो फूटरी हैं, पर आप तो नहीं हो न।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): फिर क्या दिक्कत है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी तो फूटरी हैं, बाकी सभी तो फूटरे नहीं हैं। सबको तो फूटरा देखकर नहीं चुना है, मुख्य मंत्रीजी की बात मानता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ये मुझे डिस्टर्ब कर देंगे, मुझे सारी बात भुला देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि आपको सत्ता में यह सोचकर भेजा है कि कांग्रेस ने पांच साल राज कर लिया, और कई बार लोगों के मन में आ जाती है, क्या पता ये इनसे अच्छा करें। क्योंकि एक बोरडी का बेर है, दूसरी बोरड़ी का बेर देखें तो सही। इस बोरड़ी का बेर हमसे मीठा है तो

(श्री हेमाराम चौधरी)

देखें तो सही। लोगों ने देखा कि इस बोरड़ी का बेर सही। इसलिए आपको सत्ता में भेजा। इसलिए नहीं कि आप लोगों ने लोगों से बहुत वादे किये। वादे का मतलब आपने एक मेनिफेस्टो जारी किया। आप कह रहे हो बजट पर बोल रहे हैं या मेनिफेस्टो पर बोल रहे हो। बोल तो बजट पर ही रहा हूं, पर आप सत्ता में अपने मेनिफेस्टो के आधार पर ही आये हो। आप थोड़े दिनों के बाद चुनाव में जाओगे, हम भी जाएंगे, चुनाव के समय जब जनता के सामने आप और हम जाएंगे तो जनता से कुछ वादे करेंगे, कि हम सत्ता में आये तो ये-ये काम हम करेंगे, इस बात का हम आपको वादा करते हैं, आपको भरोसा दिलाते हैं। आपने भरोसा दिलाया, जनता ने आपके भरोसे पर विश्वास करके आपको सत्ता सौंपी। आपने जो मेनिफेस्टो में बातें कहीं उनमें से कितनी बातें आपने पूरी कीं, कितनी नहीं कीं? अब सारी पढ़ूं तो इस पर ही पूरा नहीं होगा। मेरे से पूर्व सदस्यों ने भी रखा। (व्यवधान) खास-खास नहीं है, मैं दो-चार पर जाऊंगा। अगर खास-खास की बात है तो पहला है ''पूरा करेंगे जन-जन का सपना''। ''कृषि एवं किसान''। ''175 करोड़ रुपये के किसान कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी।'' कर दी? आकस्मिक आपदाओं के समय किसानों को हमेशा केन्द्र की ओर नहीं देखना पड़े। अभी आप कह रहे थे केन्द्र की ओर। आपने ही लिखा, केन्द्र की ओर देखना ही नहीं पड़ेगा यदि हम सत्ता में आ गये तो। जनता ने सोचा, यह ठीक है, बार-बार केन्द्र और स्टेट का झगड़ा है, अब केन्द्र की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कह दिया इससे ज्यादा बढ़िया क्या बात है। इस हेतु ''250 करोड़ रुपये का किसान सहायता कोष बनाएंगे।'' यह भी बना दिया? ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के परिवारों की गम्भीर बीमारी के इलाज के लिए 25 करोड़ रुपये का किसान जीवन कल्याण कोष बनाया जाएगा। यह भी बना दिया होगा? किसानों को कम से कम, कम से कम 8 घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। कम से कम I am using the word कम से कम। कम से कम 8 घण्टे है, ज्यादा ही है, क्योंकि 8 घण्टे तो आपने कम से कम कह दिया, अब 8 घण्टे से कम तो आप दोगे ही नहीं, क्योंकि यह तो आपका वादा है। और वादे से तो आप मुकर नहीं सकते, वादे से आप कभी मुकरने वाले हो नहीं। यह बात कही, उस समय लोगों को यह बात अच्छी लगी कि कम से कम 8 घण्टे की तो इन्होंने गारंटी दे दी। कम से कम कह दिया इसलिए 8 से ज्यादा ही मिलेगी। अब ज्यादा 9 भी मिल सकती है, 10 भी मिल सकती है। लोगों ने देखा, यह बहुत बढ़िया बात है। आपने कहा,

(श्री हेमाराम चौधरी)

सीमांत किसानों, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों के लिए खुदवाये कुए जो अभी उपयोग लायक नहीं हैं, उन्हें योजनाबद्ध तरीके से गहरा करवाया जाएगा एवं प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकृत किया जाएगा। कितने कुओं को आपने गहरा कराया और उनमें से कितने कुओं को प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिये? बता देना। अब आपने 29 नम्बर पर गरीब किसानों के 10 हजार तक के कर्जे पर पुनर्विचार की बात कही। कर दिया पुनर्विचार 10 हजार तक के कर्जे पर?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): कर दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आज कर दिया तो बता दो। आपने कहा, करेंगे। आपने तो 10 हजार के कर्जे माफ किये नहीं। मैंने विधान सभा में हर बार यह मुद्दा उठाया, हर बार आपको याद दिलाता रहा। आप कह रहे हो, मैंने कहा। आलोचना कौनसी की? मैं तो हमेशा यही कहता था विधान सभा में कि आपने 10 हजार तक के कर्जे माफ करने का चुनाव के समय जनता से वादा किया था। इसलिए मेहरबानी करके आपके वादे को याद दिला रहा हूं, आप पूरा करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी। मैं हमेशा यह कहता रहता हूं। 10 हजार के कर्जे आपने माफ क्यों नहीं किये? आपने तो नहीं किये, हमने कर दिया। 60 हजार करोड़ रुपये के केन्द्र सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किये हैं। ये कह रहे थे, लघु, सीमांत के कितने ही हों, 10 हजार, 20 हजार हों तो ही माफ, 50 हजार तक ही माफ है। उसमें सीमा नहीं है। बाकी किसानों की सीमा है। टाइमली अगर 30 जून तक कर देंगे, एकमुश्त कर देंगे तो उसका फायदा मिलेगा। (व्यवधान) अभी इंदिरा गांधी कैनाल पर ...(व्यवधान) नाथूसिंहजी, आप पहले भी बहुत बोले। वसूली स्कीम अच्छी बात है। वसूली करने के लिए इंसेंटिव है, इंसेंटिव देकर आप वसूली करते हो तो उसमें कौनसी बुरी बात है? आपकी सरकार ने अभी नहरों के ऊपर जो किसान मुरब्बों की किश्त चुका नहीं पा रहे थे उन किसानों को कहा, आप जमा करा दोगे तो हम आपको ब्याज माफ कर देंगे। आपने किया? उसकी तो वाहवाही करने के लिए आप बहुत आतुर होते हैं और हम थोड़ी-सी बात कहें तो आप में सुनने की क्षमता नहीं, यह कौन बात हुई? और नाथूसिंहजी में तो जरा भी क्षमता नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि 10 हजार के कर्जे आपने तो माफ नहीं किये, अब हमने कर दिया तो आप मुसीबत में पड़ गये।

(श्री हेमाराम चौधरी)
मुख्य मंत्रीजी ने कुछ बातें भांप लीं कि केन्द्र का बजट पेश होगा उसमें ये-ये घोषणाएं होंगी इसलिए पहले से बजट में शामिल कर लीं। हमेशा मुख्य मंत्रीजी बाद में बजट लाती हैं, इस बार मुख्य मंत्रीजी केन्द्र के बजट से पहले अपना बजट क्यों लायी? क्योंकि वे कर देंगे तो वे श्रेय ले जाएंगे इसलिए मैं पहले पेश करके जो घोषणाएं वहां होने वाली हैं उन घोषणाओं को पहले ही अपने बजट में डाल दूं, इसलिए वाहवाही मैं ले जाऊं। यह तो रहती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह प्रभाव है हमारा, वहां इंतजाम करवाया है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी होशियारी से बजट में बहुत सारी बातें वे डाल दीं जो इनको पता था कि केन्द्र सरकार यह करेगी। और वह किया। उसमें से कई घोषणाएं तो मुख्य मंत्रीजी की ऐसी हैं कि आज केन्द्र का बजट आया उन घोषणाओं पर अमल हो जाएगा और कुछ बात बन जाएगी। यों तो बहुत-सी नहीं बननी हैं, पर केन्द्र की वजह से थोड़ी मदद मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कर्जे माफ करने की बात की, हमारे मेनिफेस्टो में हमने यह नहीं कहा, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। यह बात हम भी कह देते तो शायद लोग हमें भी वोट दे देते, क्योंकि 10 हजार तक कर्जा लेने वाले किसानों की संख्या कम थोड़े ही है। उनको वह बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस से क्या लेना-देना, अपने को तो ये कर्जा माफ कर रहे हैं इनकी बात सुनो, अपने तो ये फायदा करेंगे। अपना तो बिना पैसा दिये ही पीछा छूटे और कोई छुड़वा दो तो वह अपने आप ही अच्छा लगता है, कायदे की बात है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने तो वादा किया फिर भी नहीं किया, हमने वादा भी नहीं किया फिर भी हमने इसको किया। जो गरजता है वह बरसता नहीं है, जो बरसता है वह गरजता नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं कोई शायर हूं नहीं, न मैं हूं कवि, न मैं यहां कोई शायरी प्रस्तुत करूंगा, मैं तो यों ही, हमारे वहां कहते हैं गांवों में कई बार कि बहुत कड़कड़ाती जब बिजली कड़कती है तो एक बूंद नहीं पड़ती, तब कहते हैं कि भाई, गरजते हैं वह बरसते नहीं, बरसते हैं वह गरजते नहीं। वह बात याद आ गई मुझे तो, बाकी मुझे कोई याद नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, मैं कवि हूं नहीं, न मैं शायर हूं। न मुझे कविता लिखनी आती है, न मुझे शायरी

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिखनी आती है और दूसरों की लिखी हुई कविता और शायरियां पढ़ना मुझे ठीक लगता नहीं। वह आप लोगों के वास्ते है, आप लोग पढ़ते हो। वैसे यहां विधान सभा में ज्यादा कवि हैं और शायरियों पर ज्यादा जोर है, पर मेरा उनमें जोर नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की बात कही। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के बारे में संविधान के 73वें संशोधन के तहत 29 ऐसे कार्य निर्धारित किये गये थे जिन्हें पंचायती राज संस्थानों द्वारा किया जाना निर्दिष्ट था। राज्य सरकार ने इस हस्तांतरण को ईमानदारी से लागू नहीं किया। हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया। भा.ज.पा. सत्ता के इस आवश्यक विकेन्द्रीकरण को प्राथमिकता से लागू करेगी। अब आपने क्या दे दिया पंचायती राज को? बताओ। आपका पांच साल का राज आने के बाद में हमने तो ईमानदारी से लागू किया, आपने तो ईमानदारी से कर दिया न। आपने तो पंचायती राज को सब दे दिया- फंड, फंक्शन एण्ड फंक्शनरी। अब तो कोई कमी है ही नहीं, बढ़िया आपने अच्छा कर दिया। पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान निर्वाचन पद्धति में सरपंच का पंचायत समिति एवं प्रधान का जिला परिषद से कोई संबंध नहीं है। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सदस्यों के पास कोई काम न होने व क्षेत्रीय विकास कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन से उनका कोई संबंध न रहने से सभी वर्गों में असंतोष है। भा.ज.पा. सरकार इनमें सामंजस्य बिठाने हेतु पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करवाएगी। यह संशोधन भी आपने कर दिया न? कब करोगे? फिर अब इस बजट सत्र के बाद तो आप चुनाव में जाओगे ही। (व्यवधान) पंचायती राज व स्वायत्तशासी संस्थाओं को वास्तविक अधिकार देकर उनमें सरकारी दखल बंद किया जाएगा। हो गया सरकारी दखल बंद? कितने सरपंचों को सस्पैंड करते हो आप रोजाना, और फिर बहाल करते हो? दखल बंद हो गया? आपकी मर्जी आए तो उसके तीसरी संतान बता कर अयोग्य ठहरा कर उसको घर भेज देते हो। आपकी मर्जी है तो तीन हैं, चाहे पांच बच्चे हों तो क्या हुआ, कौन उसको हटाता है? हटता है क्या? अभी वह कह रहे थे कि आप पढ़ो, मेरे को महावीरजी ने कहा, आप कुछ-कुछ बोल दो मोटा-मोटा। मैं तो इसको पढ़ता ही नहीं, यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा पुलिंदा है, इतना टाइम कहां है। फिर भी मैंने आपको कहा। नहीं तो मैं पढ़ता ही नहीं।

(श्री हेमाराम चौधरी)

राजस्थान को अकाल से मुक्ति, अकाल के स्थाई समाधान हेतु ...(व्यवधान) क्या? (व्यवधान) कर दिया, बढ़िया किया। अकाल के स्थाई समाधान हेतु एक वृहत योजना बनाई जाएगी। (व्यवधान) वही तो कह रहा था, एक वृहत् योजना बनाई जाएगी। इस हेतु 250 करोड़ रुपये के स्थाई अकाल प्रबंधन कोष की स्थापना की जाएगी। कर दिया? कहते हैं, वह नहीं किया, यह नहीं किया, वह नहीं किया, अकाल का कर दिया, क्या कर दिया। कम कर दिया, क्या कर दिया। प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने वाले किसानों को उचित राहत राशि ऋण, ब्याज व तकाबी आदि से सहूलियत देने हेतु शीघ्र नई नीति घोषित की जाएगी। कर दी घोषित? कर दी हो तो ठीक है। कर दी।

शिक्षा विभाग में आपने कहा, शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को प्रति वर्ष 31 मार्च तक पूरा भरा जाएगा। 31 मार्च के बाद में एक भी पद शिक्षा विभाग में खाली नहीं रहेगा अगर हमारा राज आ गया तो। वाह रे वाह, घनश्यामजी। यह काम भी आप कर गये, अब तो कोई बाकी रहा ही नहीं मेरे ख्याल से। (व्यवधान) नहीं, याद दिलाऊं। आपकी बातें? इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, वह भी आपने कर दी? 2007 तक विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भरता, हो गये? अब 2008 है अब तो बिजली में? अब आत्मनिर्भर हैं, बिजली की तो कहीं कमी है ही नहीं। महिला उद्यमी को ब्याज दर में पांच प्रतिशत छूट। दी? नहीं, दी हो तो ठीक है लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, दे दी हो तो अच्छी बात है। नहीं, दे दी हो कौन-सा आपने बड़ा एहसान किया। आपने वादा किया उसमें से कोई 2-4 अगर आपने निभाये हैं, 2-4 पूरे किये हैं तो कुछ तो हुआ न, रुपये में 5 पैसे तो काम हुआ। सरकारी खर्च पर कब्रिस्तान और श्मशान पर चारदीवारी व बिजली पानी की सुविधा। सब ने देखा, अब तो हमारे कब्रिस्तानों का भी, श्मशान का भी कायाकल्प हो जाएगा। पानी भी वहां हो जाएगा, बिजली भी वहां लग जाएगी, चारदीवारी बन जाएगी, फिर बाकी क्या रहा? लोगों ने सब ने सोचा, आखिरी अंतिम पड़ाव अपना वही है, वह घर ही अपना सुधर जाएगा जो हमेशा-हमेशा का घर तो वही है, बाकी तो मुसाफिरखाना है, उसका भी इंतजाम यह सरकार अच्छा कर देगी तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, फिर इनको वोट क्यों नहीं दें? नहीं देने का कारण क्या है? लोगों को, बेचारों को समझ में ही नहीं आया। (व्यवधान) सुना साहब, 250 करोड़ रुपये, सहकारी संस्थाओं के समय पर चुनाव। एक सिर्फ जोधपुर के हाई कोर्ट में रिट लगी और उस पर आदेश हुआ कि को-

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपरेटिव बैंक्स के भी चुनाव कराए जाएं। वह आदेश तो पूरे राजस्थान के लिए था परंतु आपने देखा, एक सिर्फ जोधपुर का करा दें, एक्सपेरीमेंटल तौर पर ताकि पता लगे कि लोगों का मानस क्या है, ताकि फिर उसके बाद में कोई सोचे। उससे लोगों के मानस का पता तो आपको लग गया न? एक्सपेरीमेंट आपका हो गया न जोधपुर का भूमि विकास बैंक और को-आपरेटिव बैंक? मेरे ख्याल से अब तो एक्सपेरीमेंट बाकी नहीं रहा है, अब तो आप करवा दो, बाकी वालों का आज तो कोई बात नहीं। आपने कहा है, आर्थिक रूप से पिछड़े बंधुओं को आर्थिक आधार पर ....

एक माननीय सदस्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आर्थिक आधार पर अन्य जातियों के समान आरक्षण ...(व्यवधान) मैं तो महावीरजी ने कहा है इसलिए पढ़ रहा हूं, वह पढ़ता नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था कि यह महावीरजी के पास है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): इन्होंने ही वह गड़बड़ की, साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं महावीर जी के निर्देश से पढ़ रहा हूं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): महावीरजी, विथड्रा करो इसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं मेरा निर्देश वापस लेता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये मेरे बड़े भाई हैं, इनका निर्देश ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): महावीरजी, विथड्रा करो। हां, बस ठीक है, अब विथड्रा हो गये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये मेरे बड़े भाई हैं, इनके निर्देश का मैं उल्लंघन कर नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय सचिव): वापस ले लो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट ...(व्यवधान) यह भी मान लो, कोई बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: बीच में नहीं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आर्थिक रूप से पिछड़े बंधुओं को आर्थिक आधार पर अन्य जातियों के समान आरक्षण। ले लिया न आरक्षण आर्थिक आधार पर? घनश्यामजी, आपने तो ले ही लिया होगा, और किसी ने लिया या नहीं लिया। ले लिया, मेरे ख्याल से राजेन्द्रजी, इन्होंने भी ले लिया। मुझे परसों कह रहे थे कि प्रतिपक्ष के नेता बोलें, प्रतिपक्ष के नेता यह बोलें, अब आप कर देना, 9 के 13 और बहुत है, लाओ। अब छोड़ो। खैर, यह इनका मेनिफेस्टो ही पढ़ता रहूंगा तो इसमें ही सारा टाइम चला जाएगा, इनको और भी कुछ सुनाना है न, कहना है न। मुख्य मंत्रीजी चली गईं, मैं इसको करता हूं बस।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महावीर जी को कही तो कहा था कि मुख्य मंत्रीजी को सुनाओ यह।

(19.00 बजे)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजेन्द्रजी पिछली बार मुझे कह रहे थे, मैं कोई एक किताब लाया मिनिस्टरी आफ रूरल डवलपमेंट की, जो सेंटर से मदद मिलेगी उसको मैंने कोट किया तो इन्होंने कहा, आप यह कहां से लाये, कहां किताब है, जैसे अभी कल्लाजी को कह रहे थे, कहां आपके पास आंकड़े हैं। मैं आथेंटिक ही बोलूंगा क्योंकि मुझे मालूम है आपकी आदत का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, यह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट फाइनेंसेज, स्टडी आफ बजट आफ 2007-08 है जिसके पेज 35 पर आप देख लेना। आप कहो तो किताब टेबल कर दूं। टेबल 19 फिस्कल इंडिकेटर्स 2006-07, रिवाइज्ड एस्टिमेट, इसमें आप राजस्थान को देख लें कि राजस्थान किस स्थिति में है, क्या पोजीशन है राजस्थान की। राजस्थान का सोशल सैक्टर में एक्सपेंडिचर है कम्पेयर टू जीएसडीपी 9.3 प्रतिशत जो कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा, अरूणाचल, असम, हिमाचल, मणिपुर, मिजोरम आदि से कम है। विकसित राज्य है? राजस्थान का डवलपमेंट एक्सपेंडिचर है 14.4 प्रतिशत कम्पेयर टू जीएसडीपी। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखण्ड, कर्नाटक व मध्य प्रदेश से कम है। बाकी से ज्यादा है? ठीक है। पर आप बहुत उछलते हो न कि राजस्थान ही सब कुछ कर रहा है, बाकी स्टेट में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, यहां ही हो रहा है काम हो रहा है तो, इसलिए मैंने कहा है, दूसरे स्टेट्स की तुलना बताई है। राज्य का नान

(श्री हेमाराम चौधरी)

डवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका है 7.7 प्रतिशत, जो 5 राज्य- बिहार, केरल, उड़ीसा, पंजाब, यू.पी. को छोड़कर सबसे ज्यादा है। पांच को छोड़ दो तो उसके बाद में आप सबसे ऊपर हैं, छठा नम्बर राजस्थान का है। समझ में आ गई? राष्ट्रीय डैट का औसत 31.8 है। यह सब इसमें है। राष्ट्रीय औसत 31.8 प्रतिशत है और राजस्थान राज्य का डैट मार्च, 2008 तक 52.4 प्रतिशत है जो कि ऋण का राष्ट्रीय औसत है उससे अधिक है। ऋण औसत से कितना अधिक है यह मैंने आपको बता दिया है। ये फिस्कल इंडिकेटर्स आप कहो तो लेकर दूं, आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लेना बाद में। देना नहीं है? चलो, छोड़ो। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ये बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा हमारा काम है, बहुत अच्छी हमारी स्थिति है, यह मैंने निवेदन किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो प्लानिंग कमीशन को पेश की आपने, उसमें कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर वहां तो आपने प्लान एलोकेशन बताया 1.85 प्रतिशत और यहां पर आपने 2007-08 की जो आर्थिक समीक्षा दी है इसमें बता दिया 3.16 प्रतिशत। वहां तो 1.85 बताया है और यहां....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किसने दिया है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह आर्थिक समीक्षा में आपने अलग बताया है और जो प्लानिंग कमीशन को आपने दिया है वह अलग है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप प्लानिंग कमीशन का ओरिजिनल उठाकर ले आये?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वो एप्रूव नहीं हुआ है परन्तु आपने जो पेश किया उस प्लान में एग्रीकल्चर में कितना बताया है? आपने प्लान एलोकेशन शो किया है उसमें शो किया है 1.85 प्रतिशत, अगर नहीं किया है तो आप मुझे जवाब दे दें, वापस बता दें। अगर मैं गलत हूं तो आप कहो जैसा कर लूं।

डा. एन. एस. गुर्जर (सहकारिता मंत्री): यह कागज कहां से लाये?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): कहां से लाया, यह तो मैंने राजेन्द्रजी राठौड़ को कह दिया न कि कहीं न कहीं से मुझे कुछ मिल जाता है। आप बड़ा ध्यान रखते हो फिर भी कोई न कोई चीज मिल जाती है, मेरे भी हाथ में लग जाए तो लग जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी ने दिया है, आप सीधे कहो न।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब मैं इनका नाम बताकर इनको मरवाऊं क्या?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ये तो पहले ही मरे पड़े हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो छोड़ो, यह आंकड़े वाली बात बहुत कह दी। और भी यदि कहूं तो फिर आंकड़ों में ही सारा टाइम निकल जाएगा, ज्यादा आंकड़ों में कोई बात है नहीं।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): अपन किसान के, जाट के आंकड़ों का क्या सम्बन्ध है?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये रामनारायणजी के निर्देश हैं वैसे कर लेता हूं। ये कहते हैं कि किसान हो और आंकड़ों से क्या लेना-देना, बात सही है। अपन तो जाट हैं, अपन तो किसान हैं। जाट वाली बात, जाट को कहा कि - "जाट रै जाट तेरे माथै खाट" तो उसने कहा कि "महाजन रै महाजन, तेरे माथै पंसेरी", तो उसने कहा कि यह तो कहावत जुड़ी नहीं तो कहा कि "भार सूं तो तू ही मरसी।"

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यों नहीं कह्यो, यो कहो कि ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): घनश्यामजी, अब तो मानते हो न कि जाट पढ़े-लिखे हैं? या अभी भी नहीं मानते हो?

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यों कह्यो कि जाट रै जाट तेरे माथै खाट ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आडर। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, पाइंट आफ आडर है। उपाध्यक्ष महोदय, रूल नम्बर 269 "Rules to be observed by members while present in House. - While the House is sitting, a member - … (ii) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner .." हमारे विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं और बार-बार मंत्री महोदय अथवा सदस्य इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप हाउस में इनको यह कहिये कि ये नियमों का पालन करें और सदस्य को बिना इण्टरप्शन के बुलवाएं।

एक माननीय सदस्य: ये खुद ही डिस्टर्ब कर रहे हैं खुद को।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, ये सही कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप व्यवस्था दें। ये बोल रहे हैं जैसे इनके महफिल लग रही है। 5-5, 10-10 आदमी खड़े हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं यह ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। यह सदन की परम्पराओं के विरुद्ध है और सदन के नियमों के विरुद्ध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इनको आराम पहुंचाते हैं, यह परम्परा रही है। (व्यवधान) यह हमसे बड़े परम्परा वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): परम्परा यह है क्या टोका-टाकी की? (व्यवधान) यह टोका-टाकी परम्परा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह परम्परा है यहां की। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): फिर हम भी टोकेंगे तो आपको कैसे लगेगा? आप बोलें, फिर देखें कि हम कैसे टोकते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे को तो रोक ही नहीं सकते आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इन्होंने रूल पढ़ा है 269, इसके परन्तुक 14 पर यह लिखा है कि सदन में नींद नहीं लेगा। बी.डी. कल्ला साहब नींद ले रहे थे इतनी देर से। इसी 269 के 14 में लिखा है कि सदन में नींद नहीं लेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं कोई नींद नहीं ले रहा था, नींद आप ले रहे थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप नींद ले रहे थे इतनी देर तक। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): xxx

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़): xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आप सदस्य को डिस्टर्ब न करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): xxx

श्री उपाध्यक्ष: कोई किसी पर टोकाटोकी नहीं हो रही है। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह देंगे कोई टोकाटोकी करेंगे तो, ईजी मूड में कर रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये जो कर रहे हैं उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये यूं करके जो मुझे बात कहनी है उसमें से मैं कोई बात भूल जाऊंगा इनको सुनाना, वह बात जरूरी है, वह बात रह गई तो इनको नुकसान हो जाएगा। इनको नुकसान नहीं हो क्योंकि ...(व्यवधान) रह गई तो मेरा क्या नुकसान होगा, नुकसान तो आपका ही होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रजी राठौड़ हैं, ये भी राठौड़ हैं।

श्री उपाध्यक्ष: No comments. Please keep silence.

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ये राठौड़ हैं, ये मुख्य मंत्रीजी के बचाव में ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नियमों में यह है कि कोई भी सम्बोधन नाम से नहीं करेंगे, उनकी कांस्टीट्यूएंसी से करेंगे और आप प्रतिपक्ष के नेता हो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राठौड़ तो हैं, यह तो कह सकते हैं? ये राठौड़ हैं। एक वह शेरगढ़ से आने वाले राठौड़ माननीय सदस्य हैं। वह भी अभी हैं बाबूसिंहजी, उनके दादोसा खेतसिंहजी राठौड़ हैं। ये राठौड़ हैं, इन मुख्य मंत्रीजी के यहां सब कुछ संभाल रहे हैं सदन में बचाव कर रहे हैं। बाबूसिंहजी के राठौड़ के दादोसा थे, वे हमारे मुख्य मंत्रीजी के बचाव में खड़े होते थे और इनके बचाव में ये खड़े हैं। वे तो उनका बचाव कर नहीं पाये, ये इनका बचाव कर लेंगे, मुझे डाउट लगता है। राठौड़ों के हिसाब से देखा जाए तो वे राठौड़ तो बचाव कर नहीं पाये, आप बचाव कर लोगे? आप भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप सही सलाह देते नहीं हो ना। रगड़ा यही है राठौड़ों का। राठौड़ का तो अपना काम निकालने का

(श्री हेमाराम चौधरी)

दृष्टिकोण होता है। (व्यवधान) आप छेड़ोगे तो ऐसा ही होगा, आप डिस्टर्ब करोगे तो ऐसा ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण जो पढ़ा, उसके पैरा नम्बर चार पर उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं अभूतपूर्व स्तर पर नागरिकों को उपलब्ध कराकर राज्य का फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। हमने स्कूलों, अस्पतालों, छात्रावासों और आंगनबाड़ियों जैसी सुविधाओं का व्यापक स्तर पर विस्तार किया....." उन्होंने बिजली, पानी और सड़कों वगैरह के लिए कहा है, अब मैं एक-एक के ऊपर थोड़ा-सा, संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा।

इन्होंने सड़कों के लिए कहा कि हमने बहुत ज्यादा सड़कें बनाई हैं। कांग्रेस के टाइम में इतनी सड़कें नहीं बनी थीं। ये जितनी भी सड़कें बनी हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनीं, थ्रू रोड्स भी केन्द्र से पैसा मिला, इनकी मरम्मत के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, वह भी केन्द्र से पैसा मिला, नेशनल हाइवे के लिए केन्द्र से पैसा मिला, एम.डी.आर. हैं, स्टेट रोड हैं, उनके लिए भी सी.आर.एफ. का पैसा केन्द्र से मिला। थोड़ा बहुत इन्होंने भी किया होगा, कर दिया तो कौनसी बात, 9 का 13 कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, और ज्यादा किया है तो ज्यादा तो पैसा केन्द्र ने दिया है तब आपने किया है। आपने पहले कम दिया तो हम कम कर पाते थे, ज्यादा कहां से कर पाते।

आज गांव की पंचायतें हैं, अब किसी पंचायत में काम करोड़ों-करोड़ों के हुए, हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और कई पंचायतों में बहुत कम काम हो रहे हैं। ज्यादा काम जहां हो रहे हैं, वह सरपंच कोई 9 की 13 कर रहा है क्या? पैसा तो ऊपर से जाता है तब वह कर पाता है। पैसा अगर यहां से स्टेट गवर्नमेंट पंचायत तक दे, नहीं फिर सरपंच कर लेगा, कहां से कर लेगा? पैसा तो सब राजस्थान सरकार से उसको मिलता है तब जाकर वह काम करता है। तो पैसा तो आपको भी ऊपर से मिलता है तब जाकर आप काम करते हो, नहीं तो आप कहां से कर लेते? खैर, उसको तो आप ध्यान रखते नहीं हो। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी चली गईं, मुख्य मंत्रीजी जब यहां हों तब कहना ठीक रहेगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: समाचार समाप्त हो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैं यह मुख्य मंत्रीजी को सुनाना चाहता था या फिर बाद में कहूं ये ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, यह सड़कों वाली बात बाद में करूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे नोट कर रहे हैं। आपने जो बातें उठाई हैं, उन्हीं के जवाब के लिए कोई कागज ला रही हैं। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, सड़कों वाली बात बाद में कह दूंगा, और तो क्या करूं। (व्यवधान) हां तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन्होंने राजस्थान के विकास में जितना नुकसान किया है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह नुकसान किसका हुआ, क्या हुआ, मैं पहले भी कई बार यह बात सदन में उठा चुका हूं लेकिन ये उस बात को मानने को तैयार नहीं, उस पर गौर करने को तैयार नहीं।

कटारियाजी, आप बहुत संजीदा आदमी हो, आपसे निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, यह किताब है, Prime Minister Gram Sadak Yojna Guidelines, Ministry of Rural Development of India, इसमें लिखा है, आप कहो तो मैं सारी पढ़ूं। पूरे की जरूरत नहीं है, मैं मेन पोर्शन ही पढ़ देता हूं ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, इसमें यह लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, वह सम्बन्धित बात बता रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें यह लिखा है - "The unit for this programme is a habitation and not a revenue village or a panchayat." यूनिट किसको माना है? हैबिटेशन को, हैबिटेशन क्या है - "A habitation is a cluster of population living in an area, the location of which does not change over time. For example, dhanis, tolas, majras, hamlets, etc. are commonly used terminology to describe the habitations. A revenue village, a gram panchayat may comprise of one or several habitatations." एक गांव में एक या एक से अनेक ढाणियां हो सकती हैं...

एक माननीय सदस्य: गत बजट पर बोल चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, बोल चुका हूं। मैंने कब कहा, बोला नहीं? मैं तो कई बार बोला हूं पर सुनता कौन है? एक बार फिर सुना दूं, अंतिम मौका है, हां, फिर मौका मिलना नहीं आपको भी, इसलिए आपको सुना दूं। नहीं सुनो तो मर्जी आपकी, मेरा क्या गया? "The population of all habitations within a radius of 500 metres may be clubbed together for the purpose of determining the population size." अब हैबिटेशन की परिभाषा दे दी, यूनिट

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैबिटेशन को माना। आपने जो भारत सरकार को प्रपोजल भेजे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृति हेतु, उसमें आपने सिर्फ रेवेन्यू विलेज जो थे, उनके प्रस्ताव भेजे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ढाणियों की जनसंख्या भी साथ में जोड़कर भेजी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, आप साथ में नहीं जोड़ सकते, यही तो है, There may be more than one habitation in a revenue village. यही तो इसमें लिखा है। आपने तो पूरे रेवेन्यू विलेज को एक इकाई माना है उसमें चाहे कितनी ही ढाणियां हों। आप कह रहे हैं आपका यह पी.एच.ई.डी. है...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): नये राजस्व ग्राम बनाने का है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने नये राजस्व ग्राम तो बना दिये पर नये राजस्व ग्राम तभी बना सकते हैं जब उनकी पापुलेशन 2001 की जनगणना के अनुसार पहले 200 थी, अब 250 के ऊपर हो। तो जब ढाणियों की आबादी 200-250 से ऊपर हो तभी तो आप गांव बना सकते हैं, अन्यथा कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब ढाणियां तो हैं, यह आप मान रहे हैं, आपका रेवेन्यू विभाग मान रहा है कि ढाणियां हैं, 250 से ऊपर की है आबादी जिनको हम गांव का दर्जा दें...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): आपकी पूर्व की सरकार भी मान रही थी, हम भी मान रहे हैं, और सभी मान रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप मुझे कहने तो दो। जिनको आप राजस्व ग्राम का दर्जा देते जा रहे हैं, दे चुके हैं हजारों गांवों को और अब भी दिये जा रहे हैं, आगे भी दोगे और पी.एच.ई.डी. भी ढाणियों को मान रही है। इस पी.एच.ई.डी. ने वर्षों पहले सर्वे किया, फिर री-सर्वे किया। ये सांवरलाल जी बैठे हैं, अभी 2003 में और सर्वे किया तो उसमें जो ढाणियों की संख्या आई पूरे राजस्थान में, वे कितनी हैं? उसको यहां उद्धृत कर दूं क्या? (व्यवधान) नहीं, नहीं, कुल मुख्य आबाद ग्राम, पी.एच.ई.डी. का वर्ष 2006-2007 और 2007-2008 का यह प्रतिवेदन है, इसमें लिखा है, कुल मुख्य आबाद ग्राम है वे हैं पूरे राजस्थान में 39753 और कुल चिह्नित ढाणियां सर्वे 2003 के अनुसार 82, 497. अब 82, 497 ढाणियों को, चिह्नित हैं

(श्री हेमाराम चौधरी)

पी.एच.ई.डी. द्वारा, ढाणियों को आप पानी की सुविधा दे रहे हो तो फिर इनको ढाणियों के प्रस्ताव रोड से जोड़ने के अगर भारत सरकार को आप भेज देते तो आपको कहां दिक्कत आ रही थी? अगर आप भेजते तो कितनी और ज्यादा सड़कें राजस्थान को मिलतीं? कितना और ज्यादा विकास होता, कितनी और ज्यादा ढाणियां सड़कों से, डामर सड़कों से जुड़तीं? उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी का मैंने इसलिए कहा, मुख्य मंत्रीजी इन पर बहुत विश्वास करती हैं, पर यह कर क्या रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में चार ढाणियां हैं जिनके प्रस्ताव, नॉट रेवेन्यू विलेज, ढाणीज। जिनके प्रस्ताव पूर्व में जब राज्य में हमारी गवर्नमेंट थी उस समय भारत सरकार को भेजे और वे चारों ढाणियों के प्रस्ताव एज इट इज, हू ब हू स्वीकृत होकर आ गये। वे रोड्स बन गईं, खर्चा हो गया। उसके बाद में आपकी सरकार आने के बाद में आपने ढाणियों के प्रपोजल भारत सरकार को नहीं भेजे। हमने जिला परिषद में भी प्रस्ताव लिये बहुत, लेकिन आपके पीडब्लूडी वाले कतई एग्री नहीं हुए। आपको भी कहा, यहां भी चर्चा बहुत हुई सदन में, फिर भी आप एग्री नहीं हुए। मुझे बताओ, एक तरफ तो पैसे के लिए अपन लड़ते हैं कि पैसा चाहिए डवलपमेंट के लिए, दूसरी तरफ भारत सरकार अपनी गाइडलाइन्स के हिसाब से अपने को पैसा देने के लिए तैयार बैठी है। आगे चार प्रस्ताव भेजे उसके लिए पैसा दे दिया तो इसके लिए पैसा देने को वह मना करते क्या? मैंने इनको कहा, आप तो प्रस्ताव भेज दीजिये, फिर भारत सरकार अगर इसमें कोई रोड़ा डालेगी और इफ, बट लगाएगी, आब्जेक्शन करेगी, सैंक्शन नहीं देगी तो मैंने कहा, हम दिलवाएंगे। आप भेजो तो सही यहां से। आप यहां से भेजते ही नहीं हो। आप तो बस यहां, अब आपको बुरा लगा होगा, पता नहीं, मैंने कोई आपके...

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): सीआरएफ का भेजा है, साहब, परिवर्तन के लिए। (व्यवधान) राजस्थान के किसानों के लिए सीआरएफ में नार्म्स को चेंज करने के लिए भेजा है। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): हमने तो बाढ़ पीडितों के ... (व्यवधान) मांगे थे और सोनियाजी की सरकार ने ...(व्यवधान) वह तो दिला दो, माननीय नेता प्रतिपक्ष। आप क्या दिलाओगे, हम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से व्यवधान पैदा करेंगे तो मैं यह समझता हूं, आज मुख्य मंत्रीजी का उत्तर अधूरा रहेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इस हिसाब से मुख्य मंत्रीजी, आपका उत्तर फिर अधूरा रहेगा, मैं तो बैठ जाऊंगा। मुझे तो बहुत बोलना है, मेरे पास है बोलने को, पर अगर ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, यह अभी इस तरह से बोलते हैं, इस तरह से हम बोलेंगे तो आप नाराज नहीं होंगे क्या? आप अगर नाराज नहीं हों तो मैं भी नाराज नहीं होऊं। आप नाराज हो जाओ तो मैं क्यों नहीं होऊं? मैं भी तो आदमी ही हूं आखिर। मैं कोई ईश्वर का पुतला थोड़े ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उन्होंने कह दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मिसिंग लिंक रोड पिछली बार बजट में रखी थीं, इस बार तो नहीं लिखीं मिसिंग लिंक रोड। पिछली बार वाली जो मिसिंग लिंक रोड्स हैं वे भी इस बार अक्टूबर में पूरी करेंगे आप। मतलब पिछले साल के बजट की रोड्स इस साल के बजट में बनाओगे। इस साल आपने नहीं ली, ठीक किया, अच्छा है एक हिसाब से, क्योंकि इस साल की लोगे वह तो अगली साल बनेगी और अगली साल तो क्या होगा, किसको पता है, क्या होगा। तो आपने मिसिंग लिंक की रोड्स लीं नहीं। मिसिंग लिंक की रोड्स लेते तो बहुत ज्यादा फायदा होता, उपाध्यक्ष महोदय। सड़कों के बारे में किस तरह से नुकसान हुआ, इसका मैंने आपको निवेदन किया।

अब आप विद्युत के मामले में ले लें। इन्होंने कहा, विद्युत के मामले में हम आत्मनिर्भर कर देंगे। आत्मनिर्भर ही हो गये ये। इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है कि जल्दी से जल्दी हम कनेक्शन दे देंगे। यह घनश्यामजी तिवाड़ी, इस विधान सभा के अंदर इन्होंने कहा है कि हम सारे कनेक्शन दे देंगे। कहा है कि नहीं कहा घनश्यामजी ने? अब घनश्यामजी ने कहा है तो सरकार की तरफ से ही कहा या घनश्यामजी की तरफ से कहा है?

श्री उपाध्यक्ष: पुरानी बात है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जब सरकार की तरफ से कहा है तो फिर सरकार ने नहीं किया, अब उसका क्या करें? आपने कहा, आपकी कथनी-करनी में अंतर, उसका क्या करें? राज्य सरकार ने तय किया है कि

(श्री हेमाराम चौधरी)
किसान दस साल तक इंतजार नहीं करेगा, राजस्थान सरकार आगे आने वाले तीन साल में सभी 1 लाख 76 हजार किसानों को कनेक्शन दे देगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 1 लाख 76 हजार को दे दिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या? दे दिये? दे दिये तो फिर दूसरा भी निकाल लूं। किसानों के, यही आपने कहा है, आपका कहा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष: और बढ़ गई डिमाण्ड तो। वे दे दिये, डिमाण्ड और बढ़ गई।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किसानों के लम्बे इंतजार को कम करने के लिए मैं सदन में घोषणा करता हूं कि आज तक पंजीकृत सभी लम्बित कनेक्शनों के आवेदकों को आगामी तीन वर्ष में कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): लम्बित।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हां, आज तक। आज तक लम्बित, मतलब एप्लाइड। लम्बित वही तो हुए जिन्होंने आवेदन कर दिया। वे लम्बित में नहीं माने जाते हैं क्या? लम्बित किसको कहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष: बढ़ गई इसमें और डिमाण्ड।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पता नहीं। यह आपने 21.1.2004 को कहा है, लम्बित। 21.1.2004 से पहले के कनेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। और वे कब दे देंगे? तीन साल में। 4, 5, 6, 7, हुए तीन साल या नहीं, गिनती करो। दे दिये जाएंगे। इसके लिए जो भी उपाय, सुनो, कनेक्शन दे दिये, इसके लिए जो भी उपाय किये जाने हों चाहे वह अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराना हो, आप कह रहे थे न, बिजली नहीं है, तो यह इन्होंने कहा है, इसके लिए चाहे अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराना हो, तंत्र को सुदृढ़ करना हो या सामग्री क्रय करने के लिए धनराशि का प्रबंध करना हो, ये सारे प्रबंध योजनाबद्ध तरीके से किये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: योजनाबद्ध, हां।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब सब काम योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं? सब योजनाबद्ध तरीके से हो जाएगा?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खुद का ही काम योजनाबद्ध तरीके से है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ठीक है। आपने लिखा है, यह बजट भाषण, इसमें ऊर्जा पर मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से प्रथम परियोजना पर बाड़मेर में कार्य तेजी से चल रहा है। कहां चल रहा है, मुख्य मंत्रीजी? वहां तो जमीन का ही विवाद पडा हुआ है। आपके एम.पी. साहब इसके बहुत ही खिलाफ हैं, वह कोई सूरत में जमीन नहीं लेने देंगे, कैसे यह काम चल रहा है? इसके अतिरिक्त 1200 मेगावाट की, आपने कहा, 2011-12 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। 2011-12 तक? 2011-12 तक तो फिर मतलब आप ही आप रहोगे क्या, यह तय ही है क्या? हैं? नहीं-नहीं, यह तय कि कौन रहेगा...

एक माननीय सदस्य: शाश्वत सत्य है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप रहेंगे, हम रहेंगे? आप रहेंगे या हम रहेंगे, यह तो तय जनता करेगी न।

एक माननीय सदस्य: शाश्वत सत्य, विधान सभा यही रहेगी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने तो खुद ही तय कर लिया। (व्यवधान) नहीं किया? नहीं, नहीं, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आगे एजुकेशन की बात बताऊं। एजुकेशन में, पिछली बार यहां पर घोषणा की गई थी 1500 सैकण्डरी स्कूलों की, खुल गये? वे तो खुले नहीं। नहीं क्यों खुले? इन्होंने ठीकरा हमारे पर फोड़ने की कोशिश की कि केन्द्र सरकार ने हमको सर्व शिक्षा का पैसा नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं दिया। सर्व शिक्षा में नहीं दिया, आप कोई काम नहीं कर सको तो उसका आप कह दो कि हम इसलिए नहीं कर सके क्योंकि केन्द्र ने हमारे को पैसा नहीं दिया। और केन्द्र आपको पैसा दे दे तो कहो, यह तो हमने डांग करके ले लिया उनके। करवा लोगे तो डांग करके और नहीं दे तो कहो कि दिया नहीं। ताडूको क्या कहे, सांड हो? शेरों क्यूं खरो कि गऊ का जाया हूं। यह कोई बात हुई क्या? और आपने फिर कहा, ये सैकण्डरी स्कूलें हैं, आपने कहा है कि 9343 पंचायतों के विरूद्ध ये स्कूलें, 9343, खैर इसमें कोई आलोचना की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, 9188 पंचायतें हैं मेरे ख्याल से। आप करैक्ट कर लें, 9188 पंचायतें हैं, 9343 नहीं हैं। (व्यवधान) हां, मैं कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो कोई आलोचना की बात है ही नहीं। पर यह कह रहे हैं, इस हेतु 400 करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक होगा। यह कह रहे

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं कि 400 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। अब वह रुपया कहां से लाओगे, यह तो आपने इसमें कुछ कहा ही नहीं है। (व्यवधान) इनको, मुख्य मंत्रीजी को पता लगा कि भारत सरकार ने पिछली बार नहीं किया, इस बार करेगी, इसलिए थोड़ा यूं कि भारत सरकार देगी। नहीं देगी तो भी हम कर देंगे। भारत सरकार दे देगी तो अपना काम बन जाएगा, नहीं होगा तो अपने को एक आदेश ही तो निकालना है चुनाव के एक-दो महीने पहले। स्कूलें कब खुलती हैं? अभी भी स्कूलें खुल रही हैं। यह अब अगली साल नवम्बर में चुनाव हैं, आचार संहिता का ध्यान रखना, यह कहीं यों ही नहीं रह जाए। हां, आप सोचो कि हम ये एन वक्त पर खोलें ताकि अध्यापक वगैरह लगाना नहीं पड़े, टका एक खर्च करना नहीं पड़े और बिना टका एक खर्च किये जनता को कह दें आप कि इतनी स्कूलें खोल दीं, आपको इतना निहाल कर दिया, अब लाओ वोट। इसलिए वोट घणे ही देंगे आपको। हमारे को दिए हैं आपको ही दे देंगे। मैं यह कह रहा था, इस तरह की थोड़ी बात वह करो जो आप कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते, उसमें क्या बात है? कह देना चाहिए। इतनी सारी बातें पूरी होती हैं क्या? पर आप कम से कम वही बात करो जो आप कर सकते हो तो अच्छा रहता है। उसमें क्रेडिटबिलिटी सरकार की और आपकी बनी रहेगी। आदमी का यह विश्वास ही तो है, और है क्या? जब विश्वास हट जाएगा, खो जाएगा तो फिर बाकी बचेगा क्या? इसलिए आपसे यह मैं कह रहा हूं, आपका विश्वास जब रहेगा जब आप जो कहते हो वह करो, कथनी और करनी में अंतर मत करो।

आपने फिर कम्प्यूटर एजुकेशन के लिए भी कहा, इस हेतु कुल 33 करोड़ रुपये का कार्यक्रम हाथ में लेना आवश्यक होगा। पैसे का पता नहीं है, कार्यक्रम लेना आवश्यक होगा। स्कूलों में अध्यापकों का पता ही नहीं है। आपके कालीचरणजी सर्राफ अब शिक्षा मंत्री हैं, पहले घनश्यामजी तिवाड़ी थे उन्होंने बिजली के कनेक्शन दे दिए सबको, अब ये कालीचरणजी सर्राफ सीकर ज़िले में गये तो वहां कह कर आये, 33 हजार शिक्षक और भर्ती होंगे। अब 33 हजार शिक्षक और भर्ती होंगे, इस बजट में तो एक भी शिक्षक का नहीं कहा कि एक भी शिक्षक भर्ती करेंगे। थोड़ा बजट में कह देते तो ठीक रहता। आज तक नहीं देंगे तो आज तो केन्द्र का बजट जो आया है सब इनको पता है कि किस-किस हैड में, कितना-कितना पैसा बढ़ा है। किस तरह से राजस्थान को मिलने वाला है। अब सारा पैसा, अब तो जो भी घोषणाएं होंगी वे केन्द्र सरकार

(श्री हेमाराम चौधरी)

की ही होंगी। आप तो जो बाजी मार गये सो मार गये, अब तो आप चूक गये। अब जो करोगे उसका तो मामला जमने वाला नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं है, जम जाए तो बात अलग है। वह तो हरेक आदमी अपनी-अपनी जमाने की कोशिश करता है, मैं भी मेरी जमाने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, थोड़ा बीच में यह अलग रह गया, इन्होंने इस बजट में भी बिजली को दो जगह उल्लेखित किया है। एक यहां भी, एक आगे कनेक्शनों में, एक जगह नहीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वर्ष 2003 के शेष रहे लगभग 66 हजार आवेदकों को डिमाण्ड नोट अप्रैल से अक्टूबर, 2008 तक की अवधि में जारी कर मार्च, 2009 तक के कनेक्शन दे दिए जाएंगे। मार्च, 2009 में आप कहां से रहेंगे? मार्च, 2009 में आपको कनेक्शन कौन करने देगा? (व्यवधान) आप ही रहेंगे तो फिर पांच साल का पूरा आप ही पेश कर देते ... (व्यवधान) आप डिमाण्ड कब देंगे? अक्टूबर के बाद में डिमाण्ड देने के बाद फिर वह डिमाण्ड राशि जमा कराएगा, डिमाण्ड राशि जमा कराने के बाद में फिर आप मैटीरियल की व्यवस्था करोगे। इस विभाग में मैटीरियल किसान को खुद ले जाना पड़ता है। कनेक्शन लेने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ता है नजराना, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या, कटारियाजी, मैं खुद काश्तकार हूं इसलिए मुझे अनुभव है, आप अपनी छाती पर हाथ रखकर कह दें कि बिजली विभाग में बिना पैसे लिए किसी का कनेक्शन होता हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो यही कह रहा हूं, आपका इतना पुराना अनुभव है उसको आप यहां प्रकट कर रहे हैं। पिछले समय में आपने जो कुछ अनुभव प्राप्त किया है, उसी का वर्णन यहां कर रहे हो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं पिछले समय का भी कर रह हूं और इस समय का भी कर रह हूं। कटारियाजी, आपके कहने का यह मतलब हुआ कि पिछले समय में यह होता था, अब आपके समय तो होता ही नहीं है। इसलिए अनुभव किसका, अनुभव होना है ही नहीं कुछ। क्यों, अब आपका तो बंद हो गया सब? आपके तो बिना पैसे लिए कनेक्शन होता है फटाफट? किसान आया बिजलीघर और उसको हाथों-हाथ ही कनेक्शन आडर दे देते हैं। सामान उसके साथ आपके विभाग वाले अपनी गाड़ी से रवाना कर देते

(श्री हेमाराम चौधरी)

हैं, आपके तो सिस्टम बढिया है, जमा जमाया सिस्टम। हमारा ही खराब था। खैर! हमारे खराब सिस्टम से तो हम इधर आ गये, अब आप करो, ठीक बात है। मैं नहीं कहता, कटारियाजी, हमारे टाइम तो सब कुछ ठीक था। जो कुछ था वह था, पर आप जब सत्ता में आये तो हम भी ऐसा ही करते थे, हमारे भी ऐसा मामला ढांचा बिगड़ा हुआ था, इसलिए हमारे भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपको तो कुछ ठीक करना चाहिए। आप में कुछ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ इच्छा शक्ति के बिना काम होता नहीं। भ्रष्ट जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी, इन पर अंकुश लगाओ। और फिर इसमें आपने कहा है, ''अतः लगभग 1 लाख 50 हजार कनेक्शन वर्ष 2009 में दिए जाएंगे।'' 2009 तक। यह आगे और कहा है, वह रिपीट नहीं कर रहा हूं, आगे कहा है ''मुझे आशा है ...(व्यवधान) किसानों को कनेक्शन और डिमाण्ड मिल जाएगा'' अब ये सारी बातें क्यों कहते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे इसलिए पीड़ा होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, रोजगार गारंटी योजना जो भारत सरकार ने लागू की, उसको आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि यह योजना हमारी है। खैर, आपकी है या हमारी है अब यह तो जिसकी है उसी की रहेगी। पर लागू इसको आप कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन का काम आपका है, यह काम आप ईमानदारी से करो। ईमानदारी से करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करो तब भी आखिर यह तो सिस्टम है कॉन्स्टीट्यूशन सैटअप का, जो सिस्टम है उसको तो कोई चेंज नहीं कर नहीं सकता, आप ही करोगे। अच्छा करोगे तब भी आप, खराब करोगे तब भी आप। भारत सरकार तो इसमें एग्जीक्यूशन का काम कर नहीं सकती। इस राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में मजदूरी कितनी मिलती है? आपने अभी मजदूरी 73 रुपये की 100 रुपये की है, आपको पता है। अकाल राहत का आपने नाम ही लेना बंद कर दिया। अकाल राहत प्रबंधन के बारे में पिछले चारों बजट आप देख लो, अकाल राहत के प्रबंधन पर एक पूरा काम होता है, इस समय अकाल राहत प्रबंधन का इसमें कहीं एक शब्द ही नहीं पढ़ा है मैंने। क्योंकि आपको पता है, अब तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है इसमें लोगों को काम दे देंगे, रोजगार मिल जाएगा, पैसा वहां से आएगा, इसलिए अपने घर से क्या जाता है। मजदूरी 100 रुपये कर दो, 150 रुपये कर दो, आपके घर से कुछ नहीं जाता। 100 रुपये किया, ठीक किया, मुझे तकलीफ नहीं, अच्छी बात है, पर 100 रुपये उसके आप देंगे तब न। अगर आप 100 नहीं 150 कर दो, उसको आप दस रुपये दो, बीस रुपये दो,

(श्री हेमाराम चौधरी)

पन्द्रह रुपये दो मजदूरी का, तो किसको मिला 100 रुपये? करने से थोड़े ही मिलता है? उसको आप भुगतान करते हो? वास्तविकता तो यही है कि 10-10 रुपये, 8-8 रुपये, 15-15 रुपए, 20-20 रुपये। कोई बराबर नहीं देख ले लेकिन मजदूरी जो मिल रही है, वह बहुत कम मिल रही है। और जगह की पूरे राजस्थान की मेरे को मान लो जानकारी नहीं है, मैं पंचायत समिति धोरीमन्ना का कह रहा हूं, आप जांच करवा लें, कितनी मजदूरी कम से कम आई और औसत मजदूरी कितनी आई, आपको पता लग जाएगा। आपने 100 रुपये किये, उसका फायदा कैसे मिलेगा, यह आप देख लो। पीएचईडी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, थोड़ा...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर यहां मैं जो लाया था मेरे तो सब यूं ही रह जाएगा। आप थोड़ा तो बोलने दो न।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): राजेन्द्रजी राठौड़ की पर्ची आई है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई पर्ची नहीं आई। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं अब इनकी ज्यादा पोल नहीं खोलूंगा उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): धन्यवाद तो दे दो ...(व्यवधान) मंत्री को चार साल में इतना नहीं हंसाया होगा इन बीजेपी वालों ने जितना हमारे नेता ने एक घंटे में हंसा दिया।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इंसान के लिए मैं समझता हूं पीने के पानी से ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। मनुष्य के जीवन में और कोई ज्यादा जरूरी चीज नहीं है। पानी से पतला क्या? तो पीने का पानी बहुत कह रहे हैं आप, लोगों को पानी पिलाया, अच्छा किया है, पानी तो पिलाया। बृजकिशोरजी कह रहे हैं पानी पिलाया। वह उनको पिलाया, हमको नहीं पिलाया, हमको पिलाओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं। सांवरलालजी, आप नाराज नहीं होना, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहता। मैं राजेन्द्रजी राठौड़ के लिए नहीं कर रहा हूं मैंने तो एक कार्यशैली की बात की है। प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने पीने के पानी की योजनाएं बहुत स्वीकृत कर दीं। बहुत बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए कह रहा हूं, छोटी-मोटी की नहीं। वृहत् परियोजनाओं की क्षेत्रवार सूचना-यह प्रगति विवरण 2007-08 आपका ही दिया हुआ है। इसमें वृहत् योजनाओं की क्षेत्रवार

(श्री हेमाराम चौधरी)
सूचना भी दी है, कुल हैं ये 62, 62 का उल्लेख नहीं करूंगा। 62 का करूं तो फिर इसी में सारा समय निकल जाएगा। फिर भी थोड़ी-सी तो कुछ बताऊं। कुछ भी नहीं बताऊं? उनकी प्रोग्रेस, स्वीकृत तो आपने कर दी पर खाली स्वीकृत ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, नागौर वाले यहां बैठे हैं, नागौर लिफ्ट योजना, कितने दिये, 761 करोड़। प्रजेंट पोजीशन दिसम्बर, 2007 तक की बता रहा हूं क्योंकि इस प्रगति विवरण में यही है, इसके बाद का तो मैं कहां से लाऊं। यह मेरे हाथ पड़ गया इसलिए इसी को लेकर मैं तो बात कह रहा हूं। माह दिसम्बर, 2007 तक कुल व्यय ..

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह तो जाट को सीएलपी लीडर बनाया, जो बना दें मुख्य मंत्री तो 12 बजे तक भी पीछा नहीं छोड़े, क्या समझते हो? आपने देखा? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माह दिसंबर, 07 तक इस योजना पर ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सदस्य श्रवण लालजी, हम तो दोनों तरफ भोग रहे हैं, इधर भी भोग रहे हैं उधर भी भोग रहे हैं। आपको भी भोग रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, माह दिसम्बर, 07 तक 62.16 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं, कितने में? 761 के पेटे 62.16 और इस बार बजट में कितना रखा है, 15 करोड़। 15 और 62 कितने हुए? इस गति के हिसाब से काम चलता रहा तो नागौर वालों को इंदिरा गांधी नहर का पानी कितने वर्षों बाद में मिलेगा, अनुमान कर लो। (व्यवधान) दुबारा आप वापस आओ तो खैर कर दो तो पता नहीं ...(व्यवधान) ठीक है, अच्छी बात है। आपको यही चाहिए, मुझे तकलीफ थोड़े ही है। मातासुख माइंस से जायल हेतु डिसेलीनेटेड पेयजल योजना यह स्वीकृत कब हुई? अगस्त, 2006 में हुई है। अगस्त, 06 से 07 गया, 08 और यह 124 करोड़ 37 लाख की है और वर्तमान स्थिति क्या है? पर्यावरण विभाग से एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस हेतु कार्यवाही प्रगति में है। अब यह कब होगा, क्लीयर होगा क्या? क्लीयर होगा ही नहीं। ये पड़ा रहेगा।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह तो, नेता महोदय, आप करवाइये, आपकी सरकार का मामला है उधर।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारी सरकार को गये चार-पांच साल हो गये और पांच साल आपके भी तो पूरे हो रहे हैं न। हमारे तो पूरे पहले ही हो गये थे, आपके भी पूरे हो रहे हैं न। (व्यवधान) तो आप इस प्रगति विवरण में क्या दिखाना चाहते हो? लोगों को क्या बताना चाहते हो? यह क्यों भेजा, इसमें क्यों लिखा? आप इसमें नहीं लिखते तो यह मेरे ध्यान में थोड़े ही आता। मेरे ध्यान में तो पढ़ने से आया। नर्मदा परियोजना सांचोर, रानीवाड़ा कलां, जसवंतपुरा यह तो हमारे उधर बाड़मेर की है। सुनो इसकी, क्या है? प्री-क्वालिफिकेशन बिड पूर्ण और प्राइस बिड बजट की उपलब्धता के अनुसार खोली जाएगी। बजट की उपलब्धता के अनुसार, और बजट जीरो। ऊपर जायल वाली में मैंने कहा न, उस जायल वाली में इस साल 08-09 में बजट जीरो। इसमें बजट जीरो। नर्मदा परियोजना बागोर, आहोर, जालौर ये मार्च, 2006 में सैंक्शन हुई और फिर रिवाइज्ड कीं फरवरी, 2007 में। ये हैं 303 करोड़ 38 लाख की, इसमें आपने कार्यादेश जारी जरूर किया, 10 करोड़ रुपये व्यय हुए। इस साल के बजट में आपने एक रुपया नहीं रखा।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह पीएचईडी की डिमाण्ड है, नेता महोदय, एक-एक चीज का जवाब दे देंगे। आपका तो बहुत बड़ा दर्जा है, प्रतिपक्ष के नेता कोई मोटी-मोटी बातें बोलो। एक-एक स्कीम की जानकारी चाहोगे तो आपको बता देंगे। इन 62 योजनाओं से राजस्थान की, आपके एरिया की जनता उनको लग रहा है कि पहली बार आजादी के बाद हिमालय का पानी हमारे यहां आने के लिए किसी ने शुरूआत की है तो वसुंधराजी ने। आप एक-एक को डिस्कस करोगे, कौन जवाब देगा आपको एक-एक का?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा-अच्छा, नहीं करूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी दो ही पढ़ी हैं, ये तो 62 हैं। मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मैं अगर सिर्फ बाड़मेर लिफ्ट की बात करता, बालोतरा लिफ्ट की बात करता तो ये कहते कि प्रतिपक्ष के नेता हैं तो राजस्थान के और बात सिर्फ बाड़मेर की कर रहे हैं, बाड़मेर जिले से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मैं बाहर निकला। अब मैं फिर और क्या, बाड़मेर जिले की कर दूं? बाड़मेर जिले की तो कर ही दूं। हां चलो, बाड़मेर जिले की कर देता हूं। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। पढ़े-लिखे से पाला अब पड़ा है, अब देखते रहना।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बाड़मेर लिफ्ट तो सुन लो, बाड़मेर के हमारे साथी विधायक बैठे हैं, उनके क्या व्यूज हैं। वो आ जाएं, मतलब ...(व्यवधान) हां बोलो, क्या कह रहे हो? यह मैं इनको ही सुनाना चाहता हूं, शिव वाले एमएलए साहब को ही। यह योजना स्वीकृत हुई जून, 2002 में, फिर रिवाइज 2007 में की, और योजना कितने की है, 688 करोड़ 66 लाख। 688 करोड़ 66 लाख में से आपने 15 करोड़ रुपये किसको दिये? विद्युत विभाग, रेलवे को दिये हैं। अब ये पैसे विद्युत विभाग और रेलवे में पड़े रहेंगे 15 करोड़ और इस साल आपने बजट में इस योजना का नाम भी नहीं लिया है, एक रुपया नहीं लिखा है। बाड़मेर का नामोनिशान नहीं है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): दुबारा नहीं लिखते, बजट में एक बार आ गया यह।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, लिखते हैं। (व्यवधान) यह बजट एट ए ग्लांस क्या चीज है? बजट में आपने जो भी प्रोविजंस दिये हैं, बजट में पैसे लिये हैं, वो बजट एट ए ग्लांस में आपने रखे हैं। इस बजट एट ए ग्लांस को मैंने अच्छी तरह से पूरा पढ़ा, इसमें बाड़मेर का नाम कहीं नहीं मिला। जिनमें पैसा रखा फिर उनका क्यों लिखा? पैसा रखा उनका नाम इसमें है और बाड़मेर का नहीं है, बालोतरा का नहीं है। बालोतरा की जो लिफ्ट योजना है उसके लिए पांच करोड़ रुपये रखे हैं। उसके नाम आपने पांच करोड़ इसमें क्यों रखा? वो मिल गया?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): वो पीएचईडी के टाइम पर ले ले लेना।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब पीएचईडी के टाइम पर मैं डिमाण्ड्स पर बोलूंगा क्या? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): नेता महोदय, बाड़मेर की आपको चिंता है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बाड़मेर की लिफ्ट का टेण्डर हो गया है और कुछ शिकायतें हैं उन शिकायतों के बाद में इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। आपकी जानकारी में जरूरी है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): घनश्यामजी, आपको मालूम है क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, सांवरलालजी नाराज हो रहे हैं, साहब। ये मेरे मित्र हैं, पार्टी तो अलग-अलग हो सकती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नाराज नहीं हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि करेंगे।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक, सांवरलालजी, आपसे और निवेदन कर दूं, आपने वर्ष 2006-07 व 2007-08, दिसम्बर, 07 तक पेयजल योजनाओं से प्रथम बार लाभान्वित किये गये ग्रामों व ढाणियों का विवरण दिया है, इसमें 32 जिले हैं। बाड़मेर जिला है प्रगति विवरण का पेज 34, इसमें कुल ढाणियां हैं 1482 अलाभान्वित। 1.4.07 को शेष अलाभान्वित कुल ढाणियां हैं 1482 जिसमें से, पूरे राजस्थान की कह रहा हूं 1482, जिसमें बाड़मेर जिले अकेले में 677 ढाणियां अलाभान्वित हैं नान कमीशंड, और पूरे राजस्थान में 1482, अब आप बताओ, क्या रेशो है। बाकी जिलों में ढाणियां जो अलाभान्वित हैं जीरो, जीरो, 3, 5, 3, 50 और एक जगह है जयपुर में 294, बाकी 50, फिर ये है जोधपुर में 379, जयपुर में 294 बाकी सौ से नीचे है, तो बताओ, बाड़मेर जिले में इतनी ढाणियां पेयजल से वंचित हैं। इसके लिये तो आप मेहरबानी करो। नहीं करो तो आपकी मर्जी। (व्यवधान) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिंचाई के बारे में मैं निवेदन कर रहा था, राज्य योजनान्तर्गत सिंचाई परियोजना में वर्ष 2007-08 में प्रगति का संक्षिप्त विवरण, दिसम्बर, 07 । 2007-08 का बजट एलोकेशन है 6 अरब 92 करोड़ 99 लाख और अब तक व्यय हुए हैं 3 अरब 41 करोड़ 10 लाख, मतलब आधे से भी कम व्यय हुआ है। आधे से ही कम व्यय हुए हैं और फरवरी चला गया। दिसम्बर तक का है। उसके बाद में कुछ और हुए होंगे। दिसम्बर तक आपका आधा ही खर्च नहीं हुआ तो इस साल का जो बजट है, अक्टूबर या नवम्बर में चुनाव होंगे, उसके पैसे कैसे खर्च कर दोगे? इस बार आपको कोई जादू का डंडा मिल जाएगा क्या, इस बार कैसे कर दोगे? यही गति इस बार रहेगी। काम करने की स्पीड तो यही रहेगी। इस हिसाब से ... (व्यवधान) मेरे कहने का यह मतलब है कि यह बजट में तो दिखा देते हैं पर धरातल पर काम नहीं हो रहा है। और अगर काम कहीं हो रहा है तो वह बिलकुल घटिया हो रहा है। उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है, पैसा धूल में जा रहा है। (व्यवधान) मैंने राजेन्द्र राठौड़जी से पूछा कि मेरे बोलने के लिये कोई समय सीमा है क्या, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रतिपक्ष के नेता की कोई समय सीमा ही नहीं है। तो समय सीमा नहीं ...(व्यवधान) आपने कहा कि नहीं ....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह गलती मेरे से हुई है, मेरी गलती के लिये मुझे अकेले को सज़ा दे दो मैं सहन कर लूंगा।

श्री अमराराम (धोद): सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब तक चाहें तब तक बोल सकते हैं, यह व्यवस्था रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह दही के भरोसे चूना खा गये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नर्मदा नहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ही चलता रहा तो शायद रात के 12 बजेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं, खान-पान की व्यवस्था के लिये आप अभी से आदेश दे दें। निश्चित रूप से 12 बजने वाले हैं, मुझको ऐसा आभास हो रहा है। अभी पश्चिम राजस्थान चल रहा है, पूर्वी राजस्थान पर अभी एक शब्द भी नहीं बोला है, अभी तो टाइम लगेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखो, अभी तो 8 बजेंगे, 8 का मतलब हमारे ठाठ और फिर 12 बजेगी सरकार की।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, हम इतनी बडी संख्या में आपको सुनने के लिये हैं और आपके दल के कोई मैम्बर ही नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो आपको सुना रहे हैं। हम तो सुने हुए हैं, यह आपको सुना रहे हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुझे यह बात मेरे दल के सदस्यों को नहीं सुनानी, यह सुनानी तो आपको है न। सुनानी आपको है और आप कहो कि उनको सुनाओ तो आपके क्या काम आएगी फिर?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सुनाते रहो, पर यह प्रोटोकोल के खिलाफ है। आपके दल के सदस्य आपके नियंत्रण में नहीं हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): महावीरजी, यह प्रोटोकोल की मैं चिंता नहीं करता। प्रोटोकोल के चक्कर में तो चीफ सैक्रेटरी से एमएलए ऊपर है और ज्यादा प्रोटोकोल वाली हेकड़ी दिखाई तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए प्रोटोकोल वाली हेकड़ी में मत पड़ना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्यों मुश्किल हो जाएगी? आप जैसा कमजोर एमएलए होगा तो हो जाएगी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो इस बात की चिंता करता नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एमएलए कमजोर होता है क्या? आपकी इस भाषा से एमएलए कमजोर हो जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, नर्मदा नहर का जो काम हो रहा है और जो बीच में काम रुक गया है, वहां अभी नहर नहीं बना कर पाइप डालकर पानी राजस्थान की सीमा में प्रवेश कराने का जो आपने इसमें लिखा है, यह कतई उचित नहीं है। मंत्री महोदय, आपने एक बार बीच में जहां नहर नहीं बनी है वहां पाइप लगा कर पानी चला कर पानी के दर्शन हमको करा दिये। तो हमें खाली पानी के दर्शन नहीं करने हैं। यह कोई गंगा जल जैसा पवित्र जल थोडे ही है जिससे हमारा उद्धार, कल्याण हो जाएगा। यह तो खेती के लिये चाहिये हमको। गंगाजल के तो छींटे से ही काम चल जाता है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): नर्मदा का भी आप अपमान मत कीजिए, नर्मदा का दर्जा भी गंगा के समान ही है, आप मध्य भारत में मालूम कीजिए। दूसरा यह है कि हम नहर के वहां पाइप नहीं लगा रहे हैं, जो साइफन अपूर्ण है उस साइफन में कुछ टाइम लगेगा इसलिए आपके यहां पानी पहले लाने के हिसाब से पाइप लगा रहे हैं। साइफन का काम लगातार चल रहा है। नर्मदा का भी वही स्थान है जिस प्रकार गंगा का स्थान है, माननीय नेता महोदय, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अच्छा आपके जंचे वैसा करो। नर्मदा आएगी जब देखेंगे, पर आपकी इंदिरा गांधी नहर तो आई हुई है न? इंदिरा गांधी नहर से आज किसानों को फसलों के लिये पानी नहीं मिल रहा है और उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, उसकी चिंता कौन करेगा? इस साल जैसी सर्दी कभी नहीं पड़ी होगी, यह आप भी जानते हैं। ऐसी भयंकर सर्दी में घर में आदमी कांपता है, हीटर लगाता है, ऐसी सर्दी में जब रात को भी पानी आता है तो वह सोता थोड़े ही है। पानी छोड़ दे तो दूसरे दिन वह क्या करेगा? ऐसी ठंड में पानी में खड़े रहकर उसने फसल को बोया.. (व्यवधान) कहीं एक पानी मिला, कहीं दो मिला, कहीं तीन मिला होगा, मैं नहीं कहता, सब जगह एक

(श्री हेमाराम चौधरी)

समान नहीं है। पानी मिला तो उससे उसको मिला क्या, उसको तो वह ठंड ही मिली, पैसा ही खर्च हुआ, समय ही बर्बाद हुआ। आखिर में जो पानी की जरूरत है वह पानी उसको नहीं मिला तो वह किसान बर्बाद नहीं हो गया क्या?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह पानी एक तारीख से चालू हो जाएगा।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मिल जाएगा तो ठीक है, मैंने सुना दिया। ठीक है, आपको सुना दिया। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब मैं बिजली पर बोल रहा था, मैं उसी समय कहना चाहता था, पर सिर्फ बिजली विभाग की ही बात हुई। आज बिजली विभाग की बात नहीं है, कौनसा ऐसा विभाग है जहां पर बिना पैसों के कोई काम होता हो, छाती पर हाथ रख कर सोचो। कहने को कुछ भी कहो लेकिन हकीकत क्या है? आप हकीकत से आँख मूंद कर मत बैठो। हकीकत से आँख मूंद कर बैठोगे...

श्री नरपत सिंह राजवी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विभाग है, एक नये पैसे का कोई आरोप लगा दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसी क्या बात करते हो, सबको कैसे लपेट रहे हो? साधारण बात की आपसे उम्मीद नहीं थी, आप तो विपक्ष के नेता हो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): तो नहीं होगा, ठीक है। सब ही इस तरह से कह दो, बात खतम हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपकी तरह ही एक कवि सम्मेलन हो रहा था ...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है। महावीरजी, अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजवी साहब ने कहा, मैंने तो मुख्य मंत्रीजी की बात का समर्थन किया है, मैंने मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, राजीव गांधीजी ने क्या कहा था, राजीव गांधीजी ने यही तो कहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मैंने कब कहा था?

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने अभिभाषण के जवाब में राजीव गांधीजी का नाम लिया था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कहा था कि 15 रुपये ही पहुंचते है तो बाकी कहां जाता है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्रीजी ने अपने अभिभाषण में कहा कि राजीव गांधी ने कहा वही बात मैं कह रही हूं। मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को मन से स्वीकार कर चुकीं और उनके मुंह से अभिभाषण में यह बात निकल भी गई। लेकिन फिर भी आखिर में जब मौका आता है तो नटना ही पड़ता है। नहीं नटे तो सज़ा हो जाए। कोर्ट में जाने के बाद एवीडेंस में नटना ही पड़ता है, नहीं नटे तो सज़ा हो जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं, नहीं होता होगा भ्रष्टाचार। पर मैं कहता हूं भ्रष्टाचार है, आप इससे इंकार करो तो भले ही करो। मैं यह नहीं कहता, दुनिया में सभी भ्रष्ट हैं, लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है तो सही। और है तो उस पर थोड़ा अंकुश लगाओ। मैं आपको सुनाता, मुख्य मंत्रीजी, थोड़ी इच्छा रखो आप, आप में मजबूती तो है। कहीं न कहीं, कोई न कोई समय पर कमी रह गई होगी। सभी शेर-शायरी सुनाते है, मेरे पास शेर-शायरी तो नहीं है, मैं एक किस्सा सुनाता हूं। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने कहा कि आप सुनो, आपको सुनाता हूं, यह क्यों सुन रहे हैं, यह भी सुनो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): xxx (व्यवधान) दो मिनट लगेंगे, कोई लंबा-चौड़ा थोड़े ही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह समाप्ति के लिए है। कोई शायरी से, कोई कविता से, यह अपने किस्से से समाप्त करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मैं निवेदन यही कर रहा हूं, इसके बाद थोड़ा-सा आप...

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं जल्दी समाप्त कर दूंगा। मुझे लग गया, अब लोगों की इच्छा नहीं है सुनने की, इच्छा नहीं हो तो जबरदस्ती सुनाने से कोई फायदा नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता को पूरा अधिकार ...(व्यवधान) यह शासन का सीधा-सीधा अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, अब तो हद हो गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आसन का सीधा अपमान कर दिया। यह क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान) गरिमा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा कोई आपका अपमान करने का इरादा नहीं था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह राजस्थान की विधान सभा है, यह कोई गांव की चौपाल नहीं है। यह राजस्थान की विधान सभा है, गांव की चौपाल नहीं है जो हर कोई उदाहरण दे हर कोई बात कह दें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप इसको यह मत समझिये, भाव समझिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इतनी तो गरिमा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता प्रतिपक्ष...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप तो प्रतिपक्ष के नेता हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह अपने भाव बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह गांव की चौपाल नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): राजेन्द्रजी, सारी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गांव की चौपाल नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सारी।

एक माननीय सदस्य: शनिवार रविवार है सबको अपनी जगह पर जाना है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ...(व्यवधान) यह कोई बात हुई, ...(व्यवधान) आसन को चैलेंज कर दिया, आसन को चैलेंज करना ठीक है क्या? (व्यवधान) यह प्रतिपक्ष की भूमिका है?

एक माननीय सदस्य: इस तरह के शब्द ...(व्यवधान) बोल कर जो प्रेस और मीडिया से बाहर जाते हैं, नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आसन का सीधा-सीधा अपमान करना है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): यह राजस्थान की जनता का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपको कोई अपमान करने का इरादा नहीं था, मैंने मिसाल के हिसाब से बात कह दी, आपको कष्ट हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, xxx (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सदन में नहीं चलती कहानी-किस्सों के आधार पर। व्यवस्था हुई है सदन में, कहानी किस्से कहकर ...(व्यवधान) हेमारामजी, माफ करें मुझे, कुछ कहानी किस्से चलते हुए कह देते हैं, बाकी सदन के अध्यक्षों की व्यवस्था रही है कि कहानी-किस्सों के आधार पर हम किसी को लांछित, प्रताड़ित और मजाक के रूप में सदन में नहीं कह सकते। यह गलत है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं माफी मांग लेता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह गलत है। इसको आप छोड़ दीजिए, दूसरी बात कोई कहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दूसरी बात कह दीजिए कोई। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): मैं इनके लिए ऐसा सोच सकता हूं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंशा नहीं.? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): xxx (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): xxx सदन के सभी माननीय सदस्य, आप भी बहुत सम्मान के पात्र हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी हैं। सदन में बहुत अध्यक्षों की पहले व्यवस्था हुई है कि इस प्रकार के कहानी-किस्सों के आधार पर हम सदन को हलका लेकर उसकी मान-मर्यादा को खण्डित नहीं कर सकते हैं। मुझे आपसे आग्रह है कि आप इस किस्से को बन्द कर दें दूसरी कोई बात बताएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष की यह भावना भी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बीच में ही छोड दूं? (व्यवधान) पूरी करूं, एक सैकण्ड ही लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह भावना भी नहीं थी और आपने ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): xxx

श्री उपाध्यक्ष: आपके भी क्यों डाले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आपके भी नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता हो और हमारे सबके आदर के पात्र हो, आपका भी अपमान कैसे होने देंगे? xxx (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चलो, छोड़ो इसको। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरकि आपूर्ति मंत्री): छोड़ो।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): xxx

श्री उपाध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): xxx (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह शोभाजनक बात नहीं है। अगर यह सिलसिला जारी हो गया, इस सदन के अंदर अगर यह परम्परा बन गई कि हम किस्से-कहानियां, गांव की बात कह कर यह शोभा ...(व्यवधान) यह नई परम्परा नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यह नई परम्परा नहीं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): शायरी भी नहीं होगी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): घनश्यामजी, किस्से-कहानी सुनाये जो तो बहुत ...(व्यवधान) घनश्यामजी ने बहुत सुनाये, प्रोसीडिंग निकलवाकर देख लीजिए आप। यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): शेर-शायरियां पढ़ी जाती हैं, कविताएं सुनाई जाती हैं ...(व्यवधान) शेर-शायरी पढ़ी जाती है, यह कवि सम्मेलन है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किस्से-कहानियां रोज होती हैं यहां। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): विधान सभा कवि सम्मेलन है क्या? आपने विधान सभा को कवि सम्मेलन बना रखा है। (व्यवधान) यह

(श्री हेमाराम चौधरी)

कवि सम्मेलन है क्या? यह कवि सम्मेलन नहीं है। यह लोगों की समस्याओं के लिए बात करने के लिए ...(व्यवधान) आप सबको शेर-शायरी लिख लिखकर एक-एक, दो-दो पकड़ा देते हो कि यह शेर बोलना, यह शायरी बोलना, जब तो आपको आनन्द आता है। मैंने एक किस्से की बात कह दी तो आपको बुरा क्यों लगा? xxx (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

(सदन में भारी शोर शराबा)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। (व्यवधान) किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया है ...(व्यवधान) यह क्या हो रहा है, मजाक बना रखा है सदन को। (व्यवधान) मजाक बना रखा है सदन को।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इस प्रकार गाली गलौच ...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): आसन की गरिमा को ...(व्यवधान) सदन में रौंदा जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सदन को मजाक बना रखा है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय यह आसन का अपमान है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रिकार्ड से निकाल दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मजाक बना रखा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): सदन की गरिमा को रौंदा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): आज तक इस हिसाब से ...(व्यवधान) अभद्र शब्दों का उपयोग सदन में नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, यह गाली गलौच पर आ गये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): गरिमा रखनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रिकार्ड से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसके लिए माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस सदन में कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रिकार्ड से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप इसके लिए माफी मांगो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप उनकी भाषा पर मत जाइये, भाव देखिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता को ...(व्यवधान) आज तक इन शब्दों का उपयोग नहीं हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माफी मांगो।

श्री युनूस खान (यातायात मंत्री): यह शोभा देता है क्या? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, यह शोभा देता है क्या? (व्यवधान) आप माफी मांगो, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बात का बतंगड़ क्यों बनाते हो, पूरा होने दो न। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह गाली जो दी है वह ठीक लगी क्या आपको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष ने जो थोड़ी भाषा का उपयोग किया मैं इसको रिजैक्ट करना चाहता हूं। आदेश देता हूं, अंकित नहीं होगा वह। उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है। (व्यवधान) सारा किस्सा ही खतम हो गया इसके अंदर। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने खेद प्रकट कर दिया कि गलती से हो गई है यह बात। (व्यवधान) यह पूरा किस्सा ही डिलीट कर दो। (व्यवधान) पूरा किस्सा ही फिट नहीं बैठे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोई हंसी-मजाक थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): इस प्रकार सदन में अपमान ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सम्पूर्ण किस्से को ही आप एक्सपंज करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको लग रहा है क्या कि यह किस्से का अंत आप लोगों के ऊपर होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: किसी के नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप पर होगा ...(व्यवधान) क्या बात करते हो आप मजाक की। (व्यवधान) कोई चीज है क्या यहां पर यह।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लीजिये। माननीय सदस्य, यह पूरा किस्सा जो है इसमें इस स्थिति में जायज नहीं था इसलिये मैंने उनको विलोपित कर दिया है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अब उसे छोड़ो उसको अदरवाइज...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके मौलिक विचार सुनकर इस राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से पूरा राजस्थान लाभान्वित हुआ है और नया इतिहास रच दिया है आपने। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपने कोई बुरी भावना से नहीं कहा, माननीय सदस्य, कहिये। आप कनक्लूड कीजिये। बुरी भावना से नहीं कहा था।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किस्सा कहा, वह किस्सा ठीक नहीं लगा, इसलिये निकाल दिया, कोई बात नहीं। मेरी जो भी बात अच्छी नहीं लगे, निकालते जाना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। जितनी रह जाए, उतनी ही काफी है। और तो क्या करें?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी मंशा भी नहीं थी।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): जितनी कार्यवाही में रह जाएगी उतनी ही रहे, और तो क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आपकी ऐसी कोई मंशा भी नहीं थी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी किसी के प्रति नहीं थी। न मुख्य मंत्रीजी के प्रति थी।

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह बात किसी के प्रति की नहीं है। पर जो शब्द आपने काम में लिया, वह आप उचित समझते हैं क्या? आप बता दो, उचित है क्या? पहले बता दो, उचित है, क्या बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तूल मत दो। (व्यवधान) बात को तूल मत दो इसको।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप दिन भर करते रहते हो यह। ये सांवरलालजी कहते रहते हैं दिन भर, यह क्या बात हुई। बोलचाल की भाषा है। आदमी के मुंह से निकल गई, निकल गई। अब क्या जान लोगे? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): यह सुनने के बाद ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग सोच रहे थे कि नेता, प्रतिपक्ष के भाषण से हम लोग भी लाभान्वित होंगे, हमें भी कोई चीज सीखने को मिलेगी। पर आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई है, इतने वरिष्ठ नेता और नेता, प्रतिपक्ष, आज सदन में जो दो घण्टा वेस्ट गया है, यह वेस्ट है दो घण्टा सदन का समय। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह वेस्ट कैसे गया? (व्यवधान) यह वेस्ट कैसे किया है? (व्यवधान) वेस्ट कैसे मान रहे हो आप? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्या बात हुई? (व्यवधान) यह क्या बात हुई। (व्यवधान) काहे का वेस्ट होता है यह? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य प्रतिपक्ष के यह समझ नहीं पा रहे हैं, इनको चढ़ा-चढ़ा कर ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान की जनता कर देगी फैसला। (व्यवधान) फैसला राजस्थान की जनता कर देगी। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (उद्योग मंत्री): और अगली बार यह इस कुर्सी पर नहीं बैठें, यह पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह एक बिना बात की बात को तूल दे रहे हैं आप। एक बिना बात की बात को तूल दे रहे हैं, बिना काम के। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य, एक असंसदीय भाषा को संरक्षण दे रहे हो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने चार साल खराब कर दिये राजस्थान के। 4 साल खराब कर दिये। आप दिन भर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं बाहर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने में कोई चूक हो गई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): xxx

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव): xxx

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये। (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष, अब कनक्लूड कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, मेरे कहने से किसी को पीड़ा हुई हो तो मैं माफी मांग लूं। मेरे कहने का और कोई मतलब था नहीं। मेरा तो इरादा नहीं था। मैंने किसी के लिये नहीं कहा। मैंने तो किस्से के हिसाब से बात की थी। वह कोई अब उसमें दूसरे ढंग से ले लिया तो छोड़ो इस बात को। अब आखिर कहना क्या।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप उस एक ही बात को पकड़कर सारी बात, मैं कुछ कहना चाहता था, आपने कहने नहीं दिया।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तगारामजी, आप जाने दीजिये, अब छोड़ें। अब खतम करें। अब इसको खतम करो। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): xxx

श्री हेमाराम चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब जो कहा, वह सब अंससदीय है। अब उसका तो कह दिया, जो कहा वह। आगे मैं कुछ कहता, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कहना भी था। समय के लिये भी कहते, मुझे कुछ कहना था। लेकिन जिस तरीके से यह व्यवधान पैदा करें, जिस तरह से यह बात कहें, तो अब ऐसे वातावरण में जो बातें करें, आगे कुछ कहने के लिये, मुझे कहना था, लेकिन अब मैं कहना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहता हूं कि यह जो बजट

(श्री हेमाराम चौधरी)

भाषण है, यह खाली थोथी घोषणाओं का पुलिन्दा है, सिवाय इसके इसमें कुछ नहीं है। इतने बजट की आवश्यकता रहेगी, इस तरह से व्यवस्था कर दी जाएगी। बहुत कम बजट का इसमें प्रावधान किया है। जो कुछ है, बहुत सारी इसमें केन्द्र सरकार ने जो आज बजट पेश किया, उससे इसमें घोषणाएं पूरी होंगी। बाकी घोषणाएं कुछ इसमें बजट का प्रावधान किया, उससे होंगी। बाकी अधिकांश योजनाओं की जो घोषणाएं इसमें की गई हैं, वे कतई इसमें पूरी होने वाली नहीं हैं। इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं। मैं यह सोचता हूं कि जो इस प्रकार के बजट से जनता को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास किया गया है, ये इसमें कतई सफल नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि अगर प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने किसी सुनियोजित ढंग से आज के इस भाषण को करवाया है तो वह शायद इसमें सक्सीड हुए। क्योंकि इस 2 घण्टे के अन्दर किन्हीं-किन्हीं सदस्यों ने तो सी.ए.जी. के ऊपर भाषण किया। किन्हीं-किन्हीं सदस्यों ने मेनिफेस्टो के ऊपर भाषण किया। हम तो यह सोच रहे थे कि हमारे बजट के ऊपर कोई सार्थक बहस होगी तो उससे हम भी कुछ सीख पाएंगे। और अगर कोई करेक्शंस करने की जरुरत होगी या कहीं हमको और कुछ काम करने की जरुरत होगी तो वह भी सुझाव हम लोगों के सामने आएंगे। फिर भी मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस बजट के अन्दर भाग लिया है और आलोचना, समालोचना और अपने अच्छे-अच्छे सुझावों से हम लोगों को मार्गदर्शित किया है, उनको इन सबके लिये धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरी कोशिश यह थी कि इसको संक्षेप में और जितना जल्दी हो सके, निपटाने की कोशिश करुं। परन्तु इतनी सारी चीजें रिकार्ड के ऊपर आ गई हैं कि मेरे को इन सब चीजों को किसी भी तरीके से रिवर्ट करना होगा। क्योंकि मैं समझती हूं कि हाउस की सीरियसनैस को बनाये रखने की, यह सब की जिम्मेदारी है। इसलिये मैं यह सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगर कोई भी अमूल्य सुझाव हमारे सामने यहां आते हैं तो इन अमूल्य सुझावों को हम अपने बजट के अन्दर लाने की भी कोशिश करेंगे। कोई अच्छे सुझाव हों तो उनको भी हम अपने बजट में लेकर उनकी क्रियान्विति की कोशिश करेंगे। यह मेरा प्रयास होगा।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इस सदन की बहुत बड़ी परम्पराएं हैं, बहुत ही गौरवशाली परम्पराएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कई वरिष्ठ राजनेता इस सदन से निकलकर गये हैं। उन्होंने बहुत अच्छे और प्रेरणादायक सुझाव यहां हमको दिये हैं और आज यह पूरा राजस्थान उन्हीं के सुझावों की नींव पर चल रहा है। मैं मानती हूं कि इस राजस्थान को, इस रिसर्जेण्ट राजस्थान को और आगे ले जाने की हमारी सबकी चेष्टा होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा आप लोगों को कि राजस्थान को एक नम्बर का प्रदेश बनाने की हम सबकी कोशिश होगी। यह हमारे अलग इनकी नहीं है, हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम माना है और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के अन्दर भागीदारी में लाने की हम लोगों की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आर्थिक विकास हो तो प्रदेश के सब नागरिक अपने आपको गौरवान्वित और सम्मानित मानें। उनको यह लगना चाहिए कि हम भी इसके एक अंश हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि यह खाली सरकार का ही काम नहीं है, हम सबको लेकर और सबके लिये अपने बजट को पेश कर रहे हैं। साथ में, राजस्थान के विकास के अन्दर हम लोग सब भागीदार भी हैं। हमने सभी बजट के अन्दर, यह पांचवां बजट है, इन पांचों बजट के अन्दर सभी वर्गों को इसमें लाने की कोशिश की है। चाहे छोटे से छोटा वर्ग हो, चाहे बड़े से बड़ा वर्ग हो, हमारी कोशिश यह रही कि हम सब लोगों को इसके अन्दर लाएं और उनके लिये कुछ पहल करें।

मैं प्रतिपक्ष के नेता के साथ सभी उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने सबने मिलकर किसान की इतनी बड़ी चिन्ता जताई। अभी-अभी पाले और शीतलहर के अन्दर मेरे द्वारा जो घोषित पैकेज था, उसकी सराहना भी सबने की, उसके लिये मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं प्रतिपक्ष के जो दिग्गज किसान नेता हैं, आदरणीय श्री परसरामजी मदेरणा, उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूं कि उन्होंने बिना संकोच के अपने नेता को पत्र लिखा और सोनिया गांधीजी को यह कहा कि राजस्थान के अन्दर जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना उनका काम है और उसके लिए वह पूरी तरह से हमें मदद करें। यह उन्होंने कहा, मैं समझती हूं कि शायद उसी से प्रेरणा लेकर हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि सी.आर.एफ. के जो मापदंड हैं, उनको बदलना चाहिए। उसके अन्दर उन्होंने अपनी सहमति जताई। परन्तु मैं अफसोस से यह कहना चाहती हूं कि वह शायद खुद तो किसान हैं ही और उनको दर्द है उसके लिए, किसान के लिए,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

परन्तु वह अपने दल के सब लोगों को शायद मना नहीं पाये और इसीलिए जो संकल्प सी.आर.एफ. का यहां हम लोगों ने बदलने के लिए पारित किया, उसके अन्दर सब माननीय सदस्यों ने अपने आपको शामिल, मानी वे शामिल इसमें हुए नहीं। मैं समझती हूं कि होना चाहिए था क्योंकि यह राजस्थान के भले का और राजस्थान के किसान के भले का काम था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई-सा भी दल, कौन विपक्ष में है, कौन पक्ष में है, जो विपत्ति और आपदा होती है उसके अन्दर सब लोगों को मैं समझती हूं कि दलीय सीमा से ऊपर उठ कर सर्वसम्मति के साथ राजस्थान की जनता के दु:ख के अन्दर अपने आपको शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने यह कहा था, चूंकि सी.आर.एफ. के नॉर्म्स इतने स्क्यूड हैं, इन सी.आर.एफ. के नॉर्म्स के अन्दर पहले तो ओलावृष्टि नहीं थी, उसके बाद अब पाला नहीं है। हम जिस तरीके से ओलावृष्टि को जुड़वाये थे, उसी तरीके से अगर सी.आर.एफ. के अन्दर इसको भी जोड़ देते हैं, पाले को भी जोड़ देते हैं तो हमारे इतने सारे किसान भाइयों का फायदा होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि इस फायदे के अन्दर आप अपने आपको क्यों नहीं जोड़ना चाहते थे।

आज राज्य का बजट जो है वह सिर्फ इनकम और एकसपेंडिचर का काम नहीं होता है, और पिछले पांच वर्षों के अन्दर योजना के आकार में बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी वार्षिक योजना हमने कई वर्षों बाद, यह 15248 करोड़ की जो हमने बनायी है, मैं समझती हूं कि अपने आप में ही एक अनूठा बजट है क्योंकि इतना बड़ा बजट, इतना बड़ा प्लान अभी तक हुआ नहीं है, राजस्थान के अन्दर आया नहीं है और इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है।

यहां तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी आलोचना की, उन्होंने कहा योजना के आकार की तुलना में। कि हमारी पिछली वार्षिक योजना से हम तुलना न करें परन्तु दूसरे प्रदेशों की वार्षिक योजना से हम लोगों को इसकी तुलना करनी चाहिए। इसके बारे में मैं यह एक बताना चाहती हूं कि कम से कम बैदजी ने यह तो माना कि हमारा जो कार्यकाल है उसमें आयोजना में वृद्धि हमारी सरकार के कार्यकाल के अन्दर अच्छी हुई और अधिक हुई। मुझे खुशी यह भी है कि उन्होंने आर.बी.आई. द्वारा जारी स्टडी की चर्चा की है। उस स्टडी में राजस्थान की राष्ट्रीय औसत, उत्तरी राज्यों की औसत और आस-पास के राज्यों के मुकाबले राजस्थान के योजना आकार में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुई वृद्धि की तुलना से सदन को उन्होंने अवगत कराया, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश Percentage increased in 2007-08 over 2006-07 31.58%, पंजाब के अन्दर 27.78, गुजरात के अन्दर 27.97, मध्य प्रदेश के अन्दर 28.36 और राजस्थान के अन्दर 41.08 । ये आकड़े हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने इस चीज को उठाया है।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमको जो विरासत में राजस्थान मिला, वह कैसा बदहाल राजस्थान था। वह तो विशेषज्ञों के शब्दों में ही आप पढ़ लें और सुनें तो मैं समझती हूं और अच्छा है। उसको आज के दिन मैं आंध्र के साथ या कर्नाटक के साथ या महाराष्ट्र की तुलना में ला नहीं सकती हूं, परन्तु मैं यह जानती हूं कि हम लोगों के अथक प्रयासों से 'बीमारू' श्रेणी में से हमने राजस्थान को निकाला है और अगले पांच वर्षों के अन्दर अग्रणी श्रेणी में लाकर हम जरूर खड़ा करेंगे। आप उसकी चिन्ता न करें। हां, अगले पांच वर्षों में हम इसको अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। अभी तो बीमारू में से चार साल के अन्दर हमने, जहां आपने पहुंचाया था, उसमें से हमने निकाला है और अगले पांच साल के अन्दर हम इसको अग्रणी श्रेणी में सबके कॉम्पीटीशन के अन्दर लाकर रखेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगी कि अपने शासन काल में जो बनी योजनाएं हैं, जरा उसके ऊपर थोड़ा-सा झांक कर आप लोग देखें। अगर आप देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि पहली योजना का बड़ा आकार आपने बनाया, अच्छी तरह से सुनहरे सपने पूरे राजस्थान को दिखाने के बाद आपने योजना के आकार को बड़ी बेरहमी से काटा और विकास के मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध किया। यहां तक कि कहीं भी आप चले जाते उस समय में और कहते या मंत्री से पूछते या सरकार से पूछते कि स्कूल यहां लगवा दो या रोड का काम यहां करवा दो तो यही एक बात हमारे कान में लगातार आती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम लोग कंगाल हैं। हमारे राजस्थान में कोई पैसा नहीं है। सुन-सुन कर राजस्थान के स्वाभिमान को हमने अपनी आंखों के सामने पैरों के नीचे रौंदे जाते हुए देखा। मैं समझती हूं कि यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो राजस्थान के स्वाभिमान के लिए लड़ने को तैयार नहीं हो। बार-बार आपने भी यह कहा कि हम लोग भूखे सो जाएंगे, अपनी इज्जत के लिए मर जाएंगे परन्तु किसी भी तरीके से उसके साथ हम खिलवाड़ होने नहीं देंगे। हम भी इसी चीज को मानते हैं। मैं समझती हूं कि जिस तरीके से बार-बार यह

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सुना-सुनाकर राजस्थान का नाम पूरे देश के अन्दर बिगाड़ा और बदनाम किया गया है, इस तरीके से शायद ही कोई सरकार कर सकती थी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि केवल योजना के आकार को लगातार बढ़ाया ही नहीं बल्कि हमने जो शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है, उसको सबने माना है।

राजस्व, मानी फिस्कल डैफिसिट और रेवेन्यू डैफिसिट, वह कम करके राजस्थान की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया और रेवेन्यू रिसीट, जी.एस.डी.पी., पर कैपिटा इनकम इनमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी की। राज्य के कुल एक्सपेंडिचर में डवलपमेंट एक्सपेंडिचर का प्रतिशत लगातार हम लोगों ने बढ़ाया। फिर मैं इसको थोड़ा-सा कोट करना चाहूंगी, यह 1999-2000 की सी.ए.जी. रिपोर्ट है, इस सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अन्दर यह लिखा गया है और मैं यह कोट करती हूं- "A consistently negative BCR, rising interest ratio, negligible returns on investments had adversely affected the sustainability of the State finances." बार-बार आप लोगों ने भी सी.ए.जी. की रिपोर्ट का उद्धरण किया है इसलिए मैं मानती हूं कि इसको पढ़ लें। "Similarly, revenue and fiscal deficits, high amount of guarantees, falling assets to liability ratio has added considerably to the vulnerability of State finances. The State Government took Ways and Means Advances/Overdraft on 349 days during the year, implying that this facility was used as means of financing the State Government expenditure. The borrowing went up tremendously which had been applied for meeting revenue expenditure and to repay the Ways and Means Advances/Overdraft. This is bound to push in future the already high interest burden, leaving very little for development expenditure." यह सी.ए.जी की रिपोर्ट है। आपने जो बार-बार हमको सुनाया है वह तो मैं बाद में अपने बजट के अन्दर मैंने भी आपको बता दिया था। इसमें वे कहते हैं आगे चलकर, "The huge amount have been blocked in incomplete projects along with mounting outstanding revenues" और उनका यह कहना है "The capital expenditure decreased by 15% against the previous year. As a result of which its share in total expenditure declined from 13% in 1998-99 to 10% in 1999-00." This is the CAG report. इसलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि डवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अन्दर जो हम लोगों ने जो परसम्पत्ति बनायी है, वह आप लोगों के सामने बड़ा क्लीयरली है, हमने बारबार इस चीज को उद्धृत किया है। मैं आपको यहां यह भी बताना चाहती हूं कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट को लागू करके जो वित्तीय अनुशासन में हमने अपने आपको बांधा है, उसके सभी मापदंड हमने फॉलो किये हैं और निर्धारित समय सीमा से पहले हमने प्राप्त

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

करके केन्द्र सरकार से इन्सेंटिव भी इसके लिए प्राप्त करने का हक ले लिया है। कितनी बड़ी बात है यह? कितनी बड़ी बात है? यहां हमारे पूर्व वित्त मत्री प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हुए हैं उनका प्रिय वाक्य है हाई फिस्कल स्ट्रैस, बार-बार कहते रहते है हाई फिस्कल स्ट्रैस, तो मुझे उनको बताते हुए यह प्रसन्नता है कि आर्थिक प्रबंधन से इस शब्द को हमारे राजकीय शब्द कोश से हटा दिया गया है तो आपको इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है अब। चिंता करने की जरूरत नहीं है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा कि हमने राज्य को ऋण के भार तले दबा दिया है। यह आपने शायद बात कही थी। मैं इसमें यह कहना चाहती हूं कि हमने ऋण लेकर पूरी तरह से डवलपमेंट किया है, परिसम्पत्तियों का सृजन किया है। आप जैसे हमने ऋण लेकर घी नहीं पीया है। हमने कोशिश की है कि जहां तक हम पैसा लगाएं, उस पैसे का बहुत अच्छा और सही तरीके से उपयोग करें। और यह करके हमने दिखाया है। इसमें अगर आप देखें, आपने जो कहा है, मैंने अपने बजट भाषण के अंदर ही उसको 2006 के अंदर कहा। ''विपक्ष के कई साथी समय-समय पर राज्य सरकार पर भारी कर्जा लादने का आरोप लगाते हैं, मैं उन्हें अवगत करा दूं कि तत्कालीन राज्य सरकार ने वर्ष 2002-03 में राज्य के सकल उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के बराबर कर्जा लिया था। यदि हम इसी दर से कर्ज लेते तो वर्ष 2008-09 में राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले कर्ज की राशि आज 12, 067 करोड़ रुपये होती। इसकी तुलना में हमने मात्र 5, 769 करोड़ रुपये के कर्जे का ही प्रावधान किया है। अगर पांचों साल आपके ही दर पर ऋण बढ़ोतरी हमने की होती तो राज्य का कर्जा एक लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो गया होता।'' ये मैथ्स की बातें, आप लोगों ने तो बड़े प्रयास से यह दिखाया है, पर उन आंकड़ों का इस्तेमाल करना सबको आता है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यहां जो फीगर्स हैं वे बिलकुल सही है और आपको उनसे अवगत जरूर कराना चाहती हूं। इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहूंगी कि वर्ष 2001-02 में आपके लिये गये ऋण और कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ अगर अपन ध्यान आकर्षित करते हैं तो 29.82 प्रतिशत था और अगर इसके अलावा आपके पूरे कार्यकाल को हम देखते हैं तो यह 34 प्रतिशत से ऊपर कभी नहीं गया। और अगर आप हमारे कार्यकाल को देखते हैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तो 2006-07 में ऋण और परिसम्पत्तियों का जो उपयोग का प्रतिशत है, वह 101 प्रतिशत रहा है। अब इससे ऊपर तो हम क्या जा सकते हैं। मैं समझती हूं कि यह देखने लायक है। जहां आपके नैट बोरोइंग का सवाल है, वहां भी हमने इसको लगातार कम किया है। 2007-08 में ये 5, 607 करोड़ थे और वर्ष 2008-09 में ये 5, 282 करोड़ रुपये रह गये हैं, जबकि हमने योजना का आकार भी बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, शायद सब लोग यह भूल रहे हैं कि इनके समय के अंदर वार्षिक योजना के कुल आकार से भी अधिक कर्जा कई बार लिया गया है। इससे अधिक मैं और क्या बता सकती हूं। गिरहबान में झांककर देखो, जब आप हमारे बारे में बात करते हो या इन चीजों को उठाते हो तो पहले जो पिछले पांच साल के अंदर हुआ है, उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है।

नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने योजना को बढ़ाकर इसका जो आकार बढ़ाया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। यह बार-बार सब लोगों ने कहा है। बल्कि योजना के बड़े आकार में सबसे बड़ी भूमिका केन्द्र सरकार की है, वह तो केन्द्र सरकार की है और अगर ये केन्द्र-कर नहीं होते और उसका हिस्सा हमें नहीं मिलता, केन्द्र का अनुदान हमें नहीं मिलता तो क्या स्थिति होती, आप लोगों ने हमको बार-बार यह कहा है। यहां सी.ए.जी.की रिपोर्ट को फिर मैं कोट करना चाहूंगी, 2001-02 की सी.ए.जी. की रिपोर्ट में यह कहा है, "A decline in revenue and fiscal deficits during the year should be seen in the context of higher receipts by way of share of net proceeds of Union taxes and duties assigned to states and more non-plan grants to cover deficit on Revenue Account from the Government of India coupled with curtailment of Plan expenditure which was even less than the original Plan size. Despite these additional receipts and borrowings taken from the Public Sector Undertakings…." उसके बाद में आपने बोरोइंग को पी.एस.यू. में लिया है "...gross fiscal deficit could not be met fully which resulted in negative Cash Balance…" The share of the tax revenue and the revenue receipts decreased during the year in comparison to the previous year." उस समय बहुत ज्यादा पैसा आप लोगों को दिया था, इम्पैक्ट, हम यह पूछना चाहते हैं उस समय के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे, कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के टैक्स रिसीट्स बढ़ रहे थे तो यहां की टैक्स रिसीट्स क्यों कम हो रही थीं? इसके बारे में क्या मानें, क्या नहीं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं कह सकता हूं क्या? If you are asking I can say. If you allow me then only I will interrupt you otherwise I am not going to interrupt you.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यानि दो घण्टे के बाद अगर फिर भी कुछ बच गया है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपने पूछा है मुझसे, If you allow me then only I am going to interrupt you otherwise I am not going to interrupt you.

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): वह तो आप सबकी ओर से बोले हैं, आप बैठ जाओ, Thank you very much. इसमें जो था, वह लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया है। मैं तो थोड़ा-सा कुछ-कुछ जो पांइट्स उठे हैं, उनके बारे में आप सबका ध्यान दिलाना चाहूंगी। यह कहा है नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 48 प्रतिशत है। जो कि राष्ट्रीय अनुपात से बहुत ज्यादा है, उन्होंने यह कहा। उन्होंने यह कहा कि औसत 10 प्रतिशत से बहुत अधिक है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि सबसे पहले जो रिजर्व बैंक का एनेलिसिस है, उसमें स्टडी आफ द स्टेट्स बजट 2007-08 के अनुसार राज्यों का outstanding liabilities to GSDP ratio is 29.8% not 10%. तो फैक्चुअली भी गलत है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने सबसे पहले तो नियन्त्रित किया Debt to GSDP ratio ko और उसके बाद उसको बढ़ने से भी रोका भी। आप अगर फीगर्स को देखेंगे तो 1998-99 के अंदर debt to GSDP ratio was 33.03%, 2002-03 this went to 51.80 and 2007-08 it is now 48.33. पहले तो हमने उसको रोका और रोककर उसके बाद उसको नीचे लाने की पूरी कोशिश की और उसमें हम कामयाब हुए।

इसके साथ-साथ राज्य की वित्तीय व्यवस्था अच्छी हुई है और उसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले हिस्से और उसके अनुदान की राशि है जिसके बारे में आप लोगों ने बार-बार कहा। उसके लिये मैं थोड़ा-सा कहना चाहती हूं कि एटलीस्ट उन्होंने यह तो एकनोलेज किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी रही। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि राज्य करों में हिस्सा वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिश की वजह से है। आपने या किसी ने कोई हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। यह तो स्टेट गवर्नमेंट का राइट है और उस राइट में उन्होंने यह डिवीजन किया है, 70.5 परसेंट जाता है केन्द्र सरकार के हिस्से में एण्ड 29.5 परसेंट between all the states

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
and if you see it is actually 1.5% of the total. मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि अगर 70.5 में अगर बोएंसी आती है तो केन्द्र को उसका लाभ मिलता है और 29.5 परसेंट के अंदर बोएंसी आती है तो हम लोगों को उसका लाभ मिलता है। परन्तु यह भी कहूंगी कि केन्द्र सरकार ने अपने राजस्व घाटे को कम दिखाने के लिए कुछ जगलरी की है, जो उन्होंने तेल कम्पनियों के घाटों की भरपाई 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ऑयल बॉण्ड जारी करके की है। मैं अभी पढ़ रही थी, हम लोग देख रहे थे, उन्होंने यह एडमिट किया कि हमने इस चीज के लिए अकाउंट नहीं किया है और हम यह सोचते हैं कि शायद तेरहवां वित्त आयोग हमारी जान बचाएगा। यह उन्होंने इसमें कहा है। अब तेरहवें वित्त आयोग की तरफ उनको ध्यान देने की जरूरत ही क्या है? यह जो जगलरी है इस तरह की जगलरी हमने कभी अपने अकाउंटिंग में नहीं की है, जो ऊपर फाइनेंस मिनिस्टरी कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि यह हमारा राइट है। इस राइट को किस तरह से स्टेट इस्तेमाल करती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, केन्द्र शासित राज्यों की तरफ आप निगाह डालिये। नरेगा की बात आप लोग कर लेते हो तो नरेगा के पैसे हमको मिले तो उनको भी मिले हैं। परन्तु पूरे देश में राजस्थान का नाम क्यों है? उनका नाम क्यों नहीं है? राजस्थान का नाम इसलिए है क्योंकि राजस्थान ने काम किया है। नहीं तो काम्पीटिशन में आज जितना पैसा लग रहा है वह तो सब स्टेट्स के अंदर लग रहा है। परन्तु बी जे पी रूल्ड स्टेट के अंदर चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन स्टेट्स के अंदर यह बात बार-बार कही जाती है कि नरेगा को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया गया है और जनता के लोएस्ट लेवल तक उसको पहुंचाया गया है। उसका मुझे गर्व है।

अभी आपने देखा होगा केन्द्र सरकार ने एजुकेशन पर सैस लगाया। हमको पूरा हिस्सा सरकार देना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने एजुकेशन सैस लगाया है और एजुकेशन सैस लगाकर उन्होंने अपने पास उसको दबाकर रख लिया है। वह दिखाना नहीं चाहते इनको करों के हिस्से में, इसलिए उन्होंने सैस के हिसाब से बनाकर रखा है। मैं यह कहती हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये अनुदान के बराबर उनको व्यय करने की जरूरत है, हम लोगों को करना पड़ेगा। जब सी एस एस का हमारे पास आता है तो उस सी एस एस के लिए हम लोगों को भी काउंटर फंडिंग करने की जरूरत होती है। आप देख लीजिये,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

उसके काउंटरपार्ट फंडिंग के अंदर कितना अतिरिक्त पैसा हम लोग लगाते हैं, तो आप भी अचम्भे में रह जायेंगे। क्योंकि आपकी सरकार भी जब सी एस एस का फंडिंग था, उस समय उसको ठीक तरह से कर नहीं सकी थी, इस वजह से आप लोगों को इतना मोहताज होना पडा है। इसके लिए तो हमारी सरकार ने पूरी तरह से कांउटरपार्ट फंडिंग का इस्तेमाल किया है और इसलिए एक-एक पैसे को आप इलाके के अंदर देख सकते हो, जिस तरीके से काम हुआ है और जिस तरीके से वहां के लोगों ने, जनता ने बार-बार राजस्थान की सरकार को सराहा है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं समझती हूं कि धरना, फसाद करने में कोई एक मिनट भी हमको छोड़ता नहीं, तुरन्त ही धरना, फसाद हो जाता। परन्तु धरना, फसाद हुआ नहीं है और बार-बार जहां भी गये हैं वहां लोगों ने हमको सराह कर यह कहा है कि अच्छा काम हुआ है। अगर काम हुआ है तो इस सरकार ने किया है।

इसके साथ-साथ 2004-05, 2005-06 और 2007-08 के अन्दर आय-व्ययक अनुमान की वर्ष 2008 के आय-व्ययक के अनुमान से तुलना करते हुए आपने स्पष्ट किया कि पूर्व की घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। यह आपने कहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले चारों बजट के अन्दर हमने 98.5 परसेंट अपनी जो घोषणाएं की थीं उनके ऊपर अमल किया है। मेरे पास यहां पर पूरा टेबल है भी, 2004-05 के अन्दर हम लोगों ने कितनी क्रियान्विति की। 2005-06 के अन्दर घोषणाएं जो की थीं 226 थीं, उसके अन्दर क्रियान्वित घोषणाओं की संख्या 165 और जो की जा रही हैं वे 60 हैं। आप पूरे का हिसाब यहां लगा लीजिए, इट इज 63.6 परसेंट जिनकी क्रियान्विति हम लोगों ने की है और जिनकी क्रियान्विति अभी भी हो रही है वह 35 परसेंट है। अगर इसको जोड़ो तो आप 98.5 परसेंट की क्रियान्विति हमारी सरकार ने यहां की है।

इसके साथ-साथ माननीय सदस्यों ने 2008-09 की घोषणाओं के अन्दर खाता खोलने के लिए 1500 रुपये पर हैड की दर से 450 करोड़ और 400 करोड़, कुल 850 करोड़ की सब्सिडी को अनप्रोडक्टिव बताया है, मैं समझती हूं कि बी.पी.एल., शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब और लघु सीमान्त किसानों और गरीब परिवारों की महिलाओं को अगर हमने 1500 रुपये देकर उनके खाते के अन्दर जमा किया तो उसका बहुत प्रोडक्टिव यूज है। इसके अनुसार इस योजना की करीबन 850 करोड़ की राशि को

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एन.आर.ई.जी.एस. के साथ हम लोग भले ही डवटेल न कर सकें परन्तु उनका अकाउंट खोलने से उन महिलाओं को क्रेडिट एक्सेस करने का एक मौका मिलेगा और खुद को एक बैंक अकाउंट उनको मिल जाएगा जिसके अन्दर उनके पैसे डाइरेक्ट जा सकते हैं। मैं समझती हूं कि इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। अगर आप देखेंगे तो बार-बार फाइनेन्स मिनिस्टर गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फाइनेंशल इनक्लूजन की बात कही है और राजस्थान पहला स्टेट है जिसने फाइनेंशल इनक्लूजन का काम अपने हाथ में लिया है। मैं यह विश्वास करती हूं कि आगे कुछ महीनों के अन्दर इसको अब हम तेजी से चलाएंगे और हमारी महिलाओं को ये बैंक अकाउंट खुलवा कर फायदा उनको दिलवाएंगे। इसी तरीके से एन.आर.ई.जी.एस. के अन्दर बजट से 3276 करोड़ रुपये की राशि को हमने डवटेल करके सामान्य क्षेत्रों के 250 से अधिक की जनसंख्या के सभी गांव, जो रेगिस्तानी हैं और जनजाति क्षेत्र के समस्त गांव हैं, उनको सड़क बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। जब आप लोग कह रहे हो कि इनको डवटेल करो तो हमने उसका फायदा उठाया है और हम मानते हैं कि डवटेल करके इस नरेगा से हम पूरा लाभ उठाएंगे। नरेगा के क्रियान्वयन में हम लोग पूरे देश में अव्वल हैं तो मैं समझती हूं कि इस कार्यक्रम को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चला सकेंगे। हम मानते हैं कि फाइनेंशल इनक्लूजन अकेले नहीं होता है, उसके साथ-साथ इकोनोमिक इम्पावरमेंट भी करना बहुत जरूरी है। हमने अपनी महिलाओं को इकोनोमिकली इम्पावर करना है और इसका काम हम लोगों ने बड़े ही तरीके से चालू कर दिया है।

नान टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, यह आपने हमको सुझाव दिया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने अपने कार्यकाल में इसको लगातार बढ़ाया है। अगर आप देखेंगे, 2003-04 के अन्दर 2071.64 को 2007-08 के अन्दर 3849.49 किया, माने 400 से 700 करोड़ की बढ़ोतरी प्रतिवर्ष हो रही है और फिर भी आप लोग यह कह रहे हैं कि नान टैक्स के रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रहा है। मैं समझती हूं कि इससे काफी क्लीयर हो जाता है कि क्या हुआ है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि बहुत सारी घोषणाएं हैं जो बजट में दोहरायी गयी हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह नहीं हुआ है। 2008-09 के बजट भाषण में ऐसे उदाहरण दिये गये हैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जो हैं ही नहीं, फिर भी उनके ज्ञान के लिए मैं बताना चाहूंगी कि सेण्टर फार गुड गवर्नेंस, ट्रांसफर आफ फंक्शन टू पंचायती राज, दूदू-बीसलपुर स्कीम और प्री-मैट्रिक स्कालरशिप के बारे में हमने अपने इस बजट डाक्यूमेंट में कुछ नहीं लिखा है। और ऐसे उदाहरण हैं 2008-09 में जिनका विस्तार किया है, उसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय को हमने जरूरत मेंशन किया है क्योंकि हमने बारह और विद्यालय खोले हैं। पशुपालकों के लिए हमने आवासीय विद्यालय भी और खोले हैं इसलिए उसको मेंशन किया है। बजट में आएगा ही। और ऐसे उदाहरण भी हैं जो केवल राज्य सरकार के चार वर्षों में हमने प्रगति के तौर पर आप लोगों को दिखाये हैं। जैसे नालेज सेण्टर्स हुए हैं, डिडक्शन आफ टी एण्ड डी लोसेज हैं। फिर जो नयी स्कीम की बात है, आपने कहा है कि नयी स्कीम की आपने तो कुछ टच ही नहीं किया हैं। करीब 15-16 नयी स्कीम्स हैं जिनका नाम मैं यहां नहीं लेना चाहती हूं, जिनका हमने अपने बजट भाषण के अन्दर जिक्र किया है।

इसी तरीके से माहिर आजाद साहब ने यह कहा कि प्लान साइज तो बढ़ा है परन्तु राजस्व घाटा भी बढ़ा है और राज्य कर्जे के कुचक्र की ओर जा रहा है, ब्याज चुकाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि प्लान साइज के बढ़ने की बात उन्होंने स्वीकार तो की और इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी, परन्तु उन्होंने बजट दस्तावेजों में राजस्व घाटे के बढ़ने की बात कहां देखी है, यह मुझे मालूम नहीं। समझ में नहीं आता क्योंकि वो तो है ही नहीं। राज्य का राजस्व घाटा 2006-07 में ही समाप्त हो गया था। 1991-92 के बाद 2006-07 में 638 करोड़ रुपये का राजस्व सरप्लस था for the first time since 1991-92, 2007-08 के अन्दर भी रिवाइज्ड एस्टीमेट में यह 247 करोड़ आधिक्य था और 2008-09 में भी यह आधिक्य 1183 करोड़ तक पहुंच गया था। यह कैसे नहीं आपके ध्यान में आया, मुझे समझ में नहीं आता है, वह कैसे मिस कर गये। अगर आप फिस्कल डैफिसिट की बात कर रहे हैं तो भी यह सही नहीं है कि राज्य का फिस्कल डैफिसिट बढ़ा है। 2000-2001 के अन्दर अगर आप देखें तो यह 4313, 2001-02 के अन्दर 5748, 2002-03 के अन्दर 6114, 2003-04 के अन्दर 7367, 2004-05 के अन्दर 6146, 2005-06 के अन्दर 5150, 2006-07 के अन्दर 3970 और 2007-08 के अन्दर 5421 जिसमें जी.एस.डी.पी. के माने आप देखेंगे तो 3.4 परसेंट है। राजस्थान इन्वैस्टमेंट फंड के अन्दर हमने

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)
900 करोड़ ट्रांसफर किये, नहीं तो फिस्कल डैफिसिट ओनली 4521, मीनिंग 2.8 परसेंट रहता। यह भी शायद आप मिस कर गये थे।

इसके साथ-साथ सी.ए.जी. रिपोर्ट जो पेज थ्री के अन्दर है उसके अन्दर भी उन्होंने यह बताया है कि पिछली सरकार किस तरीके से डैट ट्रैप के अन्दर फंस रही थी। यह कहते हैं, "Increase to ratio-Increased revenue and fiscal deficit indicate growing fiscal imbalances of the State. All the 4 indicators of fiscal imbalances show continuous deterioration indicating increasing unsustainability and vulnerability of state and finances. Increasing ratio of fiscal liabilities to GSDP and revenue receipts together with growing revenue deficit indicate that the state is gradually getting into a debt trap." आप में से मैं तो विशेषज्ञ ही समझूं माहिर आजाद साहब को जिन्होंने राज्य को कर्जे के कुचक्र में लाने की बात की। राज्य तो कुचक्र में आ चुका था इन 2000-01 that is according to CAG.

इसी तरीके से माननीय विधायक श्री रघुवीर सिंहजी मीणा ने कहा कि राज्य द्वारा कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डी.ए. पर 11 प्रतिशत डी.ए. नहीं देकर 900 करोड़ रुपये का लाभ हम लोगों ने उठाया है, कर्मचारी की उक्त मांग राशि देने पर बजट घाटे में आ जाता है एवं बजट में छठे वेतन आयोग को लागू करने का प्रावधान नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने 50 प्रतिशत डी.ए. पर 11 प्रतिशत डी.ए. नहीं दिया और छठे वेतन आयोग के लिये बजट में नहीं कहा, यह बिलकुल गलत है, सत्य बिलकुल इसके अपोजिट है। राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत डी.ए. पर 11 प्रतिशत डी.ए. दे दिया है बल्कि आज तक भी सभी डी.ए. की इन्सटालमेंट को भी हमने जारी कर दिया है और आज के दिन कोई भी हमारे पास बकाया नहीं है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि छठे पे-कमीशन के लिए हमने प्रावधान भी कर दिया है, जी.ओ.आई. ने बल्कि नहीं किया है। यह अगर आप उनको देखेंगे, उनको प्रावधान कर लेना चाहिए था। उन्होंने तो नहीं किया है परन्तु हमारा स्टेट संकट में न फंसे, इसको ध्यान में रखते हुए हमने छठे पे-कमीशन के लिए भी प्रावधान करके रखा हुआ है।

अब मैं कुछ इश्यूज जो हमारे माननीय सदस्यों ने उठाये, उनके ऊपर आना चाहती हूं। पहले तो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि बाड़मेर लिफ्ट योजना के लिए कोई कुछ आपने बजट प्रावधान नहीं किया है। मैं यहां बताना चाहती हूं, 77.62 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने आलरेडी करके रखा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुआ है और वह क्रम संख्या 18 पर अगर आप पेज 14 को देखें तो आपको मिल जाएगा।

उसी तरीके से आपने पी एम जी एस वाई की परिभाषा में हमको एनलाइटन करने की कोशिश की है। तो मैं भी यह बता दूं आपको कि जो हैबीटेशंस की गाइडलाइन्स हैं वे गाइडलाइन्स हैबीटेशंस को रिकग्नाइज नहीं करती हैं। आपने हैबीटेशंस की बात यहां की, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि वह पापुलेशन केवल 2001 की सेंसस के अनुसार ही होगी और 2001 सेंसस में अनफार्चुनेटली डेटा जो है वह गांव का है, ढाणियों का नहीं है। इसलिए यह तो कैच ट्वेन्टी-टू सिचुएशन, हेमारामजी, क्या करें, अपनी तरफ से जो भी फिक्स करने की जरुरत थी वह हम लोगों ने किया है। आपने शायद कहा कि आपके टाइम में कुछ सैंक्शन हुए थे, मैं तो समझती हूं कि इस डेफिनिशन के अन्तर्गत यह मुश्किल ही काम है।

फिर इसी तरीके से आपने कहा कि स्कीम अनाउंस हुई बिना वित्तीय प्रावधान के, आपको इसका दुःख हुआ है। तो मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि आप तो एक दफा उनसे जरा पूछें, चिदम्बरम साहब से, कि उन्होंने इतना बड़ा लोन माफी किया, जिसकी वाहवाही आप इतने दिन और इतनी देर से लूट रहे हैं, जिसके लिए एक भी उन्होंने प्रावधान नहीं किया है, तो यह किस तरीके से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। आगे जाकर हम लोगों को सबको जानकारी मिले तो मैं समझती हूं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरीके से मोटी-मोटी घोषणाएं करना बहुत आसान है। हम लोग मोटी-मोटी घोषणाएं नहीं करते। हमारी कोशिश यह रहती है कि घोषणा अगर हम करते हैं तो उसको वित्त पोषित भी करते हैं।

फिर आपने वैस्ट पावर की जमीन के बारे में कहा, आप रहते हो वहां, आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, हमने यह सोचा था। 1100 मेगावाट के वैस्ट पावर के लिए लैण्ड अलॉटमेंट का काम कम्प्लीट हो चुका है, बाई अक्टूबर, 2008 इसका पहला यूनिट खड़ा हो जाएगा जिसमें से 135 मेगावाट हमको बिजली मिलेगी। मशीनरी आ गयी है, जिस मशीनरी को हमको उसमें इस्तेमाल करना है वह पहुंच चुकी है। यह माइन्स इश्यु जब तक सैटल नहीं होता है तब तक दूसरे माइन्स जो आर एस एम एम के नेबरहुड में हैं, उसमें से हम लोग लिग्नाइट लेकर इनको देंगे। मैं मानती हूं कि इसके बाद तीन-तीन महीने के अन्दर 135 मेगावाट के जो यूनिट्स हैं वे कमीशन होंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मुझे समझ में नहीं आता, आप वहां रहते हैं, आप लोगों को यह तो मालूम होना चाहिए था। फिर भी आपने इसको उठाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

इसके साथ-साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगी, आप यह कह रहे हो कि 2009 में जो कनेक्शंस हम लोगों ने आपको दिये हैं वे 2009 में कैसे होंगे। जब हम लोग प्लान बनाते हैं, सरकारों के प्लान होते हैं, पार्टीज के प्लान नहीं होते। सरकार का मतलब यह है कि एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर तक उसको कम्प्लीशन में लाना है। तो अगर 2008-09 के काम को हम लोग यहां अनाउंस करेंगे तो मार्च, 2009 तक तो यह प्रोग्राम तो चलेगा ही और इसीलिए मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि फाइनेंशियल ईयर को देखो जी, आप पार्टी की ओर इतना ध्यान मत करो। प्राब्लम यही हो रही है। इसी तरीके से। और फिर पार्टी की चिन्ता क्यों करते हो, हम लोग तो होंगे वहां, इसको हम कम्प्लीट करेंगे।

माननीय नेता ने सैकण्डरी स्कूल्स के बारे में कहा कि चार सौ करोड़ कहां से आएंगे। आपको चिंता हो रही थी, कहां से आएंगे। मैंने इसको भी स्पष्ट किया हुआ है। हमने यह कहा था कि अगर केन्द्र सरकार अब भी नहीं देती है तो हम इसको दे देंगे, अपने काम के अन्दर संशोधन करेंगे और पैसा लेकर उसको दे देंगे। पिछली बार मैंने यह कतई नहीं कहा था कि केन्द्र सरकार देगी कि नहीं, मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने हमको नहीं दिया, हमारी कोशिश है कि हम उनसे लें, पर अगर वह नहीं देते हैं तो हम देंगे पैसा और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। यह हमने आपको बजट के अन्दर कहा है, और करेंगे उस चीज को।

आप लोगों ने जिस तरीके से किया है उसको भी आप थोड़ा-सा देखें। 2003 में आप लोगों ने मिसिंग लिंक की योजना अनाउंस की थी, उसकी व्यवस्था हमने अगले तीन वर्षो में की। यह यहां बैठे हुए हैं, हमने उसकी व्यवस्था की है, आप लोगों ने तो नहीं की थी। चुनाव में आते-आते आप तीन यूनिवर्सिटीज को अनाउंस कर गये, उसको तो वित्त पोषित किया नहीं था, उसका भी हम लोगों को वहन करना पड़ा।

इसी तरीके से मैं इर्रिगेशन के अन्दर आपका ध्यान लाना चाहती हूं, 163 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनको आपने हमारे कंधे के ऊपर लाद दिया था। मैं खुशी से आपको यह कहना चाहती हूं कि शायद वन मिडिल को छोड़कर और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कुछ लघु सिंचाई योजनाओं को छोड़कर हमने आलमोस्ट एवरी वन आफ दैम को पूरा कर दिया है। तो यह आपकी लायबिलिटी को हमने पूरा किया है।

आपने फिर प्लान डाक्यूमेंट को कोट किया है और आपने कृषि आबंटन की बात यहां की है। प्लान डाक्यूमेंट जो हमारा है वह नवम्बर, दिसम्बर के अन्दर बनता है, अगर आप अभी के दिए हुए बजट पढ़ते हो तो वास्तविकता में थोड़ी वो हो सकती है। कृषि सैक्टर का आबंटन जो है वह इस प्रकार का है, मैं बताऊं आपको, आर ई 2007-08 के अन्दर 497 करोड़ थे जो 3.6 परसेंट आफ टोटल प्लान साइज था और अभी भी 2008-09 के अन्दर 619 करोड़ है जो 4.06 परसेंट आफ दी प्लान साइज है। तो मैं समझती हूं, इसका भी करेक्शन वहां हो जाना चाहिए।

हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आर बी आई की टेबल 19 का सहारा लिया था। अब वास्तविकता क्या है, आपने बहुत चतुराई से किया, वकील हैं इसीलिए तो कर भी सकते हैं। मैं समझती हूं, कुछ छोड़ना, कुछ लेना, रेलेवेंट पोर्शन को छोड़ देना और इर्रेलेवेंट पोर्शन को रख देना, यह बात, ठीक है।

सोशल सैक्टर-राजस्थान के सोशल सैक्टर के अन्दर आपने बताया 9.3 परसेंट और आपने यह कोट किया कि हमारी स्थिति क्या है, पर आप यह भूल गये बताना क्योंकि आप सलेक्टिव हो रहे थे, कि आंध्रा के अन्दर this was only 8%, गुजरात के अन्दर this was only 5%, हरियाणा के अन्दर this was only 4.8%, कर्नाटका में it was 8%, केरला में it was 7.2%, महाराष्ट्रा में 6 परसेंट और वैस्ट बंगाल में it was only 5.6%. यह भी कोट कर देते उसके साथ-साथ तो किसी की भी गलतफहमी यहां हाउस के अन्दर होती नहीं।

इसी तरीके से आपने डवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात की है और यहां भी आप लोगों ने बड़े सलेक्टिवली आंकड़े कोट किये हैं। राजस्थान का 14.4 परसेंट, नेशनल एवरेज है 10.2 परसेंट अब आप देखो, गुजरात is 10.3, Haryana is 11.6, Kerala is 10.4, Maharashtra is 9.8, Tamilnadu is 12.7, West Bengal is 8. अब इससे बड़ा और इससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि राजस्थान अब विकास के उस रास्ते पर चल पड़ा है। इस चीज को लाने में सबके सामने, क्योंकि बार-बार आप कहते हो कि कभी आपको किसी चीज की वैसी चिंता नहीं है, अगर कोई अच्छा काम किया है तो आप कहने को भी तैयार हो, तो ऐसी चीजों में मैं समझती हूं कि पूरे हाउस को एक होना चाहिए।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

फिर आपने सी एस ए और प्लान खर्चे की बात कही और फिर वही आंकड़ों की बात आपने ली। प्लान एक्सपेंडिचर 2006-07 के अन्दर 7025 करोड़, 2008-09 के अन्दर 10 हजार 15 करोड़, इन्क्रीज जो है that is 42.5%. सी एस एस के अन्दर इन 2006-07 1740 करोड़, बी ई के अन्दर 2626 करोड़ और इन्क्रीज इसका 50.9 परसेंट। यह सी एस एस में जो मिली केन्द्र सहायता है वह नहीं है, यह हमारी है। यह तो सी एस एस के अन्दर जो हमने स्टेट शेयर दिया है वह है और यह दिखाता है आपको कि स्टेट शेयर कितना अधिक भी होता है और कितना पैसा उनको निकालकर देना पड़ता है। It's not that simple, कि खाली एक परसेंटेज हम निकालकर दे दें। जैसा मैंने बताया था, अपने रिकार्ड को अगर आप देख लेते हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस स्तर तक, कहां तक आपने इसको वित्त पोषित किया।

मैं धोद से आए हुए माननीय सदस्य की तरफ देखना चाहती हूं। उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी बात में कहीं, पर एक पार्ट को ही मैं उठाना चाहूंगी। वैसे तो नार्मली मैं देखती हूं कि उनको गांवों की बहुत चिंता होती है, इस बार उन्होंने यह कहा कि गांवों में तो चौबीस घंटे बिजली आप दे रहे हैं पर शहरों में इसकी कटौती क्यों हो रही है। हमने यह तय कर लिया कि किसान की जरुरत का समय जब होता है तो किसान को किसी भी तरीके से हम बिजली में कमी नहीं होने देंगे और इसीलिए अगर हमको थोड़ी-सी कटौती करने की जरुरत है तो हम इसको करके गांवों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पंजाब के ऊपर निगाह कर दो, हरियाणा पर कर दो और दिल्ली पर कर दो और उनसे हमारा कम्पेरिजन कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने नुकसान-फायदे में हम लोग यहां हैं।

(21.00 बजे)

अब यहां हमारे हिण्डौली से आए हुए माननीय सदस्य ने बातें कहीं केन्द्र बजट से सत्ता पक्ष खामोश, राज्य सरकार के 126 करोड़ रुपये के विपरीत केन्द्र की साठ हजार करोड़ रुपये की घोषणा, किसानों के लिए कोई एलोकेशन ही नहीं किया है। मैं यह कहना चाहती हूं कि कोई कमिटमेंट उनका नहीं है इस साठ हजार करोड़ रुपये के बारे में। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वह नहीं है। हमने तो अपने छोटे-से बजट में से 126 करोड़ रुपये हमारे किसानों के लिए अलग किये हैं क्योंकि हमें सबका दुःख दिखता है। एक जमाना था जब हमने इसके लिए बाड़मेर, आप भी जानते हैं, प्रतिपक्ष के नेता

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यहां बैठे हुए हैं, बाड़मेर में जब इतनी बड़ी बाढ़ आयी थी तो उस बाढ़ के अन्दर हम सब लोग गये थे। आप भी सोनिया गांधी को वहां लाये थे। सोनिया गांधी बड़ा चक्कर लगाकर वहां आयी थीं। हमको भी लगा कि जब दिल्ली से होकर यहां तक आ रही हैं तो शायद हम लोगों को कुछ मिलेगा। 3200 करोड़ की मांग हमने उनके सामने रखी थी। आपको खुद भी मालूम है कि कितना डैमेज वहां हुआ था। वहां घर बनाये हैं, जानवरों के लिए हम लोगों ने पैसा दिया है, पम्प सैट्स लगाकर पानी निकाला है। इतनी बड़ी बाढ़ के बाद सौ करोड़ रुपये और वे भी हमारे सी आर एफ से, वह सोनिया गांधी का वहां आने का मतलब ही क्या था? मुझे समझ में नहीं आता है, क्या बात है। बाड़मेर में आकर जले के ऊपर नमक छिड़क कर और जिस तरीके से अंदर डालकर और वहां से मुंह देखकर हम सब लोगों का, चली गयीं, मैं समझती हूं कि वहां तो उन लोगों को देखने की जरूरत थी। इसीलिए हमको दुःख होता है जब आप बात करते हो। मैं समझती हूं कि ...(व्यवधान) सब दूर। मैं तो कह रही हूं कि अगर हम लोगों को यह मिल जाता तो इससे कितने सारे लोगों का लाभ होता। हमने अपने सीमित साधनों से फिर भी लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश की है।

आपने जब यह पाइंट हमारे सामने रखा कि महिलाओं को साड़ी देने से पुरुष काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है आप सीरियस नहीं थे। आप सीरियस हो ही नहीं सकते क्योंकि मैं समझती हूं कि बहुत ही हिस्टोरिकल इनजस्टिस है जो महिलाओं को अभी तक ऑप्रेस्ड और डिप्रैस्ड के लेवल पर रखा हुआ था। अर्द्धांगिनी कह कर हम लोग उनका लेवल जो आगे नहीं बढ़ा सके थे अभी तक। मैं तो समझती हूं कि थोड़ा-सा तो आपको शर्म करने की जरूरत है ...(व्यवधान) इसका मजाक अपने को नहीं करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने कहा सोनियाजी का वहां आना, जले पर नमक छिड़कना, यह आपका भाषण गरिमा के अनुरूप नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): यह तो है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह गरिमा के अनुरूप नहीं है आपका भाषण। गरिमा के अनुरूप नहीं है ...(व्यवधान) आपका भाषण यह गरिमा के अनुरूप नहीं है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): नहीं, वह तो है। इसमें कौनसी गलत बात है? और इसमें कौनसा अनपार्लियामेंटरी शब्द है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह वस्तुस्थिति है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह गरिमा के अनुरूप नहीं है आपका। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): ऐसा नहीं है। यहां कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। हमने तो वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जले पर नमक छिड़कना, यह शोभाजनक बात नहीं है। जहां कैलेमिटी होती है, सोनिया गांधी वहां पर जाती हैं। गरीबों को लाभ होता है। यह आपका कहना गरिमा के अनुरूप नहीं है। (व्यवधान)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन): जले पर नमक छिड़क कर गयी हैं। 3200 करोड़ रुपये था और कुछ भी नहीं देकर गयीं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): छील-छील कर नमक भर गयीं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हमने तो महिलाओं की लाचारी को समझा और लाचारी को समझकर यह तय किया। जिन महिलाओं ने अपने घर को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर इस लाचारी में 100 दिन का काम उनको करना पड़ा है, ऐसी महिलाओं को 100 दिन पूरे होने पर हम एक साड़ी या एक घाघरा-ओढ़नी देंगे तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको तो खुश होना चाहिए कि इतना पैसा हमने दिया। अब इसका काम लो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह केवल आप अपनी सरकार का नाम इसमें घुसाने के लिए कर रही हैं। कोई लाचारी नहीं है उसकी। उसको और इससे परेशानी होगी। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मानी, आप यह कह रहे हैं कि महिला की लाचारी नहीं है कि वह 100 दिन के काम के लिए अपना घरबार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर आ जाए और आपका यह कहना है कि उस महिला को अपने को कपड़ा नहीं देना चाहिए? आप यह कह रहे हो न? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब आप विराज जाओ न, बीच-बीच में बार-बार क्या बता रहे हो? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मदद नहीं करनी चाहिए? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उसके पति घर पर बैठे रहेंगे। वह काम नहीं करेंगे और उस महिला को और मुसीबत उठानी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अब यह सारे ही फैसले आप कर लोगे। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): अब हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एफ.आर.बी.एम. के टार्गेट के बारे में कहा कि आप उसको एचीव ही नहीं कर पाये। हमने तो बार-बार आपको दिखाये हैं। हमारे बजट डाक्यूमेंट में है। बार-बार आपके सामने मैंने डिबेट्स के अन्दर कहा है। परन्तु अब सी.ए.जी. की रिपोर्ट से ही देख लो, हमने उसको अपने बजट के अन्दर भी लाया। आपने उसको पढ़ लिया होता तो फिर हमको इसमें रिपीट करने की जरूरत ही नहीं होती। परन्तु क्योंकि आपने कहा इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि सी.ए.जी. ने यह 2006-07 की रिपोर्ट में कहा है कि "State has achieved fiscal targets as laid down in the FRBM Act, much before the time line indicated therein with the current year ending in a revenue surplus 638 crores, a fiscal deficit of Rs. 3970 crores which was 2.8% of the GSDP. The ratio of the outstanding debt liabilities during 2006-07 was also within the ceiling prescribed under the FRBM Act..." अब पूरा पढ़ देती मैं आपको but there is no point, क्योंकि इसमें बार-बार कहा है। और हम नहीं कह रहे हैं इस चीज को। ऑल जो भी हमारे इकोनोमिक विशेषज्ञ हैं, वे बार-बार इन चीजों को कह रहे हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आप इसको नकारने की कोशिश करें, मैं समझती हूं कि कोई जरूरत ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको उसका क्यों दु:ख हो रहा है, क्यों सोच रखा है आपने।

पूरे आपके भाषण में मुझे क्या मालूम था कि आप एंड में वहां पहुंचोगे? ये सब बातें आप इसलिए कह रहे हो, आपको यह लग रहा है कि मैं आपके बीकानेर के अन्दर लड़ूंगी। हमारे क्षेत्र ने हमको इतना सपोर्ट किया है, मैं उस क्षेत्र के साथ हूं। पूरा राजस्थान अपना है, बीकानेर के लोग भी हमारे बहुत प्रिय हैं, परन्तु आप वहां हैं। मैं अभी आपको कहां पर डिस्टर्ब करूंगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): चुनौती दे दो। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): चुनौती तो उन्होंने मेरे सामने कहा है। वह कह रहे हैं मेरे को कि मैं जाने वाली हूं, तो अब यह स्थिति है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): मत करो फिर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैंने आपको, डैट और जी.एस.डी.पी. का रेशो नेशनल एवरेज से कम है या नहीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आ रहे हैं, कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): कल्ला साहब, आपने सी.एस.एस. का खर्चा नहीं हुआ, यह भी कहा। वास्तविकता क्या है, यह देख लीजिए। 1999-2000 के अन्दर 901 था आपका खर्चा और 2006-07 के अन्दर यह 4390 हुआ। और 2002-03 के अन्दर इट इज 1410, इससे ही आपको मालूम पड़ जाता है कि किस तरीके का खर्चा सी.एस.एस. के ऊपर हुआ है। इसमें बार-बार हम लोगों के कहने से कोई मतलब नहीं है।

जी.एस.डी.पी. ग्रोथ रेट एंड करंट प्राइसेस, आप कह रहे हो, 2002-03 के अन्दर माइनस 1.97, मैं यह कहना चाहती हूं, 2000-2001 को अगर आप देखें तो माइनस पांइट 34 परसेंट। 2005-06 को देखें, प्लस 7.7 परसेंट। 2001-02 को देखें तो प्लस 9.5 परसेंट, 2006-07 को देखें तो 14.34 परसेंट। एवरेज ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो उस समय का 2.76 था और हमारा 11.5 परसेंट था।

अब पावर के ऊपर अपन आ जाते हैं। हमारे माननीय सदस्य जो तारानगर से आते हैं उन्होंने बहुत सारी पावर के बारे में बातें कीं। यह कहा कि गिरार और धौलपुर, चार नवीन विद्युत परियोजनाओं का उत्पादन शुरू हुआ है। फिर आपने कहा कि क्षमता के अनुसार उत्पादन न होकर बिजली का सही तरीके से उत्पादन नहीं हो रहा है, इसकी पूर्ति करने के लिए राज्य को आस-पास और नार्दर्न ग्रिड से खरीददारी करनी पड़ रही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगी, गिरार का जो मैंने अभी बताया आपको, कि प्लांट एण्ड मशीनरी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय बी.एच.ई.एल. से आडर किया गया था, आज तक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

बी.एच.ई.एल. ने हम लोगों को पूरा प्रोजैक्ट हैंडओवर किया नहीं है और जो भी पैनल्टी हम लोगों को लगाने की जरूरत है हमने वह पैनल्टी उनके ऊपर लगा दी। आज जो काम करता है वह 85 परसेंट पी.एल.एफ. के ऊपर गिरार, के.टी.पी.एस., एस.टी.पी.एस. 101 प्रतिशत पर और दिसम्बर, 2007 में जो गिरार 69 परसेंट पर आया पी.एल.एफ. पर from the date of the inauguration i.e. 28th Feb., 2007 आज तक it has worked sometimes 16%. Even similar 125 MW जो गुजरात के अन्दर गवर्नमेंट आफ गुजरात ने लगाया था, उसको एक साल से ज्यादा एस्टेब्लाइज्ड होने में लगा। क्योंकि यह बहुत ही डिफरेंट टाइप है इसलिए उसको एस्टेब्लाइजेशन में थोड़ा समय लग रहा है। परन्तु जो तीन यूनिट थे धौलपुर के, वे कमीशन हुए रिकार्ड टाइम के अन्दर। 1985 में जिसकी बात चालू हुई थी उसको हम लोगों ने क्रियान्विति में लाया पिछले साल। 26 साल पूरे लगे है उसको टू कम। और मैं यह कहना चाहती हूं कि 17 महीने के अन्दर यह ग्रीन-फील्ड प्रोजैक्ट हमारा कमीशन हुआ, जो अपने आप में एक नेशनल रिकार्ड है। इसी यूनिट को हमको अगर बंद करना पड़ा तो इसलिए बंद करना पडा बिकाज आफ नान अवेलेबिलिटी आफ गैस। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने हमको कुछ दिनों के लिए, सात-आठ दिनों के लिए गैस की नान अवेलेबिलिटी कर दी इसकी वजह से हमको यूनिट्स को भी बंद करना पडा। हमने बहुत एक्सपेंसिव पावर खरीदा 1088 करोड़ का, अक्टूबर और जनवरी के बीच में। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सडनली प्राइस इन्क्रीज कर दी, हमने ओवर-ड्रा ग्रिड से जो किया 7.45 रुपये की हिसाब से, वह 10 रुपये प्रति यूनिट पर उन्होंने चला दिया। यह उन्होंने इसलिए किया कि जो स्टेट टार्गेट आफ पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं उनको हम पनिश करेंगे। परन्तु राजस्थान जो तीन स्टेट के अन्दर था, जो परफार्मिंग स्टेट्स हैं, उसको भी इससे दुःख पड़ा। मैं समझती हूं कि वह टार्गेट which we were said by the Government of India, उसको टैंथ फाइव ईयर प्लान के अन्दर हमने दो साल के अन्दर ही कम्प्लीट किया है और मैं समझती हूं कि यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एचीवमेंट है। यहां तक कि सी.एम. की मीटिंग के अन्दर प्रधानमंत्रीजी ने राजस्थान को कॉम्प्लीमेंट किया इस एचीवमेंट के ऊपर 2002 के अंदर राजस्थान का जो अनएलोकेटेड पावर था और जो कोटा था फ्राम दी सेंटर, वह 39 प्रतिशत था, जनवरी, 2007 के अंदर यह 21 प्रतिशत हो गया। सितम्बर, 2007 के अंदर इसको 11 प्रतिशत कर दिया और फिर हम जब पी.एम. से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मिले, उनको इस बारे में बताया तब उन्होंने 11 प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक रेज किया। लेकिन आप यह समझें कि जिसके ऊपर हमने अनुमान लगाया था कि हमें इतना-इतना पावर मिलना है, अगर इसके बीच में पावर में कटौती हो जाए तो कितना एक्सपेंसिव पावर हमें खरीदना पड़ा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने कर दर नहीं बढ़ाया, टैक्स नहीं लगाया, उसके ऊपर प्राइज नहीं बढ़ाया और हम लोगों ने कम से कम दर पर किसानों को वह पावर प्रस्तुत कराया। आरएपीपी-2 जो 220 मेगावाट था, उसको 2007 के अंदर बंद करना पड़ा, फार मेंटिनेंस उन्होंने बंद किया और मैं बताना चाहती हूं कि एक मायने में हमने रिकार्ड जनरेशन आज तक किया है। अगर आप देखेंगे तो गिराल-1, धौलपुर-1, 2 और 3 ये इकाइयां हमने शुरू कर दीं, मतलब काम करने लगीं। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद गिराल-2 जून के अंदर आ जाएगी, छबड़ा-1 और 2 केपीपीएस और एसटीपीएस ये सब 2008 के लास्ट क्वार्टर में हमको मिल जाएंगी। बरसिंहसर-1 और 2 और वैस्ट पावर यह भी अपने टाइम से जो इन्होंने दिया, उस हिसाब से वे लोग आएंगे। विंड का रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ है। मैं यह बताना चाहती हूं कि इस साल हम काम चलाएंगे 1200 मेगावाट काली सिंध और 500 मेगावाट छबड़ा-3 और 4 और 1000 मेगावाट कवाई के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो रिकार्ड सप्लाई हम लोगों की इसके अंदर हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने पांच साल में सप्लाई को सात प्रतिशत से बढ़ाया था, हमारी सरकार ने चार साल के अंदर इसको 32 प्रतिशत से बढ़ाया है। ये फीगर्स हैं, मैं खाली यह पता करना चाहती हूं कि 32 प्रतिशत फिर गया कहां। फिर आप लोग कहते हो कि किसान को पावर मिला नहीं है।

मैं बताना चाहती हूं कि कनेक्शन की बात, आप लोग 12 साल से एक लाख 75 हजार कनेक्शन लेकर चल रहे थे, पिछले साल में, इन 12 हजार कनेक्शनों को हम 67 हजार पर लेकर आये हैं। हमने यह तय कर लिया है कि अब क्योंकि एफआरपी जून के अंदर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, इस जून के अंदर, अभी तो करीबन 19 हजार गांवों को शहर के बराबर हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, आने वाले समय में 34 हजार गांव टोटल हो जाएंगे जून, 2008 के अंदर जिनको यह पावर मिलना शुरू हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, छीजत को 43 प्रतिशत से 31 प्रतिशत पर ले आये हैं और ये हवा में बातें नहीं हैं, ये प्रूवन बाते हैं क्योंकि इसकी सर्विस हो चुकी है, लोगों ने इसकी स्टडी की है और उस स्टडी के रिजल्ट हम लोगों के पास

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आये हुए हैं। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि हर प्रतिशत जो हम छीजत में रिड्यूस करते हैं, उसको आप अगर देखें तो हम लोग 70-80 करोड़ बचाते हैं। आप समझें कि हम लोगों ने पावर में कितना बड़ा काम किया है जिसकी वजह से आपको कोई धरना, फसाद, किसी भी तरीके से एजिटेंशन नहीं दिखा है, जो हर साल, हर टाइम पर आप लोगों के पांच साल के अंदर हम लोगों को सुनाई देता था और देखने को मिलता था, वह नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से परचेजिंग पावर एट टैन रूपीज पर यूनिट और जिसकी सप्लाई आज दिन तक हम 90 पैसे के अंदर दे रहे हैं, इससे और बढ़िया हम लोग किस तरह से आप लोगों को प्रूव करके दिखा सकें, यह मैं बात करना चाहती हूं। आपने यह जो बात कही थी उसका जवाब मैं यह देना चाहती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इन्होंने पिछले साल भी जिन बातों को उठाया था उन्हीं बातों को फिर से उठाया है। आउटकम बजट सदन में क्यों नहीं रखा, सामाजिक क्षेत्र जिसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं किया गया है। फिर गुरु गोलवलकर स्कीम जिसके लिए बजट का प्रावधान नहीं बढ़ाया गया। पिछले साल 50-60 करोड़ तो उसमें बढ़ा दिया जिसमें से 56 करोड़ का हमने इस्तेमाल किया और करीबन 1800 से ज्यादा हमने काम करवाये और 1800 से ही ज्यादा अभी काम पाइप लाइन में हैं। कितनी सक्सैसफुल रही है गुरु गोलवलकर स्कीम। उसके अंदर इस साल हमने बजट दिया हुआ है और जरूरत पड़ेगी तो और बजट उसके अंदर देंगे। यह हमने बजट के अंदर कहा भी है। अब बार-बार उन चीजों को पिछले साल भी रेज करना और इस साल भी रेज करना, यह कहां तक उचित है। दीनदयाल आदर्श ग्राम योजना के लिए आपने पर्याप्त बजट का प्रावधान नहीं किया, कर्जा निरंतर बढ़ रहा है। घोषणाएं बहुत की हैं और उसकी क्रियान्विति भी होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह से उसकी क्रियान्विति हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके साथ-साथ मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगी, अभी माननीय सदस्य ने हमारे बजट को एक किस्म से दिशाहीन बताया है, लेकिन हमारा एक किस्म से दूर-दृष्टिकोण है, उसको केन्द्र ने सराहकर अपने बजट के अंदर अनुसरण किया है। अब आप कहेंगे कि या तो वह बजट लीक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हुआ तो हमको मालूम हो गया परन्तु मैं समझती हूं कि हमने इस बारे में जो सोच-विचार किया और जो हम यहां स्कीम्स अपने बजट के अंदर लाये, उन्हीं को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने भी यह सोचा कि हमको भी अपने बजट में लाने की जरूरत है। फोर एग्जाम्पल, नहीं, नहीं, आप मजाक कर लो, जितना मजाक करना है, परन्तु यह है, अतिरिक्त कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की घोषणा बजट भाषण 2008-09 के पैरा 32 में हमने कर दी है, इसको हमने समझा है? (व्यवधान) हां, सपने में आये हैं। मैरिट कम स्कालरशिप इसकी घोषणा भी जो बजट में अभी हुई है वह हमने 2008-09 में पैरा 46 में कर दी है। आठवीं कक्षा तक के छात्रों को मिड-डे मील सभी ब्लाक्स में देने की बात हमने 2007-08 के पैरा 35 में की थी, वह आप आज करने जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक साल पहले।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): हां, एक साल पहले। क्लास बीमा योजना जिसकी घोषणा मैंने 8 दिसम्बर, 2007 को की थी, शायद यही कारण है कि केन्द्र ने भी इसको प्रारम्भ करने की बात की। यह भी कहा है उन्होंने कि हम करेंगे इसको तो जयपुर से करेंगे। जयपुर से इसलिए करेंगे कि शायद यह एक ही स्टेट है जो तैयारी में है इसलिए वह यहां से उसको शुरू करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धजनों की योजना, वृद्धाश्रमों का निर्माण बजट भाषण 2008-09 के पैरा 110 में हमने कर दिया है। जेरियाट्रिक हास्पिटल की घोषणा भी बजट 2008-09 के पैरा 67 में हमने कर दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में बढ़ोतरी हमने बजट भाषण 2008-09 के पैरा 148 में कर दी है। अब वह सपना भी हमको आया कि हमने बढ़ाया ही नहीं, वरन् केन्द्र सरकार द्वारा घोषित मानदेय था उससे भी ज्यादा बढ़ाया। उससे भी ज्यादा बढ़ाकर दे दिया। फिर डी-सेलिनेशन प्लांट पर प्रोत्साहन की बात उन्होंने की, राज्य सरकार ने मातासुख डी-सेलिनेशन प्लांट ऑलरेडी बनाने का काम शुरू कर दिया है, इसकी घोषणा बजट 2007-08 के पैरा 132 में हमने की थी। अफसोस यह है कि जहां तमिलनाडु के डी-सेलिनेशन प्लांट को केन्द्र सरकार सपोर्ट कर रही है, अब आप देखिये, उनको तो सपोर्ट कर रही है लेकिन हमारे डी-सेलिनेशन प्लांट को नहीं कर रही है। यह भेदभाव क्यों? तमिलनाडु को दें और राजस्थान को नहीं दें। उसके लिए तो आप लोगों को कहने की जरूरत है। हालांकि हमने यह तय कर लिया है कि पीने के पानी की समस्या अधिक होगी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

इसलिए हम लोगों को इस चीज को करने की जरूरत है और हम करेंगे। परन्तु हम इस सौतेले व्यवहार को आप सबके सामने उद्धृत करना चाहते हैं। अभी आप कह रहे हैं न कि कितना पैसा हमको सरकार दे रही है और ये सब फायदे हमको और राजस्थान को उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। किसी ने यह नहीं कहा है कि आपका कुशल प्रबंधन रहा है उसकी वजह से वहां तक पहुंचे हैं। मैं समझती हूं कि इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां एस.सी. और एस.टी. कॉरपोरेशंस के रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा बजट भाषण 2008-09 के पैरा 144 में हमने की और उन्होंने भी कहा है। यह भी हमको सपना आया। मध्यकालीन सहकारी ऋणों के लिये हमने योजना रखी जिसकी घोषणा वर्ष 2008-09 के बजट भाषण के पैरा 89 में हमने की और यह संतोष की बात हमारे लिये है कि हमारे आह्वान पर केन्द्र सरकार ने भी किसानों के लिए ऋण माफी की योजना को घोषित किया है। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ही है कि हमने समय पर भुगतान करने वाले किसानों को भी लाभ पहुंचाया है, खाली उनको नहीं। हमने कहा है कि जिन किसानों ने अपने टाइम पर भुगतान किया है उनको भी हमने लाभ पहुंचाया है। ब्याज भी हमने कम किया है जबकि उन्होंने इस तबके को तो पूरी तरह से छोड़ ही दिया है। इस तबके को उनको लेने की जरूरत थी।

उपाध्यक्ष महोदय, टी एंड डी सिस्टम का सुधार, इसकी घोषणा बजट भाषण 2007-08 के पैरा 121 में हमने की। राजस्थान में अब यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी फीडर प्रोग्राम लगभग समाप्ति पर है, जून, 2008 में वह निपट जाएगा। फाइनेंशियल इनक्लूजन की योजना की घोषणा हमने 2008-09 के बजट भाषण के पैरा 76 और 78 के अंदर की है। केन्द्र सरकार की घोषणा में कोई वित्तीय भार नहीं है और उनकी घोषणा हमारी घोषणा की तुलना में बिलकुल ही हलकी है क्योंकि उन्होंने तो खाली अपील की है। हमने तो पूरी एक स्कीम बनाकर रख दी है कि किस तरह से हम अपनी महिलाओं को स्ट्रेंथन करेंगे। किस तरीके से स्मार्ट कार्ड बनेंगे, किस तरीके से उनकी उंगली के निशान या दस्तखत से उनके बैंक अकाउण्ट खुलेंगे, बैंक अकाउण्ट्स खोलने के लिए 1500 रुपये किस तरीके से जाएंगे। इन्होंने तो एक खाली अपील की

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है कि फाइनेंशल इन्क्लूजन होना चाहिए। यह पहला स्टेट है जिसने फाइनेंशल इन्क्लूजन का काम अपने बजट के अंदर लेकर काम शुरू भी कर दिया है।

फिर आप देखिए, स्किल डवलपमेंट के लिए मिशन मोड का काम, आपको याद है कि हमने राजस्थान में वर्ष 2004 के अंदर राजस्थान मिशन आन लाइवलीहुड के नाम से इसको स्थापित किया गया था। इसकी प्रगति कितनी अच्छी हो रही है उसके बारे में आपको हमने बार-बार बजट के अंदर भी बताया है। स्किल डवलपमेंट का मिशन मोड अब भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने अपने हाथ में लिया है, इसकी नकल की है। मैं यह कह रही हूं कि वह 2004 ...(व्यवधान) कह दो न, यह 2004 की है घोषणा। 2004 के अंदर इसका जिस तरीके से काम हुआ है और जिस सक्सेस के साथ यह आगे बढ़ा है, उसको देखते हुए मिशन मोड के ऊपर उन्होंने भी दिल्ली के अंदर चालू किया है।

आई टी आई में निजी सहभागिता जिसका शुभारम्भ राजस्थान में हुआ, बार-बार आप लोगों ने कहा कि यह प्राइवेट वालों से करा रहे हैं, प्राइवेट के ऊपर कितना प्रीमियम है। अगर आप बजट डाक्यूमेंट को देख लेंगे तो वह देखेंगे कि पी पी पी को उन्होंने आगे करते हुए आई टी आई को निजी सहभागिता के अंदर चालू करने का अपने बजट डाक्यूमेंट में लिया है। हमने 2006-07 के पैरा 65 में अपने बजट डाक्यूमेंट में लिया था।

फिर आप देखिए, सैनिक विद्यालयों को विशेष ग्राण्ट, मैंने राजस्थान के एकमात्र सैनिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़ के वर्ष 2005-06 के अंदर अपने बजट भाषण के पैरा 41 में अधिक पैसा देने की घोषणा की थी। यह कब की बात है, 5 करोड़ रुपये दिए थे उसको, आपको याद होगा। हम लोगों ने वर्ष 2005-06 में किया और आप कहेंगे अब इन्होंने घोषणा की है। तो फिर कौन किससे सीख ले रहा है?

मैं यह देखना चाहूंगी कि इन्दिरा आवास योजना में अब उन्होंने अनुदान 25 हजार रुपये से 35 हजार रुपये किया है। अब आप उसमें हंसें जितना हंसना है, परन्तु फैक्ट्स हैं, ये तो फैक्ट्स हैं, उनसे आप दूर नहीं हो सकते। इन्दिरा आवास योजना में उन्होंने बहुत मेहरबानी करके अब 25 हजार रुपये को 35 हजार रुपये में बढ़ाया, उन्होंने बहुत मेहरबानी की है। हमने तो पिछले साल ही कह दिया था कि हमारे एस टी भाइयों को जो 25 हजार रुपये है उससे तो कोई घर बनने वाला नहीं है, उसके अंदर 25 हजार रुपये और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जोड़ दिए थे कि 50 हजार रुपये में वह अपना घर बना सके। 35 हजार रुपये और वह भी इतनी भारी गवर्नमेंट आफ इण्डिया, वह 35 हजार रुपये देकर मजाक कर रही है गरीबों का। यह समझ में नहीं आ रहा। अब मैं आपको यह घोषणा कर रही हूं कि एस टीज के लिए तो किया ही किया है हमने ट्राइबल एरिया के अंदर, परन्तु अब एस सीज के लिए भी इन्दिरा आवास के 50 हजार रुपये देना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने एस टीज को दिया, उसी तरीके से अब एस सीज को हम देकर उनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने एक चीज और कही, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के लोग जो इस विधान सभा के अंदर बैठे हुए हैं उनको यह भी देखना चाहिए कि किस तरीके का एन्क्रोचमेंट इस फैडरल सिस्टम पर हो रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि राज्यों की परफारमेंस की मानिटरिंग की जाएगी। उसके ऊपर दस हजार करोड़ रुपये का वह एक फण्ड बनाने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने यह कहा है कि यह पैसा उन्हीं राज्यों को वे देंगे जो उनकी समझ से कम्प्लाइन्स कर रहे हैं, जो परफारमिंग स्टेट इनमें से निकल कर आता है। इसका हमने पहले भी सुना है कि फिस्कल रिफार्म फैसिलिटी के अंदर जो पैसा था, जो पूल के अंदर पैसा था उसके अंदर राजस्थान ने भी अपना पैसा रखा था, जब साल का अंत हुआ और जब वह पैसा हमको मिलना चाहिए था उस समय इन्हीं चिदम्बरमजी ने यह कहा और अपने आप में वह पूरा एप्रोप्रिएट करके राजस्थान सरकार तो क्या किसी भी सरकार को वह पैसा जो वह उनका पैसा था, बाइ राइट था, वह नहीं दिया और आज वह हमको यह कह रहे हैं कि दस हजार करोड़ रुपये हम अलग रख रहे हैं, दस हजार करोड़ रुपये में अगर आप परफारमिंग स्टेट होंगे तो आपको यह पैसा मिलेगा। हमारे साथ एक दफा वह मजाक कर चुके हैं, लेकिन मैं यह समझती हूं कि दस हजार करोड़ रुपये का फिर इस तरीके से हमारा मजाक नहीं कर सकेंगे, यह मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूं।

आखिर में कुछ घोषणाएं हैं जो मैं अब करना चाहती हूं। मैं समझती हूं कि कुल 26 ए सी एम कोर्टस हम स्थापित करने जा रहे हैं ग्रामीण इलाकों में प्रशासन को और सुदृढ़ करने की दृष्टि से। लालसोट (दौसा), गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर), अलवर (अलवर), बानसूर, अन्ता (बारां), चौहटन (बाड़मेर), बायतू (बाड़मेर), बीकानेर शहर (बीकानेर), कुम्हेर (भरतपुर), नदबई (भरतपुर), उच्चन (भरतपुर), जयपुर में बस्सी, फागी, चौमूं, आमेर, कोटपूतली व सांभर, करौली (करौली), दीगोद (कोटा), कोटा (कोटा), रियांबड़ी (नागौर), रायपुर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

(पाली), सीकर (सीकर) एवं पिण्डवाड़ा (सिरोही) ऐसे 26 ए सी एम कोर्ट हम स्थापित करने जा रहे हैं।

मैंने अपने बजट भाषण में अच्छे स्वास्थ्य के वरदान की बात कही थी, प्रदेश में अभी भी 24 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं इसलिए मैं घोषणा करती हूं कि वर्ष 2008-09 में इन निम्न सभी 24 पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाएंगे। मैं इनका नाम ले लूं-लूणी (जोधपुर), अलसीसर (झुंझुनूं), सम (जैसलमेर), श्रीनगर (अजमेर), नीमराणा (अलवर), कठूमर (अलवर), उमरैण (अलवर), गढ़ी (बांसवाड़ा), पीपलखूंट (बांसवाड़ा), सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा), सेवर (भरतपुर), वैर (भरतपुर), दांतारामगढ़ (सीकर), धोद (सीकर), हुरड़ा (भीलवाड़ा), सुवाना (भीलवाड़ा), नादौती (करौली), कोलायत (बीकानेर), भदेसर (चित्तौड़गढ़), भैंसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़), झोटवाड़ा (जयपुर), इन्द्रगढ़ (बूंदी), टिब्बी (हनुमानगढ़) तथा मण्डरायल (करौली), इनमें ये खोलने हैं, 24 इस प्रकार है। बजरंगढ़ (बारां), बाबरकलन (बाड़मेर), लखनपुर (भरतपुर), सरसिया मायला (भीलवाड़ा), जैतासर (चूरू), धावड़ीकलांमाल (डूंगरपुर), वीरवाना (गंगानगर), भडरूणा (जालौर), नोसरा (जालौर), डोडा (झालावाड़), रंवासिया (झालावाड़), बनेडिया (राजसमंद), जसरासर (सीकर), ढाबावाली (सीकर) एवं सालेराकलां (उदयपुर) में वर्तमान उप स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पेंसरी को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। बालोतरा (बाड़मेर), भादरा (हनुमानगढ़), निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़), बाली (पाली), देवगढ़ (राजसमन्द), मालपुरा (टौंक), सलूम्बर (उदयपुर), मकाराना (नागौर), सागवाड़ा (बांसवाड़ा) एवं शाहपुरा (जयपुर) सहित विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला अस्पतालों में कुल 350 बैड विभिन्न कैपेसिटी के राज्य में जोड़ने की घोषणा करती हूं।

उच्च तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सार्दुलशहर, गंगानगर में महिला राजकीय महाविद्यालय और टोडाभीम (करौली) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा करती हूं। सिकराय (दौसा), हिन्दूमल कोट (श्रीगंगानगर) और रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर), निवाई (टौंक) और खाजूवाला (बीकानेर) में आई टी आई खोलने में निजी निवेशकों के साथ आमंत्रित किया जाएगा।

प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में प्रदेश में 282 बालिका माध्यमिक विद्यालय हैं, दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् ये उच्च माध्यमिक

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विद्यालयों में सुविधापूर्वक पढ़ सकें इस हेतु मैं घोषणा करती हूं कि इनमें से जितने भी स्थानों पर कोई भामाशाह भवन, एम पी लैड एवं अन्य अनावर्तक व्यय हेतु तैयार होगा वहां पर इनको उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में 515 राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें विज्ञान संकाय नहीं है, इसमें से जिन स्थानों पर कोई भामाशाह अनावर्तक व्यय हेतु तैयार होंगे वहां पर विज्ञान संकाय भी खोला जाएगा।

60 हजार से ज्यादा संख्या में भर्ती करने के बावजूद अभी भी शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही है, यह आपने अभी अपनी बातों में उठाया, विशेष रूप से ग्रेड-दो अध्यापक और व्याख्याताओं की, इसलिए मैं घोषणा करती हूं कि वर्ष 2008-09 में प्रथम छह माह में पन्द्रह हजार ग्रेड-दो अध्यापक और एक हजार सात सौ पचास व्याख्याता अध्यापक, विज्ञान अध्यापक, कुल मिलाकर सत्रह हजार अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही कुल नियुक्ति अध्यापकों की लगभग अस्सी हजार से ज्यादा हो जाएगी।

मैंने बजट भाषण में आंवले और संतरे के प्रसंस्करण की एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, अब मैं यह घोषणा करती हूं कि इस योजना में अब हम ईसबगोल को भी शामिल करेंगे।

गंगधार राज्य का एक दूरस्थतम स्थान है जहां पर सुरक्षा की आवश्यकता को देखते हुए मैं यह घोषणा करती हूं कि उस गंगधार में एक पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाएगा।

पूर्व विधायकों को वर्तमान में पांच हजार रुपये प्रति वर्ष की सीमा तक मेडिकल रिएम्बर्समेंट दिया जाता है। पूर्व विधायकों की मांग है कि उन्हें फिक्स राशि प्रति माह आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए बतौर अलाउंस दी जाए और केवल हास्पिटलाइजेशन होने पर ही राज्य के सरकारी हॉस्पिटलों में नि:शुल्क इलाज की सुविधा दी जाए। यह मांग स्वीकार करते हुए मैं घोषणा करती हूं कि पूर्व विधायकों को और 200 रुपये प्रति माह की दर से सभी आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा और साथ ही राजकीय चिकित्सालय में नि:शुल्क इलाज व रहने की सुविधा भी दी जाएगी।

अधिस्वीकृत पत्रकारों को मेडिकल सुविधा दो हजार रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति वर्ष की जाएगी। साथ ही ऐसे पत्रकार अगर दो लाख रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

तक अपना दुर्घटना बीमा कराते हैं तो प्रीमियम का 50 प्रतिशत राज्य सरकार पत्रकार कोष से करेगी।

हनुमानगढ़ जिले में सेम समस्या के निवारण के लिए जो योजना है, रावतसर, मानकथेड़ी, बड़ोपाल इत्यादि क्षेत्र में सेम की समस्या बहुत ज्यादा है, मुख्य ड्रेन, सब ड्रेन तथा पम्प हाउस आदि के कार्य लगभग पूरे किये जाकर किसानों को वहां राहत पहुंचायी गयी है, परन्तु इस क्षेत्र में सेम की समस्या फिर भी गम्भीर है और इसका समग्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। इसलिए इस समस्या का निदान करने के लिए किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्य योजना सेंट्रल सोइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल के सहयोग से तैयार की जा रही है जिसे चरणबद्ध रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। वर्ष 2008-09 में इस कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रावधान की हम घोषणा करते हैं।

प्रदेश में पशुधन की महत्ता को देखते हुए मैं घोषणा करती हूं कि अगले वर्ष सीधी भर्ती के रिक्त पशुधन सहायकों के सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की जाएगी।

जो 25 थाने पुलिस विभाग द्वारा अगले वर्ष खोले जाने हैं उनमें जहाजपुर, हनुमान नगर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) और मुकुंदगढ़ (झुंझुनूं) भी शामिल हैं।

कोली समाज की प्रेरणा स्रोत व 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली झलकारी बाई के अजमेर में स्मारक निर्माण के लिए राज्य सरकार 50 लाख रुपये का अनुदान देगी।

सिद्धमुख नोहर परियोजना एवं भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की अमरसिंह जसाना नहर क्षेत्र में पक्के खालों के निर्माण में आ रही परेशानी को शीघ्र सुलझाना होगा। हम वहां के किसानों से चर्चा कर जल्दी ही इसका संतोषजनक हल निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि मैं यह चाहती हूं, उनका सुझाव भी मेरे पास आ गया, मेरे ध्यान में है कि उसको अपने को करना है, परन्तु उनसे भी एक दफे चर्चा होगी, उनके साथ बैठकर हम लोग इसका काम पूरा करेंगे। आखिर में फिर आप कहेंगे कि ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): झुंझुनूं जिले का नाम भी नहीं आया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, झुंझुनूं जिले का कहीं नाम ही नहीं आया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): आप सुबह मेरे पास आ जाएं, उसके बारे में अपन बात कर लेंगे।

आपको इतना कहना चाहती हूं सूरज जब निकलता है तो वह पूरे जहां को रोशनी देता है। प्राब्लम तो तब होती है जब अंधेरा होता है। पिछले सालों के अंधकार को हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और मैं समझती हूं कि इस काले-काले अंधेरे के अंदर छोटा-सा दीया भी जलता है तो बहुत सारा प्रकाश दे देता है। मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि हमने पूरा काम, राजस्थान का जो भी काम था, उसको निपटा दिया है, परन्तु एक छोटे दीये के नाते अपना प्रकाश भी हमने फैलाने की कोशिश की है। मैं इसीलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों को पढ़कर अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूं-

"जहां कहते हैं, संध्या के रवि ने पूछा
मेरा काम लेगा कौन।
सुनकर रह गया जग सारा निरुत्तर मौन।
एक छोटे से माटी के दीये ने कहा,
जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा नाथ।"

मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 3 मार्च, 2008 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.34 बजे सोमवार, 3 मार्च, 2008 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

औद्योगिक क्षेत्र मेवाड़ (उदयपुर) हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

71. **श्रीमती वन्दना मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र मेवाड़, उदयपुर स्थित है? यदि हां, तो क्या औद्योगिक क्षेत्र मेवाड़, उदयपुर बनने से पूर्व मठ मादड़ी कच्ची बस्ती अस्तित्व में थी?

(2) क्या सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा दिया गया?

(3) क्या सरकार मठ मादड़ी कच्ची बस्ती को नियमित कर आवासीय पट्टे देने को विचार रखती है? यदि हां, तो इन्हें कब तक नियमित कर आवासीय पट्टे किस एजेंसी द्वारा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र मादडी, उदयपुर स्थित है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र की लगभग 10 एकड़ भूमि राज्य सरकार द्वारा रीको को आबंटित किये जाने से पूर्व ही उक्त भूमि पर मठ मादड़ी कच्ची बस्ती बसी हुई थी।

(2) उक्त कच्ची बस्ती राजकीय भूमि पर स्थित होने के कारण कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

(3) उक्त आबंटित भूमि पर कच्ची बस्ती बसी होने के कारण रीको अभी तक भी उक्त भूमि का कब्जा नहीं ले सकी है, इस स्थिति के मध्यनजर उक्त कच्ची बस्ती की भूमि को राज्य सरकार को समर्पित किये जाने का निर्णय रीको प्रशासन के विचाराधीन है। रीको द्वारा भूमि समर्पित करने के पश्चात संबंधित निकाय द्वारा इस कच्ची बस्ती को नियमित कर पट्टे दिये जा सकेंगे।

रीको द्वारा भूमि राज्य सरकार को समर्पित करने के उपरांत संबंधित निकाय (नगर परिषद/नगर विकास न्याय) पट्टे जारी कर सकेगी।

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मेड़ता में नवीन मार्गों हेतु निगम बस सेवा

74. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार रीयाबड़ी से मेड़ता, मेड़ता से जैतारण मेड़ता से गोटन व मेड़ता से जोधुपर तक निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी बसें व कब तक?

उत्तर

(1) यदि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों के संचालन के सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होते है तो नये मार्गों पर निगम बस संचालन एवं मार्गों को खोलने के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(2) जी हां। प्रस्तावित मार्गों पर पूर्व से ही राजस्थान परिवहन निगम की बस सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रश्नगत मार्गों पर निगम द्वारा उनके सामने अंकितानुसार दैनिक एकल परिचक्रों का संचालन किया जा रहा है जिसका विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''1''

रियाबडी से मेडता, मेडता से जैतारण, मेडता से गोटन एवं मेडता से जोधुपर मार्ग पर निगम द्वारा दैनिक संचालित बस सेवाओं की समय सारिणी

क्र.सं.	प्रस्तावित मार्ग का नाम	संचालित मार्ग का नाम	समय सारिणी
1	2	3	4
1.	रियाबडी-मेड़ता	अजमेर-रियबड़ी-मेडता	0630-0930 0730-1030 0800-1100 1015-1315 0900-1200 1115-1415 1330-1630 1430-1730 1600-1900

1	2	3	4
		मेडता-रियबड़ी-अजमेर	0900-1200 1000-1300 1100-1400 1145-1445 1430-1730 1515-1815 1715-2015
2.	मेड़ता-जैतारण	ब्यावर-जैतारण-मेड़ता	1400-1800
		मेडता-जैतारण-ब्यावर	0845-1245
3.	मेड़ता-गोटन	भोपालगढ़-गोटन-मेड़ता	0615-0815
		मेड़ता-गोटन-भोपालगढ़	1815-2015
		भोपालगढ़-गोटन-मेड़ता-अजमेर	0730-1215
		अजमेर-मेड़ता-गोटन-भोपालगढ़	1440-1930
		अजमेर-मेड़ता-गोटन	0645-1000 0815-1130 1115-1445 1415-1730 1645-2000
		गोटन-मेड़ता-अजमेर	0700-1015 1100-1415 1300-1615 1500-1815 1800-2115

4.	मेड़ता- जोधपुर	मेड़ता-बोरून्दा— पीपाड़-जोधपुर	मेड़ता से प्रस्थान	जोधपुर पहुंच।
1	2	3	4	5
		जयपुर से	0215 0730	0515 1130
		ओलादीन से	0830 0900 1000	1230 1300 1400
		परबतसर से	1000	1400
			वाया आसोप बावडी	वाया आसोप बावडी

1	2	3	4	5
		हरिद्वार से	1030 1100 1200 1300 1330	1345 1500 1600 1700 1730
		सीकर से	1500	1830
		कोटपूतली से	1600 1630	1930 2030
			जोधपुर प्रस्थान	मेडता पहुंच
		जोधपुर-पीपाड-बोरून्दा–मेड़ता	0545 0630 0730 0800 0900 1030 1000 1130 1130	0845 कोटपूतली 1030 1130 1145 सीकर को 1300 1430 1315 हरिद्वार 1530 1615 परबतसर
			वाया बावडी-आसोप	
			1230 1330 1500 2030	1630 1730 1900 2330 जयपुर को

अन्तरराष्ट्रीय सीमा (पाकिस्तान) पर स्थित मदरसों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

75. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पाकिस्तान से लगी राज्य की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के आसपास चल रहे मदरसों के कर्मचारी आतंकवादी एवं तस्करी की घटनाओं में लिप्त हैं? यदि हां, तो इन कर्मचारियों द्वारा की जा रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाना प्रस्तावित हैं?

उत्तर

ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

गुर्जर समाज के अनुसूचित जनजाति में विलय हेतु गठित चौपड़ा समिति की सिफारिशें

76. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गुर्जर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये सर्वे हेतु चौपड़ा कमेटी गठित की गई थी? क्या चौपड़ा कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है? यदि हां, तो चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(पुस्तक की कम प्रति प्राप्त होने के कारण कृपया पुस्तकालय में उपलब्ध प्रति देखें)

पाली जिले के दोषी सरपंचों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

77. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत 8 वर्षों में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चिताड़, गिरी, बर, अमरपुरा, कलालिया, कालबकलां, काणूजा, लचानपुरा व कोटकिराणा पंचायत समिति रायपुर व सरपंच खोडिया पंचायत समिति सोजत के विरुद्ध ग्रामवासियों एवं जन प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं पंचायती राज मंत्रीजी को शिकायतें की हैं? यदि हां, तो शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन शिकायतों पर जांच के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो किस स्तर पर जांच की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच नहीं की गई तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? उक्त शिकायतों की जांच कब तक करवा ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच जिला परिषद कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय व पंचायत समिति कार्यालय स्तर पर की गयी है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। चूंकि सभी शिकायतों की जांच की गई है, इसलिये किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

रायल्टी राशि में से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को राशि का आबंटन

78. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजरी की रायल्टी में से कुछ हिस्सा संबंधित ग्राम पंचायतों को देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कितने प्रतिशत राशि देने की कब व किस आदेश से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घोषणा के बाद कितनी-कितनी राशि किस-किस ग्राम पंचायत को कब-कब उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) खनिज विभाग किस दर से उपभोक्ताओं से बजरी की रायल्टी वसूल करता रहा है? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा बजरी ही नहीं अपितु समस्त खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि का 1 प्रतिशत राशि संबंधित जिलों के पंचायतों को देने के निर्देश वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.11.2006 से जारी किये गये। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) रायल्टी से प्राप्त आय का एक प्रतिशत राशि पंचायतों को देने देने सम्बन्धित जिला परिषदों को दी गई है। वर्ष 2005-06 तक की देय राशि हस्तान्तरित कर दी गई है। सूची परिशिष्ट-2 व 3 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में भरतपुर, झुंझुनूं, सीकर, धौलपुर व टोंक जिलों में बजरी पर रायल्टी दर रुपये 13/- प्रतिटन है। अन्य जिलों में रायल्टी दर रुपये 10/- प्रतिटन है। प्रति परिशिष्ट-4 व 5 पर संलगन है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कृषि विकास अध्ययन हेतु विदेश भ्रमण के लिए चयनित व्यक्ति

79. श्री मदन राठौड़ (सुमेपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में राज्य के किसानों को सरकारी खर्च पर कृषि अध्ययन हेतु देश में भ्रमण के लिये भेजा गया था? यदि हां, तो कहां-कहां व उन पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार भ्रमण के लिये भेजे गये किसानों का चयन किसी योग्यता के आधार पर किया गया था? यदि हां, तो योग्यता का आधार क्या था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भ्रमण से लौटे किसान किसी प्रकार से उपयोगी सिद्ध हुये हैं? यदि हां, तो कहां व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि भ्रमणार्थ भेजे गये लोग किसान ही थे? यदि नहीं, तो उन्हें किस आधार पर भेजा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षो में राज्य के किसानों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में हुए कृषि विकास का अवलोकन/अध्ययन करने हेतु भ्रमण करवाया गया। इस कार्य पर 313.74 लाख रुपये व्यय किए गए।

(2) जी हां। प्रगतिशील, कृषि नवाचार एवं विविधिकरण में रुचि रखने वाले कृषकों का चयन अन्तरराज्यीय भ्रमण हेतु किया गया।

(3) जी हां। प्रमुख शोध संस्थानों, अभिनव एवं उन्नत कृषि तकनीक के प्रदर्शन तथा प्रमुख मण्डियों आदि का भ्रमण करने के उपरान्त यह कृषक स्वयं उन्नत कृषि तकनीक अपनाने के साथ-साथ आस-पास के कृषकों को भी यह तकनीक अपनाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं।

(4) जी हां। भ्रमण पर गये लोग किसान ही थे।

बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने हेतु सर्वदलीय बैठक

80. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21 फरवरी, 2007 को जयपुर में आयोजित सर्वदलीय बैठक में बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने के मुद्दे पर चर्चा कर निर्णय लिये गये थे? यदि हां, तो उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों तथा कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुद्दे पर दिनांक 22 फरवरी, 2007 उपरांत केन्द्र सरकार/ओ.एन.जी.सी./केयर्न एनर्जी से किए गए पत्राचार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने बाड़मेर में रिफाइनरी लगाने का निर्णय निरस्त/स्थगित कर पाइप लाइन डालने की कार्य योजना को मंजूरी दे दी है? यदि हां, तो संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रिफाइनरी लगाने में ओ.एन.जी.सी. व केयर्न एनर्जी द्वारा मांगी गई रियायतों को ना मानने तथा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करने से रिफाइनरी लगाने की कार्य योजना को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब भी राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सर्वदलीय बैठक में उपस्थित सभी विधायकों से राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु अपेक्षित सहयोग मांगा गया तथा मुख्य मंत्री महोदया को प्रधानमंत्रीजी से इस बाबत चर्चा हेतु मनोनीत किया गया।

(2) उक्त मुद्दे पर 22 फरवरी, 2007 के उपरांत केन्द्र सरकार/ओ.एन.जी.सी. से किए गए पत्राचार की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। राज्य सरकार राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सकारात्मक प्रयास कर रही है, जिसके क्रम में प्रकरण राज्य सरकार एवं

(खनिज मंत्री)

ओ.एन.जी.सी./एम.आर.पी.एल. के मध्य विचाराधीन है। वित्तीय रियायतों पर न्यायोचित निर्णय होने पर ही राज्य में रिफाइनरी स्थापित हो सकेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

न्यूनतम नामांकन वाले विद्यालयों का नजदीकी विद्यालयों में समायोजन

81. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

(2) जिन विद्यालयों में यह अनुपात न्यूनतम अथवा अधिकतम है उन विद्यालयों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

(3) क्या जिन विद्यालयों में न्यूनतम नामांकन है उन विद्यालयों को सरकार नजदीकी विद्यालयों में समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात निर्धारित है (परिशिष्ट-क संलग्न)। माध्यमिक शिक्षा में विषयों के अनुसार शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने से शिक्षक विद्यार्थी अनुपात निर्धारित नहीं है (परिशिष्ट-ख संलग्न।

(2) राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का सार्वजनीकरण करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। अतः वर्तमान नवचयनित अध्यापकों के उपलब्ध होते ही विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जायेंगे।

(3) जी हां। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनीकीरण के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में गुण अवगुण के आधार पर विचार कर रही है।

परिशिष्ट 'क'

एकल पंजिका पर शासन सचिव महोदय पंचायत राज के आदेश दिनांक 3.4.2002 के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नानुसार नार्म्स निर्धारित किये गये :-

प्राथमिक विद्यालय के लिए	न्यूनतम 2 तृतीय श्रेणी अध्यापक
उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए	न्यूनतम 1 अध्यापक द्वितीय श्रेणी 5 अध्यापक तृतीय श्रेणी

प्राथमिक विद्यालय में	110 छात्रों तक 2 पद
उच्च प्राथमिक विद्यालय में	260 छात्रों तक 1+5 पद

40 छात्रों पर अतिरिक्त शिक्षक देने की व्यवस्था के कारण छात्रानुपात में अध्यापकों के पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया :-

प्राथमिक विद्यालय		**उच्च प्राथमिक विद्यालय**	
110 छात्रों तक	2 अध्यापक	260 छात्रों तक	1+5 अध्यापक
111 से 140 छात्रों तक	3 अध्यापक	261 से 300 छात्रों तक	1+6 अध्यापक
141 से 180 छात्रों तक	4 अध्यापक	301 से 340 छात्रों तक	1+7 अध्यापक
181 से 220 छात्रों तक	5 अध्यापक	341 से 380 छात्रों तक	1+8 अध्यापक
221 से 260 छात्रों तक	6 अध्यापक	381 से 420 छात्रों तक	1+9 अध्यापक
		421 से 460 छात्रों तक	1+10 अध्यापक
		461 से 500 छात्रों तक	1+11 अध्यापक
		501 से 540 छात्रों तक	1+12 अध्यापक
		541 से 580 छात्रों तक	1+13 अध्यापक
		581 से 620 छात्रों तक	1+14 अध्यापक

परिशिष्ट 'ख'

शिक्षा विभागीय नियमावली, 1997

निदेशक की अभिशंसा पर राज्य सरकार द्वारा होगा। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

2. कक्षा वर्ग एवं खण्ड :-

(अ) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक कक्षा में सामान्यतः 40 छात्र संख्या होने पर एक कक्षा/वर्ग माना जायेगा। 50 से ऊपर छात्र संख्या होने पर अतिरिक्त कक्षा वर्ग माना जावेगा। किसी विद्यालय विशेष में कक्षा-कक्षों में छात्रों की बैठने की क्षमता कम ज्यादा होने पर इस संस्था में संख्या में कमी-वृद्धि भी की जा सकती है मगर किसी भी स्थिति में 30 से कम छात्र होनें पर अतिरिक्ति कक्षा खण्ड नहीं माना जावेगा।

(ब) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्गों का निर्धारण उक्त छात्र संख्या के आधार पर किया जाना होगा लेकिन 25 छात्रों से कम का वर्ग नहीं माना जावेगा।

(स) प्रशिक्षण संस्थाओं में एक वर्ग (इकाई) 60 प्रशिक्षणार्थियों का माना जावेगा।

(द) यदि अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता न हो तो नया वर्ग बनाने की स्वीकृति विभागीय निर्देशों के अधीन निदेशक द्वारा दी जा सकेगी अन्यथा होने पर निर्णय राज्य सरकार देगी।

3. नया विषय

(अ) विहित मानदण्ड

(1) नये विषय वर्ग के लिए न्यूनतम छात्र/छात्रा संख्या निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	क्षेत्र	छात्र सं.	छात्रा सं.
1	शहरी	30	20
2	ग्रामीण	20	15
3	रेगिस्तानी/आदिवासी	15	10

स्वीकृत विषय/वर्ग के साथ अतिरिक्त विषय स्वीकृत करने हेतु उस विषय में न्यूनतम नामांकन संख्या निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	क्षेत्र	नामांकन सं. (छात्र/छात्राओं की)
1	शहरी	20
2	ग्रामीण	15
3	रेगिस्तानी/आदिवासी	10

(2) वैकल्पिक वर्ग :-अतिरिक्त वैकल्पिक वर्ग प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक संकाय एवं विषय में छात्र/छात्रा संख्या निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	वैकल्पिक विषय/वर्ग	छात्र सं.	छात्रा सं.
1	दूसरा वैकल्पिक वर्ग	40	30
2	तीसरा वैकल्पिक वर्ग	70	60

वर्ग (संकाय) में नया विषय किसी वर्ग (संकाय) में नया विषय प्रारम्भ करने हेतु छात्र/छात्रा संख्या निम्नानुसार रहेगी-

क्र.सं.	विषय	छात्र/छात्रा सं.
1	चौथा विषय	35
2	पांचवा विषय	50
3	छठा विषय	60
4.	सातवां विषय	90

तृतीय भाषा :- तृतीय भाषा में न्यूनतम छात्र/छात्रा संख्या 10 होगी।

(ब) विषय प्रारम्भ करने की प्रक्रिया

1. विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रधान नया विषय खोलने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी प्रस्ताव निदेशालय भेजेंगे।

2. निदेशालय निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप उचित मार्ग से प्रस्तावों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

3. नया संकाय/विषय वर्ग की स्वीकृति मिलने पर दस दिन के भीतर संस्था प्रधान उच्चाधिकारियों को तत्सम्बन्धी सूचना देंगे।

4. स्वीकृति प्राप्त होने पर यदि एक वर्ष तक वह निष्क्रिय रहती है।

श्रीगंगानगर जिले में शस्त्र लाइसेन्सों का नवीनीकरण प्रकरण

82. **श्री गुरजंट सिंह बराड़** (संगरिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2007 में शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए?

(2) इन प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण कर दिया गया?

(3) शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण के कितने प्रार्थना-पत्र बकाया हैं और क्यो?

(4) क्या यह सही है कि पुलिस सत्यापन में देरी के कारण शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण में देरी हो रही है? यदि हां, तो इस व्यवस्था को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2007 में लाइसेंस नवीनीकरण हेतु 4171 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(2) प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 19.02.2008 तक कुल 2782 प्रार्थना-पत्रों में लाइसेंस नवीनीकरण कर दिया गया।

(3) शस्त्र लाइसेंस के 1389 प्रार्थना-पत्र नवीनीकरण हेतु बकाया रहे हैं। चूंकि श्रीगंगानगर जिले में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर अपराधिक मामले दर्ज हुये हैं, जिनका अनुसंधान चल रहा है, अतः नवीनीकरण से पूर्व विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता के कारण समय लग रहा है।

(4) जी हां। यह सही है कि पहले पुलिस रिपोर्ट देरी से प्राप्त होने के कारण शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण में देरी हुई है। पुलिस रिपोर्ट में लगने वाले समय को कम करने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये जाकर पुलिस सत्यापन में लगने वाले समय को कम करते हुए, 15 दिवस नियत किये जाने पर, अब पुलिस सत्यापन रिपोर्ट समय सीमा में आनी प्रारम्भ हो गई है।

नागौर जिले में पन्नधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत लम्बित प्रकरण

83. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राकेश मेघवाल)

(1) सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को देय सहायता राशि हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब से संचालित की गई?

(2) उक्त योजना के तहत नागौर जिले की किन-किन पंचायत समितियों में कितने-कितने मृत्यु दावे प्राप्त हुये? उक्त में से कितने दावे भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर को भिजवाये गये तथा कितने दावों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर द्वारा संबंधित आशार्थियों को कर दिया गया व कितने प्रकरण लम्बित हैं?

(3) वर्तमान में जिला नागौर की किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र के मृत्यु दावों के प्रकरण किस-किस स्तर पर किन-किन कारणों से बकाया हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बी.पी.एल. परिवारों को देय सहायता राशि हेतु पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त, 2006 से संचालित की गई है।

(2) उक्त योजना के तहत नागौर जिले में दिनांक 14 फरवरी, 2008 तक विभिन्न, पंचायत समितियों के कुल 308 मृत्यु दावे प्राप्त हुये। सभी 308 दावे भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर को भिजवाये गये। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 155 दावों का भुगतान सम्बन्धित आशार्थियों को कर दिया गया है, 6 दावे निरस्त कर दिये गये हैं तथा 14 दावे कमियों की पूर्ति हेतु पंचायत समिति, मकराना को लौटाये गये। इस प्रकार भारतीय जीवन बीमा निमम, जयपुर कार्यालय में 133 दावे लम्बित हैं।

(3) वर्तमान में जिला नागौर में 133 दावे भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर तथा 14 दावे पंचायत समिति मकराना में प्रक्रियाधीन होने के कारण लम्बित है। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

परिशिष्ट–1

कार्यालय जिला परिषद नागौर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	कुल प्राप्त दावे	भारतीय जीवन बीमा निगम को भिजवाये गये कुल मृत्यु दावे	कितने दावों का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संबंधित आशार्थियों को कर दिया गया?	कितने प्रकरण लम्बित हैं	वर्तमान में प्रकरण किस स्तर पर लम्बित है	प्रकरण लम्बित रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नागौर	19	19	5	14	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
2	मूण्डवा	18	18	10	8	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
3	मेडता	10	10	4	6	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	रियां	6	6	1	5	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
5	डेगाना	48	48	30	18	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
6	परबतसर	33	33	14	19	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
7	मकराना	46	42	15	16	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	1 प्रकरण निरस्त भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर ने किया।
					14	पंचायत समिति स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
8	कुचामन	33	33	19	9	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधनी होने से लंबित	5 प्रकरण निरस्त भारतीय जीवन बीमा निगम जयपुर ने किये।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	डीडवाना	33	33	28	5	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
10	लाडनूं	28	28	11	17	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
11	जायल	34	34	18	16	भारतीय जीवन बीमा निगम स्तर पर	प्रक्रियाधीन होने से लंबित	
	योग	**308**	**304**	**155**	**147**			

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, नागौर

सहाड़ा में स्थानीय विकास कृषि डवटेल विकास कार्य

84. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 01 जनवरी, 2004 से राज्य सभा, लोकसभा विधायक एवं अन्य मद से कौन-कौन से कार्य अकाल राहत मद में डवटेल किये गये? विधायक मद से कितनी राशि व अकाल राहत मद से कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी स्वीकृत डवटेल कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत पंचायत समिति सहाड़ा में राज्य सभा, लोकसभा विधायक एवं अन्य मद से अकाल राहत के अन्तर्गत 182 कार्य डवटेल कराये गये। जिनमें से विधायक मद के 41 कार्य पर 2247478 रुपये एवं अकाल राहत मद से कराये गये 141 कार्यों पर 561812 रुपये की राशि व्यय हुई। पंचायत समिति रायपुर में राज्य सभा, लोकसभा, विधायक एवं अन्य मदों से अकाल राहत के अन्तर्गत कुल 307 कार्य कराये गये जिनमें से विधायक मद से कराये गये 140 कार्यों पर 9241046 रुपये एवं अकाल राहत मद से कराये गये 167 कार्यों पर 2310261 रुपये की राशि व्यय हुई। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) पंचायत समिति सहाड़ा से पर्याप्त मात्रा में कारीगर उपलब्ध नहीं होने के कारण 11 कार्य अपूर्ण रहे व 27 कार्य निरस्त हुए। पंचायत समिति रायपुर का एक कार्य अकाल राहत अवधि पूर्ण हो जाने के कारण अपूर्ण रहा व 2 कार्य निरस्त हुए। अपूर्ण एवं निरस्त कार्यों का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि उपज मण्डियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की सम्पर्क सड़कों पर व्यय

85. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य की कृषि उपज मण्डियों द्वारा अपनी आय का कुछ भाग ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय किया

(श्री जुबेर खान)

जाता है? यदि हां, तो इस विषय में क्या नीति एवं मानदण्ड बनाये हुये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों द्वारा कितनी-कितनी राशि ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई? विवरण मण्डीवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मण्डियों द्वारा अर्जित आय को व्यय करने के पूर्व निर्धारित नियमों में कुछ बदलाव करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। इस विषय में बनाई गई नीति एवं मापदण्ड का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डियों से प्राप्त राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क सड़कों के निर्माण पर किये गये व्यय का मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) इस प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के बकाया भत्तों का भुगतान

86. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कुल कितने तृतीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त शिक्षकों का प्रशासनिक विभाग शिक्षा विभाग है? यदि हां, तो ऐसे दोहरे नियंत्रण का क्या औचित्य है?

(3) क्या यह भी सही है कि शिक्षा विभाग ही इनके वेतन, भत्तों, बोनस आदि के भुगतान के आदेश जारी करता है? यदि हां, तो इन शिक्षकों को पंचायती राज विभाग के अधीन रखने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त शिक्षकों का अनेक वर्षों का मंहगाई भत्ते का एरियर, मेडिकल व यात्रा भत्ते का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब वर्ष 2007-08 तक की उक्त बकाया राशि का भुगतान करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 65383 अध्यापक पंचायतराज मद में कार्यरत हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता व एकरुपता को दृष्टिगत रखते हुए यह व्यवस्था की गई है।

(3) जी हां। इनकी नियुक्ति पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत की जाने के कारण यह व्यवस्था है।

(4) जी हां। वित्तीय अनुपलब्धता के कारण बकाया रहे दावों का भुगतान वित्तीय प्रावधान होने पर किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजकीय अतिथि दर्जा प्राप्त विदेशियों पर व्यय

109. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में वर्ष 2007 में किन-किन विदेशियों को कितने दिन के लिये कब-कब राजकीय अतिथि का दर्जा दिया गया और इसके क्या कारण थे? इस पर कितनी राशि व्यय हुई? प्रत्येक अतिथि का प्रत्येक दिन का मय यात्रा विवरण पृथक-पृथक सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

2007 में विदेशियों को दिये गये राज्य अतिथि का दर्जा तथा उनसे संबंधित वांछित विवरण परिशिष्ट-अ संलग्न है।

परिशिष्ट-अ

क्र. सं.	विदेशी अतिथियों का विवरण	स्थान	तिथियां	यात्रा का कारण	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	अमेरिका के मिशन अर्पण के तहत पधारे 24 अप्रवासी भारतीय चिकित्सकों का दल	जयपुर, झालावाड़ भरतपुर	21-23 जनवरी, जयपुर 24-25 जनवरी, 07 झालावाड़ 26-29 जनवरी, 07 भरतपुर	शिशु जन्म एवं स्वास्थ्य संबंधी सलाह	297300/-
2.	नार्थ शोर विश्वविद्यालय, अमेरिका से पांच चिकित्सकों का दल	जयपुर उदयपुर	06-08 फरवरी, 07 जयपुर 09-10 फरवरी, 07 उदयपुर	मा. मुख्य मंत्री महोदया द्वारा आमंत्रित	6126293/-
3.	बीबी रसैल, बांगलादेश की अन्तरराष्ट्रीय फैशन डिजायनर	राजस्थान	16-17 जनवरी, 07 जयपुर 18-24 जनवरी, 07 तालछापर चूरू 25-26 जनवरी, 07 कोटा 27 जन, से 5 फर. 07 तालछापर चूरू	खादी एवं हथकरघा वस्त्रों की उन्नत किसमें-डिजायन तैयार करने में सहायक	780658/-

			24-25 फरवरी, 07 जयपुर 25 फर. 15 मार्च, 07 तालछापर चूरू 15-17 मार्च, 07 जयपुर 23 अप्रैल से 7 मई 07 तालछापर, चूरू 26 जून, 07 जयपुर 27-30 जून 07 तालछापर, चूरू 1-22 जुलाई 07 तालछापर, चूरू 10-27 सित. 07 जयपुर 11 अक्टूबर से 6 नव. 07 जयपुर		

1	2	3	4	5	6
4.	श्री लूसियानी रूसी (इटली), उपाध्यक्ष-आई.एस.एस.एस.एफ.	जयपुर	24 फरवरी, से 3 मार्च, 07	जेडीए, खेल विभाग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न पांचवीं सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल मास्टर्स चैम्पियनशिप (शॉटगन) 2007	14861/-
5.	श्री डेमरिट्स एफ., साइप्रस, अध्यक्ष, आई.एस.एफ. एसजी सीओएम	जयपुर	22-26 फरवरी, 07	जेडीए, खेल विभाग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न पांचवीं सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल मास्टर्स चैम्पियनशिप (शॉटगन) 2007	13332/-
6.	शेख सलमान अल सबाह (कुवैत) अध्यक्ष , ए.एस.सी.	जयपुर	24-28 फरवरी, 07	जेडीए, खेल विभाग एवं पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सम्पन्न पांचवीं सरदार सज्जन सिंह सेठी मेमोरियल मास्टर्स चैम्पियनशिप (शॉटगन) 2007	13258/-
7.	क्रिस्टिन हलवोर्सन वित्त मंत्री, नार्वे	जयपुर	30 मार्च, 07	भारत सरकार की अतिथि एवं उदयपुर में पंचायती राज एवं महिला संगोष्ठि	2717/-

1	2	3	4	5	6
8.	श्री लॉरेन्स एच. समर, फॉरमर यू.एस. ट्रेजरी सैक्रेट्री एवं प्रेसीडेन्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी	जयपुर	19-21 अप्रैल, 07	मा. मुख्य मंत्री महोदया द्वारा आमंत्रित	1,38,109/-
9.	28 सदस्यीय पीओके प्रतिनिधि दल	अजमेर	25-26 अप्रैल, 07	हार्ट टू हार्ट सम्मेलन के तहत मा. मुख्य मंत्री महोदया की सहमति प्राप्त	22804/-
10.	डा. डेनियल पी. श्राग आफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका	जयपुर	15-16 अक्टूबर, 07	हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान में व्याख्यान/मुख्य मंत्री महोदय से सहमति प्राप्त	2930/-
11.	डा. कृष्णा आर. द्रोनामराजू, प्रसीडेन्ट फाउण्डेशन फॉर जेनेटीक रिसर्च, यू.के.	जयपुर, पुष्कर, उदयपुर	17-20 दिसम्बर, 07 जयपुर 20-21 दिसम्बर, 07 पुष्कर 21-25 दिसम्बर, 07 उदयपुर 26 दिसम्बर, 07 जयपुर	मा. मुख्य मंत्री महोदया द्वारा आमंत्रित	

निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

110. श्री अशोक कुमार नवलखां (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को रीको लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर भूखण्ड आबंटित किया जाता है? यदि हां, तो राज्य में रीको लिमिटेड द्वारा अब तक कुल कितने स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निम्बाहेड़ा में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर उद्योगों के लिए भूखण्ड आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रीको द्वारा राज्य में 271 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा स्थापित 38 औद्योगिक क्षेत्र रीको को हस्तान्तरित किये गये हैं। सूची परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' पर संलग्न है।

(2) निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु ग्राम सांकरिया के खसरा नम्बर 522/424 की 22.27 एकड भूमि किस्म चरागाह को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षण हेतु जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को अनुरोध किया गया था किन्तु ग्राम पंचायत रानीखेडा द्वारा इस चरागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

उक्त भूमि रीको के पक्ष में औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट होने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नवलगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि से प्रभावित कृषक

111. श्रीमती प्रतिभा सिंह (नवलगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में श्री सीमेन्ट लिमिटेड, मैसर्स इण्डिया सीमेन्ट लिमिटेड एवं ग्रसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को सीमेन्ट प्लान्ट लगाने एवं खनन कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती प्रतिभा सिंह)

(2) उक्त सीमेंट कम्पनियों के लिये कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की जानी हैं? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण मय खसरा नम्बर, कृषक का नाम एवं रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनियों के लिये अधिग्रहण की जाने वाली प्रस्तावित भूमि में से अधिकांश भूमि सिंचित एवं मकानात बनाकर रिहायशी उपयोग में ली जा रही है? यदि हां, तो कौन से खसरा नम्बर में कुए एवं मकानात बने हुए हैं तथा कौन से में नहीं हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनियों के लिये अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है? यदि हां, तो उनके हितों के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री सीमेन्ट लिमिटेड ने सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु 144.11 हैक्टेयर निजी भूमि एवं खनन कार्य हेतु 572.06 हैक्टेयर निजी भूमि के अवाप्ति हेतु आवेदन किया है। सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु 142.26 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना दिनांक 20.11.07 को जारी की गई है, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

श्री सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा खनन कार्य हेतु वांछित 572.06 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मैसर्स इण्डिया सीमेन्ट लिमिटेड ने सीमेन्ट प्लांट लगाने हेतु 106.70 हैक्टेयर निजी भूमि एवं खनन कार्य हेतु 776.94 हैक्टेयर निजी भूमि अवाप्ति का आवेदन किया है। यह प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से नवलगढ़ में नया सीमेन्ट प्लान्ट लगाने एवं खनन कार्य हेतु निजी भूमि अवाप्त किये जाने का कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण भाग प्रथम के उत्तर में दर्शाया गया है।

(3) यह सही नहीं है कि अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित अधिकांश भूमि सिंचित एवं मकानात बनाकर रिहायशी उपयोग में ली जा रही है।

(उद्योग मंत्री)

(4) कलक्टर, झुंझुनूं ने सूचित किया है कि अधिग्रहण की जाने वाली भूमि पर रहने वाले ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा धरना दिया जाकर विरोध किया जा रहा है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के अन्तर्गत खातेदारों/हितधारियों को उनकी अवाप्त की जाने वाली भूमि के बदले में नियमानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जायेगा।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील लाडपुरा व मण्डाना (कोटा) के खनिज क्षेत्रों में प्राप्त राजस्व

112. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले की लाडपुरा व मण्डाना तहसील क्षेत्र में लाइमस्टोन व सेन्डस्टोन की कितनी खानें स्वीकृत हैं तथा यह कब से कार्यरत हैं व किसके नाम हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खानों में वर्ष 2006-07, 2007-08 में कुल कितना खनन हुआ एवं कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(3) उक्त क्षेत्र में खनिजों की रायल्टी का ठेका किस व्यक्ति के नाम है तथा वर्ष 2006-07, 2007-08 में कुल कितनी रायल्टी प्राप्त हुई? खनिज पर रायल्टी किस दर से वसूल की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले की लाडपुरा तहसील व इसके अन्तर्गत आने वाली उप तहसील मण्डाना क्षेत्र में लाइमस्टोन का कोई खनन पट्टा वर्तमान में प्रभावशील नहीं है। सेण्डस्टोन के 9 खनन पट्टे वर्तमान में प्रभावी है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) इन खानों में वर्ष 2006-07, 2007-08 में निर्गमित हुआ माल क्रमशः 3784 टन व 4002 टन (संभावित) है तथा प्राप्त राजस्व क्रमशः 207233/- एवं 190038/- संभावित है। विस्तृत विवरण (परिशिष्ट-1) संलग्न है।

(3) कोटा जिले की लाडपुरा तहसील व इसके अन्तर्गत आने वाली उप तहसील मण्डाना में खनिज मेसेनरी स्टोन व सेण्डस्टोन का अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका श्रीमती राजकरंता पत्नी स्व. श्री चतुर्भुज मीणा के नाम प्रभावी है। खनिज बजरी पर अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रहण का ठेका लाडपुरा

(खनिज मंत्री)

तहसील व इसके अन्तर्गत आने वाली उप तहसील मण्डाना का अलग से नहीं दिया जाकर संयुक्त रूप से तहसील लाडपुरा, दीगोद, पीपल्दा (जिला कोटा) व तहसील के. पाटन, इन्द्रगढ़ (जिला बूंदी) का श्री भगवान सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह के नाम प्रभावी है। रायलटी से प्राप्त राजस्व व रायल्टी दरों का विस्तृत विवरण (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

परिशिष्ट-1

कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा

खनन पट्टाधारियों का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता (फोन नं. फैक्स व ईमेल)	एन.एल. संख्या	निकट ग्राम	तहसील व जिला	स्थिर भाटक (रुपये में)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)	अवधि	उत्पादन		प्राप्त राजस्व (रुपये में)		विवि
							2006-07	2007-08 संभावित	2006-07	2007-08 संभावित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रीमती अमरीन बाई पत्नी श्री कुरबान अली निवासी रावठा, पो. भंवरिया, डडवाड तह. लाडपुरा जिला कोटा	59/99	मोतीपुरा	लाडपुरा जिला कोटा	19340	120x60sq.m 0.72 Hect.	23.5.89 से 29.5.99	339	417	19675	19633	-
श्री बब्बर पुत्र श्री पीर मोहम्मद निवासी 286 संगम रेस्टोरेन्ट की गली गुमानुपरा कोटा	32/99	मोतीपुरा	लाडपुरा जिला कोटा	15420	6280.50sq.m 0.68205 Hect.	20.5.89 19.5.99	366	333	15624	15420	-
श्री बब्बर पुत्र श्री पीर मोहम्मद निवासी 286 संगम रेस्टोरेन्ट की गली गुमानुपरा कोटा	47/96	चांदबावडी	लाडपुरा जिला कोटा	28000	100x100sq.m 1 Hact.	13.5.98 से 12.5.2018	673	604	28070	28000	-
श्री छीतरमल शर्मा पुत्र श्री गोविन्दलाल निवासी मण्डाना तह. लाडपुरा कोटा	38/96	नयागांव जसपुरा	लाडपुरा जिला कोटा	28010	10000.6 sq.m Hact.	7.11.98 से 6.11.2018	294	605	29008	28015	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मैसर्स सेण्डियाना मांईस एण्ड मिनरल्स, कोटा	39/96	कसार	लाडपुरा जिला कोटा	21936	120x60sq m 0.72 Ha	25.5.97 24.5.2017	171	474	15759	21422	-
श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री नेमीचंद जैन राधाविलास टिपटा कोटा	107/99	मांदलिया	लाडपुरा जिला कोटा	29097	120x6sq M 0.72 Ha	24.8.90 से 23.8.2020	840	628	28689	32995	-
श्री रामलाल भाट पुत्र श्री भंवरलाल निवासी कसार तह. लाडपुरा जिला कोटा	74/93	पंचपहाड, दमदमा	लाडपुरा जिला कोटा	13018	67200sq M 0.672 Ha	20.4.89 से 19.4.99	349	281	15128	13129	-
श्री राकेश कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन निवासी मेन बाजार मण्डाना लाडपुरा कोटा	145/99	पंचपहाड, दमदमा	लाडपुरा जिला कोटा	12978	7020sq M 0.702 Ha	28.12.99 से 27.12.99	349	280	17088	13193	-
श्री सलाम खां पुत्र श्री गुलाब खां निवासी ग्राम रावठां तहसील लाडपुरा पोस्ट भंवरिया डडवाडा जिला कोटा	128/94	नयागांव जसपुरा	लाडपुरा जिला कोटा	17589	3500sq M 0.35 Ha	19.7.95 से 18.7.2015	403	380	18140	18231	-
श्रीमती मधु शर्मा पत्नी विम्बाधर निवासी ईदगाह के पीछे पार्क के पास किशोरपुरा कोटा	34/99	केशोपुरा	लाडपुरा जिला कोटा	15849	120x60sq m 0.72 Ha	11.4.89 से 10.4.99	अप्राप्त	0	10052		कब्जा प्राप्त 16.7.06
						योग	**3784**	**4002**	**207233**	**190038**	

खनि अभियंता, कोटा

परिशिष्ट-2

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटा

क्र. सं.	ठेका क्षेत्र	ठेकेदार का नाम	खनिज	ठेका राशि	रायल्टी राशि में वृद्धि से ठेका राशि	ठेका अवधि	प्राप्त राजस्व		रायल्टी दर	परमिट फीस दर	
							2006-07	2007-08 31-1-08 तक			
1	राजस्व सीमा तहसील लाडपुरा जिला कोटा	श्रीमति राजकरंता पत्नि स्व. श्री चतुर्भुज मीणा पुत्र श्री जोधा मीणा निवासी करवाला की झोपडिया, तहसील के. पाटन जिला बूंदी	मेसनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	6500444	8098470	1.4.06 से 31.3.08	5295227	5683520	दिनांक 1.9.07 से मेसनरी स्टोन पर रुपये10 प्रतिटन एवं सेण्ड स्टोन पर रुपये 50/- प्रति टन	-	
2	अधिशुल्क एवं परमिट फीस संग्रहण ठेका तहसील लाडपुरा, पीपल्दा एवं दीगोद जिला कोटा एवं तहसील के. पाटन, इन्द्रगढ़ जिला बूंदी (वन्य जीव अभ्यारण/वन क्षेत्र के अतिरिक्त)	श्री भगवान सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह राजपूत निवासी 6 एफ 5 महावीर नगर तृतीय, कोटा	बजरी	2136000	2495327	1.4.06 से 31.3.08	21364110	1929973	1.9.07 से रुपये 10/- प्रति टन इससे पूर्व रुपये 8/- प्रतिदिन	2 टन तक	5/-
										2 टन से 8 टन तक	20 /- रुपये
										8 टन से अधिक 30 टन तक	50/- रुपये
						योग	5295227	9367377			

खनि अभियंता, कोटा

जयपुर शहर में आई.आई.टी. की स्थापना

113. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा आई.आई.टी. राजस्थान में खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां?

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में आई.आई.टी. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कोटा में आई.आई.टी. की स्थापना के संबंध में लिखा जा चुका है।

(2) जी नहीं।

तेल कूपों से प्राप्त रायल्टी

114. **श्री शांतिलाल चपलोत** (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से जनवरी, 2008 तक राज्य में कुल कितने तेल कूप खोदे गये? क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन तेल कूपों से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) इन तेल कूपों से राजस्थान सरकार को कितनी रायल्टी मिल रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से जनवरी, 2008 तक कुल 138 तेल कूप खोदे गये जिनका क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इन कूपों से व्यावसायिक उत्पादन वर्ष 2009 से सम्भावित है। उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु फिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि वेल पेड, स्टोरेज टेंक, वेल कनेक्टिंग पाइपलाइन आदि का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्तमान में इन तेल कूपों से व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं होने के कारण राजस्थान सरकार को रायल्टी नहीं मिल रही है, किन्तु तेल कुओं की टेस्टिंग के दौरान निकले पिट आयल के बेचान पर राज्य सरकार द्वारा

(खनिज मंत्री)

रायल्टी की मांग करने पर केयर्न एनर्जी द्वारा रुपये 2.70 करोड़ का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 23.7.04 को रायल्टी हैड में जमा कराया गया।

परिशिष्ट 'अ'

क्र. सं.	बेसिन	जिला	खोदे गए कुल तेल कूपों की संख्या	कूप जिनमें तेल मिला।
1.	बाडमेर-सांचोर बेसिन	जिला बाडमेर एवं जालोर	137	68 (खनिज तेल)
2.	बीकानेर-नागौर बेसिन	जिला जैसलमेर एवं बीकानेर	1	1 (भारी तेल के दोहन हेतु परीक्षण)

निवाई में भारी वाहनों से हुई दुर्घटनाओं पर रोक हेतु कार्य-योजना

115. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के थाना बरोनी में एन.एच. 12 पर वर्ष 2004 से 2007 तक कितनी सड़क दुर्घटनाएं घटित हुई तथा इनमें कितने लोग मारे गये और कितने घायल हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटनाओं में से अधिकांश दुर्घटनाएं बनास नदी से बजरी ढोने वाले ट्रकों द्वारा क्षमता से अधिक बजरी भरकर लाने की वजह से होती हैं? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के थाना बरोनी में एन.एच. 12 पर वर्ष 2004 से 2007 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें मारे गये व घायल हुये लोगों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम थाना	वर्ष 2004			वर्ष 2005			वर्ष 2006			वर्ष 2007		
		कुल दुर्घटना	मृतक	घायल	कुल दुर्घटना	मृतक	घायल	कुल दुर्घटना	मृतक	घायल	कुल दुर्घटना	मृतक	घायल
1	निवाई	40	16	80	52	15	153	51	37	104	42	23	62
2	बरौनी	48	05	96	47	13	82	47	18	72	60	19	136
	योग	**88**	**21**	**176**	**99**	**28**	**235**	**98**	**55**	**176**	**102**	**42**	**198**

(गृह मंत्री)

(2) एन.एच.12 पर समीक्षाधीन अवधि में लगभग 38.75 प्रतिशत दुर्घटनायें ट्रकों द्वारा क्षमता अधिक बजरी भरकर चलने से हुई। अधिक भार भरने के विरुद्ध पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

देसूरी-चारभुजा सड़क मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोक हेतु कार्य-योजना

116. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के देसूरी-चारभुजा सड़क मार्ग पर देसूरी नाल क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई उक्त दुर्घटनाओं में कब-कब कितने-कितने लोग मारे गये एवं कितने लोग घायल हुए तथा कितना नुकसान हुआ? वर्षवार पुलिस थाना देसूरी (पाली) तथा पुलिस थाना चारभुजा (राजसमंद) में दर्ज मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में हुई देसूरी नाल क्षेत्र की सड़क दुर्घटनाओं की जांच करवाई गई? यदि हां, तो किसके द्वारा तथा उसका क्या निष्कर्ष रहा? क्या उक्त दुर्घटना के कारणों की जांच भी की गई थी? यदि हां, तो किस-किस दुर्घटना की जांच की गई तथा क्या उसमें ड्राइवर दोषी पाया गया अथवा अन्य कारण रहा? यदि ड्राइवर दोषी पाया गया तो अब तक कितने ड्राइवरों को सजा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क मार्ग पर दुर्घटना स्थलों को चिन्हित किया गया है? यदि हां, तो वहां सरकार ने दुर्घटना रोकने हेतु क्या-क्या उपाय किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देसूरी चारभुजा सड़क मार्ग देसूरी नाल में पिछले पांच वर्षों में 39 दुर्घटनायें हुई। उक्त दुर्घटनाओं में 108 लोग मारे व 237 लोग घायल हुये व 3432800/- रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ। वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दिनांक 07.09.2007 को राजसमन्द पाली रोड के देसूरी नाल सड़क दुर्घटना की जांच सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर से करवाई

(गृह मंत्री)

गई, जिसमें सम्भागीय आयुक्त द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम बाबत दिये गये सुझावों बाबत संबंधित विभागों को लिखा जा चुका है तथा गोमती चौराहा, पुलिस चौकी एवं चारभुजा थाना में तैनात पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया है। दुर्घटना बाबत अनुसंधान किया गया, जिसमें सभी प्रकरणों में ड्राइवर दोषी पाये गये, जिनमें से 11 प्रकरणों में ड्राइवरों को सजा, 3 फोत मुल्जिम ड्राइवर तथा 24 प्रकरण जैर ट्रायल न्यायालय व 1 प्रकरण जेर तफतीश है।

(3) देसूरी नाल के दुर्घटना स्थलों को चिन्हित किया गया है जैसे कि अत्यन्त तीखा मोड़, संकड़ी सड़क, ढाल, चढाई, घाट सैक्शन, सुरक्षा दीवार का अभाव, पहाड़ी क्षेत्र में मिट्टी का कटाव होना इत्यादि। इस संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित किया जाकर कार्यवाही शुरू की जा चुकी है एवं रोड पर सडक संकेतक, चमकीली पट्टीयां लगवाई गई हैं। अंधे व तेज मोड़ को काटकर सीधा करने का कार्य प्रगति पर है। पुलिस चौकी गोमती पर ट्रेफिक एड सेन्टर खोला गया है, जिसमें ड्राइवर को ड्राईविंग दिशा-निर्देश दिये जाते हैं। रोड के सहारे-सहारे बबूल की टहनियां व झाडियां कटवाई गई तथा समय-समय पर सड़क की मरम्म्त करवाकर दुरुस्त करवाई गई।

परिशिष्ट 'अ'

विगत पांच वर्षों में देसूरी की नाल में हुई सड़क दुर्घटना, मृतकों व घायलों की संख्या की हुये नुकसान थाना चारभुजा जिला राजसमंद का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	अनुमानित नुकसान की रकम	ड्राइवर दोषी	सजा ड्राइवर	फोत मुल्जिम ड्राइवर
1	2003	7	5	17	1025000	7	2	1
2	2004	4	4	74	390000	4	1	1
3	2005	10	3	23	845000	10	5	1
4	2006	7	4	22	900000	7	2	-
5	2007	3	91	85	270000	3	-	-

विगत पांच वर्षों में देसूरी की नाल में हुई सड़क दुर्घटना, मृतकों व घायलों की संख्या व हुये नुकसान थाना देसूरी जिला पाली का विवरण:-

क्र. सं.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	अनुमानित नुकसान की रकम	ड्राइवर दोषी	सजा ड्राइवर	फोत मुल्जिम ड्राइवर
1	2003	2	-	2	1000	2	-	-
2	2004	2	-	9	1000	2	-	-
3	2005	-	-	-	-	-	-	-
4	2006	1	1	2	200	1	-	-
5	2007	3	-	1	600	3	1	-

पुलिस कांस्टेबल को वेतन के अतिरिक्त देय परिलाभ

117. श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबल को वेतन के अतिरिक्त कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वर्ष 1995 में कांस्टेबल को कौन-कौन से भत्ते कितनी-कितनी राशि के दिये जाते थे एवं वर्तमान में इन भत्तों को किस दर पर दिया जा रहा है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995 की तुलना में आज हुई महंगाई में बढ़ोत्तरी के अनुपात में वर्तमान में इन भत्तों की राशि में बढ़ोतरी नगण्य है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार सिपाहियों को देय भत्तों की राशि में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस भत्ते में कितनी-कितनी राशि व कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस कांस्टेबलों को वेतन के अतिरिक्त वर्तमान में दिये जा रहे भत्तों का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर किया गया है। इसी के साथ निम्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं :-

(गृह मंत्री)

1. राजस्थान पुलिस कल्याण निधि से गम्भीर बीमारी व बड़े आपरेशन के मामलों में आर्थिक सहायता।

2. राजस्थान पुलिस हितकारी निधि से मृतक पुलिककर्मियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता व उनके बच्चों को छात्रवृत्ति।

3. निशुल्क आवास सुविधा (उपलब्धता के अनुसार)

4. विषम परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को निर्धारित दर से अल्पाहार।

5. दुर्घटना में पुलिस कांस्टेबल की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को सामूहिक एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत रुपये 2.00 लाख की राशि।

(2) वर्ष 1995 में तथा वर्तमान में कांस्टेबल को दये भत्तों को तुलनात्मक विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' पर किया गया है।

(3) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में बढ़ोतरी की गई है।

(4) जी नहीं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार देय भत्तों की राशि में बढ़ोतरी की जाती है।

परिशिष्ट "अ"

कानिस्टेबल को वर्ष 1995-96 में देय भत्तों एवं वर्तमान में देय भत्तों का तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	भत्ता	1995-96 (राशि रुपये प्रतिमाह)	वर्तमान में देय भत्ते (राशि रुपये प्रतिमाह)
1	2	3	4
1	मैस भत्ता	सी.पी. 157 ए.पी. 182 आर.ए.सी. 190	675
2	ड्रिल भत्ता	15	200
3	कमाण्डो भत्ता	50	200
4	डोग हेन्डलर	0	200
5	सी.आई.डी. (सी.बी./आई.बी)	15	25

1	2	3	4
6	घुड़सवार भत्ता	0	200
7	वर्दी धुलाई भत्ता	25	50
8	बिगुलर भत्ता	0	100 पुलिस कर्मियों को 150 रुपये प्रतिमाह
9	आरमोरर भत्ता	15	50
10	एम.टी. भत्ता	90	130
11	आर.ए.सी. के जवानों का भत्ता	15	40
12	वर्दी रख रखाव भत्ता	0	100
13	एम.बी.सी. के जवानों को भत्ता/आर.ए.सी.	15	40
14	बैण्ड भत्ता	0	150
15	ऊंट भत्ता	165	165
16	हार्ड ड्यूटी भत्ता	Pay+DA का ½ भाग प्रतिमाह	Pay+DA का ½ भाग प्रतिमाह
17	ए.पी. अलाउन्स	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10
18	बोर्डर भत्ता	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10
19	साईकिल भत्ता	वर्ष 1994 में कानि. रुपये 50	वर्ष 1994 में कानि. रुपये 50
20	वायरलैस भत्ता	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार एकान्त स्थानों के लिए रुपये 10
21	डी.एस.बी. भत्ता	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10	1989 पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार रुपये 10

1	2	3	4
22	आर.ए.सी. में पदस्थापित वायरलैस स्टाफ	रुपये 10	रुपये 10
23	ईमरजैन्सी रेसपान्स टीम (विशेष भत्ता)		मूल वेतन का 10 प्रतिशत
24	विशेष शाखा एवं एस.ओ.जी. (विशेष भत्ता)		एस.ओ.जी. में कार्यरत कर्मचारी को 10 लीटर पेट्रोल की कीमत की राशि प्रति माह देय है।

भीलवाड़ा जिले के विभिन्न थानों में धारा 302 के लम्बित प्रकरण

118. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा के विभिन्न थानों में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से जनवरी, 2008 तक धारा 302 के अन्तर्गत कितने मुकदमे दर्ज हुए एवं ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनमें पुलिस द्वारा तफ्तीश कर चालान पेश कर दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कौन-कौन से मुकदमे हैं जिनमें आज तक मुल्जिमों का पता नहीं लगा? क्या शेष प्रकरणों में पुलिस मुल्जिमों का पता लगाकर चालान पेश करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला भीलवाड़ा के विभिन्न थानों में दिनांक 1 जनवरी, 2003 से अब तक धारा-302 भादसं. में 167 मुकदमे दर्ज हुये, जिनमें से 124 प्रकरणों में बाद अनुसंधान चालान पेश किया गया। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) ऐसे 12 प्रकरण हैं, जिनमें मुल्जिमों का पता नहीं लगा। भरपुर प्रयास करने पर पता नहीं चलने पर एफआर अदम पता में दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

फलासिया में टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञा-पत्र हस्तान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी

119. श्री बाबूलाल खराड़ी (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलासिया में टोपीदार बंदूकों का लाइसेंस हस्तान्तरण का अधिकार जिला कलक्टर को दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकार उपखण्ड अधिकारी को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। राज्य में टोपीदार बन्दूकों के अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु लाईसेंसिंग आथरिटी जिला मजिस्ट्रेट को है। वर्तमान कानून एवं व्यवस्था के मध्यनजर उक्त अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रदान किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सवाईमाधोपुर जिले में पाइप लाइन एवं फार्म पोण्ड निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

120. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में दिनांक 01 जनवरी, 2004 के बाद पाइप लाइन एवं फार्म पोण्ड निर्माण में अनियमितता तथा लेखा व वित्तीय नियमों की अवहेलना के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या व उक्त में क्या जांच करवाई गई एवं जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2004-05 में सवाई माधोपुर जिले में पाइप लाइन व फार्म पोण्डस के क्रियान्वयन में अनुदान राशि के दुरुपयोग किये जाने संबंधी शिकायत की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गयी। संयुक्त निदेशक, कृषि, भरतपुर खण्ड की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति गठित कर पूर्ण भौतिक सत्यापन करवाया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये लोक सेवकों के विरुद्ध कार्मिक विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक प.1(264) कार्मिक/क-3/2007 दिनांक 19.12.2007 के द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के

(कृषि मंत्री)

नियम 16 के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों व कार्मिकों को आरोप पत्र जारी कर दिये हैं तथा प्रकरण जांच एवं कार्यवाही हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भिजवा दिया गया है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

उदयपुर सम्भाग के श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पद

121. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से 31 दिसम्बर, 2007 तक की अवधि में निम्न अधिनियमों में कितने प्रकरण दर्ज हुए कितने निपटाये गये, एवं कितने लम्बित हैं:-

1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1923
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
3. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
4. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
5. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(2) क्या यह सही है कि उक्त पांच जिलों में श्रम विवादों एवं श्रम प्रकरणों की सुनवाई का समय दोपहर 2.30 से 5.00 बजे तक का रखा जाता है जबकि सम्पूर्ण भारत में कोर्ट (न्यायालयों) का समय 10.00 बजे से 5.00 बजे तक का है?

(3) क्या यह सही है कि श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा वाले अधिनियमों में श्रम विवादों को निपटाने के लिए तीन माह का समय निर्धारित है? यदि हां, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिलों में श्रम प्रकरणों को निपटाने में ज्यादा समय क्यों लिया जा रहा है? क्या इन जिलों में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है?

(4) क्या यह सही है कि पीठासीन अधिकारियों का कार्य अर्द्धन्यायिक प्रकृति का है, किन्तु ये अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान

(श्री अर्जुन सिंह)

देकर अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय पर न करके श्रमिकों को राहत नहीं दे पा रहे हैं?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में 1.4.2006 से 31.12.2007 तक विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत दर्ज एवं निपटाये गये प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। श्रम विभाग के कार्यालयों में 10.00 से 5.00 बजे की अवधि में प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ-साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता वार्ता संबंधी तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत कोर्ट केसों की सुनवाई का कार्य भी किया जाता है। कोर्ट केसों में सुनवाई कार्य अभिभाषकों की सुविधा से भी तय किया जाता है।

(3) जी नहीं। केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-12 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों में समझौता वार्ता की रिपोर्ट 14 दिवस में भेजने का प्रावधान है, जिसे पक्षकारों की सहमति से बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार अधिनियम की धारा-10 के तहत श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को प्रेषित एकल श्रमिकों के विवादों को 3 माह में निर्णित करने का प्रावधान है, जिसे न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर जिले में पीठासीन अधिकारियों के पद रिक्त नहीं हैं।

(4) जी हां। परन्तु यह सही है कि अधिकारी केवल अन्य प्रशासनिक कार्यों पर ही ज्यादा ध्यान देकर श्रमिकों को निर्धारित समय पर राहत नहीं देते हों। श्रमिकों को राहत देना विभाग की उच्च प्राथमिकता है।

परिशिष्ट 'अ'

1. कार्यालय उप श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	प्रारम्भिक शेष	1.4.06 से 31.12.07 तक प्राप्त	1.4.06 से 31.12.07 तक निपटाये	शेष
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	8	11	13	6
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	1	16	8	9

3	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	2	3	3	2
4	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	24	33	16	41
5	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958	-	6	4	2
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1. औद्योगिक शिकायतें	4	37	34	7
	2. विवाद	-	25	25	-

2. कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, डूंगरपुर

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	प्रारम्भिक शेष	1.4.06 से 31.12.07 तक प्राप्त	1.4.06 से 31.12.07 तक निपटाये	शेष
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	13	1	12	2
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	15	7	11	11
3	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	2	-	-	2
4	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	21	14	10	25
5	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958	1	3	2	2
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1. औद्योगिक शिकायतें	8	-	6	2
	2. विवाद	6	-	6	-

3. कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	प्रारम्भिक शेष	1.4.06 से 31.12.07 तक प्राप्त	1.4.06 से 31.12.07 तक निपटाये	शेष
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	39	49	43	45
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	32	41	41	32
3	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	19	24	15	28
4	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	190	189	126	253
5	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958	5	1	04	02
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1. औद्योगिक शिकायतें	114	172	234	52
	2. विवाद	14	136	142	08

4. कार्यालय उप श्रम आयुक्त, चित्तौड़गढ़

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	प्रारम्भिक शेष	1.4.06 से 31.12.07 तक प्राप्त	1.4.06 से 31.12.07 तक निपटाये	शेष
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	21	38	20	39
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	10	16	21	05
3	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	-	29	08	21
4	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	37	59	59	37

5	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958	-	-	-	-
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1. औद्योगिक शिकायतें	8	28	30	6
	2. विवाद	1	31	30	2

5. कार्यालय उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा

क्र. सं.	अधिनियम का नाम	प्रारम्भिक शेष	1.4.06 से 31.12.07 तक प्राप्त	1.4.06 से 31.12.07 तक निपटाये	शेष
1	मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936	22	20	4	38
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	18	7	10	15
3	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	37	20	8	49
4	कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923	235	153	119	269
5	राज. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधि. 1958	3	-	1	2
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 1. औद्योगिक शिकायतें	53	266	285	34
	2. विवाद	7	195	199	3

नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) के वार्ड नं. 11, 12 एवं 13 स्थित विद्यालय का भवन निर्माण

122. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) के वार्ड नम्बर 11, 12 व 13 में स्थित नवीन क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं? यदि हां, तो वर्तमान में उसमें कितने कमरे हैं?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका राजगढ़ (चूरू) के वार्ड नम्बर 12 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी दमामियान हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में 3 कक्षा-कक्ष निर्मित है तथा एक कक्षा-कक्ष सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2007-08 में स्वीकृत किया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विद्यालय भवन निर्मित है, जिसमें 3 कक्षा-कक्ष वर्तमान में बने हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष स्वीकृत किया गया है।

राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय-छाण (सवाईमाधोपुर) के प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

123. **श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय छाण (तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाई माधोपुर) के प्रधानाचार्य श्री राधेश्याम के विरुद्ध एक शिकायत स्थानीय विधायक द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2007 को जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को की गई थी? यदि हां, तो क्या उस जांच में प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी स्टाम्प पत्र लिखकर स्वयं सेवी संस्था का 7 माह तक शोषण करना सही पाया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच में राजकोष का भारी दुरुपयोग भी पाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण की जांच सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर एवं प्रवर्तन अधिकारी, गंगापुर एवं नायब तहसीलदार, वजीरपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) करौली द्वारा की गई थी? क्या जांच में उक्त को दोषी पाया गया था? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

(2) जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। जांच अभी प्रक्रियाधीन है।

कुशलगढ़ के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

124. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विद्यालय का स्तर	अध्यापकों के रिक्त पद		
		व्याख्याता	II ग्रेड	III ग्रेड
1	प्राथमिक	-	-	432
2	उच्च प्राथमिक	-	27	59
3	माध्यमिक	-	13	07
4	उच्च माध्यमिक	28	13	13

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के IV ग्रेड के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है तथा उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

न्यून परीक्षा परिणाम देने वाले प्रधानाध्यापक/अध्यापकों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति

125. **श्री शिवजीराम मीणा** (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रारम्भिक शिक्षा में न्यून परीक्षा परिणाम रखने वाले प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के प्रशासनिक स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में किस-किस अध्यापक/प्रधानाध्यापक का स्थानान्तरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासनिक आधार पर किये गये अध्यापक/प्रधानाध्यापक के स्थानान्तरण के पश्चात उसी स्थान पर अथवा अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो किन कारणों से किस सक्षम अधिकारी के आदेश से किस-किस अध्यापक/प्रधानाध्यापक की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जिला भीलवाड़ा में न्यून परीक्षा परिणाम रखने वाले स्थानान्तरित प्रधानाध्यापकों का विववरण परिशिष्ट 'क' तथा अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(2) जी हां। निम्न दो प्रधानाध्यापकों को उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) अजमेर द्वारा अन्यत्र विद्यालय व्यवस्थार्थ लगाया गया है:-

क्र. सं.	प्र.अ. का नाम	पदस्थापन स्थान	व्यवस्थार्थ लगाये विद्यालय का स्थान
1.	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	राउप्रावि रायसिंहपुरा	राउप्रावि मनोहरगढ़ (जहाजपुर)
2	श्री रमेश धोबी	राउप्रावि माल का खेड़ा	राउप्रावि पुरानी आरनी (शाहपुरा)

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक शिक्षा में न्यून परीक्षा परिणाम के आधार पर किए गए प्रधानाध्यापकों के स्थानान्तरण की सूची :-

क्र. सं.	नाम प्रधानाध्यापक	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1	श्री बाबू लाल जोशी	राउप्रावि पुर भीलवाड़ा	राउप्रावि साकरिया (सहाडा)
2	श्री अब्दुल गनी	राउप्रावि लापिया (बनेडा)	राउप्रावि मेवासा (माण्डल)
3	श्री रमेश धोबी	राउप्रावि कालसांस (बनेडा)	राउप्रावि माल का खेडा (जहाजपुर)
4	श्री सुरेन्द्र नारद	राउप्रावि दांता (बनेडा)	राउप्रावि जित्याखेडा (सुवाणा)
5	श्री कल्याण मल गुर्जर	राउप्रावि बनेडा	राउप्रावि दाता लुहारिया (माण्डल)
6	श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा	राउप्रावि निम्बाहेड़ाकलां (बनेडा)	राउप्रावि बराटिया (हुरडा)
7	श्रीमती निर्मला भट्ट	राबाउप्रावि बेमाली (माण्डल)	राबाउप्रावि बैरा (माण्डल)

क्र. सं.	नाम प्रधानाध्यापक	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
8	श्री मनोहर सिंह चुण्डावत	राउप्रावि सरेवडी (रायपुर)	राउप्रावि सुरगटी (माण्डल)
9	श्री सुआ लाल बारेठ	राउप्रावि सुरावास (सहाडा)	राउप्रावि सरेवडी (रायपुर)
10	श्री देवी लाल गर्ग	राउप्रावि रेह (माण्डल)	राउप्रावि रतनपुरा भादसी (आसीन्द)
11	श्री बद्रीलाल जीनगर	राउप्रावि गलोदिया, सहाडा	राउप्रावि बकाण, रायपुर
12	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	राउप्रावि बहादुर पुर, जहाजपुर	राउप्रावि रायसिंहपुरा, माण्डलगढ़
13	श्री जमना शंकर तिवाड़ी	राउप्रावि भोपतपुरा, माण्डलगढ़	राउप्रावि विक्रमपुरा, माण्डलगढ़
14	श्री रघुनाथ सिंह मीणा	राउप्रावि कायमपुरा, शाहपुरा	राउप्रावि लापिया, बनेडा
15	श्री कन्हैया लाल मोची	राउप्रावि कमालपुरा, बनेडा	राउप्रावि गोमा का बाडिया, माण्डलगढ

परिशिष्ट 'ख'

वर्ष 2007-08 में न्यून परीक्षा परिणाम के कारण स्थानान्तरित तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों की सूची :-

क्र. सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
1	बलवीर सिंह मीणा	राउप्रावि मोटाकाखेडा (माण्डल)	राउप्रावि भभाणा (माण्डल)
2	रणजीतसिंह पंवार	राउप्रावि बनेडा	राउप्रावि लाम्बियाकलां (बनेडा)
3	रीटा सक्सैना	राबाप्रावि बिजौलिया (मालण्डलगड़)	राउप्रावि धाकडखेडी-द्वितीय (माण्डलगढ़)
4	राकेश बाहेती	राउप्रावि कमलपुरा (बनेडा)	राउप्रावि विजयपुर (बनेडा)
5	राकेश जोशी	राउप्रावि दांता (बनेडा)	राउप्रावि सालरिया (बनेडा)
6	रामेश्वर लाल	राउप्रावि कायमपुरा (शाहपुरा)	राउप्रावि डाबलाकचरा (शाहपुरा)

क्र. सं.	नाम अध्यापक	कहां से	कहां को
7	रेखा दाधीच	राउप्रावि पुर-भीलवाड़ा)	राउप्रावि आभाखेडी (सुवाणा)
8	शंकर लाल खाती	राउप्रावि बहादुरपुरा (जहाजपुर)	राउप्रावि खेरूणा (जहाजपुर)
9	सरोज जोशी	राउप्रावि दांता (बनेडा)	राउप्रावि चमनपुरा (बनेडा)
10	सुनीता लढा	राउप्रावि कालसांस (बनेडा)	राउप्रावि लापिया (बनेडा)
11	सुशीला मून्दडा	राउप्रावि लापिया (बनेडा)	राउप्रावि सालरियाकलां (बनेड़ा)
12	उमेश पाठक	राउप्रावि सुरावास (सहाड़ा)	राउप्रावि झबरकिया (सहाडा)
13	जयसिंह मीणा	राउप्रावि धाकडखेडी-द्वितीय (माण्डलगढ़)	राउप्रावि जस्सूजी का खेडा (माण्डलगढ़)
14	जमनादास वैष्णव	राउप्रावि भभाणा (माण्डल)	राउप्रावि मोटाकाखेड़ा (माण्डल)
15	नकूल ठुकराल	राउप्रावि भोपतपुरा (माण्डलगढ़)	राउप्रावि बीकरण (माण्डलगढ़)
16	नारायण लाल बलाई	राउप्रावि निम्बाहेड़ाकलां (बनेडा)	राउप्रावि धामणिया (बनेडा)
17	ओमप्रकाश फ्लोड	राउप्रावि गलोदिया (सहाडा)	राउप्रावि ओझाधर (सुवाणा)

टिब्बी के विद्यालयों में विज्ञान/वाणिज्य संकाय

126. **श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची** (टिब्बी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावतसर एवं राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय, रावतसर, टिब्बी, थालडका, सिलवाला खुर्द, सरदारपुरा, खालसा, धन्नासर, विद्यालयों में विज्ञान, गणित, वाणिज्य, गृह विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वाणिज्य/विज्ञान संकाय और अतिरिक्त विषय विद्यालय विशेष की आवश्यकतानुसार और बजट की उपलब्धता के आधार पर ही प्रारम्भ करने हेतु विचार किया जाता है।

जोधपुर शहर के शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच

127. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में गत तीन वर्षों में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा जांच कब शुरू की गई एवं वर्तमान प्रगति क्या है?

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई? प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। शेष जांच प्रकरण कितने समय से किस कारण से लम्बित हैं?

(3) प्राप्त जांच रिपोर्ट में से कितने प्रकरणों पर सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) पिछले तीन वर्षों में 6 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), जोधपुर द्वारा की गई है। जांच कब-कब सुपुर्द कर दी गई और वर्तमान प्रगति का विवरण परिशिष्ट 'क' में वर्णित है।

(2) सभी शिकायत प्रकरणों की जांच रिपोर्ट आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को प्रेषित की जा चुकी है। इनकी कुल पृष्ठ संख्या 206x100 प्रतियां =41 रीम की आवश्यकता होने के कारण समय, श्रम एवं व्यय साध्य होने से इन्हें सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है। उक्त प्रकरणों की जांच रिपोर्टो का संक्षिप्त विवरण, निष्कर्ष एवं लंबित रहने का कारण परिशिष्ट 'क' में वर्णित है। एक प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तथा शेष 5 प्रकरणों की प्राथमिक जांच कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है, इनमें अंतिम निर्णय करना प्रक्रियाधीन है।

(3) प्राप्त जांच रिपोर्ट पर की गयी विभागीय कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''क'' में वर्णित है।

परिशिष्ट 'क'

क्र. सं.	आरोपी	जांच रिपोर्ट आयुक्तालय को प्रेषित	जांच प्रतिवेदन का संक्षेप	निष्कर्ष	वर्तमान प्रगति/विभागीय कार्यवाही	लम्बित रहने का कारण
1	आशा चौधरी, प्रधानाचार्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारपुरा, जोधपुर	04.03.2006	विद्यालय भवन निर्माण में वित्तीय अनियमितता की गई।	आरोपों के मद्देनजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	आरोपी को दिनांक 11-02-2008 को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर दिया गया। अनुपस्थित रहने से पुनः अवसर दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नियमों की पालना एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करना
2	महेश चन्द जोशी, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बारनी खुर्द	29.08.2006	एफवीसी एवं विपत्रों द्वारा राजकोष से राशि प्राप्त कर रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं कर राशि 2,02,603 रुपये का गबन किया।	आरोपों के मद्दे नजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	आरोपी को दिनांक 11-02-2008 को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर दिया गया। अनुपस्थित रहने से पुनः अवसर दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नियमों की पालना एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करना
3	महेश चन्द जोशी, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, चाबा	06.06.2007	जाली एफवीसी बिलों द्वारा राजकोष से राशि 1,75,821 रुपये आहरित कर रोकड़ बही में जमा न कर गबन किया। स्वीकृत बजट से अधिक राशि आहरित की गई। विभाग द्वारा आबंटित भवन निर्माण बजट में राशि 20,000 रुपये की स्वीकृत राशि में फर्मों को सीधे ही भुगतान किया गया जबकि वास्तव में किसी प्रकार की भवन मरम्मत एवं सफेदी नहीं करवाई गई।	आरोपों के मद्देनजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	आरोपी को दिनांक 11-02-2008 को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर दिया गया। अनुपस्थित रहने से पुनः अवसर दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नियमों की पालना एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करना

क्र. सं.	आरोपी	जांच रिपोर्ट आयुक्तालय को प्रेषित	जांच प्रतिवेदन का संक्षेप	निष्कर्ष	वर्तमान प्रगति/विभागीय कार्यवाही	लम्बित रहने का कारण
4	महेश चन्द जोशी, प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बाला	22.06.2007	सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी की गई। रजिस्टर के पृष्ठों को हटाकर नये सिरे से बिल रजिस्टर संधारित किया गया। राशि 13,162 रुपये का गबन किया गया तथा अंकराशि ज्ञात नहीं हुई।	आरोपों के मद्देनजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	आरोपी को दिनांक 11-02-2008 को व्यक्तिगत सुनवायी का अवसर दिया गया। अनुपस्थित रहने से पुनः अवसर दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नियमों की पालना एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करना
5	गिरिजा शर्मा, प्रधानाचार्या राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजमहल, जोधपुर	28.04.2007	आचरण नियम, आदेशों की अवहेलना तथा एनसीसी की गतिविधियां बाधित की गई।	आरोपों के मद्देनजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	ज्ञापन का उत्तर नहीं देने से पुनः स्मरण पत्र दिनांक 07.01.2008 को दिया गया है। अतः विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	नियमों की पालना एवं अभिलेखों/साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही करना
6	घनश्याम चौधरी, व्याख्याता राजकीय नवीन उच्च माध्य. विद्यालय, जोधपुर	23.03.2006 (ज्ञापन)	बिना अनुमति के 81 दिवसों के अवकाश का उपभोग किया गया।	आरोपों के मद्देनजर सीसीए 16 में विभागीय कार्यवाही करना प्रस्तावित।	आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण प्रकरण दिनांक 31.08.2007 को समाप्त किया गया।	

कोटा जिले के नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

128. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कोटा जिले में वर्तमान में नवसृजित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्तमान में नवसृजित 69 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 09 स्कूलों में पद रिक्त हैं तथा रिक्त 09 पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

1. राउप्रावि गोला
2. राउप्रावि गुडला खेडली
3. राउप्रावि तीन टापरी अरनीया कला
4. राउप्रावि हेमलखेड़ी, धरनावद
5. राबाउप्रावि नवीन फाणदा, देवली कला
6. राउप्रावि मदनपुरिया
7. राउप्रावि झीरीतलावत
8. राउप्रावि हनोतिया गादिया
9. राबाउप्रावि लुहावद

(2) विभागीय पदोन्नति द्वारा उपलब्ध होने पर रिक्त पदों का भरा जा सकेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु अधिकृत स्वयं सेवी संगठन

129. श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती ममता शर्मा)

(1) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार से राज्य सरकार को कब-कब कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? उक्त राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले को कब-कब आबंटित की गई? इस राशि से कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत उक्त अवधि में कम्प्यूटर शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई? कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र खोलने या स्वीकृत करने का क्या आधार रहा और इसकी क्या प्रक्रिया अपनाई गई व क्या मानदण्ड रखे गये? किस-किस जिले में किस-किस स्वयं सेवी संगठन का चयन किया गया व कब कब कार्यादेश दिया गया एवं कब-कब भुगतान किया गया, किस-किस केन्द्र पर कब-कब कितने-कितने विद्यार्थियों द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त की गई? विवरण केन्द्रवार मय अवधि व भुगतान सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन-जिन कम्प्यूटर शिक्षण केन्द्रों को उक्त योजना में कार्य दिया गया वे किस-किस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त थे?

उत्तर

(1) वर्ष 2007-08 के लिए भारत सरकार से राज्य सरकार को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई है :-

(राशि लाखों में)

अनु. जाति उ. मै. छात्रवृत्ति		**अनु. जनजाति उ. मै. छात्रवृत्ति**		**अन्य पिछड़ा वर्ग उ. मै. छात्रवृत्ति**	
स्वीकृति सं./ दिनांक	**राशि**	**स्वीकृति सं./ दिनांक**	**राशि**	**स्वीकृति सं./ दिनांक**	**राशि**
14011/02/2007 /SCD-V दिनांक 25.04.07	770.00	20014/17/03 /TAD-Plan दिनांक 04.06.07	409.27	11014/11/2 007/BCC दिनांक 18.01.08	431.6 8

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 2007-08 के दौरान भारत सरकार से राज्य सरकार को गत वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति के विरुद्ध निम्नानुसार राशि भी प्राप्त हुई :-

14011/02/ 2007/SCD-V दिनांक 26.09.07	2244.75	20014/17/03/ TAD-Plan दिनांक 30.04.07	520.51	-	-
		20014/17/03/ TAD-Plan दिनांक 30.4.07	1042.75	-	-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

भारत सरकार से प्राप्त एवं गत वर्ष की विभाग के पास उपलब्ध राशि सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान जिलेवार उपलब्ध करवायी गयी राशि एवं जनवरी, 2008 तक लाभान्वित विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के लिये, अध्ययन केन्द्र खोलने/स्वीकृत करने का कार्य नहीं किया जाता है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभाग द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा रही है। वर्ष 2007-08 में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये 4687 विद्यार्थियों को रुपये 853.61 लाख का भुगतान किया गया है। छात्रवृत्ति भुगतान का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान जिनको वर्ष 2007-08 में भुगतान किया गया है, उनकी विश्वविद्यालय से मान्यता का उल्लेख परिशिष्ट 'ब' में अंकितानुसार है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पालनहार योजनान्तर्गत आबंटित राशि का उपयोग

130. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पालनहार योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितने अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कितने आबंटित बजट के विरुद्ध किस-किस मद में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत कितनी पात्र विधवाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(4) उक्त योजनान्तर्गत कितने बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है तथा कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत कितने बच्चों को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है? वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त योजनान्तर्गत मिलने वाली वार्षिक अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पालनहार योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कुल 3843 अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया। वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) योजनान्तर्गत प्रारम्भ से अब तक कुल 1177.53 लाख रुपये के आबंटित बजट के विरुद्ध कुल 697.16 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है। योजना के अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष के बच्चे को रुपये 500 प्रतिमाह, आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को इसके अतिरिक्त 2000 रुपये वार्षिक अनुदान एवं 6 वर्ष व इससे ऊपर वाले बच्चे, जो स्कूल जाते हैं, को प्रतिमाह 675 रुपये एवं 2000 रुपये वार्षिक अनुदान दिए जाते हैं। वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत पात्र 6435 विधवाओं के बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उक्त योजनान्तर्गत 408 बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है तथा 97.06 बच्चे विद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) उक्त योजनान्तर्गत 3113 बच्चों को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वर्षवार व जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट 'य' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) योजना का प्रारम्भ वर्ष 2004-05 से ही किया गया है, विभाग द्वारा प्रति बालक प्रदान की जाने वाली राशि पर्याप्त है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा एवं बूंदी जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत लम्बित पेन्शन आवेदन-पत्र

131. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिण्डौली, नैनवां, बूंदी और केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्रों में किन-किन को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन प्राप्त हो रही है और उन व्यक्तियों में से कितने-कितने व्यक्तियों को जनवरी, 2008 तक का भुगतान नहीं मिल पाया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवाओं के कितने-कितने आवेदन कब से किस-किस स्तर पर विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली, नैनवां, बूंदी और केशोरायपाटन में जिन-जिन व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन प्राप्त हो रही है और उन व्यक्तियों में से जितने व्यक्तियों को जनवरी, 2008 तक का भुगतान नहीं हुआ है, उनकी संख्या विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वृद्धावस्था पेंशन		विधवा पेंशन		विकलांग पेंशन	
		पेंशनर्स की संख्या	पैंशनर्स की संख्या जिन्हें माह जनवरी, 2008 का भुगतान नहीं हुआ है	पेंशनर्स की संख्या	पेंशनर्स की संख्या जिन्हें माह जनवरी, 2008 का भुगतान नहीं हुआ है	पेंशनर्स की संख्या	पेंशनर्स की संख्या जिन्हें माह जनवरी, 2008 का भुगतान नहीं हुआ है
1	हिण्डौली	1316	-	1214	-	620	-
2	नैनवां	473	4	460	6	234	4
3	बूंदी	1477	6	2199	4	519	5
4	केशोरायपाटन	1604	864	1030	527	553	344

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्रों में विचाराधीन पेंशन आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	वृद्धावस्था पेंशन		विधवा पेंशन		विकलांग पेंशन	
		विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	कब से	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	कब से	विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या	कब से
उप खण्ड अधिकारी लाखेरी के स्तर पर							
1	हिण्डौली	9	जनवरी, 08	6	जनवरी, 08	2	जनवरी, 08
2	नैनवां	0	-	-	-	0	-
3	बूंदी	0	-	-	-	0	-
4	केशोरायपाटन	0	-	-	-	0	-
विकास अधिकारी के स्तर पर							
1	हिण्डौली	13	जनवरी, 08	5	जनवरी, 08	5	जनवरी, 06
2	नैनवां	0	-	0	-	0	-
3	बूंदी	0	-	0	-	0	-
4	केशोरायपाटन	137	जनवरी, 07 से जनवरी, 08 तक के	126	जनवरी, 07 से जनवरी, 08 तक के	46	जनवरी, 07 से जनवरी, 08 तक के

नागौरी नस्ल के बछड़ों की निकासी हेतु गठित समिति की बैठकें

132. **श्री रिछपाल सिंह मिर्धा** (डेगाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नागौरी नस्ल के बछड़ों की बाहर निकासी पर लगी रोक के कारण यह नस्ल समाप्ति के कगार पर है? यदि हां, तो इसको बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाये किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(2) क्या यह सही है कि इस रोक को हटाने हेतु सरकार द्वारा पिछले वर्ष जांच कमेटी बनाई गई थी? यदि हां, तो इस कमेटी में कौन-कौन सदस्य थे?

(3) उक्त कमेटी की पूरे वर्ष के दौरान कितनी बैठकें हुई? बैठकों का क्या निर्णय रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रव्रजन का विनियमन) अधिनियम, 1995 पर माननीय न्यायालय के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में तीन वर्ष से कम उम्र के गौवंश को राज्य से बाहर निर्यात किये जाने संबंधी परीक्षण करने हेतु मंत्रीमण्डलीय समिति का गठन किया गया था जिसके सदस्य निम्नानुसार हैं :-

1. माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृहमंत्री
2. माननीय श्री रामनारायण डूडी, राजस्व मंत्री
3. माननीय श्री युनूस खान, यातायात मंत्री
4. माननीय श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि एवं पशुपालन मंत्री

उप समिति की बैठक दिनांक 8.8.06, 28.12.06, 22.1.07, 17.09.07, 10.1.08, 18.1.08 एवं 23.1.08 को सम्पन्न हुई। बैठक दिनांक 23.1.08 में निर्णय लिया गया कि नागौरी नस्ल के 2 वर्ष के बछड़ों के निर्यात की अनुमति केवल उन्हीं राज्यों के लिए दिया जाय जहां गौवंश के वध पर प्रतिषेध है। अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाना प्रक्रियाधीन है।

बारां जिले की भवन विहीन ग्राम पंचायतें

133. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में पंचायत समितिवार कितनी-कितनी ग्राम पंचायतें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

(2) उक्त ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से आबाद एवं गैर आबाद ग्राम माह जनवरी, 2008 में अस्तित्व में हैं? ग्राम पंचायतवार आबाद एवं गैर आबाद ग्रामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम पंचायतों में से कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें माह जनवरी, 2008 में भवन विहीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त ग्राम पंचायतों में से किस-किस ग्राम पंचायत के पास क्या-क्या आयजनक निजी सम्पत्तियां हैं? सम्पत्तियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले की पंचायत समितियों में कुल 215 ग्राम पंचायतें जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार है:-

1. अन्ता	38
2. बारां	27
3. अटरू	34
4. किशनगंज	32
5. शाहबाद	27
6. छबड़ा	27
7. छीपाबडौद	30

(2) बारां जिले की उक्त ग्राम पंचायतों में कुल 1099 आबाद एवं 134 गैर आबाद ग्राम है। ग्राम पंचायतवार आबाद व गैर आबाद गांवों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) उक्त ग्राम पंचायतों में से भवन विहीन ग्राम पंचायतों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) उक्त ग्राम पंचायतों में से आय जनक निजी सम्पत्तियों वाली ग्राम पंचायतों का सम्पत्तियों के नाम सहित विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बर्ड फ्लू से प्रभावित मुर्गी पालकों को मुआवजा

134. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में राज्य में ''बर्ड फ्लू'' संक्रमण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीमारी से मुर्गियां मर गई थीं? यदि हां, तो कहां-कहां कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस बीमारी से ग्रसित मुर्गियों को मारने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो कितने मुर्गीपालकों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

खानपुर में पाला/शीतलहर से प्रभावित फसलों का मुआवजा

135. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पाले से फसलों को कितना प्रतिशत नुकसान हुआ? विवरण पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खानपुर में हुए पाले से नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत तहसील क्षेत्र खानपुर की समस्त 38 ग्राम पंचायतों एवं तहसील अकलेरा की 9 ग्राम पंचायतों में (कुल 47 ग्राम पंचायतों) में पाला एवं शीतलहर से फसल धनिया में प्रारम्भिक आंकलन के आधार पर अनुमानित नुकसान 30 से 75 प्रतिशत रहा। विस्तृत

(सहायता मंत्री)

सर्वे एवं गिरदावरी कार्य जारी है। सही आंकलन गिरदावरी के पश्चात ही सम्भव है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। राज्य सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। गिरदावरी होने के तुरन्त बाद पैकेज के अनुसार भुगतान किया जा सकेगा। राहत पैकेज की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

परिशिष्ट-1

पाला एवं शीत लहर से फसलों में फसल धनिया में नुकसान प्रतिशत की ग्राम पंचायतवार सूचना तहसील खानपुर

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	फसल का नाम	अनुमानित नुकसान का प्रतिशत
1	खानपुर	धनिया	65
2	सूमर	धनिया	65
3	ब्सार	धनिया	65
4	गाडरवाडाडूण्डी	धनिया	40 से 60
5	डोबडा	धनिया	60
6	गोलाना	धनिया	33 से 55
7	कंवरपुरा मण्डवालान	धनिया	75
8	भगवानपुरा	धनिया	75
9	दहीखेडा	धनिया	65
10	आकोदिया	धनिया	40 से 50
11	स्रखण्डिया	धनिया	35 से 55
12	जोळा	धनिया	75
13	पनवाड	धनिया	40 से 55
14	जरगा	धनिया	65
15	हरीगढ़	धनिया	65
16	खेडा	धनिया	65
17	मूण्डला	धनिया	35 से 55

18	लायफल	धनिया	65
19	बिशनखेडी	धनिया	60
20	पखराना	धनिया	40 से 60
21	मरायता	धनिया	65
22	गाडरवाडानूरजी	धनिया	30 से 55
23	बधेर	धनिया	35 से 55
24	बेरदामठ	धनिया	30 से 55
25	मोडीभीमसागर	धनिया	30 से 55
26	खण्डी	धनिया	65
27	कवल्दा	धनिया	65
28	लीमी	धनिया	60
29	सरोलाकलां	धनिया	60
30	शिवचरण ढाणी	धनिया	65
31	सोनापुर	धनिया	70
32	पीपलाज	धनिया	70
33	धानोदाकलां	धनिया	55
34	मालनवास	धनिया	65
35	करनवास	धनिया	40 से 60
36	अकावदखुर्द	धनिया	70
37	बरेडा	धनिया	65
38	तरज	धनिया	70

तहसील अकलेरा

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	फसल का नाम	अनुमानित नुकसान का प्रतिशत
1	मिश्रोली	धनिया	50 से 75
		चना	10

2	थनावद	धनिया	50 से 75
		चना	10
3	थडोल	धनिया	50 से 75
		चना	10
4	खारपा	धनिया	50 से 75
		चना	10
5	मैठून	धनिया	50 से 75
		चना	10
6	आमेठा	धनिया	50 से 75
		चना	10
7	गेहूखेडी	धनिया	50 से 75
		चना	10
8	छेवली	धनिया	50 से 75
		चना	10
9	तुरकाडिया	धनिया	50 से 75
		चना	10

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक.एफ.1(2)(2)आ.प्र. एवं सआ/ओ.वृ./08/1784-1816 जयपुर, दिनांक 15/02/08

समस्त जिला कलक्टर

राजस्थान।

विषय :- शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

माह जनवरी व फरवरी 2008 में राज्य में हुई शीतलहर एवं पाले से प्रभावित कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है :-

01. जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उनमें सीमान्त कृषकों को अधिकतम एक हैक्टेयर तक तथा लघु एवं वृहत कृषकों को अधिकतम दो हेक्टेयर तक, कृषि आदान अनुदान निम्न प्रकार देय होगा :-

असिंचित फसल पर – 3000/- रुपये प्रति हेक्टेयर

सिंचित फसल पर – डीजल इंजन से सिंचित – 6000/- रुपये प्रति हेक्टेयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित- 4000/- रुपये प्रति हेक्टेयर

02. बोई गई फसल में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

03. जिन गांवों में 50 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हुआ उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू-राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जायेगा।

04. प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

05. किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार आदान-अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

06. राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारित करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि रबी फसल में पाला एवं शीतलहर से हुए नुकसान की वास्तविक गिरदावरी माह मार्च के प्रथम सप्ताह तक कराकर पैकेज के अनुसार कृषकों को उपरोक्तानुसार सहायता वितरित की जाये। तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा की रिपोर्ट सूखा प्रबन्धन संहिता के प्रपत्र 7 (डी) के अनुसार तैयार करवाकर एवं फसल खराबे की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को पृथक-पृथक उपलब्ध कराई जाये, ताकि राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जा सके। अगर जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा नहीं हुआ हो तो भी यह सूचना अवश्य भिजवाये कि जिले में किसी भी ग्राम में 50 प्रतिशत व इससे अधिक नुकसान नहीं हुआ है।

प्रमुख शासन सचिव

आ.प्र. एवं सहायता

ग्रमीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता हेतु कार्य-योजना

136. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न मार्गों पर निजी वाहनों का अवैध संचालन होने से सरकार को राजस्व हानि हो रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि अवैध वाहनों के संचालन से सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि होती है? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध वाहनों के संचालन पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर की सीमा से सटे छोटे शहरों कस्बों व गांवों में यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होने से जुगाड़ व्यवस्था पनप रही है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जुगाड़ व्यवस्था से आमजन का जीवन संकट में रहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनका चलन रोकने के लिये यातायात के साधनों में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वाहनों के अवैध संचालन से राजस्व की हानि होना स्वाभाविक है किन्तु विभाग द्वारा इनकी रोकथाम हेतु यथोचित उपाए किए जा रहे हैं।

(2) सड़क दुर्घटनाओं के बहुत से कारणों में से एक कारण वाहनों का अवैध संचालन भी है। वाहनों का अवैध संचालन सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का एक मात्र कारण नहीं है।

वाहनों के अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है तथा अवधि विशेष के अभियान एवं प्रत्येक माह एक सप्ताह के नियमित अभियान भी संचालित किए जाते हैं। वर्ष 2007-08 में माह दिसम्बर, 2007 तक संयुक्त सघन जांच अभियानों के दौरान 2765 वाहनों के विरुद्ध चालान बनाकर 926.88 लाख रुपये राशि वसूल की गई है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि जयपुर शहर की सीमा से सटे छोटे शहरों कस्बों व गांवों में यातायात के पर्याप्त साधन नहीं होने से जुगाड़ व्यवस्था पनप रही है। इन क्षेत्रों में यातयात के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपनगरीय तथा ग्रामीण मार्ग खोले गए हैं।

(4) जी हां। जुगाड़ का संचालन अवैध है तथा इसमें यात्रा करना भी पूर्णतया सुरक्षित नहीं है। अतएवं इनकी रोकथाम हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा माह अप्रैल, 2007 से दिसम्बर 2007 की अवधि में कुल 262 जुगाड़ जब्त किए गए हैं। जुगाड़ चलन का एक मात्र कारण यातायात साधनों में कमी होना नहीं है। तथापि यातायात साधनों में वृद्धि की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा नवीन ग्रामीण मार्ग एवं उपनगरीय मार्ग खोले गये हैं तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को 1150 नई बसों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

निगम वाहनों के समयबद्ध संचालन हेतु कार्य-योजना

137. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ''राज्य पथ परिवहन निगम'' अब लाभ की स्थिति में आ गया है? यदि नहीं, तो उसे लाभ में लाने के क्या उपाए किए जा रहे हैं?

(श्री मदन राठौड़)

(2) क्या यह सही है कि अनुबंधित बसों को लगाने से शुद्ध आय हो रही है? यदि हां, तो सभी मार्गों पर अनुबंधित बसें नहीं लगाने के कारण क्या हैं?

(3) क्या यह सही है कि अनुबंधित बसों को समयबद्ध चलाने के लिए पाबंद किया जा रहा है? यदि हां, तो निगम बसों की समय बद्धता की पाबंदी क्यों नहीं?

(4) क्या यह भी सही है कि निगम की बसों के चालक या परिचालकों को अच्छी सेवाएं देने के लिए विशेष प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम को लाभ में लाने हेतु निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अनुबंध पर ली जाने वाली बसों के संचालन से कुछ बसें लाभ अर्जित कर रही हैं। यह स्थिति हर माह परिवर्तित होती रहती हैं।

जिन आगारों में आवश्यकता से कम वाहनें उपलब्ध हैं उन्हीं आगारों में आवश्यकता पूर्ति हेतु ही निजी वाहनें निगम द्वारा अनुबन्ध कर ली जाती हैं।

(3) निगम के साथ अनुबन्ध पर संचालित एवं स्वयं निगम की बसों के संचालन में समय की पाबंदी आवश्यक है लेकिन वाहनों में यांत्रिक दोष, प्राकृतिक आपदा के कारण वाहनें यदा-कदा लेट हो जाती हैं। निगम वाहनों के समयबद्ध संचालन की गत 6 माह में औसतन प्रस्थान/आगमन का प्रतिशत निम्न प्रकार रहा है :-

प्रस्थान :- 98.6 प्रतिशत

आगमन :- 99.1 प्रतिशत

(4) जी हां। प्रत्येक आगार स्तर पर एक सर्वश्रेष्ठ डीजल औसत देने वाले एक चालक को प्रतिमाह आगार स्तरीय कमेटी की अभिशंषा पर 500/- रुपये का भुगतान एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम व इन पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से दुर्घटना रहित वाहन संचालन के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(यातायात मंत्री)

वर्तमान में निगम के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ आगारों के चालक/परिचालकों को आगारों की आय वृद्धि के उद्देश्य से तीन माह के लिये (1.1.08 से 31.3.08 तक) ''स्वेच्छिक लक्ष्य योजना'' प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ की गई है जिसमें निर्धारित लक्ष्य से अधिक आय प्राप्त करने पर लक्ष्य से अधिक आय का 15 प्रतिशत परिचालक को एवं 10 प्रतिशत चालक को भुगतान किया जायेगा शेष 75 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा होगी।

परिशिष्ट '1'

निगम को हानि से उबारने हेतु निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयास:-

निगम को हो रही हानि से उबारने के लिए निगम स्तर पर निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार है :-

1. दिनांक 1.10.2007 से नई शीतकालीन समय सारिणी लागू की जा चुकी है जिससे वाहन उपयोगिता बढ़ सके एवं सेवाओं का समानान्तर संचालन न हो।

2. वित्तीय वर्ष 2006-07 में बस स्टाफ अनुपात 4.82 कर्मचारी प्रति बस था जो इस वर्ष दिसम्बर 07 में 4.78 कर्मचारी प्रति बस ही हैं।

3. इसके अतिरिक्त् निगम के विभिन्न आगारों एवं कार्यशालाओं में उपलब्ध अनुपयोगी भूमि का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है।

4. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में लगभग 1.39 कि.मी. की वृद्धि की गई है। वर्ष 2006-07 में प्रति कर्मचारी प्रतिदिन संचालन 76.11 कि.मी. था जिसे इस वर्ष 2007-08 (दिसम्बर 2007 तक) में बढ़ाकर 77.50 कि.मी. प्रति कर्मचारी प्रतिदिन किया गया।

5. वाहनों का आकस्मिक एवं प्रभावी निरीक्षण कराया जा रहा है।

6. अनाधिकृत संचालन पर रोक हेतु राज्य सरकार की सहायता से समय समय पर अभियान चलाकर रोक लगाई जा रही है।

7. प्रतिस्पर्धा में टिकने हेतु युक्तिपूर्ण तरीके से किराये में कमी की जा रही है।

8. निगम प्रबन्धन द्वारा समस्त फील्ड अधिकारियों को गीयर अप किया जा रहा है तथा नियमित रूप से समय-समय पर संचालन परिणामों की समीक्षा की जा रही है।

9. विशेष अभियान चलाया जाकर बकाया विभागीय जांचों का निस्तारण किया जा रहा है।

10. बसों की स्थिति में सुधार कर विभिन्न भौतिक पैरामीटर्स यथा वाहन उपयोगिता, वाहन बेडा उपयोगिता, डीजल औसत, ब्रेक डाउन दर, दुर्घटना दर आदि में सुधार किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	**विवरण**	**वर्ष 2003-2004**	**वर्ष 2004-2005**	**वर्ष 2005-2006**	**वर्ष 2006-2007**	**वर्ष 2007-08 दिसम्बर 07 तक**
1.	वाहन उपयोगिता प्रति बस प्रति दिनांक कि.मी.	342	346	370	380	386
2.	वाहन बेडा उपयोगिता प्रतिशत	94	96	97	97	96
3.	आयल टाप अप औसत प्रति कि.मी. प्रति लीटर	2322	2903	3208	3496	3437
4.	दुर्घटना दर प्रति एक लाख कि.मी.	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11

मुख्य प्रबन्धक एवं समस्त महा प्रबन्धकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर पारदर्शितापूर्ण लक्ष्य निर्धारण, संवाद एवं समीक्षा के माध्यम से संचालन परिणामों में सुधारात्मक कदम उठाये हैं।

श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के निर्धारित निगम बस स्थान का उपयोग

138. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि श्रीडूंगरगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्टेण्ड का उपयोग न करके अन्य स्थान पर बसों को

(श्री मंगलाराम गोदारा)

रोका जा रहा है? यदि हां, तो वहां, यात्रियों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं एवं निगम द्वारा स्टेण्ड बदलने की स्वीकृति स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन से ली गई अथवा नहीं?

उत्तर

जी हां। श्रीडूंगरगढ़ का नवनिर्मित बस स्टैण्ड जो राजस्थान परिवहन निगम को दिनांक 20.05.2003 को प्राप्त हुआ था पर तत्समय बुकिंग कार्यालय स्थापित किया गया था लेकिन बस स्टैण्ड आबादी क्षेत्र से बाहर होने के कारण यात्री उपलब्धता एवं आय में अत्यधिक कमी के कारण इस बस स्टैण्ड का उपयोग बन्द करना पड़ा।

श्रीडूंगरगढ़ में नये बस स्टैण्ड के बनने से पूर्व से ही श्रीडूंगरगढ़ (घूमचक्कर) चौराहा प निगम की बसों का ठहराव व बुकिंग कार्य होता था जिसे अभी भी यथावत रखा गया है। निगम द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार की कोई यात्री सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई हुई है। पूर्वानुसार ही बसों का ठहराव व बुकिंग कार्य होने से स्टैण्ड बदलने की स्वीकृति स्थानीय प्रशासन व जिला प्रशासन से नहीं ली गई।

राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीनों की खरीद

139. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीनें खरीदी गई हैं? यदि हां, तो किस कम्पनी से कितनी-कितनी राशि में, कितनी व कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्रय सौदा निविदा आमंत्रित नहीं कर किसी मध्यस्थ कम्पनी की मार्फत किया गया था? उक्त इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीनें अन्य राज्यों की तुलना में महंगी दर पर खरीदने के क्या कारण रहे एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

(3) क्या उक्त मशीनों में से कुछ मशीनें खराब मिलने तथा कुछ शीघ्र ही खराब होने का तथ्य सामने आने पर इस मामले की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों एवं अब जांच कब तक करवा ली जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रोनिक टिकटिंग मशीनें खरीदी गई हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. फर्म का नाम – मै. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एवं इन्स्ट्रूमेंट लि. जयपुर

2. मशीन की दर – 10920/- रुपये प्रति मशीन (नेट)

3. क्रय मशीन की संख्या-नवम्बर-दिसम्बर, 05-110

जून, 2006 – 100

जुलाई, 2006 -100

सितम्बर, 2006 -50

अक्टूबर, 2006 -50

नवमबर, 2007 -2

अप्रैल, 2007 -2

कुल मशीनें खरीदी गई-487

4. मशीनों की कुल राशि 53,18,040/- रुपये

(2) जी नहीं। निगम ने उक्त मशीनें भारत सरकार के एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त रूप से संचालित उपक्रम मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रोनिक एवं इन्स्ट्रूमेंट लि. जयपुर से ही सीधी निगम मण्डल से पारित क्रय नीति के बिन्दु संख्या 2.07 के तहत बिना टेण्डर आमंत्रित किये खरीद की गई हैं। उक्त मशीनों की क्रय निगम की क्रय नीति के तहत की गई है जिसमें अन्य राज्यों से तुलना करने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए दरों की तुलना नहीं की गई।

(3) जी नहीं। जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 110 मशीनें वार्षिक मेन्टीनेंश कान्ट्रक्ट (A.M.C.) के अन्तर्गत हैं तथा शेष वारंटी पीरियड में हैं।

पंचायत समिति कोटड़ा की सी.सी. रोड निर्माण में व्याप्त अनियमितताएं

140. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003 से अब तक पंचायत समिति, कोटड़ा में कहां-कहां कितने सी.सी. रोड किस-किस मद में बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

(2) मौके पर सी.सी. रोड़ों की भौतिक वस्तुस्थिति क्या है? क्या सी.सी. रोड घटिया सामग्री के उपयोग से क्षतिग्रस्त हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2003 से अब तक पंचायत समिति, कोटडा में विभिन्न मदों में कुल 164 सी.सी. रोड बनाये गये हैं, मदवार विवरण निम्नानुसार है-

1-एसजीआरवाई 50 प्रतिशत	76
2-एसजीआरवाई 30 प्रतिशत	18
3-एसजीआरवाई 20 प्रतिशत	10
4-एमपी लैड	4
5-एमएलए लैड	3
6-ईएफसी	8
7-एसएफसी 12 प्रतिशत	1
8-एसएफसी-11	2
9-टीएफसी (पंचा)-111	23
10-एसएफसी-111	14
11-टीएडीए	5

विभिन्न स्थानों पर बनाये गये सी.सी. रोड़ की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) मौके पर सी.सी. रोडों की भौतिक स्थिति संतोषप्रद है।

जी नहीं।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाली जिले में स्थानीय विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्यों का लम्बित भुगतान

141. श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

(1) पाली जिले में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक स्थानीय विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्यों की कामवार मय स्वीकृत राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने अधूरे हैं? कार्यों के अधूरे रहने के कारण क्या हैं? क्या सरकार अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी कार्यों का भुगतान हो चुका है? यदि हां, तो किस-किस का? शेष कार्यों का भुगतान नहीं होने के क्या कारण रहे? उनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

(4) जिन कार्यों का भुगतान हो चुका है उनकी सूची तथा भुगतान नहीं किया उसकी विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक स्थानीय विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्यों की कामवार मय स्वीकृत राशि की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से 1246 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 342 अपूर्ण हैं, 54 कार्य अप्रारम्भ हैं एवं 6 कार्य विवादित होने के कारण अपूर्ण हैं 1 चालू कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में यथासम्भव पूर्ण कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत समस्त कार्यों का कार्य की प्रगति अनुसार परिशिष्ट-1 के कालम संख्या 6 पर अंकितानुसार भुगतान किया गया है। 1 शेष कार्यों का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर कर दिया जावेगा।

(4) कार्यों के भुगतान का विवरण परिशिष्ट-1 पर है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आर.एल. सहरिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय की स्वीकृति

142. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल शर्मा)

क्या सरकार आर.एल. सहरिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाडेरा जिसमें लगभग 300 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, में विद्यार्थियों की मांग एंव संख्या की दृष्टि से स्नातकोत्तर में कला संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। बजट की अनुपलब्धता के कारण राजकीय क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय में खोला जाना सम्भव नहीं है। यदि महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से स्ववित्तपोषी योजना में स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद

143. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमआरामगढ़) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के कितने उच्च प्राथमिक, कितने प्रवेशिका और कितने वरिष्ठ उपाध्याय विद्यालय हैं? स्तरवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों स्तरों के विद्यालयों में श्रेणीवार पद किस संस्था को किस संख्या में आबंटित हैं और उनमें कितने पद किस तिथि से रिक्त हैं?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक, 1286, प्रवेशिका 82 वरिष्ठ उपाध्याय के 98 विद्यालय हैं।

(2) उक्त तीनों स्तरों के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-65 की प्रति)

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302 005

क्रमांक प.7(38)(76)परि/नियम/मु./2002 जयपुर, दिनांक 28.8.2002

<u>कार्यालय अदेश सं. 32, 2002</u>

Petrol चलित ऐसे वाहनों के लिए जो वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे हैं, मैं LPG Kit के पुन: Fitment करने सम्बन्धी दिश निर्देश :-

जल भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 24.4.2001 की अधिसूचना में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 B के पश्चात एक नया नियम 115 C स्थापित किया गया। यह नियम LPG चलित वाहनों के उत्सर्जन मानकों (Emission Standards) से सम्बन्धित है। उक्त नियम में वर्तमान में उपयोग में लिये जा रहे मोटर वाहनों में LPG Kit के पुन: Fitment सम्बन्धी प्रावधान भी दिये गये हैं। वाहनों में LPG Kit के पुन: Fitment की कार्यवाही हेतु पंजीयन अधिकारियों को निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. केवल ऐसे LPG Kit का पुन: Fitment मोटर वाहनों में किया जावेगा जिसका विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के अधीन प्राधिकृत किसी Testing Agency द्वारा Type approval का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो। मुख्यालय द्वारा ऐसे प्रत्येक LPG Kits की सूचना पंजीयन अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जावेगी।

2. वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे वाहनों में LPG Kit का पुन: Fitment Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कार्यशालाओं में ही किया जावेगा। इस प्रायोजनार्थ Kit विनिर्माता/Kit प्रदाय कर्ता/ वाहन विनिर्माता LPG Kit लगाने वाले प्राधिकर्ता को एक Authorisation सर्टीफिकेट जारी करेंगे, तथा इस प्रकार सभी Authorised वर्कशॉप की सूची Kit के पुन: Fitment को मान्यता दी जाकर पंजीयन अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन की पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि/परिवर्तन किये जा सकेंगे।

3. सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) की वर्कशाप की सूची प्राप्त होने के पश्चात जिनका निरीक्षण कराया जावेगा। विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने की स्थिति में उन्हें LPG Kit लगाने हेतु अधिकृत किया जावेगा। प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी प्रत्येक ऐसे LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को प्राधिकार-पत्र (Letter of authority) जारी करेंगे । यह प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व रेटरोफिटर (Retrofitter) द्वारा कार्यालय में फीस के रूप में रुपये 500/- जमा कराने होंगे। उक्त प्राधिकार-पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा तथा इसका नवीनीकरण उक्त अवधि के पश्चात प्रत्येक वर्ष फीस रुपये 100/- जमा कराने के पश्चात किया जावेगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के पश्चात नवीनीकरण कराने की स्थिति में प्रतिमाह रुपये 20/- विलम्ब शुल्क के रूप में अलग से जमा कराने होंगे। प्राधिकार पत्र का प्रारूप आदेश के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

4. वाहन स्वामी को अपने वाहन में LPG Kit पुन: Fitment लगाने से पूर्व सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी से उक्त परिवर्तन की अनुमति मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 के तहत प्राप्त करनी होगी। LPG Kit पुन: Fitment कर्ता Kit लगाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वमी द्वारा उक्त परिवर्तन की अनुमति सम्बिन्धित पंजीयन अधिकारी से प्राप्त कर ली गई है। उक्त परिवर्तन का इन्द्राज वाहन पंजीयन पुस्तिका में वाहन स्वामी को अनुमति प्राप्ति के 14 दिवस के अन्दर-अन्दर करवाना होगा।

5. LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) की वर्कशाप में कम से कम 450 वर्गफीट का क्षेत्र एक वाहन में LPG Kit परिवर्तन के लिए होना चाहिए। यदि एक ही समय में एक से अधिक वाहनों में LPG Kit लगाया जाना है तो वर्क शॉप का क्षेत्रफल उसी अनुपात में अधिक होना चाहिए। उक्त क्षेत्र लग बन्द तथा सुरक्षा की दृष्टि से उचित होना चाहिए।

6. LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को वाणिज्यिक कर विभाग से पंजीकृत होना आवश्यक है।

7. LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को निम्नलिखित मशीन/टूल रखना आवश्यक होगा।

- Two post lift/ramp

- Electric hand drill machine and H.S.S. drill bits
- Tube bender
- Tube cutter
- Deburring tool for tube
- Set of 'D' ring and box spanners
- Set of Screw driver (both flat and star)
- Set of allen keys
- H.S.S. hand saw
- Crimping tool for electrical cable termination
- Soap bubble bottle
- Set letter and number punch
- Infrared pollution meter
- Timing gun
- Filler gauge, Measurement tape
- Air compressor
- Flame proof inspection light
- Vernier caliper or Micrometer
- Multimeter
- Silicon Seal/Sealant
- Code of Practice-Current editions
- **Fire fighting equipment**

1. Dry Chemical Powder (DCP) type fore extinguisher-minimum two numbers of 5 kg each with IST Mark

2. CO2 type fire extinguisher-minimum 1 number of 5 kg with IST Mark

3. Fire buckets-Two buckets

8. LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को कम से कम ऐसे आई.टी.आई. प्रशिक्षित टैक्नीशियन, जिसको मोटर मैकेनिक क्षेत्र का एक वर्ष का अनुभव हो, रखना अनिवार्य होगा। LPG Kit निर्माता/Kit प्रदाय कर्ता इन टैक्नीशियनस को Kit लगाने का गहन प्रशिक्षण देंगे।

9. प्रत्येक LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को अपने परिसर में LPG Kit निर्माता/Kit प्रदाय कर्ता द्वारा जारी आथोराइजेशन (Authorisation) प्रमाण पत्र को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त वर्कशाप में उपलब्ध उपकरणों तथा प्रशिक्षिण Men Power की जानकारी भी परिसर में प्रदर्शित की जावेगी।

10.   विभाग से अनुमति मिलने के पश्चात LPG Kit विनिर्माता/ Kit प्रदाय कर्ता/वाहन विनिर्मिता LPG Kit रेटरोफिटर (Retrofitter) को LPG Kit लगाने हेतु आथोराइज्ड (Authorised) करेगा तथा रेटरोफिटर (Retrofitter) के सम्बन्ध में निम्न सूचना सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

Name and Communication Details like address, telephone number, etc. of the installer.

f   Business profile

f   Qualification Experience

f   Details of technical staff/equipment

f   Specification of workshop/land use certificate from appropriate authority.

11.   रेटरोफिटर (Retrofitter) वाहन में LPG Kit लगाते समय LPG आटो फ्यूल (Auto Fuel) के उपयोग से सम्बन्धित सैफ्टी कोड (Safety Code) की अनुपालना सख्ती से करेगा।

12.   रेटरोफिटर (Retrofitter) LPG Kit लगाने के पश्चात वाहन स्वामी को एक प्रमाण पत्र (As per Annexure VI of AIS 025DI) जारी करेगा कि उक्त Kit LPG सैफ्टी कोड (Safety Code) के अनुसार सही एवं सुरक्षित तरीके से लगा दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के साथ सैफ्टी कोड (Safety Code) के अनुसार पूर्ण तया भरी हुई Check list (As per Appendix 'A' of AIS 026DI/AIS 027D1) भी वाहन स्वामी को दी जायेगी। इसी के साथ रेटरोफिटर (Retrofitter) को प्रत्येक LPG Kit के साथ लगे हुये Auto LPG Cylinder/Tank का भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्यिक मंत्रालय के विस्फोटक विभाग के Chief Controller of Explosive द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी देना अनिवार्य होगा।

13.   LPG Kit विनिर्माता/Kit प्रदायकर्ता, Kit Installer को Kit लगाने, LPG System के संचालन एवं रखरखाव के संबंध में समुचित प्रशिक्षण देगा तथा प्रशिक्षण के पश्चात Installer को प्रशिक्षण दिये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। प्रशिक्षण में निम्नलिखित प्रक्रिया को विशेष रूप से सम्मिलित किया जावे :-

13.1 LPG Tank

- Fitments on tank
- Location and ventilation of tanks

- Installation of tank
- Shielding

13.2 LPG Fuel Line

- Testing of LPG Fuel Line
- Flexibility
- Installation

13.3 LPG Control Equipments

- Installation of regulator or vaporizer and its functioning
- Installation of fuel selection switch and its information

13.4 Inspection, Testing and Commissioning of LPG System

- Commissioning
- Leak testing

13.4 Garaging and Repair

- Repair operation of LPG vehicles
- Scrapping

13.5 Periodic inspection

13.6 LPG Characteristic and Safety Aspects for Handling and Storage

14. केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 126 के तहत अधिकृत टैस्टिंग एजेन्सी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर LPG Kit मोटर वाहन से लगाने की अनुमति दी जा रही है। उक्त प्रमाण पत्रों में यह शर्त अंकित की गई है कि किस प्रकार के वाहन जैसे- कारब्यूरेटेड (Carbureted) वाहन आदि तथा किन-किन वर्ष में निर्मित वाहन/माडल्स में यह किट लगाई जा सकेगी। अतः वाहन में LPG Kit लगाने की अनुमति देने तथा उसका पंजीयन पुस्तिका में इन्द्राज करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि टाइप अप्रूवल (Type Approval) प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पूर्णतः पालन किया गया है।

15. परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक/उपनिरीक्षक और उससे उच्च पद का कोई भी अधिकारी रेट्रोफिटर (Retrofitter) के परिसर का निरीक्षण कर सकेगा।

16. माह के अन्त में प्रत्येक रेट्रोफिटर उस माह लगाये गये LPG Kit की सूची मय वाहन संख्या के पंजीयन अधिकारी को प्रेषित करेगा तथा इसका रिकोर्ड स्वयं के कार्यालय में संधारित कर सकेगा।

17. सम्बन्धित प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी पुनः Fitment Center का एक निश्चित अंतराल के बाद निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे जो 6 माह से अधिक नहीं होगा।

18. **प्राधिकार-पत्र का निलम्बन/निरस्तीकरण एवं शास्ति**

यदि प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस आदेश के अधीन अधिकृत रेट्रोफिटर (Retrofitter) मोटर वाहन अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बने नियमों या आदेश की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो वह प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर सकेगा अथवा ऐसी जांच के पश्चात जैसा कि वह उचित समझे तथा प्राधिकार पत्रधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात प्राधिकार पत्र को निरस्त कर सकेगा तथा अनियमितताओं के लिये शास्ति आरोपित कर सकेगा जो कि एक बार में रुपये 1000/- से अधिक नहीं होगी।

19. LPG Kit विनिर्माता/Kit प्रदायकर्ता, द्वारा अधिकृत रेट्रोफिटर (Retrofitter) के पुनः Fitment के कार्य को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को सबलेट (Sublet) नहीं करेगा।

20. समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

डा. अशोक सिंघवी

परिवहन आयुक्त

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-70 का विवरण)

क्र. सं.	वर्ष	प्रमुख योजनाएं	टोडाभीम		नादौती		कुल	
			व्यय राशि	लाभान्वित कृषक सं.	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक सं.	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2003-04	कार्य योजना	461818	2125	508000	2640	969818	4765
		तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	205400	1515	225166	1735	430566	3250
		राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम	96215	1182	79863	1118	176078	2300
		राज्य योजना	58155	10	27914	0	86069	10
2	2004-05	कार्य योजना	147160	2936	814543	2362	961703	5298
		आइसोपाम (तिलहन एवं दलहन)	218307	2402	101213	2288	319520	4690
		राज्य योजना	30420	0	30160	0	60580	0
3	2005-06	कार्य योजना	411656	2779	562872	2828	974528	5607
		आइसोपाम (तिलहन एवं दलहन)	962112	3482	706516	3287	1668628	6769
		राज्य योजना	337247	238	270888	215	608135	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2006-07	कार्य योजना	859240	3711	703014	3304	1562254	7015
		आइसोपाम (तिलहन एवं दलहन)	529280	2570	406720	2360	936000	4930
		राज्य योजना	343000	550	285000	360	628000	910
		आत्मा	60000	140	45000	105	105000	245
		सूक्ष्म सिंचाई योजना	330152	34	287232	41	617384	75
		योग	**5050162**	**23674**	**5054101**	**22643**	**10104263**	**46317**

परिशिष्ट–क

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-73 का विवरण)

अंग आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु जिलेवार उपकरण वितरण की सूचना

S. No.	Name of Districts	फंकशनल एसेसमेन्ट कैम्प			
		Camps	अंग उपकरण आदि के लिए चिन्हित किये गये बालकों की संख्या	बालक-बालिकाओं की संख्या जिनको उपकरण दिये गये	शेष
1	AJMER	4	125	125	0
2	ALWAR	3	340	340	0
3	BANSWARA	3	413	200	213
4	BARAN	2	1370	559	811
5	BARMER	9	210	0	210
6	BHARTPUR	3	243	0	243
7	BHILWARA	3	146	0	146
8	BIKANER	2	390	390	0
9	BUNDI	2	91	0	91
10	CHITTORGARH	5	553	292	261
11	CHURU	2	236	0	236
12	DAUSA	2	242	242	0
13	DHOLPUR	4	2455	1155	1290
14	DUNGARPUR	5	169	160	9
15	HANUMAN-GARH	4	3932	646	3286
16	JAIPUR	15	144	144	0
17	JAISALMER	1	7603	2639	4964
18	JALORE	9	113	113	0
19	JHALAWAR	6	868	585	283
20	JHUNJHUNU	8	169	0	169
21	JODHPUR	3	1865	271	1594
22	KARAULI	2	244	244	0

23	KOTA	2	566	566	0
24	NAGOUR	3	263	0	263
25	PALI	3	1215	1215	0
26	RAJASAMAND	3	776	271	505
27	S. MADHOPUR	3	389	94	295
28	SIKAR	2	440	0	440
29	SIROHI	2	77	0	77
30	SRI GANGA NAGAR	3	73	0	73
31	TONK	7	106	0	106
32	UDAIPUR	4	169	1	168
	TOTAL 2007-2008	**129**	**25985**	**10252**	**15733**

अतिरिक्त निदेशक